



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
संघ सरकार के लेखे
2000 की संख्या 1


**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
संघ सरकार के लेखे
2000 की संख्या 1


विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
भाग - I		
वित्त लेखे		
अध्याय	विषय	
I	प्रस्तावना : प्राप्तियों एवं सवितरणों का सारांश	1
II	लेखाओं की समष्टि आर्थिक समीक्षा	7
III	प्राप्तियों की वृद्धि	25
IV	व्यय की वृद्धि	37
V	राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन : घाटा	60
VI	आर्थिक सहायता का प्रबन्धन	69
VII	ऋणों का प्रबन्धन	74
VIII	लेखाओं की परिशुद्धता	99
IX	अन्य टिप्पणियां	129
भाग - II		
विनियोग लेखे		
X	प्रस्तावना : 1998-99 के विनियोग लेखाओं का सारांश	131
XI	आबंटन से अधिक सवितरण	143
XII	अव्ययित प्रावधान	166
XIII	अनधिकृत तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	196
XIV	सेवा के नए साधन पर अनधिकृत व्यय	204
XV	आवश्यकता के बिना अनुपूरक प्रावधान	206
XVI	कुछ अनुदानों की समीक्षा	
	(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	210
	(ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
	(क) स्वास्थ्य विभाग	217
	(ख) परिवार कल्याण विभाग	229
	(iii) ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)	235
	(iv) कपड़ा मंत्रालय	243
	(v) परमाणु ऊर्जा विभाग	252
	तालिकाओं की सूची	263



परिशिष्ट


		पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट I	सरकारी वित्तीय लेखाओं से प्रकट हुई समग्र वित्तीय स्थिति	267
परिशिष्ट II	लेखे का आर्थिक विश्लेषण	269
परिशिष्ट III	संघ सरकार का कुल व्यय	294
परिशिष्ट IV	ब्याज भुगतान	295
परिशिष्ट V	राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान	296
परिशिष्ट VI	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	297
परिशिष्ट VII	निवेश पर प्रतिफल	299
परिशिष्ट VIII	लाभांश का भुगतान न करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	301
परिशिष्ट IX	राष्ट्रीयकृत बैंक जिनकी पूंजी भा.स. द्वारा बजट प्रावधानों/बैंकों में से अभिदत्त की गई थी जिनके निवेश अवलेखित किए गए थे।	302
परिशिष्ट X	संघ सरकार के लेखाओं में घाटा	303
परिशिष्ट XI	उधारों द्वारा वित्तपोषित व्यय	304
परिशिष्ट XII	संघ सरकार की कुल देयता	305
परिशिष्ट XIII	अप्रयुक्त कर्जे-सैक्टर-वार	306
परिशिष्ट XIV	31 मार्च 1999 को अधिकांश राशियों का आयातकर्ताओं के स्वामित्व में होना	307
परिशिष्ट XV	प्रतिकूल शेष	311
परिशिष्ट XVI	बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा अप्राप्य बकाया	314
परिशिष्ट XVII	विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	315
परिशिष्ट XVIII	मार्च माह के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय	320
परिशिष्ट XIX	निधि के पुनर्विनियोग के बिना व्यय	326
परिशिष्ट XX	निधियों का अभ्यर्पण	338
परिशिष्ट XXI	वसूलियों में प्रमुख विभिन्नता	341
परिशिष्ट XXII	प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो अनुपयोग के कारण अविवेकपूर्ण थे	343
परिशिष्ट XXIII	अन्य उप-शीर्षों के पुनर्विनियोग के मामले जिनके अन्तर्गत व्यय, शेष प्रावधान की तुलना में अततः अधिक दर्शाया गया	346
परिशिष्ट XXIV	'सेवा के नए साधन' को आकर्षित करने वाले मामले	349
परिशिष्ट XXV	प्रयुक्त चुनिन्दा शब्दों की शब्दावली	360



मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले शामिल हैं। प्रतिवेदन के भाग I में वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां शामिल हैं तथा भाग II में विनियोग लेखाओं पर टिप्पणियां शामिल हैं। सिविल मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियां पृथक रूप से प्रतिवेदन सं.2 तथा प्रतिवेदन सं.3 में शामिल की गई हैं।

संघ सरकार : अन्य स्वायत्त निकाय (सं.4), वैज्ञानिक विभाग (सं.5) डाक तथा दूरसंचार (सं.6), रक्षा मंत्रालय-सेना तथा आयुध निर्माणी (सं.7), वायु सेना तथा नौ सेना (सं.8), रेलवे (सं.9), संघ सरकार की प्राप्तियां-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क (सं.10), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर (सं.11) तथा प्रत्यक्ष कर (सं.12) के लिए भी पृथक प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखे जाते हैं।



विहंगावलोकन

संघ सरकार के लेखे : 1998-99 : एक नजर में

1998-99 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संघ सरकार की प्राप्तियों तथा संवितरणों के बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां एवं संवितरण निम्न प्रकार थे:

(करोड़ रुपयों में)			
	बजट अनुमान	वास्तविक	कमी (-)/ आधिक्य (+)
1. संघ सरकार की कुल प्राप्ति (7+8)	796429	814067	(+) 17638
2. राजस्व प्राप्तियां	247315	239889	(-) 7426
कर राजस्व ^B	141986	129317	(-) 12669
गैर-कर राजस्व	105329	110572	(+) 5243
3. पूंजीगत प्राप्तियां	5000	5874	(+) 874
4. कुल राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2+3)	252315	245763	(-) 6552
5. कर्जों तथा पेशगियों की वसूली	11560	13189	(+) 1629
6. लोक ऋण की प्राप्ति	412547	395297	(-) 17250
7. भारत की समेकित निधि में कुल प्राप्ति (4+5+6)	676422	654249	(-) 22173
8. लोक लेखा प्राप्ति	120007	159818	(+) 39811
9. संघ सरकार द्वारा कुल संवितरण (15+16+17)	796429	813831	(+) 17402
10. राजस्व व्यय	295383	300456	(+) 5073
राजस्व व्यय में सम्मिलित ब्याज भुगतान	75000	77882	(+) 2882
11. पूंजीगत व्यय	28168	25200	(-) 2968
12. कर्जों तथा पेशगियां	36241	46594	(+) 10353
13. संघ सरकार का कुल व्यय (10+11+12)	359792	372250	(+) 12458
14. लोक ऋण की वापस अदायगी	359080	322679	(-) 36401
15. भारत की समेकित निधि से किया गया कुल संवितरण (13+14)	718872	694929	(-) 23943
16. लोक लेखा संवितरण	77557	118875	(+) 41318
17. आकस्मिकता निधि	--	27	--
18. राजस्व घाटा (10-2)	48068	60567	(+) 12499
19. राजकोषीय घाटा { 13 - (4+5) }	91025 ^ψ	113298 [*]	(+) 22273

B संविधान की धारा 270 के अन्तर्गत राज्यों को आर्बिट्रि आय पर कर (14480 करोड़ रु) शामिल नहीं है।

^ψ जैसा कि निवल राशि निकालने के पश्चात, 1999-2000 के बजट एक नजर में प्रकट हुआ है। तथापि, ब.अ. में दर्शाए गए आंकड़ों के आधार पर राजकोषीय घाटा 95917 करोड़ रु संगणित किया गया।

* वर्ष के दौरान न लौटाए गए आकस्मिकता निधि आहरण सहित राजकोषीय घाटा 113325 करोड़ रु होगा।

समग्र मूल्यांकन

- कर प्राप्तियों के लिए बजटीय पूर्वानुमान अति आशावादी थे। वास्तविक वसूली अनुमानों से 12669 करोड़ रु. कम रही। दूसरी ओर, राजस्व व्यय तथा कर्जों एवं पेशगियों के संवितरण हेतु प्रावधान अधिकांशतः कम आंके गए। प्राप्तियों के अधिक अनुमान का अन्तिम परिणाम, विशेषकर कर प्राप्तियों तथा व्यय का अल्पानुमान, यह था कि राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के संबंध में संसद में बजट प्रस्तुत करते समय की गई उद्घोषणाएं अधिकांशतः गलत सिद्ध हुई, क्योंकि इन घाटों के वास्तविक आंकड़े अनुमानों से क्रमशः 12499 करोड़ रु. तथा 22273 करोड़ रु. बढ़ गए।
- अनुमानों के सन्दर्भ में कर राजस्व के संग्रहण में भारी गिरावट मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों : 4733 करोड़ रु. लाभांश तथा लाभ : 1466 करोड़ रु., विद्युत : 1029 करोड़ रु. तथा पेट्रोलियम* : 7026 करोड़ रु. के अन्तर्गत अधिक वसूली के कारण कुछ सीमा तक 5243 करोड़ रु. की अधिक गैर-कर प्राप्तियों द्वारा पूरी की गई थी।
- कर प्राप्ति में 12669 करोड़ रु. की कमी मुख्यतः निगम कर : 2021 करोड़ रु., आय पर कर : 690 करोड़ रु., सीमा शुल्क : 7480 करोड़ रु., उत्पाद शुल्क : 4444 करोड़ रु. के कारण थी, जो ब्याज तथा सेवा कर के अनुमान से अधिक संग्रहण के कारण अंशतः पूरी की गई।
- बजट प्रस्तुत करते समय राजकोषीय घाटे के एक विशेष स्तर को प्रदर्शित करने के लिए सरकार की व्यय को कम आंकने तथा राजस्व प्राप्ति को अधिक आंकने की प्रवृत्ति पिछले पांच वर्षों से लगातार बनी हुई थी। इन सभी वर्षों के दौरान वास्तविक राजकोषीय घाटा 10 से 60 प्रतिशत तक अधिक रहा। यह इस तथ्य के बावजूद था कि सरकार ने लगातार नई योजनाओं के आस्थगन सहित पश्च बजट आर्थिक उपायों का सहारा लिया था।
- 1998-99 के दौरान समेकित निधि में 113298 करोड़ रु. के राजकोषीय घाटे को उधारों द्वारा वित्तपोषण किया गया जिसमें लोक ऋण भण्डार में 72618 करोड़ रु. का परिवर्धन तथा लोक लेखे में 40943 करोड़ रु. की निवल वृद्धि निहित थी। 60567 करोड़ रु. का उधार, राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त किया गया। इसके कारण आने वाले वर्षों में और अधिक ब्याज का भार बढ़ेगा।

* इसमें पेट्रोलियम बंधपत्रों के ऋणमोचन/वितरण के प्रति 6382 करोड़ रु. शामिल हैं।

सिफारिशें

- वर्तमान व्यय के लिए उधारों का उपयोग संसाधन प्रशासन पद्धति के पतन का कारण है। उधार ली गई निधियों को परिसम्पत्ति सृजन के रूप में उपयोग के लिए संसाधन उपयोगी शासन प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु नीति निर्धारण पर विचार किया जाना चाहिए।
- राजस्व घाटे को कम करने तथा सर्वथा समाप्त करने के लिए राजस्व संग्रहण प्रणाली, कराधार बढ़ाने तथा अर्थव्यवस्था के गैर-कर राजस्व आधार को सुदृढ करने पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। व्यय के नियंत्रण से भी अधिक, इसे संसाधन उत्पत्ति को बढ़ा कर प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी व्यय अधिकांशतः अपरिवर्तनीय होने के कारण राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में सुधार मुख्यतः कर राजस्व बढ़ा कर ही किया जा सकता है। इस प्रकार, सरकार को राजस्व तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती को राजस्व प्रबंधन में अधिक सुधार के माध्यम से ही अंगीकार करना चाहिए। चूंकि कर राजस्व का वर्तमान स्तर सं.घ.उ. का सर्वाधिक न्यूनतम 8.16 प्रतिशत है, कर आधार को विस्तृत करने, छूटों/प्रोत्साहनों के पुनरीक्षण तथा कड़ाई से अनुपालन के माध्यम से इसे बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं।
- उधारों, उधार ली गई निधियों के उपयोग, संसद को सूचित की गई महत्वपूर्ण बजटीय मान्यताओं, प्राधिकृत व्यय की तुलना में आधिक्य के मामलों में तथा राजकोषीय नियमावली/नियमों में महत्वपूर्ण विपथन के मामलों की एक अधिनियम के माध्यम से राजकोषीय उत्तरदायित्व को सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। जहां नीतियों में परिवर्तन हो सकता है, वित्तीय प्रशासन पद्धति को तदर्थवाद टालना चाहिए तथा निरन्तरता एवं सामंजस्य का प्रदर्शन करना चाहिए। सरकार प्रस्तावित राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम को शीघ्र लागू कर सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ उपर्युक्त मामलों की भी चर्चा होनी चाहिए।

अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति

- 1976-77 में स.घ.उ. के 0.33 प्रतिशत के राजस्व अधिशेष से 1998-99 में स.घ.उ. के 3.44 प्रतिशत के राजस्व घाटे की विकृति से पिछले 23 वर्षों में उधारों पर निर्भरता को बढ़ावा मिला है। यह स.घ.उ. की प्रतिशतता में राजस्व प्राप्तियां कम होने तथा राजस्व व्यय बढ़ने के कारण था। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 1992-93 से लगातार कम हो रही थी जो 1976-77 से लेकर 1998-99 में 14.43 प्रतिशत के सर्वथा न्यूनतम स्तर पर

पहुंच गई थी, जबकि उसी अवधि में राजस्व व्यय स.घ.उ. के 2.63 प्रतिशत अंक तक बढ़ गया जिसके कारण अधिक उधार लेने पड़े।

- राजस्व व्यय पूरा करने के लिए अधिक से अधिक उधार लिए जाते हैं। 1998-99 के दौरान, स.घ.उ. के 6.43 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे में से स.घ.उ. की 3.44 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय पूरा करने में उपयोग की गई। कुल राजस्व व्यय का लगभग पांचवां हिस्सा उधारों से ही पूरा किया गया।
- बढ़ते हुए उधारों के कारण बढ़ते हुए ब्याज के भार ने राजस्व व्यय में तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने में कोई समाधान प्राप्त करने की योग्यता को सीमित कर दिया है। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान पिछले 23 वर्षों में 1.62 से बढ़ कर 4.42 हो गया है। राज्यों को किए गए अन्तरणों को छोड़कर, केवल ब्याज भुगतान ही कुल राजस्व व्यय का एक तिहाई बनता था।
- 1986-87 की तुलना में 'पूंजीगत व्यय', स.घ.उ. के 3.6 प्रतिशतता अंक तक कम हो गया है। पूंजीगत व्यय का कम होना बढ़ते हुए अपरिवर्तनीय राजस्व व्यय द्वारा की गई मांगों तथा उधारों के सीमित करने के लिए डाले गए दबाव का परिणाम है। वचनबद्ध व्यय के लिए की गई मांगों को पूरा करने के लिए सरकार अधिक से अधिक उधार लेने के लिए विवश हो गई, जिससे ब्याज भुगतान तथा उसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय की देयता बढ़ गई।

प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

प्राप्तियां

- सही अर्थों में 254369 करोड़ रु की सकल राजस्व प्राप्तियां 1997-98 के सन्दर्भ में 22562 करोड़ रु अधिक थी, यद्यपि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह पिछले वर्ष के दौरान 14.82 की तुलना में कम हो कर 14.43 हो गई थी। कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व संग्रहण, स.घ.उ. का क्रमशः 8.16 प्रतिशत तथा 6.27 प्रतिशत था। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व 1976-77 से लेकर 1998-99 के दौरान कम होकर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया।
- कर राजस्व संग्रहण में 46600 करोड़ रु का प्रत्यक्ष कर राजस्व तथा 97197 करोड़ रु का अप्रत्यक्ष कर राजस्व शामिल था। अप्रत्यक्ष कर 108855 करोड़ रु की अनुमानित प्राप्तियों से

¹ पूंजीगत व्यय + कर्जे एवं पेशगियां

11658 करोड़ रु कम था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह सीमा शुल्क तथा संघ उत्पाद शुल्क के संग्रहण में भारी मात्रा में कमी के कारण था।

- निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर से 20240 करोड़ रु के कुल संग्रहण में से, 14480 करोड़ रु राज्यों को आबंटित किए गए, जबकि 53246 करोड़ रु के संघीय उत्पाद शुल्क के कुल संग्रहण में से, 24665 करोड़ रु राज्यों को आबंटित किए गए। संघीय करों से राज्यों को किए गए इन दोनों आबंटनों का जोड़ संघ सरकार द्वारा संग्रहीत कुल कर राजस्व का 27.22 प्रतिशत था।
- प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कम होते रहे। प्रत्यक्ष कर कम हो कर स.घ.उ. के 2.64 प्रतिशत के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए जबकि अप्रत्यक्ष करों ने भी वही प्रक्रिया अपनाई और वे भी कम हो कर स.घ.उ. के 5.52 प्रतिशत के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। पिछले वर्ष की तुलना में भी, 1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर 0.45 तथा 0.29 प्रतिशतता अंक कम हुए। वर्ष प्रति वर्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निरन्तर कमी एक गम्भीर मामला है।
- 1998-99 को छोड़कर, जब 1997-98 की तुलना में कुछ सुधार हुआ था, कर भिन्न राजस्व 1994-95 से लगातार घटते गए। कर-भिन्न राजस्व, जो कि स.घ.उ. के 6 प्रतिशत के आस पास रह रहा था, के बढ़ने में कोई सुधार नहीं हुआ। परन्तु क्रॉस होल्डिंग के माध्यम से अनिवेश के लिए, कर-भिन्न राजस्व स्थिर रह सकता था। कर-भिन्न राजस्व 1994-95 में स.घ.उ. के 6.66 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 6.27 प्रतिशत हो गया।

व्यय

- 1998-99 के दौरान संघ सरकार का कुल व्यय 372250 करोड़ रु था, जो कि बजट अनुमानों से 12458 करोड़ रु अधिक था।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान, सही अर्थों में कुल व्यय जो 1994-95 में 220863 करोड़ रु था; 151387 करोड़ रु बढ़ गया, जबकि उसी अवधि में, कुल राजस्व केवल 93219 करोड़ रु ही बढ़ा। बढ़ते हुए संसाधन अन्तर को वर्ष प्रति वर्ष उधार ले कर, व्यय के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में राजस्व संसाधनों को संघटित करने तथा जुटाने में सफलता प्राप्त किए बिना पूरा किया जाता है।
- राज्यों को आबंटित निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर की निवल प्राप्तियों का भाग संघ उत्पाद शुल्क का भाग, राज्य योजनागत योजनाओं, योजनेत्तर अनुदानों तथा 1998-99 के दौरान 105771* करोड़ रु के कुल कर्जों सहित राज्य सरकारों को निधियों का कुल अन्तरण

* इसमें राज्यों को आबंटित आय पर कर की निवल प्राप्तियों के हिस्से से 14480 करोड़ रु शामिल है।

संघ सरकार के कुल व्यय का 28.41 प्रतिशत बना। राज्य सरकारों को कुल अन्तरण, संघ सरकार द्वारा संग्रहीत कुल सकल कर राजस्व का लगभग 74 प्रतिशत बना।

- संघ सरकार से राज्य सरकारों को कुल सहायता, राज्यों की समेकित निधि में कुल प्राप्तियों का 35.19 प्रतिशत आँकी गई।
- यद्यपि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 1998-99 में थोड़ा कम हुआ, तथापि वह राजस्व प्राप्ति में हुई बहुत अधिक कमी के कारण राजस्व घाटे की बिगड़ती स्थिति को सुधारने में असफल रहा, जिससे राजस्व व्यय में नाममात्र की कमी से होने वाले सीमान्त लाभ की संभावना समाप्त हो गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व व्यय 1994-95 में 177699 करोड़ रु से बढ़ कर 1998-99 में 300456 करोड़ रु हो गया।
- राजस्व व्यय में बड़ा भाग ब्याज भुगतानों का था। 1998-99 के दौरान, 77882 करोड़ रु का ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 25.92 प्रतिशत था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1998-99 के दौरान यह स.घ.उ. का 4.42 प्रतिशत था।
- 1998-99 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का 80.71 प्रतिशत था जबकि लेखाओं में दर्ज किया गया पूंजीगत व्यय केवल 6.77 प्रतिशत था। यदि संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों को पूंजीगत व्यय के रूप में मान लिया जाय तो लेखाओं में दर्ज कुल पूंजीगत व्यय 20 प्रतिशत से कम था। यह 1988-99 से व्यापक रूप से कम था, जबकि पूंजीगत व्यय कुल व्यय के 25 प्रतिशत से अधिक दर्ज था।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, बढ़ते हुए राजस्व घाटे का दबाव, राज्य सरकारों से और अधिक कर्जों की मांग तथा राजकोषीय घाटे को एक सीमा तक बनाए रखने की अनिवार्यता के कारण पूंजीगत लेखे में व्यय कम हुआ। 1998-99 के दौरान, पूंजीगत व्यय स.घ.उ. का 1.43 प्रतिशत था।
- कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में कुल सुस्पष्ट आर्थिक सहायता 1997-98 में 7.48 से बढ़ कर एक वर्ष में 1998-99 में 8.36 प्रतिशत हो गई। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, 1998-99 के दौरान सुस्पष्ट आर्थिक सहायता 1.42 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, और भी कई सुस्पष्ट आर्थिक सहायता थी जो कि बजट तथा लेखाओं में अलग से नहीं दर्शाई गई।

निवेश तथा प्रतिफल

- सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों तथा निगमों ने 60099 करोड़ रु के कुल प्रगामी निवेश पर केवल 3.97 प्रतिशत लाभांश दिया।

- कुल 244 सा.क्षे.उ. में से केवल 77 ने संघ सरकार को इक्विटी के 0.04 तथा 131.76 प्रतिशत के बीच लाभांश का भुगतान किया।
- सत्रह सा.क्षे.उ. ने 1997-98 के दौरान 1303.49 करोड़ रु का कर पश्चात् लाभ दिखाया। परन्तु उन्होंने वित्त मंत्रालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए 1998-99 के दौरान सरकार को कोई लाभांश नहीं दिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों ने शेयर पूंजी के लिए 13672.62 करोड़ रु के कुल प्रगामी निवेश पर केवल 384.19 करोड़ रु (2.81 प्रतिशत) का लाभांश दिया जबकि सरकार ने उनको जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर इक्विटी में निवेश को पुनः पूंजीकृत करके ब्याज के रूप में 1277.99 करोड़ रु का भुगतान किया।

संघ सरकार का ऋण

- संघ सरकार की कुल देयता, जोकि आंतरिक उधारों, बाह्य उधारों तथा सरकार द्वारा संसाधनों के रूप में उपयोग किए गए लोक लेखाओं के शेषों से बनी है, पिछले पांच वर्षों में 61 प्रतिशत बढ़कर 1994-95 में 630071 करोड़ रु से 1998-99 में 1012486* करोड़ रु हो गई।
- कुल देयता में 459696 करोड़ रु का आंतरिक ऋण स्टॉक, विनिमय की वर्तमान दर पर 177934 करोड़ रु का बाह्य ऋण, 333261 करोड़ रु के शेषों में लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि तथा 41595 करोड़ रु की आरक्षित निधियां तथा जमा शामिल है। मार्च 1999 के अंत तक संघ सरकार का कुल ऋण स्टॉक तथा लोक लेखा दायित्व स.घ.उ. का 57.44 प्रतिशत बना।
- जबकि आंतरिक ऋण का 66.46 प्रतिशत बाजार उधारों 305513 करोड़ रु से बना था, 4.10 प्रतिशत बकाया खजाना बिलों: 18845 करोड़ रु तथा 22.15 प्रतिशत प्रत्याभूतियों में परिवर्तित खजाना बिलों, 101818 करोड़ रु से बना था। बाजार उधार स्टॉक पर कर ब्याज की दरें 5.5 तथा 14 प्रतिशत के बीच थी जबकि ये प्रतिभूतियों में परिवर्तित खजाना बिल पर 4.6 प्रतिशत थी। अधिकतर लोक लेखाओं पर ब्याज 12 प्रतिशत था।
- मार्च 1999 के अंत तक अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता 50157 करोड़ रु थी। संघ सरकार ने 1998-99 के दौरान अप्रयुक्त बाह्य सहायता पर 47.59 करोड़ रु के वचनबद्ध प्रभारों का भुगतान किया। अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता विद्युत, जल संसाधन प्रबन्ध, सड़कें तथा सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित थी।

* विनिमय की वर्तमान दर पर बाह्य ऋण।

- मूलधन की वापस अदायगी तथा बाह्य ऋण पर ब्याज के भुगतान के दबाव ने निवल अन्तर्वाह को 1994-95 से ऋणात्मक में बदल दिया है। मूलधन की वापस अदायगी और ब्याज के भुगतान के पश्चात बाजार कर्जों तथा बाह्य ऋण के चैनलों को निवल संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सरकार और अधिक उधार लेने के लिए बाध्य हो जाएगी जिससे आने वाले वर्षों में बजट पर और अधिक दबाव पड़ेगा, जब तक कि राजस्व प्राप्ति हेतु कोई समाधान नहीं निकाला जाता।
- लो.ले.स. की बारम्बार अनुशंसाओं तथा अनुमान समिति की अनुशंसा के बावजूद सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार संसद के अनुमोदन से उधारों पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। कार्यपालिका की उधार लेने की शक्तियों को सीमित करने हेतु कानून के अभाव में सरकार ने यथेष्ट राजकोषीय नीति/कानून के आधीन रहने के बजाए कुल व्यय तथा राजस्व के बीच के अन्तर को पाटने के लिए उधार लेना जारी रखा।

घाटा

- जैसा कि पहले बताया गया है सरकार राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 5.6 प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए दिये गए वचन को पूरा करने में असमर्थ थी। वास्तविक राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 6.43 प्रतिशत बना जो वचनबद्धता के स्तर से 0.83 प्रतिशतता अंक ऊपर था।
- 1998-99 के दौरान 60567 करोड़ रु का राजस्व घाटा बजट अनुमानों से 12499 करोड़ रु बढ़ गया। सभी राज्य सरकारों का कुल राजस्व घाटा 42242 करोड़ रु था।
- सरकार राजकोषीय/राजस्व घाटे को, संसद को प्रस्तुत किये गए बजट अनुमानों में प्रक्षेपित किये गए स्तर पर बनाए रखने में समनुरूप से विफल रही हैं। जबकि 1994-99 के पांच वर्षों में वास्तविक राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों को पार कर गया, पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व घाटा अनुमानों को पार कर गया है।

लेखाओं की शुद्धता

- संघ सरकार के लेखाओं की पूर्णता तथा शुद्धता पर (i) लेखाओं का समाधान न करने (ii) शेषों के पुनरीक्षण को पूरा करने में असमर्थता (iii) अंतिम समायोजन की प्रतीक्षा करते उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत भारी बकाया शेषों (iv) लेखाओं में प्रतिकूल शेषों की बढ़ती हुई संख्या तथा (v) चैक एंव बिलों के अन्तर्गत बकाया का प्रभाव पड़ा था।

- चूंकि वित्त लेखे के फार्मेट में उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत शेषों को निवल के आधार पर दर्शाने की व्यवस्था है मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों का वास्तविक परिमाण जो कि सभी जमा तथा घटा डेबिट तथा क्रेडिट शेषों का योग है, विभेदक नहीं था। मंत्रालयों में नमूना जांच से पता चला कि बहुत से मामलों में जमा तथा घटा क्रेडिट तथा डेबिट शेषों का विवरण उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया था।
- 'बट्टा निक्षेप निधि' तथा 'विदेशों में की जाने वाली खरीदों के लिए उचन्त लेखे' जो कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरम्भ में उचन्त के अन्तर्गत रखने के लिए बनाए गये हैं, की मदों को छोड़ कर मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत शेष निरन्तर बढ़ते रहे जो उनके समायोजन की बजाए अधिक सहवर्धन का संकेत देते हैं। चूंकि उचन्त लेखे अस्थायी प्रकृति के होते हैं, बढ़ता हुआ उचन्त शेष चिन्ता का विषय है। 'बट्टा निक्षेप निधि' तथा 'विदेशों में की जाने वाली खरीदों के लिए उचन्त' लेखे से संबंधित शेषों को छोड़कर 1998-99 के अन्त में वित्त लेखे में प्रकट हो रहे उचन्त शेषों की निवल राशि 6775 करोड़ रु थी।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रगामी निवेश ने सही एवं शुद्ध स्थिति नहीं दर्शाई क्योंकि 1994-97 के दौरान सरकार द्वारा बट्टे खाते डाली गई कुछ बैंकों की हानियों के परिणाम को समायोजित नहीं किया गया था।

विनियोग लेखे

संसद द्वारा प्राधिकृत की गई निधियों के प्रति 1998-99 के दौरान भारत की आकस्मिकता निधि से किए गए संवितरण निम्न प्रकार थे:-

	अनुदानों की कुल संख्या	96
जिसमें से		
	विभागीकृत	93
	अविभागीकृत	3
		(करोड़ रु में)
	कुल प्रावधान*	643188.49
जिसमें से		
	मूल	628740.73
	अनुपूरक	14447.76
जिसमें से	राजस्व	217995.39
	दत्तमत	112763.79
	प्रभारित	105231.60
	पूंजीगत	425193.10
	दत्तमत	26319.82
	प्रभारित	398873.28
	वसूलियों हेतु प्रावधान	6303.52
	कुल निवल प्रावधान	636884.97
	कुल सकल संवितरण #	608167.09
जिसमें से		
	राजस्व	220441.19
	दत्तमत	114203.68
	प्रभारित	106237.51
	पूंजीगत	387725.90
	दत्तमत	25284.07
	प्रभारित	362441.83
	व्यय की कटौती के रूप में वसूलियां	8026.96
	दत्तमत	8000.20
	प्रभारित	26.76
	कुल निवल संवितरण	600140.13
	सकल प्रावधान तथा संवितरण के संदर्भ में अव्ययित प्रावधान	35021.40

* इसमें रेलवे, रक्षा तथा डा. व दू. सं. के आंकड़े शामिल नहीं हैं जबकि अध्याय X में उनके संवितरण के आंकड़े शामिल हैं।

ऋण की वापस अदायगी शामिल है।

संवितरण

- सिविल मंत्रालयों में 1998-99 के दौरान 608167 करोड़ रु का कुल संवितरण 1997-98 के दौरान 584471 करोड़ रु के कुल संवितरण से 23696 करोड़ रु अधिक था। 400562 करोड़ रु जो सिविल मंत्रालयों के अंतर्गत कुल संवितरण का 66 प्रतिशत था, ऋण की वापस अदायगी तथा ब्याज भुगतानों के कारण थे।

अव्ययित प्रावधान

- 35021.40 करोड़ रु का निवल अव्ययित प्रावधान कुल अनुमोदन का 5.44 प्रतिशत बना। यह अव्ययित प्रावधान मार्च 1999 में अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के दूसरी खेप में मांगी गई निधियों, जिसको कार्यरूप नहीं दिया गया, को लेखे में लिए बिना है। चूंकि विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दूसरी खेप में किया गया मांगों का अनुमोदन वित्तीय वर्ष के अंत से पहले लागू नहीं होगा इसलिए मंत्रालयों के वित्तीय नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनुपूरक अनुदान का दूसरी खेप में शामिल मांगों को लेखे में लेने के बाद जांचा जाना चाहिए। दूसरी खेप में मांगी गई राशियों की संगणना के बाद वास्तविक अव्ययित प्रावधान 46831 करोड़ रु की भारी राशि का होगा।

कम आहरण के कारण खजाना बिलों की कम वापस अदायगी तथा उन पर ब्याज का कम भुगतान करने के कारण हुए अव्ययित प्रावधान को छोड़कर वास्तविक अव्ययित प्रावधान 6771.17 करोड़ रु था जो अनुपूरक अनुदान के दूसरी खेप में किए गए प्रावधानों की संगणना को लेखे में लेने के बाद 18580.72 करोड़ रु हो गया होता।

- 20 अनुदानों तथा एक विनियोग के 25 मामलों में अव्ययित प्रावधान क्रमशः 6407.91 करोड़ रु तथा 38264.64 करोड़ रु के थे जो 100 करोड़ रु से अधिक थे। प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत 100 करोड़ रु से अधिक के अव्ययित प्रावधान लोक लेखा समिति की व्याख्यात्मक टिप्पणी की मांग करते हैं।
- विकासात्मक क्षेत्रों में बहुत अधिक अव्ययित प्रावधान थे। कुछ प्रमुख अव्ययित प्रावधान रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय: 529 करोड़ रु, पशुपालन तथा दुग्धउद्योग विभाग: 150 करोड़ रु, नागर विमानन विभाग: 175 करोड़ रु, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग: 305 करोड़ रु, कोयला मंत्रालय: 224 करोड़ रु, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय: 213 करोड़ रु, मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टिकटें: 330 करोड़ रु, स्वास्थ्य: 460 करोड़ रु, परिवार कल्याण: 106 करोड़ रु, शिक्षा : 725 करोड़ रु, प्रसारण सेवाएं: 426 करोड़ रु, ग्रामीण विकास विभाग: 126 करोड़ रु, ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग: 398 करोड़ रु, सड़कें: 751 करोड़ रु, कल्याण: 493 करोड़ रु, नाभिकीय विद्युत योजनाएँ: 135 करोड़ रु, तथा अंतरिक्ष विभाग: 161 करोड़ रु, आदि

के अनुदानों में थे। इन क्षेत्रों में कुछ कार्यक्रमों को योजना के अनुसार वर्ष के दौरान आरंभ नहीं किया गया।

- 31 अनुदानों में अन्तर्गत 36 अन्य मामलों में, 1834.15 करोड़ रु का कुल अव्ययित प्रावधान प्रत्येक में 20 करोड़ रु तथा 100 करोड़ रु के बीच अव्ययित प्रावधान रहने के कारण था।

अनुमोदन से अधिक व्यय

- अनुमोदित राशि से व्यय, सिविल मंत्रालयों में 42 अनुदानों /विनियोग के 56 खंडों में 11824.46 करोड़ रु, दूरसंचार सेवाओं के अनुदान के अंतर्गत 300.85 करोड़ रु, रक्षा सेवाओं के अंतर्गत तीन अनुदानों /विनियोगों में 283.91 करोड़ रु अधिक तथा रेलवे के चार अनुदानों तथा पांच विनियोगों के अंतर्गत 346.75 करोड़ रु अधिक हो गया जिसे संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) की शर्तों के अनुसार नियमन करने की आवश्यकता है। यदि अनुपूरक मांग की दूसरी खेप में शामिल प्रावधानों को लेखे में ले लिया जाता तो अधिक व्यय के अधिकांश भाग को तकनीकी व्यय की संज्ञा दी जा सकती।
- अनुपूरक अनुदान की दूसरी खेप में प्रावधानों की संगणना करने से सिविल मंत्रालयों में सात अनुदानों/विनियोगों में कुल मिलाकर 711.68 करोड़ रु का अधिक व्यय हुआ।

प्रभारित व्यय

- 1994-99 के दौरान सिविल मंत्रालयों का प्रभारित व्यय, कुल व्यय का 71 तथा 77 प्रतिशत के बीच था।
- संसद के वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र अपेक्षाकृत कुल व्यय के छोटे से भाग को सीमित करता है क्योंकि प्रभारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं होता है।

पुनर्विनियोग

- 16 अनुदानों/विनियोगों के 32 मामलों/उपशीर्षों में किए गए 9481 करोड़ रु के पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण थे। उन शीर्षों जिनमें राशियों का पुनर्विनियोग किया गया था, के अंतर्गत मूल प्रावधान तक का उपयोग भी नहीं किया जा सका तथा पुनर्विनियोग की राशियां पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रही।

- 17 अनुदानों/विनियोगों के 26 मामलों/उप शीर्षों, जिनमें से मंत्रालय ने 173 करोड़ रु के पुनर्विनियोग का अनुमोदन किया था, में अन्ततः आधिक्य हुआ।
- यह त्रुटिपूर्ण लेखांकन सूचना प्रणाली अथवा वर्ष की समाप्ति तक संभावित व्यय के पूर्वानुमानों का सूचक है।

भारी व्यय

- मंत्रालयों/विभागों ने अधिकांश व्यय मार्च में करना जारी रखा।
- 36 अनुदानों/विनियोगों के 77 मुख्य शीर्षों से संबंधित मार्च 1999/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया व्यय उन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 27 से 100 प्रतिशत था।
- अनुदानों, कर्जों तथा निवेशों आदि पर अधिकांश व्यय केवल मार्च में ही किया गया था।

नई सेवा पर अप्राधिकृत व्यय

- मंत्रालय/विभागों ने 24 अनुदानों/विनियोगों के 94 मामलों में 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके नियमन की आवश्यकता है।
- नई सेवा/सेवा के नए साधन के अधिकांश मामले तब प्रकाश में आए जब अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने वाला विनियोग अधिनियम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात लागू हुआ। अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप में प्रावधानों की गणना करके चार अनुदानों के पांच मामलों में व्यय ने नई सेवा/ सेवा के नए साधन की सीमा को आकर्षित किया।

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

- पांच अनुदानों से संबंधित पांच मामलों में अनुपूरक अनुदान अनावश्यक थे क्योंकि उनके अंतर्गत वास्तविक व्यय मूल प्रावधान की अपेक्षा कम था। अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप की गणना करने से 13 मामलों में अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था।
- वित्तीय प्रबन्ध तथा नियंत्रण में ये कमियां मंत्रालयों में वित्त तथा लेखा खण्डों में प्रणालियों तथा क्रियाविधियों का साधारण स्तर उजागर करती है।

कुछ अनुदानों की समीक्षा

पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों, ग्रामीण विकास एवं परमाणु ऊर्जा विभागों के बजट एवं लेखा अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआः.


- महत्वपूर्ण खण्डों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए अव्ययित प्रावधान,
- अधिकृत से अधिक संवितरण;
- अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन क्योंकि मूल प्रावधान जिसमें से निधियों का पुनर्विनियोजन द्वारा अंतरण किया गया, या निधियां पर्याप्त नहीं थी या अपर्याप्त थी तथा परिणामतः अन्त में वहां प्रावधान अव्ययित रहा तथा आधिक्य हुआ।
- मार्च के दौरान अनुपातहीन अधिक संवितरण/व्यय, तथा
- नई सेवा/सेवा के नए साधन के प्रतिबंधों को आकर्षित करने वाला व्यय।

कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे दर्शाए गए हैं:-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने संकटपूर्ण तत्व प्रबंधन, महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिक विकास तथा राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड के अन्तर्गत निरंतर अव्ययित प्रावधान प्रदर्शित किए।
- वर्ष 1996-99 के दौरान सामान्य प्रचुर शोधन प्लांट की प्रोन्नति के अन्तर्गत निरंतर अधिक व्यय हुआ। बजट आबंटन से अधिक संवितरण का प्रतिशत 100 से 787 प्रतिशत के बीच रहा।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1996-99 के दौरान राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जनसांख्यिकीय तथा अन्य संचार अनुसंधान, चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारतीय जनसंख्या परियोजना सहित) तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना कार्यक्रमों पर निरंतर अव्ययित प्रावधान प्रदर्शित किया।
- ग्रामीण विकास विभाग ने द्रुतगामी ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना तथा केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर निरंतर अव्ययित प्रावधान प्रदर्शित किया।

भाग ।

वित्त लेखे



अध्याय I : प्रस्तावना : प्राप्तियां एवं संवितरणों का सारांश

1.1 सरकारी लेखाओं की संरचना

भारत सरकार के अधिनियम 1935 को लागू करने से पहले परिषद में गवर्नर जनरल, लोक लेखे, जो सम्पूर्ण भारत के लिए एकमात्र लेखा था, का अभिरक्षक था। तत्कालीन प्रान्तीय सरकारों के समस्त वित्तीय लेनदेन केन्द्रीय शेष के द्वारा संपन्न होते थे तथा उनका प्रथम प्रभावी अभिलेख, महालेखाकार (म.ले.) द्वारा उनका वर्गीकरण था। प्रत्येक प्रान्तीय सरकार का लेखा केवल एक सहायक लेखा था तथा प्रत्येक प्रान्तीय सरकार का इतिशेष केवल एक लेखा शेष था जो कि म.ले. द्वारा परिकल्पित किया जाता था।

भारत सरकार के अधिनियम, 1935 के लागू होने के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 1937 से प्रान्तीय सरकार के शेष केन्द्रीय सरकार के शेषों से प्रत्यक्ष रूप से पृथक कर दिए गए थे तथा प्रत्येक सरकार के लिए एक पृथक लोक लेखे का गठन किया गया था जिसमें सरकार द्वारा राजस्व लेखे अथवा अन्य लेखे में प्राप्त सभी धनराशियों का भुगतान तथा उनको क्रेडिट किया गया था तथा जिससे उस सरकार की ओर से समस्त संवितरण किए गए थे।

संविधान को अपनाने के साथ ही इस एकमात्र लोक लेखे को तीन पृथक भागों में विभाजित किया गया था जिसमें संघ सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकारों के लेनदेन, अर्थात् (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखे में दर्ज किये जाते हैं।

(i) समेकित निधि

संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके लिए गए सभी कर्जे, आंतरिक और बाह्य कर्जे, कर्जों की वापस अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन राशियों की एक संचित निधि बनेगी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित "भारत की समेकित निधि" नाम से ज्ञात होगी।

(ii) आकस्मिकता निधि

संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अन्तर्गत गठित भारत की आकस्मिकता निधि, राष्ट्रपति को आवश्यक अनवेक्षित व्यय, जिसके लिए संसद का अनुमोदन लम्बित हो, को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए उसके व्ययनाधीन पर रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है। इस प्रकार के व्यय तथा समेकित निधि से इसके बराबर की राशि का आहरण करने के लिए विधानमंडल से बाद में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है, तदनंतर आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिमों की इस निधि से पूर्ति कर दी जाती है।

(iii) लोक लेखा

समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में प्रविष्ट कुछ ऐसे अन्य लेनदेन होते हैं, जिनके संबंध में सरकार बैंकर के रूप में अधिक कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचत अन्य जमा आदि से संबंधित लेनदेन इसके कुछ उदाहरण हैं इस प्रकार, प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(3) के अंतर्गत गठित लोक लेखे में रखा जाता है तथा उसमें से सम्बद्ध संवितरण भी किए जाते हैं। आमतौर पर लोक लेखा निधियां सरकार से संबंधित नहीं होती तथा किसी समय या अन्यत्र उन व्यक्तियों तथा प्राधिकरणों, जिन्होंने उन्हें जमा कराया था, को वापस अदा की जानी होती है। अतः लोक लेखे से भुगतानों के लिए संसद के प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लोक लेखे में संवितरणों से अधिक प्राप्तियों के शेष का उपयोग सरकार द्वारा संसाधनों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार लोक लेखे में संचित शेष खाता धारकों के लिए सरकार की देयता है।

नीचे दी गई तालिका संघ सरकार के 1998-99 को समाप्त होने वाले पांच वर्ष के लेखाओं का एक सारांश दर्शाती है

तालिका 1.1 (i) : समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के संक्षिप्त लेखे
(करोड़ रु में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
अथ रोकड़ शेष	3284	2374	2829	1174	2402
समेकित निधि प्राप्ति	654249	605472	412911	357933	316391
समेकित निधि संवितरण	694929	664478	441559	379902	354133
भा.स.नि. में अधिशेष/घाटा	(-)40680	(-)59006	(-)28648	(-)21969	(-)37742
लोक लेखा प्राप्ति	159818	169620	127327	113005	107671
लोक लेखा संवितरण	118875	109704	99134	89381	71157
लोक लेखे में अधिशेष/घाटा	40943	59916	28193	23624	36514
आकस्मिकता निधि संवितरण	27	--	--	--	--
वर्ष की समाप्ति पर अंत रोकड़ शेष	3520	3284	2374	2829	1174

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में यह व्यवस्था है कि “भारत की समेकित निधि या राज्य की समेकित निधि में से कोई धनराशि विधि के अनुसार तथा संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिये और रीति से ही विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं”। अनुच्छेद 112 व 114 के साथ पठित यह प्रावधान लोक सभा द्वारा एक वित्तीय वर्ष की अनुदान की मांगों पर मतदान के बाद विनियोग अधिनियम में पराकाष्ठा पर पहुंचता है, और सम्बन्धित विनियोग बिल संसद द्वारा पास किया जाता है तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी जाती है। विनियोग अधिनियम की धारा 2 व 3 भी निम्न शर्त लगाती है :

भारत की समेकित निधि में से, अनुसूची के कालम 3 में विनिर्दिष्ट अदा की जाने वाली व प्रायोगिक राशियां, विभिन्न प्रभारों के चुकाने के संबंध में कुल योग जो अनुसूची के कालम 2 में

विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान अदायगी करते समय हो, से अधिक नहीं होगी।

इस अधिनियम के द्वारा भारत की समेकित निधि में से भुगतान किये जाने और प्रायोगिक प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये उद्देश्यों तथा सेवाओं के लिये विनियोजित की जायेगी।

उपरोक्त तालिका 1.1(i) से अवलोकित किया जायेगा कि प्रत्येक वर्ष में भारत की समेकित निधि में उपलब्ध राशि से निकाली गई राशि बढ़ गई थी। भारत का लोक लेखा जिसमें ऐसे धन, जो कि सरकार से सम्बन्धित नहीं है, का उपयोग व्यय हेतु किया जा रहा है। इस तरह से, भारत की समेकित निधि में से भुगतानों के लिए प्रयोग में लाए गए लोक लेखाओं में शेष सरकारी उधार बन जाते हैं।

1998-99 के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत संघ सरकार के बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां तथा संवितरण निम्न प्रकार थे:

तालिका 1.1 (ii) अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियां तथा संवितरण

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	कमी (-)/ आधिक्य (+)
1. संघ सरकार की कुल प्राप्ति (7+8)	796429	814067	(+) 17638
2. राजस्व प्राप्तियां	247315	239889	(-) 7426
कर राजस्व ¹	141986	129317	(-) 12669
कर-भिन्न राजस्व	105329	110572	(+) 5243
3. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	5000	5874	(+) 874
4. कुल राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2+3)	252315	245763	(-) 6552
5. कर्जों तथा पेशगियों की वसूली	11560	13189	(+) 1629
6. लोक ऋण की प्राप्ति	412547	395297	(-) 17250
7. भारत की समेकित निधि में कुल प्राप्ति (4+5+6)	676422	654249	(-) 22173
8. लोक लेखा प्राप्ति	120007	159818	(+) 39811
9. संघ सरकार द्वारा कुल संवितरण (15+16+17)	796429	813831	(+) 17402
10. राजस्व व्यय	295383	300456	(+) 5073
राजस्व व्यय में सम्मिलित ब्याज भुगतान	75000	77882	(+) 2882

¹ संविधान की धारा 270 के अन्तर्गत राज्यों को दी गई (14480 करोड़ रु) की आय पर कर शामिल नहीं है।

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	कमी (-)/ आधिक्य (+)
11. पूंजीगत व्यय	28168	25200	(-) 2968
12. कर्जे तथा पेशगियां	36241	46594	(+) 10353
13. संघ सरकार का कुल व्यय (10+11+12)	359792	372250	(+)12458
14. लोक ऋण की वापस अदायगी	359080	322679	(-) 36401
15. भारत की समेकित निधि में किया गया कुल संवितरण (13+14)	718872	694929	(-)23943
16. लोक लेखा संवितरण	77557	118875	(+) 41318
17. आकस्मिकता निधि	--	27	--
18. राजस्व घाटा (10-2)	48068	60567	(+) 12499
19. राजकोषीय घाटा [13 - (4+5)]	91025*	1132981*	(+) 22273

1.2 वार्षिक लेखे

संघ सरकार के वार्षिक लेखे वित्त लेखे के एक खण्ड और विनियोग लेखे के पांच खण्डों के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं।

संघ सरकार के लेखे छः भागों में तैयार किये जाते हैं अर्थात् संघ सरकार की समेकित स्थिति आवृत्त करते हुए वित्त लेखे तथा सिविल मंत्रालयों, डाक सेवाओं, दूर संचार, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे से संबंधित विनियोग लेखे।

वित्त लेखे, सरकारी लेखाओं में यथोचित वर्गीकरण के अधीन प्राप्तियों तथा व्यय दोनों से संबंधित सभी लेनदेनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर, विनियोग लेखे बजट अनुदानों में संसद द्वारा प्राधिकृत राशियों के आमने-सामने सरकार द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशियों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किए गए किसी भी खर्च के लिए संसद द्वारा नियमन अपेक्षित है।

* 1999-2000 के बजट की एक झलक के अनुसार। तथापि, ब.अ. कॉलम में दर्शाए गए आंकड़ों के आधार पर राजकोषीय घाटा 95917 करोड़ रु संगणित किया गया।

* आकस्मिकता निधि से आहरण को जो वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति नहीं किए गए, सम्मिलित करते हुए राजकोषीय घाटा 113325 करोड़ रु होगा।

1.3 वित्त लेखे

विनियोग लेखे, जिसमें भारत की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि में से किया गया व्यय शामिल है, के विपरीत वित्त लेखे, सरकारी लेखाओं के समस्त तीन भागों अर्थात् समेकित निधि, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि की प्राप्ति तथा संवितरण के ब्यौरों से संबंधित हैं। इनमें सिविल मंत्रालयों, रक्षा, डाक, दूरसंचार तथा रेलवे के लेनदेनों को शामिल करते हुए सम्पूर्ण रूप से संघ सरकार के लेखे अंतर्विष्ट होते हैं।

वित्त लेखे दो भागों में प्रस्तुत किए जाते हैं: भाग-I में संक्षिप्त विवरण तथा भाग-II में विस्तृत लेखे तथा अन्य विवरण निहित होते हैं। सरकारी लेखाओं में समस्त लेनदेनों के सार के अतिरिक्त वित्त लेखे में निम्नलिखित विवरण होते हैं:

- (क) ऋण स्थिति का सारांश
- (ख) संघ सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां
- (ग) संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
- (घ) शेषों का सारांश

ये राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों के विस्तृत विवरणों तथा ऋण देयताओं और अन्य लोक लेखा लेनदेनों के विस्तृत लेखों के साथ-साथ आकस्मिकता निधि के लेखे द्वारा समर्थित होते हैं।

1.4 नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन लेन-देनों की श्रेणियों के आधार पर विभिन्न खण्डों में प्रस्तुत किये जाते हैं।

वित्त लेखे और विनियोग लेखे तथा इन लेखाओं में विभिन्न लेनदेनों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नि.म.ले.प. लेखाओं को प्रमाणित करता है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 की शर्तों के अनुसार राष्ट्रपति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है।

मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन निम्न प्रकार से तैयार किए गए हैं:

प्रतिवेदन सं.	निम्नलिखित पर अभ्युक्तियां अंतर्विष्ट करते हुए
2000 की 1	संघ सरकार: (सिविल) - संघ सरकार के लेखे
2000 की 2	संघ सरकार: (सिविल) - लेनदेन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2000 की 3	संघ सरकार (सिविल) - निष्पादन मूल्यांकन
2000 की 4	संघ सरकार : (सिविल) - अन्य स्वायत्त निकाय
2000 की 5	संघ सरकार : (वैज्ञानिक विभाग)
2000 की 6	संघ सरकार : (डाक एवं दूरसंचार)
2000 की 7	संघ सरकार : (रक्षा सेवायें) सेना एवं आयुध कारखाने
2000 की 8	संघ सरकार : (रक्षा सेवायें)वायुसेना तथा नौसेना
2000 की 9	संघ सरकार : (रेलवे)
2000 की 10	संघ सरकार : अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क)
2000 की 11	संघ सरकार : अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क)
2000 की 12	संघ सरकार : (प्रत्यक्ष कर)

इनके अतिरिक्त, संघ सरकार के अधीन सार्वजनिक उद्यमों की कार्यप्रणाली पर कई और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.5 रिपोर्टिंग पैरामीटर

इस प्रतिवेदन के सभी अध्यायों में, तुलना करने की सुविधा के लिए सभी क्षेत्रों की प्राप्तियां तथा व्यय केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अधिसूचित बाजार मूल्यों पर 1998-99 के लिए स.घ.उ.* के त्वरित अनुमानों के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। पिछले वर्षों के लिए भी स.घ.उ. के त्वरित अनुमानों के आंकड़े विश्लेषण हेतु उपयोग किए गए थे। यद्यपि प्रत्येक वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के बाद स.घ.उ. के अंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं, पूर्ववर्षों के प्रतिवेदनों में उपयोग किये त्वरित अनुमानों को एकरूपता बनाए रखने के लिए सुसंगत वर्षों के लिए भी रिपोर्टिंग पैरामीटर बनाए रखा गया है। वित्त लेखे के आंकड़े, जहां आवश्यक हुआ, उपयुक्त रूप से पूर्णांकित कर दिए गए हैं।

1.6 विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा उपलब्धियां

आगे आने वाले अध्यायों में, वित्त लेखाओं में सम्मिलित आंकड़ों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जहां भी संभव हो सका है, पांच वर्षों या अधिक की अवधि तक बनी रही एक प्रवृत्ति सन्तुलित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई है। लेखाओं की विशुद्धता तथा प्रमाणिकता से सम्बन्धित अभ्युक्तियां, लेखाओं की नमूना जांच तथा चुने हुए क्षेत्रों में की गई विस्तृत संवीक्षा पर आधारित हैं।

* त्वरित अनुमान: 1762609 करोड़ रु.

अध्याय II: लेखाओं की समष्टि आर्थिक समीक्षा

2. यह अध्याय संघ सरकार के लेखाओं की समष्टि आर्थिक समीक्षा के परिणामों को, दोनों सही अर्थों एवं स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, प्राप्तियों एवं व्यय की संवृद्धि के विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करता है। यह संघ तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों एवं संवितरणों तथा शेषों तक निवल लेखाओं के आर्थिक वर्गीकरण की समीक्षा करता है। यह प्रस्तुतिकरण दोनों सकल तथा निवल रूप में लम्बी समय अवधि में संवृद्धि की प्रवृत्ति पर जोर देता है तथा सरकारी व्यय का अर्थव्यवस्था के विकास के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है।

2.1 वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण

पिछले पांच वर्षों के लिए संघ सरकार की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण परिशिष्ट I में है

2.2.1 मूल्य प्रवृत्ति एवं स.घ.उ. की वृद्धि

मूल्यों में परिवर्तन सरकार को कई तरह से प्रभावित करता है। दो महत्वपूर्ण प्रभाव हैं, थोक मूल्यों में परिवर्तन जो कि पूंजी परिव्यय को प्रभावित करता है तथा उपभोक्ता मूल्यों में परिवर्तन जो कि मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए सरकार की देयता निर्धारित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (वार्षिक प्रतिवेदन 1998-99) सभी वस्तुओं के लिए बिन्दु से बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (थो.मू.सू.) में परिवर्तन के अनुसार वार्षिक स्फीति दर की गणना करता है। इस आधार पर, स्फीति दर 1997-98 में 5.3 प्रतिशत की तुलना में 1998-99 में 4.8 प्रतिशत पर नीचे आ गई। किन्तु औसत आधार पर यह 1997-98 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में 6.9 प्रतिशत तक बढ़ गया। थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उ.मू.सू.) के बीच स्फीति की दर में पर्याप्त अन्तर थे। बिन्दु से बिन्दु तथा औसत आधार पर वर्ष 1997-98 के दौरान क्रमशः 0.6 तथा 6.3 अंकों की वृद्धि करते हुए वर्ष 1998-99 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव क्रमशः 8.9 प्रतिशत तथा 13.1 प्रतिशत था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक स्फीति दर निम्न प्रकार से थी:-

तालिका 2.2.1 (i): वार्षिक स्फीति दर

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1981-82)					
(क) बिन्दु से बिन्दु	4.8	5.3	6.9	5.0	10.4
(ख) औसत	6.9	4.8	6.4	7.8	10.9
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई डब्ल्यू) (आधार वर्ष 1982)					
(क) बिन्दु से बिन्दु	8.9	8.3	10.0	8.9	9.7
(ख) औसत	13.1	6.8	9.4	10.0	10.3

पिछले पांच वर्षों के लिए सैक्टरवार संरचना के साथ सही अर्थों में स्थिर 1993-94 मूल्यों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. की संवृद्धि निम्न प्रकार थी:-

तालिका 2.2.1 (ii) : वास्तविक स.घ.उ. की संवृद्धि तथा सैक्टरवार संरचना

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कृषि एवं संवृद्धि	उद्योग	सेवाएं	उपादान लागत पर कुल स.घ.उ.	वार्षिक संवृद्धि (%)
1998-99	290181 (26.82)	292503 (27.04)	499150 (46.14)	1081834 (100)	3.1
1997-98	277418 (26.44)	283444 (27.02)	488329 (46.54)	1049191 (100)	5.0
1996-97	280179 (28.05)	267609 (26.79)	451190 (45.16)	998978 (100)	7.8
1995-96	256096 (27.65)	252390 (27.24)	417926 (45.11)	926412 (100)	7.6
1994-95	255522 (29.67)	224902 (26.12)	380640 (44.21)	861064 (100)	7.8

(कोष्ठक में आंकड़े कुल स.घ.उ. में शेयर दर्शाते हैं)

पांच वर्षों की अवधि के दौरान, प्रतिशतता के रूप में कृषि सैक्टर का शेयर 1994-95 में 29.67 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 26.82 प्रतिशत रह गया। उद्योग का शेयर जो कि 1994-95 में 26.12 प्रतिशत था, 1998-99 में बढ़कर 27.04 प्रतिशत हो गया। सेवा सैक्टर ने 1994-95 में 44.21 प्रतिशत से 1998-99 में 46.14 प्रतिशत की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति को बनाए रखा।




उपादान लागत पर स्थिर 1993-94 मूल्यों पर 1998-99 के दौरान स.घ.उ. में 6.8 प्रतिशत तक की वृद्धि अनुमानित की गई थी। तथापि, उपादान लागत पर स.घ.उ. की वास्तविक संवृद्धि 3.11 प्रतिशत पर काफी कम थी।

2.2.2 प्राप्तियां एवं संवितरण: स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्रवृत्ति

पिछले दो दशकों में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार की कुल प्राप्ति तथा व्यय तथा उनके वास्तविक मूल्य की पद्धति परिशिष्ट-II में दर्शाई गई है जिसमें 1976-77, 1980-81, 1984-85 1986-87 1988-89 तथा पिछले सात वर्षों: 1992-99 के आंकड़ें अन्तर्विष्ट हैं।

प्राप्तियों को बढ़ा-चढ़ा कर कहने, व्यय को कम करके कहने तथा बजट के समय एक बेहतर वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने से बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत ब.अ. तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच विस्तृत तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन इस परिकल्पना को प्रमाणित करते हैं।

इन प्रवृत्तियों के विषय में एक अन्य बात व्यय की संवृद्धि तथा सरकार की अपनी प्राप्तियों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर है। 1998-99 में 14.76 % सबसे न्यूनतम पर पहुंचने से पहले पहला 20 से 23 % के बीच में था जबकि बाद का 15 से 17 % प्रतिशत के बीच था। यह सरकार के राजकोषीय संकट का मुख्य कारण है।



स.घ.उ. से विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों तथा व्यय की प्रतिशतता का सारांश नीचे की तालिका में दिया गया है। सभी विश्लेषण स.घ.उ. से प्रतिशतता के सन्दर्भ में हैं।

तालिका 2.2.2(i) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राप्ति

वर्ष	1976-77	1980-81	1984-85	1986-87	1988-89	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
स.घ.उ. (करोड़ रु में)	84894	136013	231343	292949	395782	702829	801032	945615	1098576	1276974	1563552	1762609
कुल प्राप्ति	19.46	21.65	23.86	27.64	25.58	24.02	24.97	23.44	22.45	21.57	21.62	21.20
कर+कर भिन्न राजस्व तथा विविध	15.57	14.99	16.20	17.92	17.34	17.39	15.90	17.01	16.50	16.26	14.88	14.76
कुल कर प्राप्ति	9.73	9.68	10.13	11.21	11.23	10.62	9.46	9.76	10.12	10.08	8.90	8.16
प्रत्यक्ष कर	2.73	2.19	2.06	2.13	2.23	2.58	2.53	2.85	3.05	3.04	3.09	2.64
निगम कर	1.16	1.01	1.10	1.08	1.11	1.27	1.25	1.46	1.50	1.45	1.28	1.39
आय कर	1.41	1.06	0.83	0.98	1.07	1.12	1.14	1.27	1.42	1.43	1.09	1.15
अन्य प्र. कर	0.16	0.12	0.13	0.07	0.05	0.19	0.14	0.12	0.13	0.16	*0.72	0.10
अप्रत्यक्ष कर	7.00	7.49	8.07	9.08	9.00	8.04	6.92	6.91	7.07	7.04	5.81	5.52
सीमा शुल्क	1.83	2.51	3.04	3.92	3.99	3.38	2.77	2.83	3.25	3.36	2.57	2.31
उत्पाद शुल्क	4.97	4.78	4.82	4.94	4.76	4.39	3.96	3.95	3.66	3.52	3.06	3.02
अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.20	0.20	0.21	0.22	0.25	0.27	0.19	0.13	0.16	0.16	0.18	0.19
कर-भिन्न राजस्व	5.84	5.31	6.07	6.71	6.11	6.49	6.44	6.66	6.25	6.15	5.92	6.27
ब्याज	1.30	1.32	1.71	1.83	1.76	1.78	1.88	1.67	1.68	1.73	1.62	1.71
रेलवे	2.41	1.99	2.36	2.62	2.41	2.29	2.29	2.17	2.08	1.94	1.86	1.71
डाक तथा दूरसंचार	0.73	0.67	0.71	0.61	0.79	0.83	0.90	0.95	1.12	1.16	1.16	1.15
अन्य	1.40	1.33	1.29	1.65	1.15	1.59	1.37	1.87	1.37	1.32	1.28	1.70
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति	--	--	--	--	--	0.28	--	0.59	0.13	0.03	0.06	0.33
ऋण	3.89	6.66	7.66	9.72	8.24	6.63	9.07	6.43	5.95	5.31	6.74	6.44
उधार	1.84	5.79	4.23	5.95	4.64	4.51	6.45	2.57	3.80	3.10	2.91	4.12
लोक लेखा	2.05	0.87	3.43	3.77	3.60	2.12	2.62	3.86	2.15	2.21	3.83	2.32

* मुख्यतः स्वै.आ.घो.यो.

तालिका : 2.2.2 (ii): सं.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में व्यय

वर्ष	1976-77	1980-81	1984-85	1986-87	1988-89	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
स.घ.उ. (करोड़ रु में)	84894	136013	231343	292949	395782	702829	801032	945615	1098576	1276974	1563552	1762609
कुल व्यय	19.46	21.65	23.86	27.64	25.58	24.02	24.97	23.44	22.45	21.57	21.62	21.20
राजस्व व्यय	15.24	16.24	17.72	20.50	20.00	19.76	19.98	19.70	19.08	18.79	18.62	17.86
सामान्य सेवायें	5.66	6.23	6.57	7.92	7.66	7.86	8.02	7.79	7.73	7.66	7.32	7.69
ब्याज	1.62	1.92	2.58	3.16	3.61	4.42	4.59	4.66	4.56	4.66	4.20	4.42
अन्य	4.04	4.31	3.99	4.76	4.05	3.44	3.43	3.13	3.17	3.00	3.12	3.27
सामाजिक सेवायें	0.72	0.64	0.77	1.01	0.73	0.64	0.63	0.57	0.67	0.73	0.74	0.80
आर्थिक सेवायें	4.90	4.48	5.57	5.99	6.32	5.75	5.91	6.54	6.03	5.79	6.30	5.65
राज्यों को अन्तरण	3.89	4.83	4.74	5.53	5.24	5.48	5.39	4.78	4.63	4.59	4.24	3.69
अन्य	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
पूँजीगत व्यय	2.18	2.93	3.39	3.75	2.87	2.93	3.08	2.03	1.60	1.23	1.29	1.43
कर्जे (निवल)	2.63	2.35	2.78	3.18	2.56	1.41	1.78	1.84	1.62	1.59	1.65	1.90
कुल (पूँजीगत + कर्जे)	4.81	5.28	6.17	6.93	5.43	4.34	4.86	3.87	3.21	2.82	2.94	3.33
रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	(-) 0.59	0.13	(-) 0.03	0.21	0.15	(-) 0.08	0.13	(-) 0.13	0.15	(-) 0.04	0.06	0.01
कर्जों सहित राज्यों को अन्तरण	4.83	5.78	6.35	6.71	6.94	6.71	6.64	6.23	5.91	5.90	5.73	5.47

टिप्पणी:

- इस व्यय में राज्यों को आयकर की प्राप्तियों के अन्तरण के प्रति 14480 करोड़ रु शामिल हैं, जो संघ सरकार के लेखाओं में बुक नहीं किये गए हैं।
- कर्जे वापस अदायगी के निवल हैं।
- ब्याज भुगतान सकल है, क्योंकि ब्याज प्राप्ति, प्राप्ति पक्ष में गणना की गई है।

कुल व्यय

कुल व्यय के अधिकतर समावेशन पूंजीगत व्यय के दबाव के माध्यम से प्राप्त किये गये थे।

सरकार का कुल व्यय 1976-77 में स.घ.उ. के 19.46 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 21.20 प्रतिशत हो गया। जबकि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय 1986-87 के 27.64 प्रतिशत के शिखर से कम हो गया है, इसमें से अधिकतर, पूंजीगत व्यय को 3.63 प्रतिशतता अंकों की कमी द्वारा प्राप्त किया गया है।

राजस्व व्यय

राजस्व प्राप्ति में अनुरूपयोजी वृद्धि के बिना राजस्व व्यय में तीव्र वृद्धि हुई।

संघ सरकार का राजस्व व्यय 1976-77 में स.घ.उ. के 15.24 प्रतिशत से बढ़कर 2.62 प्रतिशतता अंकों की वृद्धि से 1998-99 में 17.86 प्रतिशत हो गया। कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से सरकारी राजस्व में कमी को ध्यान में रखते हुए, राजस्व व्यय के बढ़ते हुए अनुपात को परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रतिभूत उधारी निधियों तथा लोक लेखे में धरोहर रखी गई निधियों में से वित्तपोषित किया गया था।

अधिक से अधिक उधार ली गई निधियों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया गया।

1998-99 के दौरान स.घ.उ. के 17.86 प्रतिशत के कुल राजस्व व्यय में से लगभग छठा भाग उधारों द्वारा पूरा किया गया चूंकि सरकार के अपने संसाधनों ने केवल 14.76 प्रतिशत प्राप्ति की। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच यह अन्तर, अप्रत्यक्ष करों के घटक के गिर जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में और विकृत हो गया है।

1998-99 के दौरान राजस्व व्यय स.घ.उ. का 17.86 प्रतिशत बनते हुये, सामान्य सेवाओं पर 7.69 प्रतिशत, सामाजिक सेवाओं पर 0.80 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं पर 5.65 प्रतिशत तथा राज्यों को अन्तरण पर 3.69 प्रतिशत बना।

ब्याज भुगतान, 1976-99 के बीच स.घ.उ. के 1.62 प्रतिशत से 4.42 प्रतिशत तक पहुंच गया।

सामान्य सेवाओं में शामिल ब्याज भुगतान जो 1976-77 में स.घ.उ. के मात्र 1.62 प्रतिशत से महत्वपूर्ण ढंग से बढ़कर 1998-99 में स.घ.उ. के 4.42 प्रतिशत हो गया जो कि कुल राजस्व व्यय का 25.92 प्रतिशत था। राजस्व व्यय से राज्यों को अन्तरण को छोड़ने पर सिर्फ ब्याज भुगतान ही कुल राजस्व व्यय के एक तिहाई से अधिक था।

सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्षों से स्थिर रहा है। राज्यों को अन्तरण में सामाजिक क्षेत्र योजनाओं हेतु जारी की गई राशि भी शामिल है किन्तु इस वर्गीकरण में दर्शायी नहीं गई थी।

पूंजीगत व्यय

संघ सरकार के पूंजीगत व्यय में लगातार गिरावट

संघ सरकार का पूंजीगत व्यय लगातार कम हुआ है। 1976-77 से स.घ.उ. के 4.81 प्रतिशत तथा 1986-87 के दौरान 6.93 प्रतिशत के पूंजीगत व्यय के प्रति यह 1998-99 के दौरान स.घ.उ. के 3.33 प्रतिशत तक गिर गया। 1998-99 के दौरान पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से सीमांततः स.घ.उ. के 0.39 प्रतिशत अंक बढ़ गया। कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का हिस्सा मात्र 15.69 प्रतिशत है।

प्राप्तियां

कर, कर-भिन्न तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से समाविष्ट अपने संसाधनों का सृजन 1994-95 से नीचे आ रहा है तथा 1998-99 में सबसे कम था।

कर, कर-भिन्न तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से समाविष्ट 1998-99 में संघ सरकार द्वारा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में अपने कुल संसाधनों का सृजन 1976-77 से कम था। अपने कुल संसाधन वास्तव में 1992-93 में प्राप्त किये गए 17.39 प्रतिशत के शिखर से महत्वपूर्ण ढंग से 1998-99 के दौरान 14.76 प्रतिशत तक गिर गये थे। 1994-95 से संघ सरकार द्वारा उत्पन्न कुल अपनी प्राप्तियों की संवृद्धि दर में संगत गिरावट आई है जो कि उस वर्ष में 17.01 प्रतिशत से गिरकर 1998-99 में 14.76 प्रतिशत हो गई।

कर प्राप्ति

1998-99 के दौरान स.घ.उ. के सन्दर्भ में कर-प्राप्ति 1976-77 से सबसे कम थी।

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों से बनी कुल कर प्राप्ति, सभी वर्षों जिनके लिये डाटा तालिका 2.2.2 (i) में दर्शाया गया है के सन्दर्भ में 1998-99 के दौरान 8.16 प्रतिशत पर सबसे कम थे। 1997-98 के संदर्भ में 1998-99 के दौरान कर प्राप्ति स.घ.उ. की 0.74 प्रतिशत तक कम हो गई थी।

कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. का 8.90 प्रतिशत से कम होकर 8.16 प्रतिशत हो गया।

प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि जबकि कर राजस्व 1978-79 को समाप्त हुए दशक में स.घ.उ. का 10.09 प्रतिशत तथा 1988-89 को समाप्त हुए दशक में स.घ.उ. का 11.24 प्रतिशत बना फिर भी यह 1999 को समाप्त हुए दशक में 8.16 प्रतिशत निचले स्तर तक कम हो गया है। कर राजस्व, जो 1978-79 तथा 1988-89 के पूर्व दशकों के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति का क्रमशः 64.65 प्रतिशत तथा 64.78 प्रतिशत बना, 1998-99 के अंत तक कम होकर 56.53 प्रतिशत हो गया। कर राजस्व 1978-79 से 1988-89 में चार गुणा से अधिक बढ़ गया। इसमें 1999 को समाप्त हुए दशक में केवल 3.23 गुणा वृद्धि हुई।

प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के अप्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में गिरावट अधिक सुस्पष्ट है।

यद्यपि प्रत्यक्ष करों से वसूली सीमांत रूप से 1997-98 तक वृद्धि की ओर रही है फिर भी 1997-98 में 3.09 प्रतिशत की तुलना में यह 1998-99 में कम होकर स.घ.उ. का 2.64 प्रतिशत रह गई इससे यह संकेत मिला कि 1997-98 का कर राजस्वमादान अप्रभावी क्षणिक झलक मात्र था।

अप्रत्यक्ष करों से संग्रहण 1986-87 तथा 1988-89 के दौरान प्राप्त क्रमशः 9.08 तथा 9.00 प्रतिशत के शिखर संग्रहण से महत्वपूर्ण ढंग से स.घ.उ. के 5.52 प्रतिशत तक गिर गई। जबकि अप्रत्यक्ष करों के उत्पाद शुल्क घटक का 1976-77 तथा 1986-87 के दौरान क्रमशः 4.97 प्रतिशत तथा 4.94 प्रतिशत से कम होकर 1998-99 में स.घ.उ. का 3.02 प्रतिशत हो जाना आश्चर्यजनक है, सीमा शुल्क भी 1986-87 एवं 1988-89 के सन्दर्भ में तथा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान प्राप्ति स्तर के सन्दर्भ में भी नीचे आ गया है।

कर-भिन्न राजस्व

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कर-भिन्न राजस्व 6 प्रतिशत के आसपास रहा। यह 1997-98 में 5.92 प्रतिशत की तुलना में 1998-99 में बढ़कर 6.27 प्रतिशत हो गया।

उधार ली गई निधियां

पिछले चार वर्षों के दौरान उधार ली गई निधि की स्थिति में निरन्तर सुधार ने अपनी प्राप्ति में कमी को पूरा करने के लिए अनिवार्य बना दिया था जो 1997-98 में अस्तव्यस्त हो गई।

वर्तमान राजस्व स्थिति के प्रतिकूल शेष की निरन्तर विकृति को ध्यान में रखते हुये राजस्व व्यय को वहन करने के लिए अधिक से अधिक उधार ली गई निधियों का उपयोग किया जाता है।

ऋण जाल ने अपना फंदा और कस लिया।

कर, कर-भिन्न तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति में समाविष्ट सरकार के कुल 'अपने संसाधन' की मात्रा सरकार के कुल व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह आन्तरिक तथा बाह्य ऋण (उधारों) से बनी उधार ली गई निधियों तथा लघु बचतों, भविष्य निधि इत्यादि से बने हुये लोक लेखे में निवल अधिशेष के उपयोग से पूरा किया जाता है।


जबकि 1976-77 में संघ के स.घ.उ. के 3.89 प्रतिशत थे, ये 1986-87 में 9.72 प्रतिशत तक बढ़ गए। इसके पश्चात अगले तीन वर्षों में धीरे-धीरे सुधार हुआ। 1996-97 में व्यय को वहन करने के लिए अपेक्षित उधार की निधि को स.घ.उ. के 5.31 प्रतिशत तक नीचे लाया गया था। तथापि 1997-98 के दौरान कुल उधार पिछले वर्ष से स.घ.उ. का 1.43 प्रतिशत बढ़कर 6.74 प्रतिशत हो गए तथा 1998-99 में थोड़ा घटकर 6.44 प्रतिशत हो गए।

यह ध्यान देने योग्य है कि 1976-77 के दौरान राजस्व अधिशेष पूंजीगत व्यय का हिस्सा बना तथा सारी उधार ली गई निधियों का पूंजीगत व्यय के लिये उपयोग किया गया। उधार ली गई निधियों के बड़े भाग का निरन्तर राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए जाने से प्रवृत्ति 1979-80 से उलट गई। 1996-97 के दौरान 2.56 प्रतिशत के प्रति राजस्व व्यय के लिए स.घ.उ. का 3.44 प्रतिशत तक उधार ली गई निधियों के प्रयोग से 1998-99 में चालू व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयो की सीमा और भी विकृत हो गई।

राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण कमी की पृष्ठभूमि में बढ़ते हुए व्यय को अन्तर्विष्ट करने की चिन्ता से सरकार को निरन्तर पूंजीगत व्यय को सिकोड़ना पड़ा तथा अपनी बचनबद्धता को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधियों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ा। परिणामतः इससे अनिवार्य रूप से भारी ब्याज भार होगा, जिससे कार्यसाधकता के लिए गुजांश प्रतिबंधित होगी तथा सार्थक रूप में बढ़ते हुए पूंजीगत व्यय की संभावना कम हो जाएगी।

2.3 प्राप्तियां एवं संवितरण : सही अर्थों में प्रवृत्ति

2.3.1 प्राप्तियों तथा संवितरणों की संरचना



पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार की कुल प्राप्तियां तथा संवितरण निम्न प्रकार थे:

तालिका 2.3.1 : प्राप्तियां तथा संवितरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्राप्तियां				संवितरण				
	समेकित निधि		लोक लेखा	जोड़	समेकित निधि		आकस्मिकता निधि	लोक लेखा	जोड़
	राजस्व	पूंजीगत			राजस्व	पूंजीगत			
1998-99	239889	414360	159818	814067	300456	394473	27	118875	813831
1997-98	218299	387173	169620	775092	277732	386746	--	109704	774182
1996-97	193718	219192	127327	540237	226372	215187	--	99134	540693
1995-96	168571	189363	113005	470939	198302	181600	--	89381	469283
1994-95	146670	169721	107671	424062	177699	176435	--	71157	425291

2.3.2 प्रवृत्तियां

प्राप्तियां

लोक लेखे सहित संघ सरकार की कुल प्राप्तियां तथा संवितरण पिछले पांच वर्षों में 91.97 प्रतिशत तथा 91.36 प्रतिशत बढ़ गए।

लोक लेखे में प्राप्ति सहित संघ सरकार की कुल प्राप्तियां 1994-95 में 424062 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 814067 करोड़ रु हो गई जिससे 91.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में 1998-99 के दौरान पिछले वर्ष से कुल वृद्धि 38975 करोड़ रु थी। 1998-99 के दौरान भारत की समेकित निधि की प्राप्ति में राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर वृद्धि क्रमशः 21590 करोड़ रु एवं 27187 करोड़ रु थी जबकि लोक लेखे में यह 1997-98 की तुलना में 9802 करोड़ रु कम थी।

संवितरण

लोक लेखे सहित संघ सरकार का कुल संवितरण 1994-95 में 425291 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 813831 करोड़ रु हो गया जो कि 91.36 प्रतिशत की वृद्धि बनी। 1998-99 के दौरान कुल संवितरण में कुल वृद्धि पिछले वर्ष से 37649 करोड़ रु की हुई। 1998-99 के दौरान भारत की समेकित निधि में संवितरण में वृद्धि राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में क्रमशः 22724 करोड़ रु तथा 7727 करोड़ रु थी जबकि लोक लेखे में संवितरण में वृद्धि 1997-98 की तुलना में 9171 करोड़ रु की थी।

वर्ष 1998-99 के दौरान भारत की आकस्मिकता निधि से 27 करोड़ रु का व्यय किया गया, जिसकी निधि में पूर्ति नहीं की गई।

2.3.3 संसाधनों का उपयोग

संघ सरकार के पूंजीगत व्यय की तुलना में ऋण की वृद्धि निम्नानुसार थी :

तालिका 2.3.3(i) : संसाधनों का उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल बकाया ऋण*	कुल प्रगामी पूंजीगत व्यय (कर्जों तथा पेशगियों सहित)	ऋण से पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता	राजस्व घाटा
1998-99	891806	537059	60.22	60567
1997-98	778293	478774	61.52	59433
1996-97	675676	433130	64.10	32654
1995-96	606232	396979	65.48	29731
1994-95	538611	361828	67.18	31029
1988-89	229771	184305	80.21	10515
1978-79	43483	46785	107.60	(+) 292

(+) राजस्व अधिशेष को दर्शाता है।

1978-79 में लिए गए समस्त ऋण का पूंजी निर्माण प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था जो 1998-99 तक कम होकर 60.22 प्रतिशत हो गया।

ऐतिहासिक लागत पर बाह्य ऋण को हिसाब में लेते हुए संघ सरकार की कुल देयताएं 1978-79 में 43483 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 891806 करोड़ रु हो गई जो 1950.98 प्रतिशत की वृद्धि बनी। उसी समय, उसी अवधि के दौरान, संघ सरकार के कुल प्रगामी पूंजी निर्माण व्यय तथा उनके अंकित मूल्य पर लेखाओं में दर्ज उधार देने में केवल 1047.93 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 1994-99 के दौरान संघ सरकार का ऋण 65 प्रतिशत बढ़ गया जबकि प्रगामी पूंजीगत परिव्यय केवल 48 प्रतिशत बढ़ा।

यह ध्यान देने योग्य है कि 1978-79 तक कुल प्रगामी पूंजीगत व्यय (पूंजी+कर्ज) 31 मार्च 1979 को बकाया कुल ऋण का 107.60 प्रतिशत था। अन्य शब्दों में, समस्त ऋण का उपयोग परिसम्पत्ति सृजन व्यय के संबंध में किया जा रहा था। अनुवर्ती वर्षों में यह प्रवृत्ति बिगड़ गई तथा ऋण और पूंजीगत व्यय के बीच अंतराल अधिक हो गया था। 1998-99 के दौरान कुल परिसम्पत्ति सृजन व्यय, (पूंजी निर्माण + कर्ज और पेशगियां) 31 मार्च 1999 को बकाया कुल ऋण का मात्र 60.22 प्रतिशत बना।

पूंजी निर्माण के लिए ऋण के उपयोग हेतु प्रगामी कमी की स्थिति राजस्व घाटे में अत्यधिक वृद्धि के कारण और बिगड़ गई, जो 1978-79 में 292 करोड़ रु के आधिक्य से 1998-99 में 60567 करोड़ रु के घाटे में विकृत हो गई। 1998-99 में उठाये गए ऋण का 11.39 प्रतिशत राजस्व घाटे को वहन करने के लिए उपयोग किया गया था। तथापि उपर्युक्त तालिका में दिए गए कुल प्रगामी पूंजीगत व्यय ऐसे निवल पूंजीगत व्यय हैं जो वसूलियों/राजस्व प्राप्तियों

* ऐतिहासिक लागत पर बाह्य ऋण सम्मिलित है।

और विभिन्न आरक्षित तथा विकास निधियों से पूरे किए जाते हैं। 1998-99 के दौरान प्रगामी पूंजीगत व्यय 79122 करोड़ रु से बनाया गया था। रेलवे, डाक व तार तथा सिविल में पूंजीगत खाते पर खर्च की गई राशि को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्तियों/वसूलियों इत्यादि में से पूरा किया गया था। इसलिए इस राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में अलग से बुक नहीं किया गया था।

1998-99 के दौरान बकाया आंतरिक उधार बढ़कर 834552 करोड़ रु हो गए जो 1997-98 में 722962 करोड़ रु थे। उसी तरह, ऐतिहासिक लागत पर बाह्य ऋण 55332 करोड़ रु से बढ़कर 57254 करोड़ रु हो गया। वर्ष 1998-99 के अंत में, संघ सरकार का कुल ऋण भार, 891806 करोड़ रु था जो स.घ.उ. का 50.60 प्रतिशत था। यदि बाह्य ऋण 31 मार्च 1999 की विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाए तो कुल ऋण का भार 1012486 करोड़ रु होगा जो चालू बाजार दर पर स.घ.उ.* का 57.44 प्रतिशत है।

यह ध्यान देने योग्य है कि सभी घाटे अर्थात् राजकोषीय, राजस्व तथा प्रारम्भिक 1998-99 के बजट अनुमानों से अभूतपूर्व तरीके से बढ़ गए थे जिसका प्रमाण नीचे तालिका में दिया गया है :

तालिका 2.3.3(ii) : घाटे की बजट अनुमानों से तुलना

(करोड़ रुपयों में)

घाटा	बजट अनुमान	वस्तविक	ब.अ. से बढ़ोतरी
राजस्व	48068	60567	12499
राजकोषीय	91025	113298	22273
प्रारम्भिक	16025	35416	19391

सभी घाटे बजट अनुमानों से आगे बढ़ गए।

बजट स्तर तक घाटे को नियंत्रित करने के उपाय असफल रहे थे। राजस्व, राजकोषीय तथा प्रारम्भिक घाटा बजट अनुमानों से क्रमशः 12000 करोड़ रु, 22000 करोड़ रु तथा 19000 करोड़ रु से पार कर गया।

2.4 प्राप्तियां एवं संवितरण: आर्थिक वर्गीकरण के रूप में परिमाण

संघ सरकार के सम्पूर्ण ढांचे में, कुछ विभाग ऐसे हैं जिनकी कार्यप्रणाली व्यापारिक प्रकृति की है यद्यपि उनकी प्राप्तियों एवं व्यय का लेन देन का लेखांकन की सरकारी प्रणाली में ही लेखाबद्ध किया जाता है। इसके अलावा प्राप्तियों एवं व्ययों की अधिकता से बचने के उद्देश्य से, जैसा कि वित्त लेखाओं से प्रकट होता है, संघ सरकार के विभागों के कुछ खंडों के व्यय को उनकी प्राप्तियों की सीमा तक निवल किया जाता है।

अतः खातों का आर्थिक वर्गीकरण, सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों का वास्तविक परिमाण/आकार प्रकट करता है जिनको कि रक्षा, डाक, दूरसंचार, परिवहन इत्यादि के अलावा राजकोषीय,

* त्वरित अनुमान: 1762609 करोड़ रु

सामाजिक तथा आर्थिक सैक्टरों में कार्यरत वाणिज्य विभाग की प्राप्तियों से व्यय को निवल करने के बाद परिकल्पित किया गया था।

2.4.1 प्राप्ति

वर्ष 1998-99 के लिए विभिन्न सैक्टरों में सरकार की निवल प्राप्तियां तथा निवल राशियां निम्न प्रकार थी :-

तालिका 2.4.1 निवल प्राप्तियां

क्र. सं.	वित्त लेखे के अनुसार राशि	समायोजित राशि	(करोड़ रूपयों में) निवल राशि	
1.	राजस्व प्राप्ति (2+3)	239889	83997	155892
2.	कर राजस्व	129317	24665	104652
3.	कर- भिन्न राजस्व जिसमें से	110572	59332	51240
	(क) ब्याज प्राप्ति	30076	--	30076
	(ख) लाभांश	9411	1827	7584
4.	गैर - ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें से	19063	2556	16507
	(क) ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	13189	2556	10633
	(ख) विविध प्राप्तियां	5874	--	5874
5.	कुल प्राप्तियां (1+4)	258952	86553	172399

संघ सरकार की कुल निवल प्राप्ति (लोक ऋण से प्राप्तियों को अलग करते हुए) 172399 करोड़ रु. थी, जो कि 86553 करोड़ रु. की राशि को निवल करने के बाद निकाली गयी थी।

निवल करने के पश्चात् संघ सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 155892 करोड़ रु. थी। 83997 करोड़ रु. की राशि निवल की गई थी, जिसमें से 24665 करोड़ रु. संघ उत्पाद शुल्क के राज्यों के शेयर के बावत् कर-राजस्व में से निवल किये गये थे। शेष 59332 करोड़ रु. की प्राप्तियों का समायोजन, करेंसी नोट मुद्रणालय (252 करोड़ रु.), बैंक नोट प्रेस (188 करोड़ रु.) सिक्वोरिटी पेपर मिल (56 करोड़ रु.) इंडिया सिक्वोरिटी (85 करोड़ रु.) सिक्वोरिटी मुद्रणालय (22 करोड़ रु.) रक्षा सेवाएं (1338 करोड़ रु.) कैंटीन स्टोर विभाग (2688 करोड़ रु.) प्रसारण तथा टी.वी. (516 करोड़ रु.) दिल्ली दुग्ध योजना (103 करोड़ रु.) बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (501 करोड़ रु.) ईंधन सूची (879 करोड़ रु.) ईंधन निर्माण सुविधा (373 करोड़ रु.) राजस्थान परमाणु शक्ति स्टेशन (55 करोड़ रु.) भारी जल पूल प्रबंधन (430 करोड़ रु.) अफीम तथा एल्केलाइड उद्योग (235 करोड़ रु.) लाइट हाउस तथा लाइट शिप (83 करोड़ रु.) रेलवे (30234 करोड़ रु.), डाक (1723 करोड़ रु.) दूरसंचार (17744 करोड़ रु.) की प्राप्ति तथा एफ.सी.एन.आर.ए. के अन्तर्गत विनिमय हानि को पूरा करने के लिए भा.रि.बै. से अतिरिक्त लाभांश (1827 करोड़ रु.) के कारण गैर-कर राजस्व से किया गया था।

2556 करोड़ रु समायोजित करने के पश्चात (2342 करोड़ रु राज्य सरकारों से अर्थोपाय पेशगियों की वसूली के कारण तथा सरकारी कर्मचारियों से 214 करोड़ रु), गैर-ऋण पूंजीगत निवल प्राप्तियां 16507 करोड़ रु थी।

155892 करोड़ रु. की निवल राजस्व प्राप्तियों में से, 104652 करोड़ रु. (67 प्रतिशत) कर राजस्व से तथा शेष 51240 करोड़ रु. (33 प्रतिशत) गैर - कर राजस्व से प्राप्त हुए। गैर कर राजस्व के मुख्य भाग में ब्याज से 30076 करोड़ रु. (59 प्रतिशत) तथा लाभांश से 7584 करोड़ रु. (15 प्रतिशत) की प्राप्तियां समाविष्ट थी।

16507 करोड़ रु. की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में से 10633 करोड़ रु. ऋणों एवं अग्रियों की वसूली के कारण तथा विनिवेश से 5369 करोड़ रु. की प्राप्तियों को सम्मिलित करते हुए 5874 करोड़ रु. विविध पूंजीगत प्राप्तियों के कारण थे।

2.4.2 व्यय

वर्ष 1998-99 के लिए विभिन्न सैक्टरों के अन्तर्गत निवल व्यय तथा निवल करने के लिए हिसाब में लेकर प्राप्तियों की राशि निम्न प्रकार थी :-

तालिका 2.4.2 निवल व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	वित्त लेखे के अनुसार राशि	समायोजित राशि	निवल राशि	
1.	राजस्व लेखा व्यय जिसमें से	300456	83997	216459
	(क) राजकोषीय सेवाएं	2857	603	2254
	(ख) राजकोषीय सेवाओं को छोड़कर सामान्य सेवाएं जिसमें से	132700	4026	128674
	(i) ब्याज भुगतान	77882	--	77882
	(ii) रक्षा	31200	1338	29862
	(ग) सामाजिक सेवाएं	14146	516	13630
	(घ) आर्थिक सेवाएं	99687	54187	45500
	आर्थिक सहायता ^β	25104	--	25104
	(ड.) सहायता अनुदान	51066	24665	26401
2.	पूंजीगत लेखा व्यय जिसमें से	71794	2556	69238
	क. ऋण तथा अग्रिम	46594	2556	44038
	ख. पूंजीगत व्यय जिसमें से	25200	--	25200
	(i) सामान्य सेवाएं	10921	--	10921
	(ii) सामाजिक सेवाएं	1015	--	1015
	(iii) आर्थिक सेवाएं	13264	--	13264

^β आर्थिक सहायता का मुख्य भाग आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित है।

क्र.सं.	वित्त लेखे के अनुसार राशि	समायोजित राशि	निवल राशि	
3.	कुल व्यय (1+2)	372250	86553	285697
4.	राजस्व घाटा (तालिका 2 का का. 1 - तालिका 1 का का.1)	60567	--	60567
5.	राजकोषीय घाटा (तालिका 2.4.2 का का. 3 - तालिका 2.4.1 का का 5)	113298	--	113298

1998-99 के दौरान निवल राजस्व व्यय 216459 करोड़ रु. था। कुल राजस्व व्यय में से, 77882 करोड़ रु. (35.98 प्रतिशत) ब्याज भुगतान तथा 25104 करोड़ रु. (11.60 प्रतिशत) आर्थिक सहायता थी।

ब्याज भुगतान, जो कि राजकोषीय सेवाओं को अलग करते हुए सामान्य सेवाओं का भाग थी, ने अकेले ही व्यय के 60.53 प्रतिशत का उपभोग किया तथा 23.21 प्रतिशत रक्षा व्यय के कारण था।

क्षेत्रीय लेखे में, राजस्व व्यय में से सामान्य सेवा सैक्टर (राजकोषीय सेवाओं को सम्मिलित करते हुए), सामाजिक सेवा सैक्टर, आर्थिक सेवा सैक्टर तथा सहायता अनुदान का शेयर क्रमशः 130928 करोड़ रु. (61 प्रतिशत), 13630 करोड़ रु. (6 प्रतिशत), 45500 करोड़ रु. (21 प्रतिशत), 26401 करोड़ रु. (12 प्रतिशत) था।

सरकार का पूंजीगत लेखा व्यय 69238 करोड़ रु. था। इसमें से 44038 करोड़ रु. (64 प्रतिशत) के कर्जे दिए गए तथा शेष 25200 करोड़ रु. पूंजीगत व्यय था। पूंजीगत व्यय में से, 10921 करोड़ रु. (43 प्रतिशत) सामान्य सेवाओं पर, 1015 करोड़ रु. (4 प्रतिशत) सामाजिक सेवाओं पर तथा 13264 करोड़ रु. (53 प्रतिशत) आर्थिक सेवाओं पर खर्च किए गए थे।

यह ध्यान देने योग्य है कि सामाजिक सेवा सैक्टर, जिसकी गतिविधियां मानव संसाधनों के विकास तथा सामाजिक तौर पर सुविधावंचित लोगों के कल्याण के लिए संचालित हैं, राजस्व व्यय का सिर्फ 6 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय का 4 प्रतिशत उपभोग करता है।

2.5 प्राप्तियां एवं संवितरण: केन्द्र और राज्य (संयुक्त)

संघ से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता केन्द्रीय कर के आबंटन सहायता अनुदान, ऋण इत्यादि के रूप में प्राप्त होती है।

* आकस्मिकता निधि में पूर्ति न किए गए 27 करोड़ रु शामिल नहीं हैं।

संघ तथा प्रत्येक राज्य सरकार का वित्तीय लेन देन तीन प थक भागों अर्थात्: (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि (iii) लोक लेखे (दिल्ली राज्य तथा पांडिचेरी सं. शा. क्षेत्र को छोड़कर) में दर्ज किया जाता है।

2.5.1 प्राप्तियां तथा संवितरण


वर्ष 1998-99 के लिए समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा संघ सरकार के लोक लेखे से संघ सरकार को तथा सभी राज्य सरकारों को प्राप्तियां एवं संवितरण ग्राफ के रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित की गई हैं:-



2.5.2 समेकित निधि में प्राप्ति तथा संवितरण

भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत संघ सरकार तथा राज्य सरकारें सभी प्राप्त राजस्व, वसूल किये गए कर्जे तथा कर्जों की वापस अदायगी में प्राप्त सारा धन "भारत की समेकित निधि अथवा राज्य की समेकित निधि" जैसा भी मामला हो क्रेडिट करेगी।

1998-99 के दौरान संघ सरकार तथा सभी राज्य सरकारों की "समेकित निधि" से प्राप्तियों तथा संवितरण को ग्राफ के रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है।



समेकित निधि में संघ सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय क्रमशः 654249 करोड़ रु तथा 694929 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकारों की प्राप्तियां तथा व्यय क्रमशः 272536 करोड़ रु तथा 298245 करोड़ रुपये थीं।


राज्य की समेकित निधि में कुल प्राप्ति का 35.19 प्रतिशत संघ सरकार से राज्य सरकारों को सहायता/कर्जों का बना। राज्य सरकारों के अपने राजस्व, समेकित निधि में कुल प्राप्ति का 40.56 प्रतिशत बने जो कि कर-भिन्न राजस्व (8.80 प्रतिशत) तथा कर राजस्व (आयकर के अतिरिक्त-31.76 प्रतिशत) के रूप में थे तथा बकाया 24.25 प्रतिशत आन्तरिक ऋण से प्राप्तियां तथा ऋणों तथा पेशगियों की वसूलियां बनीं।

संघ तथा राज्य सरकारों की समेकित निधि में प्राप्तियों पर 40679 करोड़ रु तथा 25709 करोड़ रु के व्यय के आधिक्य को उनके सम्बद्ध लोक लेखे के आधिक्य द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

2.5.3 निधियों का अन्तरण

1998-99 के दौरान संघ सरकार की समेकित निधि से 694929 करोड़ रु के कुल संवितरण का 13.14 प्रतिशत, जो 91291 करोड़ रु बनता है राज्यों/सं.रा.क्षे. को निधियों का अन्तरण बना, इसमें राज्यों का 14480 करोड़ रु का आयकर का हिस्सा शामिल नहीं है जो कि राज्यों को प्रत्यक्ष रूप में आबटित किया गया।

1998-99 के दौरान निधियों के अन्तरण को ग्राफ के रूप में निम्न प्रकार दर्शाया गया है।




2.5.4 राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय

राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व तथा अन्य प्राप्ति से बनती हैं। राजस्व व्यय में सरकार को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हेतु व्यय विभिन्न सेवाओं, ऋण पर ब्याज प्रभार, आर्थिक सहायता इत्यादि सम्मिलित हैं।

1998-99 के दौरान संघ सरकार तथा राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां, व्यय तथा घाटा ग्राफ के रूप में निम्न प्रकार से दर्शाया गया है:-

60567 करोड़ रु का घाटा छोड़ते हुए संघ सरकार का राजस्व व्यय तथा प्राप्तियां क्रमशः




300456 करोड़ रु तथा प्राप्ति 239889 करोड़ रु थी।

राज्य सरकारों का राजस्व व्यय तथा प्राप्ति 42242 करोड़ रु का घाटा छोड़ते हुये क्रमशः 210156 करोड़ रु तथा 167914 करोड़ रु था।

1998-99 के दौरान संघ सरकार तथा राज्य सरकारों का संयुक्त राजस्व घाटा 102809 करोड़ रु था।

2.5.5 राजस्व व्यय का वितरण

1998-99 के दौरान संघ सरकार तथा राज्य सरकारों का राजस्व व्यय क्रमशः 300456 करोड़ रु तथा 210156 करोड़ रुपये था। व्यय का क्षेत्रवार वितरण ग्राफ के रूप में निम्न प्रकार दर्शाया गया है :-



संघ सरकार के 300456 करोड़ रु के राजस्व व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर 14146 करोड़ रुपये (4.71 प्रतिशत), ब्याज भुगतानों पर 77882 करोड़ रुपये (25.92 प्रतिशत), संसाधनों के अन्तरण पर 51066 करोड़ रुपये (16.99 प्रतिशत), सामान्य सेवाओं पर (ब्याज भुगतान के अतिरिक्त) 57675 करोड़ रुपये (19.20 प्रतिशत), तथा आर्थिक सेवाओं पर 99687 करोड़ रु (33.18 प्रतिशत) का व्यय था।

दूसरी ओर राज्य सरकारों का राजस्व व्यय 210156 करोड़ रुपये था; जिसमें से 78453 करोड़ रुपये (37.33 प्रतिशत) सामाजिक सेवाओं पर, 34839 करोड़ रुपये (16.58 प्रतिशत) ब्याज भुगतानों पर, 3570 करोड़ रुपये (1.70 प्रतिशत) सहायता अनुदान पर तथा 45415 करोड़ रु (21.61 प्रतिशत) सामान्य सेवाओं पर (ब्याज भुगतान को छोड़कर) तथा 47879 करोड़ रु (22.78 प्रतिशत) आर्थिक सेवाओं पर खर्च किये गये थे।

अध्याय III : प्राप्तियों की वृद्धि

3. संघ सरकार की प्राप्तियां

संघ सरकार की प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियां संघ सरकार की आय का मुख्य स्रोत हैं जो अधिकांशतः कराधान तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होती हैं। दूसरी ओर, पूंजीगत प्राप्तियां जिसे लेखाओं में विविध प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, में ईक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियां तथा बोनस शेयरों का मूल्य सम्मिलित है।

3.1 राजस्व प्राप्तियां



राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व तथा अन्य राजस्व शामिल हैं। कर राजस्व में करों की प्राप्तियां तथा संघ सरकार द्वारा उगाहे गए अन्य शुल्क अर्थात् आय एवं व्यय पर कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क

आदि समाविष्ट हैं। कर भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, विविध सामान्य सेवाओं, प्रसारण, पेट्रोलियम, विद्युत, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार से प्राप्तियां, तथा सहायता अनुदानों तथा अंशदानों से प्राप्तियां समाविष्ट हैं।

राज्यों को सौंपे गए निगम कर के अलावा आय पर निवल कर प्राप्तियों का हिस्सा जिसे वित्त लेखाओं में लेखाबद्ध नहीं किया गया है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किया जा रहा है सहित सकल राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार थीं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां (सकल)	राज्यों को सौंपे गए निगम कर के अलावा आय पर निवल कर प्रप्ति का हिस्सा	लेखे के अनुसार राजस्व प्राप्तियां (3-4)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (कॉलम 3 के संदर्भ में)	प्रतिशतता वृद्धि	स.घ.उ. की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1998-99	261260	254369	14480	239889	22562	9.73	14.43
1997-98	246766	231807	13508	218299	24573	11.85	14.83
1996-97	211662	207234	13516	193718	27389	15.22	16.23
1995-96	170320	179845	11274	168571	24615	15.85	16.37
1994-95	151126	155230	8560	146670	27861	21.87	16.41

पिछले पाँच वर्षों में राजस्व प्राप्तियां स.घ.उ. के 16.41 प्रतिशत से 14.43 प्रतिशत तक घट गई।

पिछले पांच वर्षों में सकल राजस्व प्राप्तियां 1994-95 में 155230 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 254369 करोड़ रु हो गई जिससे 63.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, स.घ.उ. की तुलना में यह उसी अवधि के दौरान 1.98 प्रतिशत तक घट गई। इससे न केवल स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों का घटना जारी रहा बल्कि सही अर्थों में राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष से वृद्धि में भी कमी आई थी। यह राजकोषीय उपायों को करने में सुस्ती का संकेत है।

1997-98 की तुलना में 1998-99 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी मुख्यतः निगम कर : 4513 करोड़ रु निगम कर के अलावा आय पर कर :3139 करोड़ रु सीमा शुल्क 475 करोड़ रु, संघीय उत्पाद शुल्क 5285 करोड़ रु, सेवा कर 370 करोड़ रु, वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 132 करोड़ रु, मुद्रा, सिक्के तथा टकसाल 81 करोड़ रु., ब्याज 4733 करोड़ रु, विविध सामान्य सेवाएं 362 करोड़ रु, लाभांश एवं लाभ 1466 करोड़ रु, पुलिस 98 करोड़ रु, दूरसंचार 3157 करोड़ रु, रेलवे वाणिज्यिक क्षेत्र राजस्व 1003 करोड़ रु, रक्षा सेवाएं 791 करोड़ रु, विद्युत 1029 करोड़ रु, पैट्रोलियम 7026 करोड़ रु, उद्योग 55 करोड़ रु तथा डाक 156 करोड़ रु में वृद्धि होने के कारण हुई थी।

3.2.1 कर राजस्व

निम्नलिखित तालिका 1994-95 से पिछले पांच वर्षों से तथा सातवें और आठवें दशक के अंतिम वर्षों अर्थात् 1978-79 तथा 1988-89 से कर राजस्व की वृद्धि, कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता भी दर्शाती है। कर राजस्व के आंकड़ों में राज्यों को आर्बिटिट किए गए निगम कर के अलावा आय पर कर की शुद्ध आगम का हिस्सा, जिसे वित्त लेखाओं में लेखाबद्ध नहीं किया गया है, सम्मिलित है।

तालिका 3.2.1 : कर राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कर राजस्व (सकल) [†]	कुल राजस्व	कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	कर राजस्व की पिछले वर्ष से बढ़ोतरी प्रतिशतता	स.घ.उ. [*] की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व
1998-99	143797	254369	56.53	3.29	8.16
1997-98	139220	231807	60.06	8.12	8.90
1996-97	128762	207234	62.13	15.77	10.08
1995-96	111224	179845	61.84	20.50	10.12
1994-95	92297	155230	59.45	21.86*	9.76
1988-89	44473	68649	64.78	18.09*	11.24
1978-79	10514	16263	64.65	18.82*	10.09

कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 1994-95 में 21.86 प्रतिशत की चरम सीमा तक पहुंच गई थी, 1997-98 में 8.12 प्रतिशत तक कम हो गई तथा 1998-99 में 3.29 प्रतिशत तक और घट गई। 1994-98 के दौरान कुल राजस्व की तुलना में कर राजस्व का अनुपात 60 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा लेकिन 1998-99 के दौरान 56.53 प्रतिशत तक नीचे आ गया।

कर राजस्व (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष) पर विस्तृत अभ्युक्तियां राजस्व प्राप्तियों पर नि.म.ले.प. के 2000 के प्रतिवेदन सं. 10, 11 तथा 12 में अंतर्विष्ट हैं।

3.2.2 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर



पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों का सकल संग्रहण निम्न प्रकार था:

[†] राज्यों को आय कर की शुद्ध प्राप्तियों के भाग का आबंटन शामिल है। (14480 करोड़ रु)

* 1977-78, 1987-88 तथा 1993-94 के दौरान सकल कर राजस्व क्रमशः 8849 करोड़ रु, 37660 करोड़ रु तथा 75742 करोड़ रु था।

* स.घ.उ. : 1762609 करोड़ रु।

तालिका 3.2.2 : प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर सकल *	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में	अप्रत्यक्ष कर	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में
1998-99	46600 (32120)	2.64 (1.82)	32.41 (24.84)	97197	5.52	67.59
1997-98	48280 (34772)	3.09 (2.22)	34.68 (27.66)	90940	5.81	65.32
1996-97	38895 (25379)	3.04 (1.99)	30.21 (22.02)	89867	7.04	69.79
1995-96	33564 (22290)	3.05 (2.03)	30.18 (22.30)	77660	7.07	69.82
1994-95	26971 (18411)	2.85 (1.95)	29.22 (21.99)	65326	6.91	70.78

(कोष्ठक के आंकड़े निवल प्रत्यक्ष कर तथा स.घ.उ. से उसका अनुपात तथा निवल कर राजस्व दर्शाते हैं।)

1994-99 तक की पांच वर्षों की अवधि से सकल प्रत्यक्ष कर 26971 करोड़ रु से 46600 करोड़ रु तक 72.78 प्रतिशत तक बढ़ गए थे। उसी अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष करों में 65326 करोड़ रु से 97197 करोड़ रु तक केवल 48.79 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

उसी अवधि से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में क्रमशः 2.85 से 2.64 प्रतिशत तथा 6.91 से 5.52 प्रतिशत तक घट गए। सही अर्थों में, 1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पूर्व वर्ष की तुलना में 1680 करोड़ रु तक कमी आ गई जिसने स.घ.उ. अनुपात को 0.45 प्रतिशत अंक तक कम कर दिया। अप्रत्यक्ष कर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 1997-98 में 5.81 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 5.52 रह गया हालांकि सही अर्थों में यह 6257 करोड़ रु तक बढ़ गए थे।

कुल कर राजस्व में
अप्रत्यक्ष करों का भाग
कम हो गया।

कुल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष कर 1994-95 में 29.22 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 32.41 प्रतिशत हो गए, परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 70.78 प्रतिशत से 67.59 प्रतिशत तक कम हो गया।

3.2.3 अनुमानों की तुलना में वास्तविक संग्रहण

1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों के वास्तविक सकल संग्रहण, अनुमानों से अपेक्षाकृत कम थे जो निम्नानुसार है :

* राज्यों का आयकर का हिस्सा शामिल है।

तालिका 3.2.3(i) : कर राजस्व की बजट अनुमानों से तुलना

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर			अप्रत्यक्ष कर		
	बजट अनुमान	वास्तविक	कमी (-) आधिक्य (+)	बजट अनुमान	वास्तविक	कमी (-) आधिक्य (+)
1998-99	48856	46600	(-) 2256	108855	97197	(-) 11658
1997-98	45711	48280	(+) 2569 ²	107936	90940	(-) 16996
1996-97	39004	38895	(-) 109	93140	89867	(-) 3273
1995-96	30276	33564	(+) 3288	73486	77660	(+) 4174
1994-95	24790	26971	(+) 2181	62346	65326	(+) 2980

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों का संग्रहण बजट तथा संशोधित अनुमान से कम हुआ।

1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष करों का संग्रहण बजट अनुमानों से 2256 करोड़ रु तक कम हुआ। अप्रत्यक्ष कर में भी संग्रहण बजट अनुमानों के संदर्भ में 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 3273 करोड़ रु, 16996 करोड़ रु तथा 11658 करोड़ रु तक कम हुआ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के मुख्य अवयव निम्न प्रकार हैं :

तालिका 3.2.3(ii) : प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों के मुख्य अवयव तथा उनके बजट अनुमान

(करोड़ रुपयों में)

		प्रत्यक्ष कर				अप्रत्यक्ष कर		
		निगम कर	आय पर कर	ब्याज कर	आय तथा व्यय पर अन्य कर	सीमा शुल्क	संघ उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1998-99	ब.अ.	26550	20930	920	300	48148	57690	1867
	वास्तविक	24529	20240	1264	395	40668	53246	1957
	कमी(-)/ आधिक्य (+)	(-) 2021	(-) 690	(+) 344	(+) 95	(-) 7480	(-) 4444	(+) 90
1997-98	ब.अ.	21860	21700	1800	210	52550	52200	2150
	वास्तविक	20016	17101	1205	9834	40193	47962	1586
	कमी(-)/ आधिक्य (+)	(-) 1844	(-) 4599	(-) 595	(+) 9624	(-) 12357	(-) 4238	(-) 564
1996-97	ब.अ.	19600	17843	1250	190	44435	46883	970
	वास्तविक	18567	18234	1712	293	42851	45008	1059
	कमी(-)/ आधिक्य (+)	(-) 1033	(+) 391	(+) 462	(+) 103	(-) 1584	(-) 1875	(+) 89
1995-96	ब.अ.	15500	13500	1000	175	29500	42780	600
	वास्तविक	16487	15592	1170	228	35757	40187	861
	कमी(-)/ आधिक्य (+)	(+) 987	(+) 2092	(+) 170	(+) 53	(+) 6257	(-) 2593	(+) 261
1994-95	ब.अ.	12480	10925	1044	210	25200	36700	--
	वास्तविक	13822	12029	801	197	26789	37347	407
	कमी(-)/ आधिक्य (+)	(+) 1342	(+) 1104	(-) 243	(-) 13	(+) 1589	(+) 647	(+) 407

² मुख्यतः स्वै.आ.घो.यो. के कारण

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों के मुख्य अवयव ब.अ. से कम रहे।

1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान निगम कर बजट अनुमानों से क्रमशः 1033 करोड़ रु, 1844 करोड़ रु तथा 2021 करोड़ रु तक कम हो गया। 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान आय पर कर बजट अनुमानों से क्रमशः 4599 करोड़ रु तथा 690 करोड़ रु तक कम हो गया। आय पर करों में से 14480 करोड़ रु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपे गए थे जो संघ सरकार द्वारा संग्रहीत आय पर कुल करों का 754 करोड़ रु की संग्रहण लागत घटाकर 74 प्रतिशत बने।

अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर भी कुल अप्रत्यक्ष करों का 98.3 प्रतिशत बने। सीमा शुल्क प्राप्ति बजट अनुमानों से 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 1584 करोड़ रु, 12357 करोड़ रु तथा 7480 करोड़ रु कम रह गयी। संघ उत्पाद शुल्क करों से प्राप्ति भी बजट अनुमानों से 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 2593 करोड़ रु, 1875 करोड़ रु, 4238 करोड़ रु तथा 4444 करोड़ रु कम रही। पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के मुख्य अवयवों की वास्तविक प्राप्तियां निम्न प्रकार थीं:-

तालिका 3.2.3 (iii) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के मुख्य अवयवों के अन्तर्गत प्राप्तियां (करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
प्रत्यक्ष कर	46600 (32.41)	48280 (34.68)	38895 (30.21)	33564 (30.18)	26971 (29.22)
<i>जिसका</i>					
निगम कर	24529 (17.06)	20016 (14.38)	18567 (14.42)	16487 (14.82)	13822 (14.98)
आय पर कर	20240 (14.08)	17101 (12.28)	18234 (14.16)	15592 (14.02)	12029 (13.03)
ब्याज कर	1264 (0.88)	1205 (0.87)	1712 (1.33)	1170 (1.05)	801 (0.87)
आय एवं व्यय पर	395	9834	293	228	197
अन्य कर	(0.27)	(7.06)	(0.23)	(0.20)	(0.21)
अप्रत्यक्ष कर	97197 (67.59)	90940 (65.32)	89867 (69.79)	77660 (69.82)	65326 (70.78)
<i>जिसका</i>					
सीमा शुल्क	40668 (28.28)	40193 (28.87)	42851 (33.28)	35757 (32.15)	26789 (29.02)
संघ उत्पाद शुल्क	53246 (37.03)	47962 (34.45)	45008 (34.95)	40187 (36.13)	37347 (40.46)
सेवा कर	1957 (1.36)	1586 (1.14)	1059 (0.82)	861 (0.77)	407 (0.44)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के सभी मुख्य अवयवों ने पिछले वर्ष की तुलना में आय एवं व्यय पर अन्य करों, जिन्होंने उसमें स्वै.आ.घो.यो. 97 के कारण 1997-98 में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की, के अलावा नाममात्र बढ़ोतरी दर्ज की। 1998-99 के दौरान आय तथा व्यय पर अन्य करों के अंतर्गत 116 करोड़ रु स्वै.आ.घो.यो. 97 के बकाया के रूप में दर्ज किए गए हैं।

3.2.4 करों का निष्पादन

निम्नलिखित तालिका 1974-79 से 1994-99 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कर के हिस्सों की गति दर्शाती है।

तालिका 3.2.4: करों का निष्पादन

(कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)

1978-79	1977-78	1976-77	1975-76	1974-75		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
18.45	21.04	21.90	21.30	19.45	प्रत्यक्ष कर	29.22	30.18	30.21	34.68	32.41
69.12	70.99	59.06	58.92	62.85	निगम कर	51.25	49.12	47.74	41.46	52.64
26.02	19.01	32.53	32.81	32.09	आय पर कर	44.60	46.45	46.88	35.42	43.43
--	--	--	--	--	ब्याज कर	2.97	3.49	4.40	2.50	2.71
1.38	6.74	4.26	3.96	0.96	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.73	0.68	0.75	20.37	0.85
81.55	78.96	78.10	78.70	80.55	अप्रत्यक्ष कर	70.78	69.82	69.79	65.32	67.59
30.62	28.27	26.15	26.26	28.53	सीमा शुल्क	41.01	46.04	47.68	44.20	41.84
66.79	68.93	71.04	71.15	69.16	संघ उत्पाद शुल्क	57.17	51.75	50.08	52.74	54.78
--	--	--	--	--	सेवा कर	0.62	1.11	1.18	1.74	2.01

सातवें दशक के अंत में, अप्रत्यक्ष करों जो कर राजस्व का 78 तथा 82 प्रतिशत के बीच थे, पर भारी निर्भरता थी। अप्रत्यक्ष करों में से संघ उत्पाद शुल्क से प्राप्त अंशदान 67 से 71 प्रतिशत के बीच था। नवें दशक के आरंभ में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव होने से नवें दशक के अंत में अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता कर राजस्व के 65 से 71 प्रतिशत तक कम हो गई तथा संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा भी अप्रत्यक्ष करों से 50 से 57 प्रतिशत तक कम हो गया।

दूसरी ओर, प्रत्यक्ष करों के भाग में सातवें दशक के अंत में कर राजस्व में 18 से 22 प्रतिशत तक तथा नौवें दशक के अंत में 29 से 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। सरकार को अपना कर राजस्व बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष करों के प्रति उसकी निर्भरता बदलने के लिए अभी बहुत गुंजाइश रह गई है।

इससे यह ज्ञात होता है कि चूंकि कर सुधार प्रक्रिया 1991 में आरंभ हुई है इसलिए उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे (i) उच्च स्तर पर सीमान्त आय कर

दरों में कटौती की गई है तथा खंडों की संख्या कम हो गई है, (ii) आयात शुल्क करों के साधन तथा अन्तर घट गए हैं, (iii) मूल्य सूची द्वारा कोटे को बदला गया है, (vi) वस्तु कर संरचना का कुछ योजितकीकरण हुआ है। इन परिवर्तनों के बावजूद कर सुधारों की प्रक्रिया पूर्ण होने से दूर है। इसमें कर आधार का और विस्तार करने की गुंजाइश है।

3.2.5 संघ सरकार द्वारा संग्रहीत करों का राज्यों को अंतरण

संघ सरकार द्वारा संग्रहीत विभिन्न कर तथा शुल्कों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 (कृषि भूमि के अलावा सम्पत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित शुल्क तथा कर, सम्पत्ति के संबंध में सम्पदा शुल्क, रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर, स्टॉक एक्सचेंज आदि में लेनदेनों पर स्टाम्प शुल्क के अलावा कर), अनुच्छेद 270 (कृषीय आय के अलावा आय पर कर) तथा अनुच्छेद 272 (संघ उत्पाद शुल्क पर निवल प्राप्तियां) के अन्तर्गत राज्यों के बीच अंशतः अथवा संपूर्णतः आबंटित/वितरित किए जाते हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान संविधान के अधीन राज्यों के बीच करों तथा शुल्कों की निवल प्राप्तियां का आबंटन तथा वितरण निम्नानुसार था :

तालिका 3.2.5(i) : राज्यों को अंतरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुच्छेद के अधीन राज्यों को अंतरण/आबंटन				संग्रहण पर लागत		सकल कर राजस्व	संग्रहण की लागत कम करने के बाद संघ सरकार का सकल कर राजस्व कालम 8-कालम 6 तथा 7	कालम 5 की 9 से प्रतिशत T
	269 (अन्य)	270 ^B (आयकर)	272 (संघ उत्पाद शुल्क)	जोड़	आयकर	उत्पाद शुल्क			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1998-99	20	14480	24665	39165	754	508	143797	142535	27.48
1997-98	21	13508	22446	35975	646	456	139220	138118	26.04
1996-97	17	13516	21545	35078	452	335	128762	127975	27.41
1995-96	16	11274	18011	29301	398	292	111224	110534	26.50
1994-95	14	8560	16283	24857	331	254	92297	91712	27.10

संघ सरकार द्वारा 1998-99 के दौरान संग्रहीत कुल कर राजस्व का संग्रहण लागत की कटौती करने के बाद 27.48 प्रतिशत राज्यों को बांटा गया था।

1998-99 के दौरान संघ सरकार द्वारा बजट प्रावधान के संदर्भ में संग्रहीत कर तथा शुल्कों का आबंटन/अंतरण निम्न प्रकार था :

^B संघ सरकार के वित्त तथा विनियोग लेखाओं में नहीं दर्शाया गया।

तालिका 3.2.5(ii) : राज्यों को आबंटित किए गए करों की बजट अनुमानों से तुलना

(करोड़ रुपयों में)

मद	वास्तविक संग्रहण (सकल) ^५	राज्यों को आबंटित		संघ सरकार को निवल कर राजस्व कॉलम 2- कॉलम 4	राज्यों को सौंपे जाने वाले हिस्से योग्य करों की कालम 2 से 4 की प्रतिशतता
		बजट अनुमान	वास्तविक		
1	2	3	4	5	6
भू राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क	20	19	20	-	100 (100)
निगम कर के अतिरिक्त आय ^६ पर कर	19486	14695	14480	5006	74 (82)
संघ उत्पाद शुल्क	52738	26908	24665	28073	47 (47)
जोड़	69244		39165	33079	56 (56)

टिप्पणी: कोष्टक में आंकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

1998-99 के दौरान बांटने योग्य करों तथा शुल्कों के अन्तरण की कुल की प्रतिशतता पिछले वर्ष की प्रतिशतता के बराबर थी।

3.2.6 सीमा शुल्क तथा संघ उत्पाद शुल्क

पिछले दो दशकों तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमा शुल्क तथा सकल संघ उत्पाद प्राप्तियों की वृद्धि जो समस्त कर राजस्व के मुख्य अवयव हैं, निम्न प्रकार थी :

तालिका 3.2.6(i) : सीमा शुल्क तथा संघ उत्पाद शुल्क

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सीमा शुल्क	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	उत्पाद	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	स.घ.उ. ^७ में विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिशतता भाग
1998-99	40668	2.31	53246	3.02	17.16
1997-98	40193	2.57	47962	3.06	17.65
1996-97	42851	3.36	45008	3.52	22.50
1995-96	35757	3.25	40187	3.66	22.28
1994-95	26789	2.83	37347	3.95	21.00
1988-89	15805	3.99	18841	4.76	20.09
1978-79	2449	2.35	5342	5.13	18.52

^५ संग्रहण की लागत कम करने के बाद।

^६ वित्त तथा विनियोग लेखाओं में आय पर निवल प्राप्तियों का अन्तरण नहीं दर्शाया गया है।

^७ स.घ.उ. 1762609 करोड़ रु

सीमा शुल्क में 1978-79 में 2449 करोड़ रु से 1998-99 में 40668 करोड़ रु तक 16.61 गुणा वृद्धि हुई। सही अर्थों में, पिछले वर्ष के मुकाबले 1998-99 में सीमा शुल्क का संग्रहण 475 करोड़ रु तक बढ़ा।

दूसरी तरफ, 1978-99 के दो दशकों से उत्पाद शुल्क की वृद्धि केवल 9.97 गुणा के लगभग थी। सही अर्थों में, पूर्व वर्ष की तुलना में यह 1998-99 में 5284 करोड़ रु बढ़ गया।

फिर भी, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क 1978-79 से 1998-99 की अवधि में 2.35 से 2.31 प्रतिशत तक सीमान्त रूप से कम हुआ जबकि उसी अवधि के दौरान संघ उत्पाद शुल्क 5.13 से 3.02 प्रतिशत तक तीव्रता से कम हुआ।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सीमाशुल्क संघ सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत बना रहा है। स.घ.उ. में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा उसी अवधि में 18.52 से घटकर 17.16 प्रतिशत तक रह गया।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमा शुल्क तथा संघ उत्पाद प्राप्ति तथा संग्रहण प्रभार निम्न प्रकार थे :

तालिका 3.2.6(ii) : सीमा शुल्क तथा संघ उत्पाद शुल्क तथा संग्रहण प्रभार (करोड़ रु. में)

वर्ष	सीमा शुल्क	संग्रहण प्रभार	उत्पाद शुल्क	संग्रहण प्रभार
1998-99	40668	466	53246	508
1997-98	40193	431	47962	456
1996-97	42851	336	45008	335
1995-96	35757	280	40187	292
1994-95	26789	244	37347	254

सीमा शुल्क के संग्रहण प्रभार संघ उत्पाद शुल्क के संग्रहण प्रभारों की अपेक्षा तेज दर से बढ़े।

1998-99 के दौरान सीमा शुल्क की वृद्धि 1994-95 की तुलना में 51.81 प्रतिशत अधिक थी, जबकि उसी अवधि के दौरान संग्रहण प्रभारों में वृद्धि 90.98 प्रतिशत अधिक थी। 1998-99 के दौरान उत्पाद शुल्क में वृद्धि 1994-95 से 42.57 प्रतिशत अधिक थी जबकि उसी अवधि के दौरान संग्रहण प्रभारों में वृद्धि 100 प्रतिशत अधिक थी।

अतः प्रतिशतता वृद्धि के मध्यनजर, वास्तविक संग्रहण में वृद्धि को संग्रहण प्रभारों में वृद्धि ने काफी पीछे छोड़ दिया था। सरकार को संग्रहण लागत में तीव्र वृद्धि होने के कारणों की ओर ध्यान देने तथा उनको कम करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

3.3 कर-भिन्न राजस्व

पिछले दो दशकों तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि निम्न प्रकार थी:

तालिका 3.3 (i): कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कर-भिन्न राजस्व ^Δ	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	सकल राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में
1998-99	110572	6.27	43.47
1997-98	92587	5.92	39.94
1996-97	78472	6.15	37.86
1995-96	68621	6.25	38.15
1994-95	62932	6.66	40.54
1988-89	24176	6.11	35.22
1978-79	5749	5.52	35.35

सही अर्थों में, कर भिन्न राजस्व 1997-98 में 92587 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 110572 करोड़ रु हो गया जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 19.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.35 प्रतिशत तक बढ़ा। कर-भिन्न राजस्व में मुख्य अवयव जिन्होंने पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की, वे ब्याज प्राप्ति (4733 करोड़ रु), लाभांश तथा लाभ (1466 करोड़ रु), विविध सामान्य सेवाएं (362 करोड़ रु), विद्युत (1029 करोड़ रु) तथा पेट्रोलियम (7026 करोड़ रु) थे।

पिछले पांच वर्षों के लिए कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अवयवों से प्राप्ति निम्न प्रकार थी:-

तालिका 3.3 (ii) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अवयव

(करोड़ रु में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
ब्याज प्राप्ति	30076	25343	22119	18429	15806
लाभांश तथा लाभ	9411	7944	6293	5306	8304
विविध सामान्य सेवाएं	3210	2848	2339	2147	1929
विद्युत	2087	1058	665	604	581
दूर संचार	17744	14587	12266	9761	7799
रेलवे वाणिज्य सेवाएं	29521	28518	24255	22374	20038
अन्य संचार सेवाएं	775	1992	1325	1362	9
डाक	1723	1566	1215	1150	1170
पेट्रोलियम	8470	1444	1298	1263	1217
पुलिस	640	542	439	368	421

^Δ इसमें विदेशी अनुदान सहायता और सहायक सामग्री तथा उपस्कर शामिल हैं।

3.3.1 ब्याज प्राप्तियां तथा लाभांश

ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ दोनों को मिलाकर कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का एक तिहाई से अधिक भाग बनता था। पिछले पांच वर्षों में प्राप्तियों की प्रवृत्तियां निम्न प्रकार थी:

तालिका 3.3.1 : ब्याज प्राप्तियों, लाभांशों तथा लाभों की कर-भिन्न राजस्व के साथ तुलना

	ब्याज	(करोड़ रुपयों में)		
		कर-भिन्न राजस्व की प्रतिशतता के रूप में	लाभांश तथा लाभ	कर-भिन्न राजस्व की प्रतिशतता के रूप में
1998-99	30076	27.20	9411	8.51
1997-98	25343	27.37	7944	8.58
1996-97	22119	28.19	6293	8.02
1995-96	18430	26.86	5306	7.73
1994-95	15806	25.12	8304	13.20

सही अर्थों में, ब्याज प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 में 4733 करोड़ रु तक बढ़ गई। ब्याज की 30076 करोड़ रु की कुल प्राप्तियों का लगभग 71 प्रतिशत भाग राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों से वसूल किया गया था।

1998-99 के दौरान 9411 करोड़ रु के कुल लाभांश तथा लाभ में से सा.क्षे.उ. से 2555.86 करोड़ रु का लाभांश था जबकि भा.रि.बैं., जी.बी.नि. राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा आई.डी.बी.आई. से लाभ का हिस्सा क्रमशः 5977.10 करोड़ रु., 235.70 करोड़ रु, 384.19 करोड़ रु तथा 218.51 करोड़ रु था।


1998-99 के दौरान भा.रि.बैं. द्वारा सरकारी लेखाओं को लाभ के अधिशेष के रूप में अंतरित 5977.10 करोड़ रु पूर्ण रूप से लाभ के अधिशेष के कारण नहीं है। इसमें भा.रि.बैं. द्वारा चुकाई गई कुछ देयताएं शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध लाभ का वास्तविक हिस्सा केवल 3000 करोड़ रु राशि का था। 1998-99 में 5977.10 करोड़ रु के अधिशेष लाभ में से 1826.60 करोड़ रु 1997-98 के दौरान 1317 मिलियन यू.एस. डालर के बहिर्गमन पर वि.मु.अ.ले. निक्षेप से संबंधित विनिमय जोखिम देयता को पूरा करने के लिए अंतरित किया गया था ताकि संघ सरकार कोई अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किए बिना हानियों को पूरा कर सके।

इसके अतिरिक्त, भा.रि.बैं. द्वारा अंतरित 5977.10 करोड़ रु के अधिशेष लाभ में सरकार को 1997-98 के दौरान 20000 करोड़ रु की विशेष प्रतिभूतियों का बाजार प्रतिभूतियों में परिवर्तन होने के कारण 1150.50 करोड़ रु के ब्याज अंतर के प्रति किया गया भुगतान भी शामिल है। उपर्युक्त अंतरण को उस ब्याज व्यय में अंतर, जिसको परिवर्तन के परिणामस्वरूप सरकार ने सहन करना था, के लिए सरकार को क्षतिपूरत करने हेतु अभिप्रेत था।

अध्याय IV : व्यय की वृद्धि

4.1 कुल व्यय की प्रवृत्ति

भारत की समेकित निधि में से, ऋण की वापस अदायगी को छोड़कर, राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के सभी व्ययों को निर्दिष्ट करने के लिए इस प्रतिवेदन में 'कुल सवितरण' जिसमें



ऋण की वापस अदायगी तथा लोक लेखा भुगतान सम्मिलित हैं, के प्रति "कुल व्यय" शब्द का प्रयोग किया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, संघ सरकार की समेकित निधि में से ऋण की वापस अदायगी, को छोड़कर, कुल व्यय नीचे दिए गए हैं। 1976-77 से पिछले 23 वर्षों के दौरान संघ सरकार के कुल व्यय के आंकड़े परिशिष्ट III में दिए गए हैं।

तालिका 4.1(i) : संघ सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व			पूंजीगत			कर्जे और पेशगियां			जोड़		कुल जोड़	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
	योजना-गत	योजने-त्तर	जोड़	योजना-गत	योजने-त्तर	जोड़	योजना-गत	योजने-त्तर	जोड़	योजना-गत	योजने-त्तर		
1998-99	40550	259906	300456	8763	16437	25200	17936	28658	46594	67249	305001	372250	21.12
1997-98	35206	242526	277732	10126	10099	20225	16477	18994	35471	61809	271619	333428	21.32
1996-97	31668	194704	226372	7671	8033	15704	15737	13298	29035	55076	216035	271111	21.23
1995-96	29021	169281	198302	5786	11758	17544	12417	12393	24810	47224	193432	240656	21.91
1994-95	28304	149395	177699	10543	8723	19266	12932	10966	23898	51779	169084	220863	23.36

सही अर्थों में 1998-99 के दौरान संघ सरकार के कुल व्यय में 38822 करोड़ रु की वृद्धि हुई जो कि 1997-98 में 333428 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 372250 करोड़ रु हो गया जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1998-99 के दौरान योजनागत व्यय कुल व्यय का 18.07 प्रतिशत था जबकि योजनेत्तर व्यय 81.93 प्रतिशत था। तथापि, योजनागत व्यय, कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में 1997-98 की तुलना में 1998-99 में 0.47 प्रतिशतता अंक तक घट गया।

• स.घ.उ. 1762609 करोड़ रु

योजनागत व्यय, जिसमें से अधिकतर परिसम्पतियों का सृजन होता है/सामाजिक विकास के लिए व्यय का वहन होता है, पिछले पांच वर्षों में घट कर 1994-95 में 23.44 प्रतिशत से 1998-99 में 18.07 प्रतिशत तक हो गया जबकि गैर योजनागत व्यय जो कि अधिकतर स्थापना तथा रखरखाव व्यय को मिलाकर होता है, इसी अवधि में 76.56 प्रतिशत से 81.93 प्रतिशत तक बढ़ गया।

पिछले पांच वर्षों में कुल व्यय में वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि व्यय में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं होने के कारण उधार में ली गई निधियों पर अधिक निर्भरता की आवश्यकता हुई।

1994-95 से पांच वर्षों की अवधि की तुलना में कुल व्यय में 220863 करोड़ रु से 372250 करोड़ रु तक की बढ़ोतरी हुई जिससे 68.54 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि बनी, जबकि उसी अवधि के दौरान निवल राजस्व प्राप्तियों में 64 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। सही शब्दों में, जबकि कुल व्यय में 151387 करोड़ रु तक वृद्धि हुई निवल राजस्व प्राप्तियों में केवल 93219 करोड़ रु तक की वृद्धि हुई जिसमें 1994-95 में उधार ली गई निधियों पर निर्भरता की अपेक्षा लगभग 58168 करोड़ रु तक निधियां उधार लेने की निर्भरता में वृद्धि हुई।

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में व्यय में कमी अधिकांश रूप से पूंजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

संघ सरकार का कुल व्यय 1989-90 से 1993-94 की अवधि के दौरान स.घ.उ. के 25.07 प्रतिशत की औसत से 1994-95 तथा 1998-99 के बीच 21.79 प्रतिशत की औसत तक कम हो गया। यह कमी (i) 1989-94 में परिसम्पत्ति सृजन में व्यय में 5.93 प्रतिशत से 1994-99 में 3.91 प्रतिशत तक की औसत कटौती करके तथा (ii) सरकार द्वारा प्रदान की गई सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 1994-95 से 1998-99 के दौरान क्रमशः 8.59 प्रतिशत से 8.34 प्रतिशत तथा 8.23 प्रतिशत से 6.69 प्रतिशत तक कटौती करके आई।

निवल कुल व्यय तथा निवल राजस्व प्राप्तियों में अन्तर

पिछले पांच वर्षों के दौरान निवल कुल व्यय तथा निवल राजस्व प्राप्तियों में संसाधन अन्तर निम्न प्रकार था:-

तालिका 4.1(ii) : निवल व्यय तथा प्राप्तियां


वर्ष	निवल राजस्व व्यय ^Δ	पूंजीगत व्यय	निवल ऋण तथा अग्रिम	जोड़	निवल राजस्व प्राप्तियां ^Ψ	(करोड़ रुपयों में)	
						निवल कुल व्यय (कालम 5-6)	कालम 7 स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8
1998-99	275791	25200	33404	334395	215224	119171	6.76
1997-98	255286	20225	25875	301386	195853	105533	6.75
1996-97	204827	15704	20339	240870	172173	68697	5.38
1995-96	180291	17544	17811	215646	150560	65086	5.92
1994-95	161416	19266	17391	198073	130387	67686	7.16

^Δ राज्यों को दिया गया संघ उत्पाद शुल्क का भाग शामिल नहीं है।

^Ψ राज्यों का संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा तथा राज्यों को आयकर आबंटन शामिल नहीं है।

1998-99 के दौरान संघ सरकार के निवल कुल व्यय तथा निवल राजस्व प्राप्तियों में 11917 करोड़ रु का अन्तर था परन्तु स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह लगभग उसी स्तर पर रहा। सही अर्थों में, अन्तर पिछले वर्ष से 13638 करोड़ रु से बढ़ गया जो कि मुख्यतः पेशा तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (3176 करोड़ रु), अन्य सामान्य सेवाएं (3454 करोड़ रु) रेल वाणिज्य सेवा कार्यवहन खर्च (1929 करोड़ रु) तथा ब्याज भुगतान (12245 करोड़ रु), इत्यादि के व्ययों में वृद्धि के कारण था जो कुछ अन्य शीर्षों में कम व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ गया।

4.2 कुल व्यय का बटवारा: राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण



पिछले दो दशकों में अनुसूचित वर्गों में कुल व्यय के प्रत्येक अवयव का प्रतिशत भाग व्यय इस प्रकार था:-

तालिका 4.2(i) कुल व्यय का बटवारा

कर्जे तथा पेशगियों सहित पूंजीगत लेखों पर व्यय का हिस्सा पिछले दो दशकों में 15 प्रतिशतता अंकों तक घट गया।

(कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में)

वर्ष	राजस्व	परिसम्पत्ति सृजन	कर्जे एवं पेशगियां	कुल परिसम्पत्ति सृजन + कर्जे एवं पेशगियां
1998-99	80.71	6.77	12.52	19.29
1988-89	74.22	11.01	14.77	25.78
1978-79	65.38	10.35	24.27	34.62

कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय के स्थान पर राजस्व व्यय बढ़ गया।

1979-89 के दशक में कुल व्यय में से पूंजीगत निर्माण के लिए व्यय का प्रतिशत भाग 1978-79 में 10.35 प्रतिशत से 1988-89 में 11.01 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि राजस्व व्यय का भाग 65.38 प्रतिशत से 74.22 प्रतिशत तक बढ़ा।

अगले दशक 1989-99 में राजस्व व्यय में 74.22 प्रतिशत से 80.71 प्रतिशत तक 6.4 प्रतिशत अंश की तेज वृद्धि दर्ज की गई।

दूसरी तरफ पूंजीगत निर्माण पर व्यय उसी अवधि के दौरान 11.01 से 6.77 प्रतिशत तक 4.24 प्रतिशत अंश द्वारा घटा। ऋण तथा पेशगियों के भाग में भी घटने की प्रवृत्ति दर्ज

गई। कुल व्यय में इसका भाग 1978-79 में 24.27 प्रतिशत से 1988-99 में 14.77 प्रतिशत तक घटा तथा आगे 1998-99 में 12.52 प्रतिशत तक घटा।

पिछले दो दशकों तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान चालू तथा विकास घटकों पर सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति निम्न प्रकार दर्शाई गई है:-

तालिका: 4.2 (ii) कुल व्यय का स्वरूप

(प्रतिशतता में)

वर्ष	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1988-89	1978-79
रा.वि.व्य./कु.रा.व्य.	13.50	12.68	13.99	14.63	15.93	14.67	15.24
पू.वि.व्य./कु.पू.व्य.	37.19	47.76	52.32	42.98	54.39	57.38	59.28
कु.रा.व्य. (कु.रा.व्य. + कु.पू.व्य.)	80.71	83.30	83.50	82.40	80.46	74.22	65.38

रा.वि.व्य. = राजस्व विकास व्यय कु.रा.व्य. = कुल राजस्व व्यय

पू.वि.व्य. = पूंजीगत विकास व्यय कु.पू.व्य. = कुल पूंजीगत व्यय

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (कर्जे सहित) दोनों का विकास घटक उसी अवधि में कम हो गया। 1978-99 के दो दशकों की अवधि में राजस्व व्यय का योजनागत घटक 15.24 प्रतिशत से घटकर 13.50 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय का योजनागत घटक उसी अवधि में 59.28 प्रतिशत से गिरकर 37.19 प्रतिशत हो गया।

सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पूंजीगत घटक के विपरीत चालू व्यय को अधिक प्रधानता दी जाती है। चालू व्यय अर्थात् राजस्व व्यय 1978-99 की दो दशकों की अवधि के दौरान 65.38 प्रतिशत की तुलना में कुल व्यय का लगभग 80.71 प्रतिशत समालेता है। चालू व्यय को बढ़ाने के लिए कुछ कारण हैं: (i) आर्थिक सहायताओं की अनियंत्रित वृद्धि (ii) उधारों की वृद्धि के फलस्वरूप ब्याज भुगतान पर भारी व्यय।

चालू व्यय की वृद्धि ने, (i) पूंजीगत व्यय की दर में भारी गिरावट (ii) उच्च ब्याज का साम्राज्य जिससे स्फीतिकारी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, को प्रभावित किया।

राजस्व व्यय की कुछ महत्वपूर्ण मदों पर आगे आने वाले पैरों में चर्चा की गई है।

4.3 सेक्टर संबंधी व्यय

संघ सरकार के लेखाओं में लेन-देन विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए जाते हैं जिन्हें फिर से सेक्टरों में वर्गीकृत किया गया है। व्यय शीर्षों को सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। विशिष्ट कार्यो अथवा सेवाओं को एक सेक्टर में समूहित किया गया है। उदाहरणार्थ, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति तथा सफाई, आवास तथा शहरी विकास आदि को सामाजिक सेवाओं में

समूहित किया गया है। उसी तरह, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग तथा खान, परिवहन, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, पर्यटन, विदेशी व्यापार तथा नागरिक आपूर्ति आदि को आर्थिक सेवाओं में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ, सामान्य सेवाओं में राज्यों के अंगों पर व्यय, माल तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण, राजकोषीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं, रक्षा सेवाएं तथा पेंशन शामिल हैं।

अतः सेक्टर संबंधी वर्गीकरण मोटे तौर पर विशिष्ट कार्यो तथा सेवाओं के समूह पर व्यय को दर्शाता है। राज्य सरकारों को सहायक अनुदान एक पृथक व्यय के ब्लॉक के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि विस्तृत उपयोग संबंधित राज्य सरकारों के लेखाओं में दर्शाया जाता है। इनका राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों सहित पृथक रूप से विश्लेषण किया गया है। परिसंपत्तियों का सृजन करने की बजाय सेवाएं प्रदान करने की गतिविधि में लगे रहना एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है।

उपर्युक्त आधार पर प्रस्तुत व्यय की सैक्टरवार प्रवृत्ति का आगामी पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है।

तालिका 4.3 : संघ सरकार का सेक्टर संबंधी व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र ⁴	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
सामान्य सेवाएं ^v	146968	124635	107335	93934	81208
कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में	39.48	37.38	39.59	39.03	36.77
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	8.34	7.97	8.40	8.55	8.59
समाजिक सेवाएं	15255	12371	10040	8006	6189
कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में	4.10	3.71	3.70	3.33	2.80
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	0.87	0.79	0.78	0.73	0.65
आर्थिक सेवाएं	117946	112540	84293	79165	77861
कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में	31.68	33.75	31.09	32.90	35.25
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	6.69	7.20	6.60	7.21	8.23

⁴ इस वर्गीकरण में विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सं.रा.क्षे. की सरकारों को कर्जों और सहायता अनुदान के कारण राजस्व व्यय जो किसी विशेष समूह के अंतर्गत स्पष्ट रूप से नहीं आते, शामिल नहीं हैं।

^v इस वर्गीकरण में सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्जों तथा विविध कर्जों शामिल हैं।

पांच वर्षों की अवधि के दौरान स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सामान्य सेवाओं पर व्यय 8.59 से 8.27 तक कम हो गया।

सामान्य सेवाएं

सही अर्थों में, सामान्य सेवाओं पर व्यय 1994-95 में 81208 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 146968 करोड़ रु हो गया, जिससे 80.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि की तुलना में सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर वृद्धि क्रमशः 146.49 प्रतिशत तथा 51.48 प्रतिशत थी। कुल व्यय के अनुपात के रूप में, सामान्य सेवाओं पर व्यय का भाग 1994-95 में 36.77 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 39.48 प्रतिशत हो गया लेकिन स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह उसी अवधि में 0.25 प्रतिशतता अंक तक घट गया।

1998-99 के दौरान, सामान्य सेवाओं पर कुल व्यय का 52.99 प्रतिशत ब्याज भुगतान के लिए था जबकि रक्षा सेवाओं पर व्यय 28.06 प्रतिशत था।

सामाजिक सेवाएं

कुल व्यय की तुलना में सामाजिक सेवाओं का भाग 1994-95 में 2.80 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 4.10 प्रतिशत हो गया तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में इसमें 0.65 प्रतिशत से 0.87 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

शिक्षा पर व्यय, जो सामाजिक सेवा का एक प्रमुख अंग है, कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में 1994-95 में 0.95 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 1.57 प्रतिशत हो गया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में भी शिक्षा पर व्यय उसी अवधि में 0.22 प्रतिशत से 0.33 प्रतिशत तक बढ़ गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय 1994-95 में कुल व्यय के 0.42 प्रतिशत से बढ़ कर 1998-99 में 0.50 प्रतिशत हो गया। लेकिन स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह 1994-95 में 0.10 प्रतिशत से घट कर 1997-98 में 0.09 प्रतिशत हो गया तथा 1998-99 में 0.10 प्रतिशत तक बढ़ गया।

आर्थिक सेवाएं

आर्थिक सेवाओं का हिस्सा, जिसमें महत्वपूर्ण संरचना क्षेत्र जैसे सड़कें, कोयला, विद्युत आदि शामिल हैं, 1994-95 में कुल व्यय का 35.25 प्रतिशत से घटकर 1998-99 के दौरान 31.68 प्रतिशत रह गया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह उसी अवधि में 8.23 प्रतिशत से कम हो कर 6.69 प्रतिशत रह गया। पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर व्यय कुल व्यय के संबंध में 2.07 प्रतिशत अंशों तक घटा तथा स.घ.उ. के अनुपात के रूप में यह 0.51 प्रतिशत अंश तक घटा। पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान व्यय में वृद्धि खाद्यान भण्डारण तथा भाण्डागार, विद्युत, उद्योग, रेलवे वाणिज्य लाइनों फसल पालन तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण थी।

4.4 राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण

संघ सरकार राज्यों/ सं.रा.क्षे. को उनके संसाधनों में वृद्धि करने के लिए आयकर तथा संघ उत्पाद शुल्क के भाग के अतिरिक्त अनुदानों तथा ऋणों के रूप में सहायता प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई सहायता निम्न प्रकार थी:-

तालिका 4.4 : राज्यों/ सं.रा.क्षे. को अन्तरण

वर्ष	आय कर का आबंटन	उत्पाद शुल्क का भाग	राज्यों को अन्तरित संघ सरकार द्वारा संग्रहीत कुल कर की प्रतिशतता	अनुदान	ऋण	कुल अन्तरण	कुल (आयकर के भाग को छोड़कर)	कालम 8 की कुल व्यय से प्रतिशतता*	(करोड़ रुपयों में)	
									राज्य सरकारों द्वारा मूलधन तथा ब्याज की वापस अदायगी	राज्यों को शुद्ध अन्तरण (कालम 7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1998-99	14480	24665	27.22	25829	40797	105771	91291	24.52	30718	75053
1997-98	13508	22446	25.83	30452	30461	96867	83359	25.00	24932	71935
1996-97	13516	21545	27.23	23545	24030	82636	69120	25.49	21622	61014
1995-96	11274	18011	26.33	21577	19627	70489	59215	24.61	17791	52698
1994-95	8560	16283	26.92	20297	18807	63947	55387	25.08	15677	48270

संघ सरकार के कुल व्यय का 25 प्रतिशत राज्यों को ' अन्तरण ' था।

राज्यों/सं.रा.क्षे. को संसाधनों का कुल अन्तरण 1994-95 के 63947 करोड़ रु से 1998-99 में 105771 करोड़ रु तक बढ़ गया जिसमें 65.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1998-99 के दौरान संघ सरकार के कुल व्यय का 24.52 प्रतिशत राज्यों को अन्तरण संबंध राज्यों/सं.रा.क्षे. सरकारों की प्राप्ति बनी। यह, राज्यों को आबंटित किए गए आयकर की निवल प्राप्तियों के हिस्से के प्रति 14480 करोड़ रु के अन्तरण के अतिरिक्त था।

वापस अदायगी तथा ब्याज भुगतान से शुद्ध राज्यों/सं.रा.क्षे. को शुद्ध अन्तरण 1994-95 में 48270 करोड़ रु से 1998-99 में 75053 करोड़ रु तक बढ़ा जो कि 55.48 प्रतिशत की वृद्धि बनी।

राज्यों/सं.रा.क्षे. को 23788 करोड़ रु अल्प बचत संग्रहणों में से ऋण के रूप में आबंटित किए


1998-99 के दौरान राज्यों/सं.रा.क्षे. को संवितरित किए गए 40797 करोड़ रु के कुल ऋणों में से 23788 करोड़ रु जो कि इसका 58.31 प्रतिशत भाग बना वह अल्प बचत संग्रहणों का भाग था जो गैर योजनागत योजनाओं के लिए ऋण का भाग था।

उधार ली गई राशि अन्तरण के लिए उपयोग में लाई जा रही है तथा ये अन्तरण, अधिकतर राजस्व व्यय के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं जो राज्य सरकारों की धन वापस करने की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं तथा सारी प्रणाली को जोखिम में डाल रहे हैं।

* कृपया संघ सरकार के कुल व्यय (372250 करोड़ रु) के लिये तालिका 4.1 (i) देखें।

4.5 राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

राजस्व व्यय सरकारी विभागों के दिन प्रतिदिन सामान्य रूप से कार्य करने तथा विभिन्न



सेवाओं, सरकार द्वारा उठाए गए ऋण पर ब्याज प्रभारों, आर्थिक सहायता आदि देने के लिए होता है।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यय, जिससे परिसम्पत्तियों का

सृजन न हो, उसे राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। राज्य सरकारों तथा अन्य किसी को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए हों। पिछले 23 वर्षों का राजस्व व्यय परिशिष्ट III में दर्शाया गया है।

पिछले पांच वर्षों के लिए राजस्व व्यय की प्रवृत्ति निम्नानुसार थी:-

तालिका 4.5 (i) : राजस्व व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर	जोड़	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय
1998-99	40550	259906	300456	22724	17.05	80.71
1997-98	35206	242526	277732	51360	17.76	83.30
1996-97	31668	194704	226372	28070	17.73	83.50
1995-96	29021	169281	198302	20603	18.05	82.40
1994-95	28304	149395	177699	25382	18.79	80.46

पिछले पांच वर्षों में स.घ. उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय तथा ब्याज भुगतान बढ़ गया।

राजस्व व्यय 1997-98 में 277732 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 300456 करोड़ रु हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.18 प्रतिशत की वृद्धि बनी। योजनेतर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 में 7.17 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जबकि योजनागत व्यय में उसी अवधि में 15.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय में 122757 करोड़ रु की वृद्धि दर्ज हुई जो 69.08 प्रतिशत की वृद्धि बनी।

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 1998-99 के दौरान राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 17.76 प्रतिशत से घट कर 17.05 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान संघटक उसी अवधि की तुलना में स.घ.उ. के 4.20 प्रतिशत से बढ़ कर 4.42 प्रतिशत हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान राजस्व व्यय की 22724 करोड़ रु की वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान (12245 करोड़ रु), राज्यों को उत्पाद शुल्क के हिस्से के भुगतान (2219 करोड़ रु), फसलपालन (624 करोड़ रु), उद्योग (1294 करोड़ रु), खाद्य भण्डार तथा

मालगोदाम (1261 करोड़ रु), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (3455 करोड़ रु), पुलिस (723 करोड़ रु), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (3176 करोड़ रु), सामान्य शिक्षा (1320 करोड़ रु) विविध सामान्य सेवाओं (511 करोड़ रु), तथा विद्युत (396 करोड़ रु), पर बढ़े हुए व्यय के कारण थी।

उसी समय, कुछ क्षेत्रों में राजस्व व्यय, पिछले वर्ष की तुलना में घट गया। मुख्य कटौतियां चुनाव (222 करोड़ रु) तथा प्राकृतिक आपदाओं पर राहत (277 करोड़ रु) के कारण थीं।

पिछले पांच वर्षों के लिए राजस्व व्यय के प्रमुख संघटक निम्न प्रकार थे :-

तालिका 4.5 (ii) : राजस्व व्यय के प्रमुख संघटक

(करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
ब्याज भुगतान	77882 (4.42)	65637 (4.20)	59478 (4.66)	50045 (4.56)	44060 (4.66)
प्रशासनिक सेवाएं	8538 (0.48)	7352 (0.47)	5950 (0.47)	4959 (0.45)	4297 (0.45)
पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	13694 (0.78)	10008 (0.64)	7234 (0.57)	6914 (0.63)	5198 (0.55)
रक्षा सेवाएं	31200 (1.77)	27302 (1.75)	21978 (1.72)	19854 (1.81)	17348 (1.83)
सामाजिक सेवाएं	14146 (0.80)	11633 (0.74)	9325 (0.73)	7348 (0.67)	5353 (0.57)
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	15183 (0.86)	12931 (0.83)	10435 (0.82)	9306 (0.85)	8629 (0.91)
ग्रामीण विकास	5175 (0.29)	4914 (0.31)	4448 (0.35)	5643 (0.51)	4163 (0.44)
ऊर्जा	2735 (0.16)	15305 (0.98)	1672 (0.13)	1396 (0.13)	1209 (0.13)
उद्योग तथा खनिज	10339 (0.59)	9126 (0.58)	7992 (0.63)	6259 (0.57)	5563 (0.59)
परिवहन	32378 (1.84)	30938 (1.98)	26222 (2.05)	24056 (2.19)	21839 (2.31)
संचार	21589 (1.22)	17463 (1.12)	14532 (1.14)	11902 (1.01)	9607 (1.02)
सामान्य आर्थिक सेवाएं	8239 (0.47)	4398 (0.28)	5358 (0.42)	4807 (0.44)	8173 (0.86)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	51066 (2.90)	53267 (3.41)	45362 (3.55)	39840 (3.63)	36766 (3.89)

कोष्ठक में दिये गए आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

4.6 ब्याज भुगतान

सरकार लेनदार तथा देनदार, दोनों के रूप में कार्य करती है। संघ सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा सरकारी कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां प्रदान करती है जिस पर वह समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज प्रभारित करती है।

दूसरी ओर, निवल कर्जों तथा पेशगियों और राजस्व प्राप्तियों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के बीच अन्तर को वित्तपोषित करने के लिए संघ सरकार विदेशी उधारों के अतिरिक्त बाजार कर्जों, खजाना बिलों को जारी करने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों, गोल्ड बांडों आदि के माध्यम से उधारों का सहारा लेती है। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमा आदि से बने लोक लेखे, जिसमें सरकार की देयता शामिल होती है, में निवल परिवर्धन को संसाधन के रूप में भी उपयोग करती है। आंतरिक तथा बाहरी ऋणों के शेषों तथा लोक लेखे में शेषों पर ब्याज देय होता है।

नीचे चर्चित ब्याज भुगतान का इस पृष्ठभूमि से विचार किया जाना है कि जबकि सरकार भी उसके द्वारा दिए गए कर्जों पर ब्याज अर्जित करती है, अर्जित किए गए ब्याज को उसी प्रकार से गिना जाता है तथा राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है तथा इसलिए ब्याज भुगतान की सकल राशि, ब्याज का भुगतान करने के लिए देयता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है तथा इसका राजस्व तथा कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है।


1976-77 से राजस्व व्यय में शामिल ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियों में शामिल ब्याज प्राप्तियां परिशिष्ट IV में दर्शाई गई है।

ब्याज भुगतान में वृद्धि राजस्व व्यय की वृद्धि से अधिक थी।

संघ सरकार द्वारा कुल ब्याज भुगतान 1997-98 में 65637 करोड़ रु. से बढ़कर 1998-99 में 77882 करोड़ रु. हो गए जिससे 18.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान में यह वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण, बाहरी ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज का अधिक भुगतान करने के कारण, बहुत अधिक थी।

1998-99 के दौरान कुल ब्याज भुगतान, आंतरिक ऋण पर 39832 करोड़ रु, बाह्य ऋण पर 4364 करोड़ रु, लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर 30584 करोड़ रु, आरक्षी निधि पर 444 करोड़ रु तथा अन्य दायित्वों पर 2658 करोड़ रु हुआ।

1978-79 से 1998-99 तक के ब्याज भुगतानों में वृद्धि नीचे ग्राफीय रूप में दर्शाई गई है :



4.6.1 विभिन्न लेखाओं पर ब्याज भुगतान की वृद्धि की दर

हर पांच वर्षों में ब्याज भुगतान लगभग दुगुना हुआ है।

जैसा कि परिशिष्ट-IV से देखा जा सकता है, जबकि 1978-79 से 1998-99 के दो दशकों के दौरान समग्र ब्याज भुगतान में 43 गुणा की वृद्धि हुई, लेकिन आंतरिक ऋण पर ब्याज में लगभग 45 गुणा, बाहरी ऋण पर 19 गुणा तथा लघु बचतों तथा भविष्य निधियों आदि पर 47 गुणा की वृद्धि हुई। हर पांच वर्षों में ब्याज भार लगभग दुगुने के आस पास हो गया था।

सही शब्दों में 1986-87 के बाद कुल ब्याज भुगतान में वृद्धि अति महत्वपूर्ण है।

4.6.1.1 औसत ब्याज दर में वृद्धि

ब्याज की औसत दर में वृद्धि से ब्याज भुगतान में अधिक तेज वृद्धि हुई।

संघ सरकार की ऋणग्रस्तता की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस प्रतिवेदन के अध्याय VII में यह विश्लेषण किया गया है कि 1978-79 से 1998-99 की अवधि में आंतरिक तथा बाहरी ऋण, लघु बचतों, भविष्य निधियों, जमा आदि की कुल देयता में लगभग 20 गुणा तक वृद्धि हुई है, ब्याज भुगतान में 43 गुणा वृद्धि के लिए मुख्यतः उधार ली गई निधियों पर ब्याज की ऊंची दर, जो उसी अवधि के दौरान लगभग 4.21 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 8.73 प्रतिशत हो गई, को आरोपित किया गया है। ब्याज की दर में अधिकांश वृद्धि, आंतरिक उधारों, लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधि आदि पर थी।

लगभग समस्त उधार ली गई निधियां ब्याज भुगतान के लिए उपयोग में लाई गई हैं।

परिशिष्ट V से यह भी देखा जा सकता है कि 1978-79 में ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे अर्थात् उधार ली गई निधियों का 30.54 प्रतिशत बना जिसमें 1998-99 में 68.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह 1978-79 में 1.76 प्रतिशत से 1998-99 में 4.42 प्रतिशत तक बढ़ गया।

तालिका 4.6.1.1 : ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ब्याज भुगतान	कुल राजस्व व्यय की %तता	कुल राजस्व प्राप्तियों की %तता*	स.घ.उ. की %तता
1998-99	77882	25.92	32.47	4.42
1997-98	65637	23.63	30.07	4.20
1996-97	59478	26.27	30.70	4.66
1995-96	50045	25.24	29.69	4.56
1994-95	44060	24.79	30.04	4.66

अकेला ब्याज भुगतान ही निवल कर राजस्व का 75 प्रतिशत अवशोषित करता है।

इस प्रकार, ब्याज अदायगियां राजस्व व्यय का 26 प्रतिशत बनाते हुए तथा संघ सरकार के निवल कर राजस्व (अर्थात आय कर तथा उत्पाद शुल्क के राज्य के हिस्से को छोड़कर) के 74.42 प्रतिशत को अवशोषित करते हुए प्रमुख महत्व की हैं। वे वर्तमान में स.घ.उ. का लगभग 4.42 प्रतिशत बनते हैं जो रक्षा सेवाओं के कुल व्यय से अधिक (स.घ.उ. का 2.34 प्रतिशत) तथा राज्यों/सं.रा.क्षे. को किए गए संसाधनों के निवल अंतरण (स.घ.उ. का 4.26 प्रतिशत) के लगभग है।

4.7 सहायता अनुदान

राजस्व व्यय के एक महत्वपूर्ण संघटक में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य को सहायता अनुदान देना शामिल है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों तथा सं.रा.क्षे. को दिए गए सहायता अनुदान निम्न प्रकार थे :

तालिका 4.7: राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राज्य				सं.रा.क्षे.				कुल जोड़	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में
	योजनागत योजनाएं	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं अन्य	योजनेत्तर अनुदान	जोड़	योजनागत योजनाएं	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं अन्य	योजनेत्तर अनुदान	जोड़		
1998-99	12808	7708	4565	25081	202	51	495	748	25829	8.60
1997-98	11462	6710	11566	29738	168	37	509	714	30452	11.00
1996-97	10276	6775	6106	23157	153	46	189	388	23545	10.40
1995-96	8505	6768	6014	21287	147	49	94	290	21577	10.88
1994-95	10754	6880	2413	20047	118	43	89	250	20297	11.42

* 1998-99 के लिए राज्यों को आबंटित निगम कर के अतिरिक्त 239889 करोड़ रु की आय पर करों की निवल आय के हिस्से को छोड़ कर।

राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राज्यों/स.रा.क्षे.को दिए गए अनुदान पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक हो गए।

राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राज्यों तथा सं.रा.क्षे. सरकारों को दिए गए अनुदान 1997-98 में 11.00 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 8.60 प्रतिशत हो गए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, संघ सरकार द्वारा सांविधिक निकायों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को भी अनुदान जारी किए जाते हैं। इन निकायों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत टिप्पणियां 'अन्य स्वायत्त निकायों' पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2000 के प्रतिवेदन सं.4 में तथा वैज्ञानिक विभागों पर 2000 के प्रतिवेदन सं. 5 में अंतर्विष्ट हैं।

4.8 उपयोग प्रमाणपत्र

अनुदानों के उपयोग प्रमाणपत्र सम्बद्ध मंत्रालय अथवा विभाग में संस्वीकृतिदाता प्राधिकारियों द्वारा लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे तथा जहां अनुदान सशर्त जारी किए गए थे वहां निर्धारित शर्तें पूरी की गई थीं।

सितम्बर 1997 तक जारी किए गए तथा मार्च 1999 के अन्त तक प्राप्य अनुदानों के संबंध में 25 मंत्रालयों /विभागों से मार्च 1999 तक 7676.29 करोड़ रु से संबन्धित 31858 उपयोग प्रमाण पत्र बकाया थे जैसा कि परिशिष्ट VI में दिया गया है। परिशिष्ट से देखने पर पता चलेगा कि 22 वर्ष तक के उपयोग प्रमाणपत्र बकाया थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा पर्यावरण एवं वन तथा समुद्री विकास मंत्रालयों/विभागों ने बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों के बारे में सूचना नहीं भेजी।

7676.29 करोड़ रु के भारी संख्या में उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने पर भी निम्नलिखित मंत्रालयों ने पिछले वर्षों में जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण पत्रों के लिए दबाव डाले बिना 1998-99 के दौरान ऐसे चूककर्ता सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को 249.32 करोड़ रु के नए अनुदान जारी किये:-

22 वर्ष पहले तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में, उ.प्र.प्रतीक्षित थे।

तालिका 4.8: अनुदानों का नया निर्गम

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	31.03.99 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	पिछले वर्ष के उ.प्र. प्राप्त किए बिना 1998-99 के दौरान जारी किये गए अनुदानों की राशि
1.	कृषि एवं सहकारिता	355	116.68	64.21
2.	उर्वरक	23	15.25	10.00
3.	सांख्यिकी	01	0.10	1.25
4.	भूतल परिवहन	02	0.17	0.40
5.	वाणिज्य एवं कपड़ा	648	19.77	5.89
6.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	02	3.56	11.49
7.	अन्तरिक्ष	273	5.15	2.82
8.	शहरी मामले तथा रोजगार	528	294.63	153.23
9.	लघु उद्योग एवं एग्री ग्रामोद्योग	29	0.87	0.03
	जोड़			249.32

इससे पता चलता है कि सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को अनुदान जारी करने वाले प्राधिकारियों ने इस बात को सुनिश्चित किए बिना कि पहले दिए गए अनुदानों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया था जिनके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, नए अनुदान जारी किए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, विधि, न्याय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इस्पात तथा खान, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों/विभागों ने पिछले वर्षों के बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के बावजूद 1998-99 के दौरान जारी किये गए अनुदानों के बारे में सूचना नहीं भेजी।

4.9 पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

पूंजीगत व्यय मोटे तौर पर महत्वपूर्ण एवं स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियां बढ़ाने के उद्देश्य से उपगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिसम्पत्तियां संस्थाओं अथवा वाणिज्यिक उपक्रमों (अर्थात् सा.क्षे.उ. तथा निगम) में निवेश किए गए धन तथा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, विदेशी सरकारों आदि को दिए गए ऋणों एवं पेशगियों से उद्भूत होती हैं। लेखाओं में दर्ज किया गया पूंजीगत व्यय, वसूलियों/राजस्वों तथा विभिन्न रिज़र्वों तथा विकास निधियों से किए गए व्यय का अन्तर है।

पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी :

तालिका 4.9 (i) : पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	पूंजीगत व्यय			पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
	योजनागत	योजनेत्तर	जोड़			
1998-99	8763	16437	25200	24.60	6.77	1.43
1997-98	10126	10099	20225	28.79	6.06	1.29
1996-97	7671	8033	15704	(-) 10.49	5.79	1.23
1995-96	5786	11758	17544	(-) 8.94	7.29	1.60
1994-95	10543	8723	19266	(-) 21.84	8.72	2.04

संघ सरकार का पूंजीगत व्यय जैसा कि वित्त लेखाओं में अंकित किया गया था, 1997-98 में 20225 करोड़ रु से बढ़ कर 1998-99 में 25200 करोड़ रु हो गया जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 24.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय की तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 0.71 तथा 0.14 प्रतिशतता अंकों की वृद्धि हुई। पूर्व वर्ष की तुलना में, 1998-99 के दौरान योजनेतर पूंजीगत व्यय 62.76 प्रतिशत बढ़ गया जबकि योजनागत पूंजीगत व्यय 13.46 प्रतिशत तक गिर गया। सही अर्थों में पूंजीगत व्यय 4975 करोड़ रु बढ़ गया। पूंजीगत व्यय में ज्यादातर वृद्धि मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं (279 करोड़ रु), आवास (99 करोड़ रु), इंजीनियरिंग उद्योग (41 करोड़ रु) रेलवे वाणिज्यिक लाइनों (195 करोड़ रु) पुलिस (52 करोड़ रु) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (30 करोड़ रु) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (15 करोड़ रु) शहरी विकास (64 करोड़ रु) अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि. व.का कल्याण (188 करोड़ रु) मत्स्य (30 करोड़ रु) गैरपरम्परागत ऊर्जा (297 करोड़ रु) नौपरिवहन (75 करोड़ रु) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान (46 करोड़ रु) आन्तरिक अनुसंधान (40 करोड़ रु) तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश (7480 करोड़ रु) थी।

पांच वर्षों की अवधि में योजनागत व्यय 16.88 प्रतिशत कम हो गया जबकि योजनेत्तर व्यय 88.43 प्रतिशत बढ़ गया। उसी अवधि में समग्र पूंजीगत व्यय में 30.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1998-99 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय में 14041 करोड़ रु सम्मिलित नहीं थे जिसे वसूलियों/राजस्वों तथा विभिन्न रिज़र्वों तथा विकास निधियों से पूरा किया गया था।

प्रमुख पूंजीगत व्यय

पिछले पांच वर्षों का प्रमुख पूंजीगत व्यय निम्न प्रकार से था:-

तालिका 4.9(ii) : प्रमुख पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
सड़कें तथा पुल	1650 (0.09)	1676 (0.11)	1157 (0.09)	829 (0.08)	928 (0.10)
विद्युत परियोजनाएं	2141 (0.12)	1862 (0.12)	1041 (0.08)	1038 (0.09)	1549 (0.16)
पैट्रोलियम	-- --	-- --	74 (0.006)	1035 (0.09)	529 (0.06)
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	(-) 2099 [-] (0.12)	2637 (0.17)	(-) 2 [-] (0.0002)	(-) 656 [-] (0.06)	4865 (0.51)
रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	2183 (0.12)	1988 (0.13)	1463 (0.11)	1140 (0.10)	1145 (0.12)
लोक निर्माण कार्य	214 (0.01)	204 (0.01)	234 (0.02)	197 (0.02)	298 (0.03)
रक्षा	10036 (0.57)	9103 (0.58)	8508 (0.67)	8015 (0.71)	6819 (0.72)
आवास	410 (0.02)	311 (0.02)	249 (0.02)	255 (0.02)	199 (0.02)
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	253 (0.01)	300 (0.02)	300 (0.02)	330 (0.03)	260 (0.03)
परमाणु ऊर्जा	354 (0.02)	415 (0.03)	407 (0.03)	445 (0.04)	469 (0.05)
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	7480 (0.42)	(-) 326 [-] (0.02)	327 (0.03)	2914 (0.27)	45 (0.005)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में हैं।)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सही अर्थों में सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत व्यय 1994-95 में 928 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 1650 करोड़ रु हो गया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, यह भी उसी अवधि के दौरान 0.10 प्रतिशत से घट कर 0.09 प्रतिशत हो गया।

विद्युत परियोजनाओं में, पूंजीगत व्यय 1994-95 में 1549 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 2141 करोड़ रु हो गया तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में उसी अवधि की तुलना में 0.04 प्रतिशतता अंकों की कमी हुई।

1998-99 के दौरान, सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर व्यय, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश शामिल है, नकारात्मक था। नकारात्मक व्यय का एक कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों की संचित हानि को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी निवेश की 2574 करोड़ रु की कटौती थी।

रेलवे वाणिज्यिक लाईनों में पूंजीगत व्यय 1994-95 में 1145 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 2183 करोड़ रु हो गया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में उसी अवधि में यह 0.12 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

रक्षा के क्षेत्र में, पूंजीगत व्यय 1994-95 में 6819 करोड़ रु से बढ़ कर 1998-99 में 10036 करोड़ रु हो गया तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में उसी अवधि में 0.15 प्रतिशतता अंकों की कमी हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश में पूंजीगत व्यय में 1994-95 में 45 करोड़ रु से 1998-99 में 7480 करोड़ रु की वृद्धि हुई। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह उसी अवधि में 0.005 प्रतिशत से बढ़कर 0.42 प्रतिशत हो गया।

पूंजीगत व्यय की कुछ मदों का विश्लेषण अगले पैराग्राफों में किया गया है।

4.10 निवेश तथा प्रतिफल

1994-95 से 1998-99 के दौरान, सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि में किए गए निवेशों तथा प्राप्त किये गये लाभांशों के ब्यौरे परिशिष्ट VII में दिए गए हैं।

4.10.1 कुल प्रगामी निवेश

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों आदि में सरकार का कुल प्रगामी निवेश (भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर) 31 मार्च 1998 को 83772.33 करोड़ रु से बढ़कर 31 मार्च 1999 को 86196.52 करोड़ रु हो गया।

4.10.2 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों से प्राप्त लाभांश

संघ सरकार ने 244 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में 60098.78 करोड़ रु के कुल निवेश के प्रति 1998-99 के दौरान 2383.57 करोड़ रु का लाभांश प्राप्त किया, जो कि 31 मार्च 1999 तक के निवेश का केवल 3.97 प्रतिशत था। 244 सा.क्षे.उ. में से 77 ने संघ सरकार को इक्विटी के 0.04 तथा 131.76 प्रतिशत के बीच लाभांश का भुगतान किया। लाभांश के प्रमुख अशदाता तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (343 करोड़ रु) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (504 करोड़ रु) गैस अथॉरिटी आफ इंडिया (163 करोड़ रु) इण्डियन ऑयल (177 करोड़ रु) केन्द्रीय भाण्डागार निगम (55 करोड़ रु) इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स लि. (59 करोड़ रु) नेशनल फर्टीलाइजर्स लि. (50 करोड़ रु) विद्युत वित्त निगम (91 करोड़ रु) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (58 करोड़ रु) तथा भारत पेट्रोलियम (50 करोड़ रु) है।

इसके अलावा, जैसाकि पैराग्राफ 3.3.1 में स्पष्ट किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1998-99 के दौरान 5977.10 करोड़ रु का लाभांश प्रदान किया।

244 सा.क्षे.उ. में 60099 करोड़ रु के कुल निवेश के प्रति लाभांश में प्राप्त केवल 3.97 प्रतिशत थी।

31 मार्च 1999 तक लाभांश का भुगतान करने वाले सा.क्षे.उ. की मंत्रालय/विभागवार संख्या निम्न प्रकार है:-

तालिका: 4.10.2 लाभांश का भुगतान करने वाले सा.क्षे.उ. की क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. की संख्या	लाभांश का भुगतान करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2	शून्य
2.	इस्पात	16	9
3.	नागर विमानन एवं पर्यटन	5	2
4.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3	1
5.	गृह	16	3
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	2
7.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	14	12
8.	कृषि	13	3
9.	रसायन एवं उर्वरक	19	6
10.	वाणिज्य	8	4
11.	संचार	5	4
12.	रक्षा	8	7
13.	इलेक्ट्रॉनिक	3	1
14.	ऊर्जा	13	6
15.	पर्यावरण एवं वन	3	1
16.	वित्त	2	शून्य
17.	खाद्य प्रसंस्करण	2	1
18.	मानव संसाधन विकास	1	1
19.	उद्योग	50	3
20.	सूचना एवं प्रसारण	2	2
21.	योजना	2	शून्य
22.	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार	3	शून्य
23.	रेलवे	10	शून्य
24.	अंतरिक्ष	1	1
25.	भूतल परिवहन	10	2
26.	वस्त्र	10	2
27.	शहरी मामले एवं रोजगार	4	शून्य
28.	जल संसाधन	3	1
29.	कल्याण	8	1
30.	परमाणु ऊर्जा	5	2
	जोड़	244	77

4.10.3 सा.क्षे.उ. के द्वारा निर्देशों का पालन न करना

17 सा.क्षे.उ. ने सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए 261 करोड़ रु के लाभांश का भुगतान नहीं किया।

कर-पश्चात् लाभ दर्ज करने वाले सा.क्षे.उ. को उनके कर-पश्चात् लाभ का 20 प्रतिशत लाभांश के रूप में देना अपेक्षित होता है। सत्रह सा.क्षे.उ., जिन्होंने 1997-98 में मिलकर 1303.49 करोड़ रु का कर-पश्चात् लाभ दर्ज किया जैसा कि परिशिष्ट VIII में दर्शाया गया है, ने सरकार के निर्देशों के अनुपालन में 260.70 करोड़ रु के लाभांश का भुगतान नहीं किया।

नेवेली लिग्नाईट निगम लि., भारतीय रेलवे वित्त निगम लि., इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लि., भारतीय कंटेनर निगम लि., रेल इण्डिया टेक्नीकल एंड इकनोमिक सर्विसिज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली, भारतीय कपास निगम तथा भारतीय परमाणु निगम लि., मुम्बई के संबंध में भी लाभांश का भुगतान न करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1999 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 7.2.3 में उल्लेख किया गया था।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि इन सा.क्षे.उ. के निदेशक-बोर्ड के सरकारी नामिती यह सुनिश्चित नहीं कर रहे थे कि सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश की एक न्यूनतम राशि उसे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त अपने अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रभावी कार्यवाही नहीं की।

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, जो कि नि.म.ले.प. के क्षेत्राधिकार में हैं, में निवेशों तथा प्रतिफलों पर विस्तृत टिप्पणियां, लोक उद्यमों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

4.10.4 राज्य सहकारी बैंकों आदि से लाभांश

1998-99 में राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों, औद्योगिक विकास बैंक तथा रिज़र्व बैंक को छोड़कर) में 2232 करोड़ रु के निवेश पर 41 करोड़ रु का कुल लाभांश 1997-98 में 1.58 प्रतिशत की तुलना में 1.85 प्रतिशत था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जिनमें 1998-99 तक 694 करोड़ रु (कमशः 550 करोड़ रु तथा 144 करोड़ रु) का निवेश किया गया था, ने भी किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया।

4.11 राष्ट्रीयकृत बैंकों को पुनः पूंजीकरण सहायता

19 राष्ट्रीयकृत बैंक (रा.बैं.) ऐसे हैं जिनमें 31 मार्च 1999 को शेयर पूंजी के रूप में संघ सरकार का निवेश 13672.62 करोड़ रु था। पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी निवेश निम्न प्रकार से था:-

तालिका 4.11 (i): राष्ट्रीयकृत बैंकों को पुनः पूंजीकरण सहायता

(करोड़ रु में)

वर्ष	31 मार्च को रा.बैं.में निवेश	वर्ष के दौरान निवेश	प्राप्त लाभांश	कुल निवेश के प्रति लाभांश की प्रतिशतता	31 मार्च को संघ सरकार द्वारा रा.बैं. को जारी प्रतिभूतियां	सरकार द्वारा दिया गया ब्याज
1	2	3	4	5	6	7
1998-99	13672.62	400.00	384.19	2.81	19112.61	1277.99
1997-98	15846.36	2700.15	314.52	1.98	18712.61	1538.40
1996-97	13146.21	1509.00	209.77	1.60	16150.94	1408.04
1995-96	13673.68	850.00	104.15	0.76	15147.43	1342.09
1994-95	14753.73	4362.94	14.35	0.10	14297.44	631.79

सरकार ने विशेष प्रतिभूतियों पर बैंकों को 1278 करोड़ रु का ब्याज दिया परन्तु उनसे प्राप्त लाभांश केवल 384 करोड़ रु था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में संघ सरकार का निवेश 1994-95 में 14753.73 करोड़ रु से 7.91 प्रतिशत घट कर 1998-99 में 13672.62 करोड़ रु हो गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभांश के रूप में सरकार को मिलने वाले प्रतिफल 1995-96 तक कुल निवेश का 1 प्रतिशत से कम था जो कि 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान बढ़कर क्रमशः 1.60, 1.98 तथा 2.81 प्रतिशत हो गया। सरकार ने 1998-99 के दौरान बैंकों द्वारा निवेश की गई 19112.61 करोड़ रु की कुल प्रतिभूतियों पर 1277.99 करोड़ रु का ब्याज दिया जो कि 6.69 प्रतिशत बनता था।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर भारि.बैं. की रिपोर्ट (1998-99) के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित निवल लाभ निम्न प्रकार से था:-

तालिका 4.11 (ii) : राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निवल लाभ

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	पुनः पूंजीकरण बंधपत्र पर ब्याज आय के समायोजन से पूर्व निवल लाभ	पुनः पूंजीकरण बंधपत्र पर ब्याज आय के समायोजन के पश्चात् निवल लाभ
1998-99	1792.43	(-) 167.43
1997-98	2569.90	867.97

यह देखा जाएगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की आय का भारी भाग पुनःपूंजीकरण बंधपत्र पर उनके द्वारा अर्जित ब्याज से उत्पन्न हो रहा है। जबकि 1997-98 में, इस ब्याज आय का 1998-99 में समायोजन करने से पहले यह उनके निवल लाभ का 66 प्रतिशत बनता था, यदि पुनःपूंजीकरण बंधपत्र पर ब्याज आय को समायोजित किया होता तो 167.43 करोड़ रु की हानि हो गई होती।

अप्रैल 1992 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आय पहचान, परिसम्पत्ति वर्गीकरण, क्रियाहीन परिसम्पत्तियों तथा निवेशों पर द्यास के लिए प्रबंध आवश्यकताओं के संबंध में एक विवेकपूर्ण मानक प्रारम्भ किया जिसका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसरण किया जाना था। उक्त मानक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात की पूंजी की एक निर्धारित दर प्राप्त करनी थी। विदेशी ब्रांचों वाले बैंकों ने मार्च 1995 तक तथा अन्य बैंकों ने मार्च

1996 तक 8 प्रतिशत जो.प.अ.पूं. प्राप्त करनी थी। मार्च 2000 तक बैंकों ने 9 प्रतिशत तक जो.प.अ.पूं. प्राप्त करनी है। चूंकि अधिकतर सा.क्षे.बैं. ने आय मान्यता आदि के उपर्युक्त मानक के कारण हानियां बतानी शुरू कर दी थीं, अतः उनके लिए जो.प.अ.पूं. के निर्धारित स्तर को प्राप्त करना सम्भव नहीं था क्योंकि पूंजी की गणना करते समय, बैंकों द्वारा उठाई गई हानियां घटा दी गई थी। बैंकों को निर्धारित जो.प.अ.पूं. प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए बैंकों की संचित हानियां, बैंकों में सरकारी निवेश को अवलोकित करके बट्टे खाते डाल दी गई थीं तथा नई पूंजी प्रदान की गई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की बट्टे खाते डाली गई अद्यतन हानियां तथा विवेकपूर्ण मानक प्रारम्भ करने के पश्चात् प्रदान की गई नई पूंजी निम्न प्रकार से थी :-

तालिका 4.11 (iii) : शेयर पूंजी में निवेश तथा बट्टेखाते डाली गई हानियां

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान निवेश	बट्टे खाते डाली गई हानियां	उन बैंकों के नाम जिनमें पूंजी निवेश अंकित किया गया
1998-99	400.00	2573.74	बैंक आफ महाराष्ट्र (418.18 करोड़ रु) सिंडिकेट बैंक (942.62 करोड़ रु) आन्ध्र बैंक (243.37 करोड़ रु) केनरा बैंक (507.10 करोड़ रु) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (462.47 करोड़ रु)
1997-98	2700.00	--	-
1996-97	1509.00	1532.00	इलाहाबाद बैंक (532 करोड़ रु) इण्डियन ओवरसीज बैंक (1000 करोड़ रु)
1995-96	850.00	1506.21	बैंक ऑफ इण्डिया (1369.92 करोड़ रु) देना बैंक (136.29 करोड़ रु)
1994-95	4362.94	425.23	पंजाब नैशनल बैंक
1993-94	5700.00	शून्य	--
जोड़	15521.94	6037.18	

सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में 1993-94 से कुल 15521.94 करोड़ रु का निवेश किया था। उसने उसी अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की हानियों के समायोजन हेतु उसकी अभिदत्त शेयर पूंजी के 6037.18 करोड़ रु भी अवलेखित किए हैं।

1993-94 से 1998-99 के दौरान अभिदत्त/अवलेखित पूंजी के बैंक-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी परिशिष्ट IX में दी गई है।

परिशिष्ट IX से पता चलता है कि 1993-94 से 1998-99 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, यूनाइड बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डियन बैंक में क्रमशः 564.19 करोड़ रु 1764.52 करोड़ रु 1447.87 करोड़ रु तथा 2300.96 करोड़ रु का निवेश किया गया है। इतनी भारी राशि की पुनः पूंजीकरण सहायता के बावजूद 1998-99 के दौरान इण्डियन बैंक को छोड़कर इन बैंकों की जो.प.अ.यू. 10 प्रतिशत के स्तर से कम थी। 1998-99 के दौरान इण्डियन बैंक की जो.प.अ.यू. ऋणात्मक थी।

सरकार से नियमित निधियन के बावजूद ये बैंक उन पर लक्षित जो.प.अ.यू. को प्राप्त नहीं कर पाये है।

यह समायोजन एक ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार में सरकारी अंशदान को कम करता है तथा दूसरी ओर सरकार को पुनः पूंजीकरण सहायता के रूप में और पूंजी लगानी पड़ी। इस योजना के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहले किया गया निवेश समाप्त हो गया तथा इसके अतिरिक्त पुनः पूंजीकरण बंधपत्रों के प्रति ब्याज के भुगतान पर सरकार की देयता बढ़ गई तथा लाभांशों के रूप में कम प्रतिफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार, संघ सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के घटिया निष्पादन की लागत को सहना पड़ा।

वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में किए गए निवेश तथा उन्हें जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के बीच अन्तर तथा कुल निवेश तथा कुल बकाया विशेष प्रतिभूतियों के बीच के अंतर की भी इस प्रतिवेदन के अध्याय VIII में चर्चा की गई है।

4.12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः पूंजीकरण सहायता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण वित्तीय विकास का एक अनिवार्य भाग हैं। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।

संघ सरकार का 31 मार्च 1999 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल अद्यतन निवेश 1024.22 करोड़ रु था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीगत आधार को मज़बूत करने के लिए, संघ सरकार बजटीय आबंटनों से पूंजी जारी कर रही है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश की गई पूंजी निम्न प्रकार से थी:-

तालिका 4.12: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः पूंजीकरण सहायता

(करोड़ रु में)

वर्ष	वर्ष के दौरान निवेश	अद्यतन कुल निवेश	प्राप्त लाभांश
1998-99	152.65	1024.22	--
1997-98	200.00	871.57	--
1996-97	200.00	671.57	--
1995-96	244.57	471.57	--
1994-95	155.00	227.00	--
1993-94	3.25	72.00	--

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अत्यधिक निवेश के बावजूद, सरकार को उनके प्रारम्भ से ही कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्याय V : राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन: घाटा

5.1 सरकारी लेखाओं में घाटा

सरकारी लेखाओं में घाटे को कई रूपों में परिभाषित किया गया है तथा प्रत्येक रूप सरकार के बजटीय, आर्थिक अथवा मुद्रा संबंधी नीति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। ये, लोक व्यय अथवा प्राप्तियों के विशिष्ट घटकों को शामिल करके या छोड़कर विभिन्न तरीकों से परिकलित किए जाते हैं। वार्षिक बजट में तीन प्रकार के घाटे, जिनके नाम राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्रारंभिक घाटा हैं, दर्शाए जाते हैं जबकि मुद्राकृत घाटा सरकारी ऋण की भारि.बैं. की धारिताओं में हुई वृद्धि एवं सरकार द्वारा भारि.बैं. के पास इसके नकद शेष के किसी आहरण के योग द्वारा परिकलित किया जाता है।

बजटीय घाटे की धारणा, अप्रैल 1997 से तदर्थ खजाना बिलों के बन्द होने के पश्चात् निरर्थक हो गई है, जो कि पहले सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अस्थायी अन्तर को पूरा करने के लिए स्रोत के रूप में काम करती थी। इस प्रणाली को अर्थोपाय पेशगियों से बदल दिया गया है। संघ सरकार ने अप्रैल 1997 से नकद शेष को पूरा करने के लिए तदर्थ खजाना बिल जारी करने की प्रथा को बन्द करने के संबंध में मार्च 1997 में भारि.बैं. से एक अनुबंध किया है। भारि.बैं. संघ सरकार को, यदि आवश्यक हो तो अर्थोपाय पेशगियां देता है। अनुबंध में यह निर्धारित था कि 31 मार्च 1997 को बकाया तदर्थ खजाना बिल 1 अप्रैल 1997 को परिपक्वता की किसी निर्धारित तिथि के बिना 4.6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर विशेष प्रतिभूतियों में निधिबद्ध किए जाएंगे। 31 मार्च 1997 को बकाया टैप खजाना बिलों का 4.6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर परिपक्वता की किसी निर्धारित तिथि के बिना विशेष प्रतिभूतियों के समान सृजन के साथ परिपक्वता पर भुगतान किया जाएगा।

अर्थोपाय पेशगियों के माध्यम से संघ सरकार की उधारों के विषय में इस प्रतिवेदन के अध्याय VII में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

1976-77 से संघ सरकार के लेखाओं में विभिन्न प्रकार के घाटे परिशिष्ट X में दर्शाए गए हैं जिन्हें पिछले दो दशकों में ग्राफ माध्यम से नीचे दर्शाया गया है :-



1998-99 के दौरान घाटे का ब्यौरा निम्न प्रकार से था:

तालिका 5.1 : सरकारी लेखाओं में घाटे

(करोड़ रुपयों में)

समेकित निधि					
प्राप्ति	राशि			संवितरण	राशि
राजस्व	239889	राजस्व घाटा : 60567		राजस्व	300456
विविध पूंजीगत प्राप्तियां (अनिवेश सहित)	5874			पूंजीगत	25200
ऋण एवं पेशगियों की वसूली	13189			ऋण एवं पेशगियां संवितरण	46594
उप जोड़: भा.स.नि. (लोक ऋण को छोड़कर)	258952	राजकोपीय घाटा	113298		372250
लोक ऋण	395297			लोक ऋण पुनर्भुगतान	322679
जोड़ (भा.स.नि.)	654249	क:भा.स.नि. में घाटा	40680		694929
		ख: आकस्मिक निधि			27 *
लोक लेखा					
लघु बचत भविष्य निधि आदि	94407			लघु बचत भविष्य निधि आदि	53011
जमा तथा पेशगियां ♦	45055			जमा तथा पेशगियां	43424
आरक्षित निधियां ^	14730			आरक्षित निधियां	17006
उचन्त एवं विविध ϕ	5038			उचन्त एवं विविध	4749
प्रेषण ψ	588			प्रेषण	685
कुल लोक लेखा	159818	ग: लोक लेखे में अधिशेष: 40943			118875
नकद शेष में वृद्धि [ग - (क + ख)]=236					

टिप्पणी: ऊपर दिए गए आंकड़ों में भारत की समेकित निधि से बाहर राज्यों को लेखांकन तथा लघु बचत के प्रवाह की तुलना में संघीय बजट 1999-2000 में शामिल परिवर्तनों को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

- ♦ इसमें प्रतिभूति जमा, रेलवे के जमा, दूरभाष आवेदन जमा, डाक जमा, वन पेशगियां, विभागीय पेशगियां आदि शामिल हैं।
- ^ इसमें मूल्यव्हास आरक्षित निधियां-रेलवे, राजस्व आरक्षित निधियां-रेलवे, चीनी विकास निधि, खनन कल्याण निधि, राष्ट्रीय नवीकरण निधि आदि शामिल हैं।
- ϕ इसमें भुगतान एवं लेखा कार्यालय उचन्त, उचन्त लेखा डा. व ता., रक्षा, रेलवे तथा दूरसंचार, सिक्का ढलाई लेखे, चैक तथा बिल आदि जैसे लेखाओं में अंतिम समायोजनों हेतु प्रतीक्षित लेखे शामिल हैं।
- ψ इसमें मार्गस्थ धन जैसे धन आदेश, भा.रि.बैं., प्रेषण, लघु सिक्का डिपो प्रेषण, टकसाल प्रेषण आदि शामिल हैं।
- * 1998-99 के दौरान किया गया 27 करोड़ रु का व्यय आकस्मिक निधि को लौटाया नहीं गया।

5.2 राजस्व घाटा

राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों में राजस्व घाटे की प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी:

तालिका 5.2 राजस्व घाटा

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक		वास्तविक राजस्व घाटा	राजस्व घाटा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
		राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय		
1998-99	48068	239889	300456	60567	3.44
1997-98	30265	218299	277732	59433	3.80
1996-97	31475	193718	226372	32654	2.56
1995-96	35541	168571	198302	29731	2.71
1994-95	32727	146670	177699	31029	3.28

सरकारी लेखाओं में राजस्व घाटा यह दर्शाता है कि समस्त पूंजीगत व्यय न केवल उधार निधियों में से किया जाता है बल्कि जहां तक राजस्व घाटा हुआ है उस सीमा तक राजस्व व्यय का भाग भी उधार की निधियों में से पूरा किया जाता है।

राजस्व घाटा 1997-98 में 59433 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 60567 करोड़ रु हो गया जिससे 1.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सही अर्थों में, 1994-97 के तीन वर्षों में राजस्व घाटा न्यूनाधिक स्थिर रहा। 1997-98 के दौरान सन्तुलन बहुत खराब रहा, जब 1996-97 में राजस्व घाटा 32654 करोड़ रु से 26779 करोड़ रु उछलकर 59433 करोड़ रु हो गया। 1998-99 में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से भी राजस्व घाटा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 60567 करोड़ रु की वृद्धि हुई, कम नहीं हुआ।

राजस्व घाटा ब.अ. से बढ़ गया।

स.घ.उ. के रूप में राजस्व घाटे की प्रतिशतता 1997-98 में 3.80 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 0.36 रह गई। 1998-99 के दौरान स.घ.उ. के रूप में राजस्व घाटे की प्रतिशतता 3.0 प्रतिशत के बजटीय आंकड़ों की तुलना में 3.44 प्रतिशत थी।

वास्तविक राजस्व घाटा 1998-99 के बजट अनुमानों से 12499 करोड़ रु बढ़ गया।

परिशिष्ट X से यह देखा जाएगा कि 1978-79 तक, लेखे राजस्व अधिशेष के साथ समाप्त होते थे। तत्पश्चात् राजस्व घाटा नियमित रूप से बढ़ रहा है। यदि 6382 करोड़ रु के पेट्रोलियम बांड के निष्पादन अंशदान का पुस्तक में समायोजन नहीं किया गया होता, बजट के अनुसार जो राजस्व का भाग नहीं था, वास्तविक राजस्व घाटा 66949 करोड़ रु (स.घ.उ. का 3.80 प्रतिशत) हो सकता था।

5.3 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्तियों जमा कुछ पूंजीगत प्राप्तियों सहित वापस अदायगियों के पश्चात् दिए गए निवल कर्जों सहित कुल व्यय के बीच का अन्तर है। चूंकि सरकार का पूंजीगत व्यय आदर्शतः राजस्व अधिशेषों द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए, राजकोषीय घाटा समष्टि आर्थिक असन्तुलन की मात्रा प्रस्तुत करता है।

संघ सरकार के बजट दस्तावेजों में, व्यय की कुल मर्दें, रोकड़ मुद्रा बहिर्गमन को छोड़कर, राजकोषीय घाटे के आंकड़े निकालने के लिए व्यय से कम की गई थी, इस अध्याय में राजकोषीय घाटे पर टिप्पणियां देते समय पहले भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया।

लेखाओं में प्राप्ति तथा व्यय (बहिर्गमन का मामला छोड़कर) के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर राजकोषीय घाटा परिकल्पित किया गया है, तथा राजकोषीय घाटे के आंकड़े पिछली रिपोर्टों के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं। पिछले 23 वर्षों के राजकोषीय घाटे को परिशिष्ट-V में दिखाया गया है।

पिछले पांच वर्षों का राजकोषीय घाटा निम्नानुसार था:

तालिका 5.3 (i): राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ब.अ.	वास्तविक राजकोषीय घाटा	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1998-99	91025	113298	6.43
1997-98	65454	104621	6.69
1996-97	62266	68242	5.34
1995-96	57634	63689	5.80
1994-95	54915	62079	6.56

राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों से बढ़ गया।

सही अर्थों में मूल्य की दृष्टि से, राजकोषीय घाटा 1997-98 में 104621 करोड़ रु से 1998-99 में बढ़कर 113298 करोड़ रु हो गया, अतः 8677 करोड़ रु की वृद्धि हुई। तथापि, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में पिछले वर्ष में 6.69 प्रतिशत से थोड़ी सी घटकर 1998-99 के दौरान 6.43 प्रतिशत हो गई।

1998-99 में राजकोषीय घाटा 91025 करोड़ रु के बजट अनुमानों से 22273 करोड़ रु बढ़ गया। अन्त में यह स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 5.6 प्रतिशत के बजटीय आंकड़े की तुलना में 0.83 प्रतिशतता अंक अधिक रहा।

पिछले 23 वर्षों के दौरान उधारों द्वारा वित्तपोषित व्यय परिशिष्ट XI में दिए गए हैं। 1996-99 के दौरान, राजकोषीय घाटा, निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेने की आवश्यकता पड़ने के कारण बढ़ गया।

तालिका 5.3 (ii) : उधारों द्वारा वित्तपोषित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

उधारों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाने वाला व्यय	1998-99	1997-98	1996-97
	राशि	राशि	राशि
राजस्व व्यय	60567	59433	32654
पूँजीगत व्यय	19326	19313	15249
ऋण तथा पेशगियां	33405	25875	20339
जोड़	113298*	104621	68242

जबकि उधार ली गई निधि का 53.46 प्रतिशत राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था, शेष 46.54 प्रतिशत पूँजीगत लेखाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया था। उपर्युक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्न लिखित स्रोतों से उधार लिया :-

तालिका 5.3 (iii) : उधार के स्रोत

(करोड़ रुपयों में)

उधार	1998-99	1997-98	1996-97
	राशि	राशि	राशि
आन्तरिक ऋण (निवल)	70698	44524	36606
बाह्य ऋण (निवल)	1920	1091	2987
अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि (निवल)	41396	52826	25637
निक्षेप और पेशगियां (निवल)	1631	3917	1945
आरक्षित निधियां (निवल)	(-) 2276	411	2046
उचन्त और विविध (निवल)	289	2139	(-) 203
प्रेषण (निवल)	(-) 97	623	(-) 1232
वृद्धि(-)/कमी(+) रोकड़ शेष में	(-) 263	(-) 910	(+) 456
जोड़	113298	104621	68242

1994-95 में 6.56 प्रतिशत से 1998-99 में 6.43 प्रतिशत होकर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटे की कमी पूँजीगत व्यय को कम करके पूरी की गई थी। पिछले पांच वर्षों की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी :-

* 27 करोड़ रु का व्यय शामिल नहीं है जो कि भारत की आकस्मिक निधि से पूरा नहीं किया गया था लेकिन जिसके लिए उधारों से प्राप्त वित्त से व्यय 113325 करोड़ रु हो चुका होता।

तालिका 5.3 (iv) : राजकोषीय घाटे का प्रभाव

(स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में आंकड़े)

वर्ष	राजस्व प्राप्ति	राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय
1998-99	13.61	6.43	17.05	1.43
1997-98	13.96	6.69	17.76	1.29
1996-97	15.17	5.34	17.73	1.23
1995-96	15.34	5.80	18.05	1.60
1994-95	15.51	6.56	18.79	2.04

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय की लागत पर नियंत्रित किया गया था।

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 0.61 प्रतिशतता अंकों से पूँजीगत व्यय को कम करते हुए स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 1994-95 में 6.56 प्रतिशत से घट कर 1998-99 में 6.43 प्रतिशत हो गया जबकि इस अवधि में राजस्व व्यय की कमी स.घ.उ. का केवल 1.74 प्रतिशत थी। यह बात इस तथ्य को प्रतिबिम्बित करती है कि जब 1997-98 की तुलना में 1998-99 में राजकोषीय घाटा 8.29 प्रतिशत तक बढ़ गया था, राजस्व घाटा केवल 1.91 प्रतिशत तक बढ़ा।

5.3.1 प्रत्याशित प्राप्तियों से कम प्राप्ति

राजकोषीय मंच में हास के लिए उत्तरदायी संघटकों में से एक मुख्य संघटक कर राजस्व में कमी था जैसा कि अध्याय III में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सा.क्षे.उ. के अनिवेश के कारण प्राप्ति के लिए सरकारी अनुमान 1995-96 से 1997-98 के दौरान निरन्तर नियंत्रण से बाहर थे। 1992-93 से अब तक के वर्षों के दौरान बजट तथा वास्तविक संग्रहण के बीच अन्तर था। 1998-99 के दौरान, वास्तविक प्राप्ति अनुमानों से कुछ अधिक थी।

5.3.2 सा.क्षे.उ. में इक्विटी धारिता का विनिवेश

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी धारिताओं के विनिवेश से हुई प्राप्ति को पूँजीगत प्राप्ति के मुख्य भाग के रूप में दिखाया गया था। 1991-92 से विनिवेश से हुई प्राप्ति इस प्रकार रही है :

तालिका 5.3.2 (i) विनिवेश से प्राप्ति

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ब.अ.	वास्तविक प्राप्तियां	ब.अ. के प्रति
			आधिक्य (+) कमी (-)
1998-99	5000	5369 ^X	(+) 369
1997-98	4800	910	(-) 3890
1996-97	5000	380	(-) 4620
1995-96	7000	362	(-) 6638
1994-95	4000	5078	(+) 1078
1993-94	3500	(-) 48	(-) 3548
1992-93	2500	1961	(-) 539
1991-92	2500	3038	(+) 538

^X बड़ी मात्रा में सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. की इकाईयों के अंश के क्रोस हॉल्डिंग के कारण।

विनिवेश प्राप्ति में कमी के कारण राजकोषीय घाटे के अनुमान का अस्तव्यस्त होना।

1991-92, 1994-95 तथा 1998-99 के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में सा.क्षे.उ. में सरकारी धारिताओं के विनिवेश से हुई वास्तविक प्राप्तियां नगण्य रहीं जो राजकोषीय घाटे के अनुमान को अस्तव्यस्त करती है।

तथापि, विनिवेश विभाग द्वारा दी गई जानकारी से प्रकट हुआ कि 1998-99 के दौरान विनिवेश से प्राप्त प्राप्तियां 5371.11 करोड़ रुपये थी। इसमें से, प्राप्ति का एक बड़ा हिस्सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी दूसरे के द्वारा कास होल्डिंग से प्राप्त हुआ जो निम्न प्रकार है:

तालिका 5.3.2. (ii) इक्विटी का क्रोस होल्डिंग

(करोड़ रुपये में)		
विनिवेशित सा.क्षे.उ.	कास होल्डर	राशि
भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	245.04
	भारतीय तेल निगम	245.04
भारतीय तेल निगम	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	1208.96
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	भारतीय तेल निगम	2034.96
	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	450.00
जोड़		4184.00

इस प्रकार क्रोस होल्डिंग के अलावा, 5000 करोड़ रु के बजट अनुमान के प्रति विनिवेश से केवल 1187.11 करोड़ रु प्राप्त हुए।

घरेलू/संस्थागत निवेशकों की भागीदारी कन्टेनर कोरपोरेशन आफ इण्डिया लि. में 221.65 करोड़ रु और भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में 181.78 करोड़ रु थी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेश संचार निगम लि. की इक्विटीज बेच दी गई जिससे ग्लोबल डीपोजीटरी रिसीट (जी.डी.आर.) से प्राप्ति 783.68 करोड़ रु थी।

लेकिन इक्विटी की क्रोस खरीद अनुमत कर देने से भी सरकार बजट लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई।

5.4 प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतानों को घटा करके निकाला जाता है। यह भूतकाल में लिए गए उधारों के कारण सर्जित ब्याज भुगतान की देयता को छोड़ने के पश्चात्, चालू वर्ष के राजकोषीय परिचालन का उपाय है।

पिछले पांच वर्षों के प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति इस प्रकार थी:

तालिका 5.4 : प्राथमिक घाटा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा (2-)
1	2	3	4
1998-99	113298	77882	35416 (16025)
1997-98	104621	65637	38984 (- 2546)
1996-97	68242	59478	8764 (2266)
1995-96	63689	50045	13644 (5634)
1994-95	62079	44060	18019 (8915)

कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े प्राथमिक घाटे के बजट अनुमान हैं।

जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है, प्राथमिक घाटे की धारणा किसी आर्थिक अथवा बजटीय प्राचल को नहीं दर्शाती। सरकार एक अनवरत सतत सत्ता है तथा पिछले वर्ष में लिए गए उत्तरदायित्व के किसी भाग का व्यवकलन अनावश्यक है। उसके लिए वर्तमान वर्ष में बजटीय तथा राजकोषीय नीति में भविष्य के लेखाओं का प्रभाव, विगत में लिए गए उधारों के प्रति देनदारी को निकालकर छिपाया गया है। इस धारणा में पिछले वर्षों में दिए गए ऋणों तथा पेशगियों के ब्याज की उपेक्षा की गई है। परिशिष्ट IV से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा पेशगियों से उसकी ब्याज प्राप्ति लगातार बढ़ रही है। ब्याज भुगतान को घटा कर घाटे की परिभाषा को बदलने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता।

5.5 मुद्राकृत घाटा

मुद्राकृत घाटा सरकार के बजटीय परिचालनों से बढ़ जाता है। मुद्राकृत घाटा संघ सरकार को दिए गए निवल भा.रि.बैं. क्रेडिट का द्योतक है जोकि सरकारी ऋण की भा.रि.बैं. की धारिताओं तथा भा.रि.बैं. के पास पड़े नकद शेष का सरकार द्वारा किए गए आहरण का योग है। सरल शब्दों में, मुद्राकृत घाटा भा.रि.बैं. द्वारा उतनी ही राशि के बराबर की मुद्रापूर्ति में वृद्धि का द्योतक है। इसमें सरकार को अन्तरित तथा लाभ में दर्शाए गए 5977 करोड़ रु के भा.रि.बैं. लाभ शामिल नहीं है। इस सीमा तक मुद्राकृत घाटा कम बताया गया है।

मुद्राकृत घाटा पिछले पांच वर्षों में निम्न प्रकार से था :-

तालिका 5.5 : मुद्राकृत घाटा

पिछले पांच वर्षों की तुलना में 1998-99 में मुद्राकृत घाटा 453.99 प्रतिशत तक बढ़ गया।	(करोड़ रुपयों में)			
	वर्ष	राशि	राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
	1998-99	11800	10.41	0.67
	1997-98	12914	12.34	0.83
	1996-97	1934	2.83	0.15
	1995-96	19855	31.17	1.81
	1994-95	2130	3.43	0.23

मार्च 1999 के अन्त तक मुद्राकृत घाटा 11800 करोड़ रु था जोकि 1997-98 के दौरान 12.34 प्रतिशत के प्रति राजकोषीय घाटे का 10.41 प्रतिशत था।

1998-99 के दौरान 83753 करोड़ रु के सकल बाजार उधार में से भारतीय रिजर्व बैंक पर अन्तरण के 38205 करोड़ रुपये थे। जबकि 1997-98 के दौरान 43389 करोड़ रु के कुल बाजार उधार में से भारतीय रिजर्व बैंक पर अन्तरण के 13028 करोड़ रु थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान बाजार उधारों और भारि.बैं. पर बाजार उधारों का अन्तरण का विवरण क्रमशः तालिका 7.7(i) और 7.7.1(i) में दिया गया है। 1998-99 के दौरान भारि.बैं. पर बाजार उधार की बड़ी राशि, भारि.बैं. द्वारा संघ सरकार को निवल क्रेडिट, सौपनें के बावजूद, जो मुद्राकृत घाटे की ओर संकेत करती है, खुले बाजार तथा रिपो लेन-देन का सहारा लेकर 11800 करोड़ रु नीचे उतर गई।

5.6 ऋण और घाटा

घाटा किसी न किसी अवस्था में ऋण द्वारा वित्तपोषित किया गया है। अतः लेखे में घाटे की उपस्थिति सरकारी लेखे में ऋण की वृद्धि के साथ चलती है। आन्तरिक और बाह्य ऋण की मात्रा और उसके प्रभाव का विश्लेषण अनुवर्ती अध्याय VII में किया गया है।

अध्याय VI : आर्थिक सहायता का प्रबंधन

संघीय बजट में कुछ मदों पर नकद आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की गुप्त आर्थिक सहायता होती हैं जो लेखाओं से सुलभ दृष्टिगोचर नहीं होतीं।

6.1 सुनिश्चित आर्थिक सहायता

संघ सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य मदों पर दी गई आर्थिक सहायता निम्न प्रकार थी :

तालिका 6.1 (i) : मुख्य सुनिश्चित आर्थिक सहायता पर व्यय

(करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
खाद्य तथा चीनी आर्थिक सहायता	9100	7900	6066	5377	5100
देशज उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	7473	6600	4743	4300	4075
आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	333	1659	2184	3047	1166
विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए विनिर्माताओं/ एजेंसियों को भुगतान	3790	2596	1672	500	517
निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास हेतु सहायता	574	420	397	318	658
ब्याज आर्थिक सहायता	1769	445	680	58	111
अन्य आर्थिक सहायता	2065	1171	967	892	762
जोड़	25104	20791	16709	14492	12389

सही शब्दों में, खाद्य और चीनी आर्थिक सहायता में 1994-95 की तुलना में 78.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 1998-99 के दौरान 4000 करोड़ रु की वृद्धि हुई। अकेले पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य आर्थिक सहायता में चीनी आर्थिक सहायता सम्मिलित करते हुए वृद्धि 1200 करोड़ रु की थी जो 15.19 प्रतिशत की वृद्धि बनी।

पिछले पांच वर्षों की अवधि से उर्वरकों (आयातित एवं देशज) पर आर्थिक सहायता में 5241 करोड़ रु से 1998-99 में 7806 करोड़ रु तक वृद्धि हुई जो 48.94 प्रतिशत की वृद्धि बनी।

पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री में आर्थिक सहायता 1194 करोड़ रु निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास हेतु सहायता 154 करोड़ रु पिछले साल की तुलना में अधिक बढ़ी।

तालिका 6.1 (ii) : ब.अ. के संबंध में आर्थिक सहायता पर व्यय

(करोड़ रु में)

	1998-99			1997-98			1996-97		
	ब.अ.	वास्तविक	वृद्धि की %ता	ब.अ.	वास्तविक	वृद्धि की %ता	ब.अ.	वास्तविक	वृद्धि की %ता
खाद्य आर्थिक सहायता	9400	9100	—	7500	7900	5.33	5884	6066	3.09
देशज उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	6000	7473	24.55	5240	6600	25.95	4500	4743	5.40
आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	1740	333	—	1950	1659	---	1648	2184	32.55
विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए निर्माता/एजेंसी को भुगतान	3000	3790	26.33	2000	2596	29.80	2224	1672	---
निर्यात प्रोत्साहन एवं बाजार विकास हेतु सहायता	500	574	14.80	440	420	---	460	397	---
ब्याज आर्थिक सहायता	40	1769	4322.50	34	445	1208.82	434	680	56.68
अन्य आर्थिक सहायता	2102	2065	—	1086	1171	7.83	1170	967	--
कुल आर्थिक सहायता	22782	25104	10.19	18250	20791	13.92	16320	16709	2.38

1998-99 के दौरान कुल आर्थिक सहायता ब.अ. से 10.19 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

सही शब्दों में, पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान कुल आर्थिक सहायता पर किए गए व्यय में 4313 करोड़ रु की वृद्धि हुई। इसने बजट के अनुमानित आंकड़ों को भी 2322 करोड़ रु तक बढ़ा दिया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, यह इस अवधि के दौरान 14.2 प्रतिशत थी।

कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सुनिश्चित आर्थिक सहायता एक वर्ष के भीतर 1997-98 में 7.48 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 8.36 प्रतिशत तक हो गई।

6.2 अंतर्निहित आर्थिक सहायता

बजट में दी गई उपर्युक्त सुनिश्चित आर्थिक सहायता के अतिरिक्त, संघ सरकार कुछ व्यय, जो अंतर्निहित आर्थिक सहायता की प्रकृति के होते हैं जिसमें से कुछ ब्याज अथवा क्रेडिट आर्थिक सहायता, कर आर्थिक सहायता, इक्विटी आर्थिक सहायता, नियामक आर्थिक सहायता आदि के होते हैं, को भी वहन करती है। उनमें से कुछ का नीचे विश्लेषण किया गया है :

6.2.1 राष्ट्रीयकृत बैंकों को बजटीय सहायता

शेयर पूंजी के पुनर्निवेश पर ब्याज तथा सा.क्षे.बैं. द्वारा लाभांश के बीच अन्तर के कारण 894 करोड़ रु की अंतर्निहित आर्थिक सहायता दी गई।

बजटीय सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनकी शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए दी जाती है। वर्तमान में, संघ सरकार के पर्याप्त स्वामित्व वाले 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में शेयर पूंजी के संबंध में जारी की गई राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में पुनर्निवेश करने की व्यवस्था की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन निवेशों का बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में निवेश पर लाभांश प्राप्त करती है, वह बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में शेयर पूंजी की राशि के पुनर्निवेश पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिभूतियों पर बैंकों से प्राप्त लाभांश तथा सरकार द्वारा बैंकों को दिया गया ब्याज निम्नानुसार था :

तालिका 6.2.1 : राष्ट्रीयकृत बैंकों को आर्थिक सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल निवेश	प्राप्त लाभांश	शेयर पूंजी के पुनर्निवेश पर सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज	राष्ट्रीयकृत बैंकों को आर्थिक सहायता (कॉलम 4-3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1998-99	13672.62	384.19	1277.99	893.80
1997-98	15846.36	314.52	1538.40	1223.88
1996-97	13146.21	209.77	1408.04	1198.27
1995-96	13673.68	104.15	1342.09	1237.94
1994-95	14753.73	14.35	631.79	617.44

संघ सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में उसके निवेशों पर प्राप्त लाभांश तथा उसके द्वारा बैंकों को जारी प्रतिभूतियों पर अदा किये गए ब्याज के बीच का अंतर 44.76 प्रतिशत की वृद्धि बनते हुये 1994-95 में 617.44 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 893.80 करोड़ रु हो गया। दूसरे शब्दों में, अंतर्निहित आर्थिक सहायता बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी जा रही है जबकि निवेश पर प्राप्त लाभांश 0.10 से 2.81 प्रतिशत के आसपास बहुत कम है।

तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान, बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियों पर अदा किए गये ब्याज में 330.08 करोड़ रु. तक की कमी आई।

इसी प्रकार की टिप्पणियां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1999 के प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा 6.2.1 में भी की गई थी लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

किए गए निवेशों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियों पर विस्तृत विश्लेषण की अध्याय IV में पहले ही चर्चा की गई है।

6.2.2 सा.क्षे.उ. तथा सांविधिक निगमों को ईक्विटी के रूप में आर्थिक सहायता

सा.क्षे.उ. तथा सांविधिक निगमों में पिछले पांच वर्षों के लिये किए गए निवेश की प्रवृत्ति निम्नानुसार थी :

तालिका 6.2.2 : सा.क्षे.उ. तथा सांविधिक निगमों को आर्थिक सहायता
(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल निवेश	प्राप्त लाभांश	निवेश से लाभांश की प्रतिशतता	सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों पर कूपन दर की भारित औसत
1998-99	60099	2384	3.97	11.86
1997-98	57120	1820	3.19	12.01
1996-97	53194	1577	2.96	13.69
1995-96	49737	1216	2.44	13.75
1994-95	47070	824	1.75	11.90

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संघ सरकार द्वारा किए गए निवेश पर सा.क्षे.उ. तथा सांविधिक निगमों से प्राप्त लाभांश की प्रतिशतता वर्ष 1994-99 के दौरान 1.75 प्रतिशत और 3.97 प्रतिशत के बीच थी।

राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय तक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसलिए सरकार को, संघ सरकार के पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए बाजार से उधार लेना पड़ता है। सा.क्षे.उ. तथा सांविधिक निगमों में किया गया निवेश एक पूंजीगत स्वरूप का व्यय है जो सभी उधारों द्वारा पूरा किया जाता है।

नगण्य लाभांश का भुगतान करने वाले सा.क्षे.उ. में निवेश के कारण अंतर्निहित आर्थिक सहायता हुई।

1998-99 के दौरान सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों पर औसत कूपन दर 11.86 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, सा.क्षे.उ. तथा सांविधिक निगमों से उसी अवधि के दौरान प्राप्त लाभांश की प्रतिशतता केवल 3.97 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, प्राप्त लाभांश तथा उधार ली गई निधियों पर अदा किये गये ब्याज के बीच का अन्तर अंतर्निहित आर्थिक सहायता के रूप में है।

6.2.3 डाक सेवाओं पर आर्थिक सहायता

डाक विभाग, उपभोक्ताओं को परम्परागत सेवाएं तथा मूल्य परिवर्धित सेवाएं प्रदान करता है। 1998-99 के दौरान, डाक विभाग ने इन सेवाओं में से 20 सेवाओं के संबंध में लागत आंकड़े का अनुरक्षण किया था जिनमें से 16 सेवाएं घाटे में चल रही थीं। वर्ष 1998-99 के दौरान अनुमानित ट्रैफिक के आधार पर औसत प्रति यूनिट लागत तथा विभिन्न डाक सेवाओं से वसूला गया प्रति यूनिट राजस्व निम्नानुसार था।

तालिका 6.2.3 : डाक सेवाओं के परिचालन में प्रति यूनिट लाभ/हानि

क्र.सं.	सेवा	प्रति यूनिट लागत (रुपयों में)	प्रति यूनिट राजस्व (रुपयों में)	यूनिट हानि (-) लाभ(+) (रुपयों में)	अनुमानित ट्रैफिक (करोड़ में)	कुल हानि/लाभ (करोड़ रु में)	
						हानि	लाभ
(क)	स्थापित सेवाएं						
1.	पोस्ट कार्ड	3.3597	0.2500	(-) 3.1097	48.15	149.73	--
2.	पत्र	3.7354	3.9278	(+) 0.1924	134.92	--	25.96
3.	पंजीकृत पत्र	20.6502	11.1667	(-) 9.4835	27.29	258.80	--
4.	पत्र कार्ड (अन्तर्देशीय)	3.2955	1.2917	(-) 2.0038	67.60	135.46	--
5.	मनीआर्डर	28.7130	16.2341	(-) 12.4789	10.85	135.40	--
6.	समाचार पत्र (एकल)	3.8929	0.2645	(-) 3.6284	13.52	49.06	--
7.	समाचार पत्र (बंडल)	7.9187	0.6647	(-) 7.2540	3.83	27.78	--
8.	इंडियन पोस्टल ऑर्डर	13.9195	0.9253	(-) 12.9942	2.49	32.36	--
9.	मुद्रित कार्ड	3.3635	1.5000	(-) 1.8635	18.15	33.82	--
10.	मूल्य देय पत्र तथा पार्सल	16.7661	2.8484	(-) 13.9177	1.11	15.45	--
11.	अन्य पत्रिकाएं	8.4942	2.1323	(-) 6.3619	4.55	28.95	--
12.	पावतियां	2.8444	1.5833	(-) 1.2611	8.12	10.24	--
13.	बुक पैकेट आदि	6.3038	5.0390	(-) 1.2648	11.00	13.91	--
14.	टेलीग्राफिक म.आ.	35.2868	18.2341	(-) 17.0527	0.24	4.09	--
15.	मुद्रित पुस्तकें	7.0325	2.0368	(-) 4.9957	5.86	29.27	--
16.	बीमा पत्र	30.1534	39.7778	(+) 9.6244	0.99	--	9.53
17.	पार्सल	35.9468	27.2404	(-) 8.7064	6.19	53.89	--
18.	प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड	3.9145	2.5833	(-) 1.3312	3.79	5.05	
(ख)	अतिरिक्त मूल्य सेवाएं						
19.	स्पीड पोस्ट	22.3372	55.1300	(+)32.7928	1.27	--	41.65
20.	विदेशी डाक/मेल	9.3461	10.2061	(+) 0.8600	12.60	--	10.84
	जोड़					983.26	87.98

विभाग की 1998-99 के दौरान स्पीड पोस्ट/विदेशी डाक सहित डाक सेवाओं पर 895.28 करोड़ रु की निवल समग्र हानि डाक विभाग द्वारा उपभोक्ता को दी गई अंतर्निहित आर्थिक सहायता का हिस्सा बनी।

अध्याय VII : ऋणों का प्रबंधन

7.1 संघ सरकार का ऋण/देयता

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार को आन्तरिक तथा बाह्य साधनों से उधार का सहारा लेना पड़ता है। इन उधारों को लोक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है इसमें आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य दायित्व है जिन्हें भारत के लोक लेखे में लेखाबद्ध किया जाता है ये भी सरकार के बजट के घाटे को वित्त-पोषित करने में साधन के रूप में काम आते हैं।

पिछले पांच वर्षों के अन्त में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण की गणना करते हुए सरकार की कुल देयता निम्न प्रकार थी :

तालिका 7.1 : संघ सरकार की कुल देयता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लोक ऋण		लोक लेखा		कुल देयता	स.घ.उ. की प्रतिशतता
	आन्तरिक ऋण	वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	आरक्षित निधि तथा जमा		
1998-99	459696	177934 (57254)	333261	41595	1012486 (891806)	57.44 (50.60)
1997-98	388998	161442 (55332)	291867	42097	884404 (778294)	56.56 (49.78)
1996-97	344475	149077 (54239)	239042	37919	770513 (675675)	60.34 (52.91)
1995-96	307869	148583 (51249)	213435	33680	703567 (606233)	64.04 (55.18)
1994-95	266467	142389 (50928)	192222	28993	630071 (538610)	66.63 (56.96)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े ऐतिहासिक दर पर बाह्य ऋण को दर्शाते हैं।

वर्तमान विनिमय दर पर कुल देयता पिछले पांच वर्षों में 61 प्रतिशत बढ़ गई।



संघ सरकार की कुल देयता 1994-95 में 630071 करोड़ ₹ से बढ़कर 1998-99 में 1012486 करोड़ ₹ हो गई जो कि 61 प्रतिशत वृद्धि बनती थी। वर्ष 1976-77 से पिछले 23 वर्षों के लिए सरकार की कुल देयता परिशिष्ट-XII में दी गई है।

लो.ले.स. तथा प्राक्कलन समिति की सिफारिश के बावजूद उधार लेने की सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है जैसाकि अनुच्छेद 292 में विचार किया गया है।

7.2 उधार लेने की सीमा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत संघ सरकार को “विधि के अनुसार संसद द्वारा नियत ऐसी सीमाओं, यदि कोई हों, के अन्दर भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधार” लेने का अधिकार दिया गया है। स्पष्टतः कुल उधार भारत की समेकित निधि में प्राप्तियों का कुछ अनुपात होना चाहिए। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत सरकार की उधार लेने की शक्ति की सीमा निर्धारित करने हेतु लोक लेखा समिति ने अपनी नौवीं रिपोर्ट (1962-63 –तीसरी लोक सभा) के पैरा 15, छठीसवीं रिपोर्ट (1964-65-तीसरी लोक सभा) के पैरा 5 तथा बावनवीं रिपोर्ट (1965-66-तीसरी लोक सभा) के पैरा 2.13 में तथा इसके साथ-साथ प्राक्कलन समिति ने अपनी बारहवीं रिपोर्ट (1991-92-दसवीं लोक सभा) के पैरा 1.192 में अनुशंसा की थी। इस दिलचस्प स्थिति को ध्यान में रखते हुये जहां पर ऋण सेवा आभार राजस्व प्राप्तियों को पीछे छोड़ देते हैं, ऋण प्राप्तियां सरकारी प्राप्तियों का आधे से अधिक हिस्सा होती है तथा ऋण सेवायें सरकारी संवितरण के आधे से अधिक हिस्से को अवशोषित कर लेती है वहां पर ऋण को स्थिर रखने की तत्काल आवश्यकता है।

तथापि, लो.ले.स. तथा प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के बावजूद सरकार ने संविधान के प्रावधान के अनुपालन में संसद के अनुमोदन से उधार लेने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।

7.3 आन्तरिक ऋण

आन्तरिक ऋण शब्द भारत में जनता से लिए गए नियमित ऋणों से सम्बन्ध रखता है तथा “भारत में लिए गए ऋण” के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसमें बाजार के कर्जे, भा. रि.बैं. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, मुआवजा और अन्य बांड इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें खजाना बिलों के माध्यम से उधार, अ.मु.को, अं.पु.वि.बैं (विश्व बैंक), आई.डी.ए., आई.एफ.ए.डी. अफ्रीकन विकास बैंक तथा एशियन विकास बैंक को जारी ब्याज रहित रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। आन्तरिक ऋण की प्राप्ति तथा वापस अदायगी को भारत की समेकित निधि में लेखाबद्ध किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के लिए संघ सरकार का आन्तरिक ऋण निम्नानुसार था :

तालिका 7.3(i) : आन्तरिक ऋण की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
अथ शेष [⊗]	388998	344474	307869	266467	245712
परिवर्धन	385283	368806	200507	174207	148556
मूलधन की वापस अदायगी	314584	324282	163901	132805	127801
वर्ष के दौरान निवल परिवर्धन	70699	44524	36606	41402	20755
अंत शेष	459697	388998	344475	307869	266467
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	26.08	24.88	26.98	28.02	28.18

पिछले पांच वर्षों में
आन्तरिक ऋण 72.51
प्रतिशत बढ़ गया।

संघ सरकार का कुल आन्तरिक ऋण मार्च 1995 के अंत में 266467 करोड़ रु से बढ़कर मार्च 1999 के अंत तक 459697 करोड़ रु हो गया जो कि 1994-95 से 72.51 प्रतिशत की वृद्धि बना।

पिछले पांच वर्षों के अन्त तक आन्तरिक ऋण की रचना निम्नानुसार थी :

तालिका 7.3(ii) : आन्तरिक ऋण की रचना


(करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
बाजार कर्जे	305513 (66.46)	236525 (60.80)	184028 (53.42)	164935 (53.57)	130934 (49.14)
खजाना बिल	18845 (4.10)	25842 (6.64)	64760 (18.80)	45665 (14.83)	40492 (15.20)
प्रतिभूतियों में परिवर्तित किये गए खजाना बिल	101818 (22.15)	101818 (26.17)	71000 (20.61)	71000 (23.06)	71000 (26.64)
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	21522 (4.68)	17100 (4.40)	19562 (5.68)	22771 (7.40)	20366 (7.64)
मुआवजा तथा अन्य बांड	7911 (1.72)	4667 (1.20)	4079 (1.18)	2452 (0.80)	2629 (0.99)
भा.रि.बैं. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	1046 (0.23)	1046 (0.27)	1046 (0.30)	1046 (0.34)	1046 (0.39)
अर्थोपाय पेशगियां	3042 (0.66)	2000 (0.51)	-	-	-
जोड़	459697	388998	344475	307869	266467

(कोष्ठकों में आंकड़े आन्तरिक ऋण की प्रतिशतता को सूचित करते हैं।)

⊗ अथ शेष में लघु परिवर्तन पिछली अवधि के समायोजन के कारण है।

खजाना बिलों का हिस्सा तथा आंतरिक ऋण में प्रतिभूतियों के रूप में परिवर्तित खजाना बिल।



बाजार कर्जे, खजाना बिल तथा प्रतिभूतियों में परिवर्तित खजाना बिलों, जो आन्तरिक ऋण प्रभारों का 90 प्रतिशत से अधिक बनते थे, का विस्तृत विश्लेषण अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

7.3.1 भा.रि.बैं. पर आन्तरिक ऋण का अन्तरण

1998-99 के दौरान, आन्तरिक ऋण का संवर्धन 385283 करोड़ रु था। इसमें से 45276 करोड़ रु भा.रि.बैं. पर अन्तरित थे, जिसमें नीलामी हेतु प्रस्तुत लेकिन बाजार द्वारा अवशोषित प्राप्ति-पत्र शामिल थे। 45276 करोड़ रु का कुल अन्तरण, आन्तरिक ऋण के परिवर्धन का 11.75 प्रतिशत बनता है।

1998-99 के दौरान अन्तरण के ब्यौरे निम्न प्रकार से थे:

तालिका 7.3.1 भा.रि.बैं. पर आन्तरिक ऋण का अन्तरण (करोड़ रुपयों में)

प्राप्ति-पत्र	राशि
14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल	2730
91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल	2769
364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल	1572
बाजार कर्जे	38205
जोड़	45276

उपर्युक्त प्राप्ति-पत्रों के नीलामी वार अन्तरण का अगले पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है।

7.4 खजाना बिल

खजाना बिल, ऐसे साधन हैं जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अन्तराल को पूरा करने के इरादे से 14 से 364 दिनों के अल्प अवधि कर्जों को उगाहने के लिए जारी किये जाते हैं। पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार के आन्तरिक ऋण की तुलना में बकाया खजाना बिलों की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी:

तालिका 7.4 (i) : आन्तरिक ऋण तथा खजाना-बिल

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल आन्तरिक ऋण	खजाना बिल				जोड़	कालम 7 से 2 की प्रतिशतता
		14 दिवसीय	91 दिवसीय नीलामी	तदर्थ	364 दिवसीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
1998-99	459697	7148	1501	--	10196	18845	4.10
1997-98	388998	7998	1601	-	16243	25842	6.64
1996-97	344475	--	22389	34130	8241	64760	18.80
1995-96	307869	--	14345	29445	1875	45665	14.83
1994-95	266467	--	8847	23480	8165	40492	15.20

आन्तरिक ऋण में खजाना बिलों की प्रतिशतता 1994-95 में 15.20 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 4.10 प्रतिशत हो गई। यह कमी 1997-98 से 91 दिवसीय तदर्थ तथा टेप खजाना बिल बन्द होने के कारण थी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आन्तरिक ऋण तथा खजाना बिलों की निवल अभिवृद्धि निम्न प्रकार थी :

तालिका 7.4 (ii) : आन्तरिक ऋण तथा खजाना बिलों का निवल परिवर्धन

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण में निवल परिवर्धन	खजाना बिलों में निवल परिवर्धन
1998-99	70699	(-) 6997
1997-98	44524	(-) 38918
1996-97	36606	19094
1995-96	41402	5174
1994-95	20755	(-) 489

यह देखा जाएगा कि खजाना बिलों में निवल परिवर्धन 1996-97 के दौरान तेजी से बढ़ा, जो कि 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान अप्रैल 1997 से तदर्थ तथा टेप खजाना बिल बन्द होने के कारण नकारात्मक हो गया।

7.4.1 वर्तमान में तीन प्रकार के खजाना बिल हैं

- i) 14 दिवसीय खजाना बिल
 - ii) 91 दिवसीय खजाना-बिल
 - iii) 364 दिवसीय खजाना-बिल
- (i) 14 दिवसीय खजाना बिल

14 दिवसीय खजाना बिल निम्न दो प्रकार के होते हैं:

(क) 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल

अप्रैल 1997 से 91 दिवसीय टेप खजाना बिल बन्द होने के कारण, सरकार ने राज्य सरकारों को समर्थ बनाने हेतु विदेशी केन्द्रीय बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों, जिनके साथ भा.रि.बैं. के उनकी अस्थाई फालतू निधियों को निवेश करने के विशेष प्रबन्ध हैं, जून 1997 में 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल प्रारंभ किए।

(ख) 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल

ये बिल, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों की नकद प्रबन्ध आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिक निवेश के मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए 6 जून 1997 को प्रारम्भ किए गए थे। इन बिलों की साप्ताहिक आधार पर नीलामी की जाती है।

तथापि, संघ सरकार वित्त लेखाओं में 14 दिवसीय माध्यमिक तथा नीलामी खजाना बिलों के लेन आपस में सम्मिलित किए जाते हैं। पिछले दो वर्षों में 14 दिवसीय खजाना बिलों की वृद्धि निम्न प्रकार थी:

तालिका 7.4.1 (i) : 14 दिवसीय खजाना बिल

वर्ष	अथ शेष	(करोड़ रु में)		
		वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	बकाया खजाना बिल
1998-99	7998	171251	172101	7148
1997-98	--	226961	218963	7998

1997-98 एवं 1998-99 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरण के बजट आंकड़े प्रत्येक 230000 करोड़ रु तथा 175000 करोड़ रु अनुमानित किए गए थे, जिसके प्रति इन वर्षों के दौरान वास्तविक प्राप्तियां क्रमशः 226961 करोड़ रु तथा 171251 करोड़ रु थी। 1998-99 के दौरान 14 दिवसीय खजाना बिलों के लिए विच्छेदक मूल्य (प्रतिशत) पर औसत अन्तर्निहित प्राप्ति पिछले वर्ष में 5.83 प्रतिशत की तुलना में 7.79 प्रतिशत था।

1998-99 के दौरान 14 दिवसीय खजाना बिलों की 8700 करोड़ रु की कुल अधिसूचित राशि में से, भा.रि.बैं. पर निर्भरता 2729.55 करोड़ रु थी, प्राथमिकता व्यापारी अंशदान 512 करोड़ रु था तथा अन्यो द्वारा अंशदान 5458.45 करोड़ रु था।

भा.रि.बैं. पर नीलामीवार अन्तरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 7.4.1 (ii) 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिलों की भा.रि.बैं. पर अन्तरण*

(करोड़ रुपयों में)

नीलामी की तिथि	अधिसूचित राशि	भा.रि.बैं. पर अन्तरण	अन्य द्वारा अंशदान
10.07.98	300.00	50.00	250.00
24.07.98	500.00	15.00	485.00
14.08.98	500.00	25.00	475.00
21.08.98	500.00	500.00	--
28.08.98	500.00	475.00	25.00
04.09.98	500.00	500.00	--
11.09.98	500.00	500.00	--
18.09.98	100.00	75.00	25.00
25.09.98	100.00	50.00	50.00
16.10.98	500.00	250.00	250.00
18.12.98	100.00	38.55	61.45
24.12.98	100.00	42.00	58.00
08.01.99	100.00	20.00	80.00
15.01.99	100.00	89.00	11.00
19.03.99	100.00	50.00	50.00
26.03.99	100.00	50.00	50.00
योग	4600.00	2729.55	1870.45

(ii) 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल

ये बिल पूर्व-निर्धारित छूट दर पर जारी किये जाते हैं तथा बैंकों, निगमों, राज्य सरकारों इत्यादि द्वारा उनके अधिशेष रोकड़ के निवेश हेतु अभिदत्त किये जाते हैं। 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल बाजार सम्बंधित दरों की ओर बढ़ने तथा निवेशकों को अपेक्षाकृत व्यापक चयन की पेशकश करने को सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 1993 से लागू किये गये थे। प्रस्तावित बिल की राशि तथा नीलामी की तिथि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित की जाती है। बिल बट्टा मूल्य पर जारी किये जाते हैं। बट्टे की दर तथा तदनु रूप निर्गम मूल्य प्रत्येक नीलामी पर निर्धारित किया जाता है। नीलामी पर निर्धारित न्यूनतम बट्टा मूल्य तक सफल बोलियों को स्वीकार किया जाता है। रिजर्व बैंक ने नीलामी में भाग लेने तथा लगाई गई बोलियां प्रस्तावित राशि से कम होने पर विच्छेदन मूल्य पर प्रस्ताव का भाग अथवा यदि बोलियां रद्द हो जाएं तो अधिसूचित समस्त राशि का हक अपने पास रखा है।

पिछले पांच वर्षों में 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिलों की वृद्धि निम्न प्रकार थी :

तालिका 7.4.1 (iii) : 91 दिवसीय खजाना बिल

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	बकाया खजाना बिल
1998-99	1601	16697	16797	1501
1997-98	22389	13200	33988	1601
1996-97	14346*	73657	65614	22389
1995-96	8847	53051	47553	14345
1994-95	10865	39441	41459	8847

* इनमें वे बिल शामिल नहीं हैं जिनमें भा.रि.बैं. पर अन्तरण नहीं है।

* अथ शेष में परिवर्तन पूर्णांकन के कारण है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिलों का शेष, जो 1997-98 के अन्त में 1601 करोड़ रु था, 1998-99 के अन्त तक घटकर 1501 करोड़ रु हो गया। 1998-99 के दौरान 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिलों के लिए विच्छेदक मूल्य (प्रतिशत) पर औसत अन्तर्निहित प्राप्ति पिछले वर्ष में 6.80 प्रतिशत की तुलना में 8.57 प्रतिशत था।

1998-99 के दौरान 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिलों की 9550 करोड़ रु की कुल अधिसूचित राशि में से, भा.रि.बैं. पर निर्भरता 2769.25 करोड़ रु थी, प्राथमिकता व्यापारी अंशदान 677 करोड़ रु था तथा अन्य बोलीदाताओं का अंशदान 6103.75 करोड़ रु था।

भा.रि.बैं. का नीलामी-वार अन्तरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 7.4.1 (iv) 91 दिवसीय खजाना बिलों का भा.रि.बैं. पर अन्तरण

(करोड़ रुपयों में)

नीलामी की तिथि	अधिसूचित राशि	भा.रि.बैं. को अन्तरण	अन्य द्वारा अंशदान
03.07.98	100.00	30.00	70.00
14.08.98	400.00	160.00	240.00
21.08.98	500.00	500.00	--
28.08.98	500.00	500.00	--
04.09.98	500.00	500.00	--
11.09.98	500.00	285.00	215.00
18.09.98	200.00	125.00	75.00
25.09.98	200.00	100.00	100.00
09.10.98	500.00	3.75	496.25
23.10.98	500.00	229.00	271.00
18.12.98	400.00	76.50	323.50
24.12.98	100.00	36.00	64.00
15.01.99	100.00	95.00	5.00
26.02.99	100.00	47.00	53.00
19.03.99	100.00	50.00	50.00
26.03.99	100.00	32.00	68.00
योग	4800.00	2769.25	2030.75

(iii) 364 दिवसीय खजाना बिल

ये बिल 28 अप्रैल 1992 को जारी करने हेतु अधिसूचित किये गये थे। राज्य सरकारों तथा भविष्य निधियों को छोड़ कर, व्यष्टि, फर्म, कम्पनी, निगमित निकाय, संस्था सहित कोई भी भारतीय निवासी इन बिलों में अभिदान कर सकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन खजाना बिलों की प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी:-

तालिका 7.4.1 (v) : 364 दिवसीय खजाना बिल

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	वर्ष के अन्त में शेष
1998-99	16243	10200	16247	10196
1997-98	8241	16247	8245	16243
1996-97	1875	8241	1875	8241
1995-96	8165	1875	8165	1875
1994-95	8386	16857	17078	8165

364 दिवसीय खजाना बिलों का बकाया शेष वर्ष 1997-98 में 16243 करोड़ रु से घटकर वर्ष 1998-99 में 10196 करोड़ रु हो गया। 1998-99 के दौरान 364 दिवसीय खजाना बिलों के लिए विच्छेदक मूल्य (प्रतिशत) पर औसत अन्तर्निहित प्राप्ति पिछले वर्ष में 7.15 प्रतिशत की तुलना में 9.51 प्रतिशत थी।

1998-99 के दौरान 364 दिवसीय खजाना बिलों की 10200 करोड़ रु की कुल अधिसूचित राशि में से भारि.बैं. को अन्तरित राशि 1572.30 करोड़ रु थी, प्राथमिकता व्यापारी अंशदान 514 करोड़ रु था, तथा अन्य बोलीदाताओं द्वारा अंशदान 8113.70 करोड़ रु था।

भारि.बैं.पर नीलामीवार अन्तरण निम्न प्रकार से था:-

तालिका 7.4.1(vi) 364 दिवसीय खजाना बिलों का भारि.बैं. पर अन्तरण

(करोड़ रु में)

नीलामी की तिथि	अधिसूचित राशि	भारि.बैं. को अन्तरण	अन्य द्वारा अंशदान
07.04.98	100.00	49.00	51.00
20.05.98	100.00	100.00	--
03.06.98	100.00	100.00	--
17.06.98	100.00	98.30	1.70
01.07.98	100.00	100.00	--
15.07.98	200.00	25.00	175.00
25.08.98	400.00	400.00	--
23.09.98	200.00	90.00	110.00
20.10.98	400.00	30.00	370.00
24.02.99	750.00	270.00	480.00
24.03.99	750.00	310.00	440.00
योग	3200	1572.30	1627.70

7.5 तदर्थ तथा अन्य खजाना बिलों का निधियन

खजाना बिल, जो राजकोषीय प्रबन्धन दृश्यलेख को नियंत्रित करने के लिए सरकार की लघु अवधि तथा आवश्यकता पर आधारित मांग को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में जाने गए, वास्तव में यह दीर्घावधि वित्तीय साधन बन गए।

यह प्रवृत्ति इस तथ्य से प्रमाणित होती थी कि वर्ष 1981-82 से 1991-92 तथा 1997-98 के दौरान 121818 करोड़ रु की राशि के तदर्थ खजाना बिल परिपक्वता की किसी विशिष्ट तिथि के बिना 4.6 प्रतिशत की ब्याज दर पर विशेष प्रतिभूतियों में परिवर्तित किये गए थे, जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :

तालिका 7.5(i) : प्रतिभूतियों में परिवर्तित तदर्थ खजाना बिल
(करोड़ रुपयों में)

निधियन का वर्ष	निधिबद्ध तदर्थ खजाना बिलों की राशि
1997-98	50818*
1991-92	5000
1990-91	30000
1987-88	17500
1986-87	15000
1981-82	3500
योग	121818 [†]

उपरोक्त बिना तारीख के परिवर्तन के अतिरिक्त 1992-96 के दौरान क्रमशः 8463 करोड़ रु तथा 27936 करोड़ रु के 91 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिल 11 प्रतिशत से 13.25 प्रतिशत के बीच बहुत ऊंची ब्याज दर पर तारीख वाली स्टॉक में परिवर्तित किये गए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

तालिका 7.5 (ii) : 364/91 दिवसीय खजाना बिलों का निधियन
(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	364 दिवसीय खजाना बिल		91 दिवसीय खजाना बिल	
	राशि	दिनांकित स्टॉक में परिवर्तित	राशि	दिनांकित स्टॉक में परिवर्तित
1995-96	1585	13.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2000		
1994-95	8078	11.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2001	4417	12 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 1999
	101	11 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 1997	-	-
1993-94	6946	12.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 1996	4046	12 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 1995
1992-93	11226	12.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004	-	-
जोड़	27936		8463	

158217 करोड़ रु का लघु अवधि कर्ज, दीर्घावधि कर्ज में बदल दिया गया था।

उपरोक्त से यह ज्ञात हो जाएगा कि वर्ष 1981-82 से 1997-98 तक 158217 करोड़ रु की कुल देयता लघु अवधि कर्ज को ब्याज की उच्च दरों पर दीर्घावधि कर्ज में परिवर्तित करके आस्थगित कर दी गई थी। इन्होंने सरकार की ब्याज देयता को बढ़ा दिया। 158217 करोड़ रु

* 34130 करोड़ रु तदर्थ खजाना बिल तथा 16688 करोड़ रु टेप खजाना बिल।

† 2000 करोड़ रु सम्मिलित करते हुए जिन्हें वर्ष 1997-98 के दौरान बाजार प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया।

का कुल आस्थगित देयता में से 101818 करोड़ रु (121818 करोड़ रु -20000 करोड़ रु) अनिश्चित अवधि के लिए आस्थगित किए गए थे।

7.6 अर्थोपाय पेशगियां

मार्च 1997 में हस्ताक्षरित रिजर्व बैंक तथा संघ सरकार के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार, संघ सरकार के नकद शेष को पूरा करने के लिए तदर्थ खजाना बिल जारी करने की प्रथा 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दी गई थी। अनुबन्ध के अनुसार, संघ सरकार भा.रि.बैं. द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय पेशगियों के माध्यम से प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अस्थायी अन्तर को पूरा करेगी। अर्थोपाय पेशगियों का आकार तथा लागत पारस्परिक अनुबंध के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अर्थोपाय पेशगियों की सीमा से अधिक आहरित राशि ओवरड्राफ्ट के रूप में मानी जाएगी। 1998-99 के लिए अर्थोपाय पेशगियां, प्रथम भाग (अप्रैल-सितम्बर) तथा द्वितीय भाग (अक्तूबर-मार्च) के लिए क्रमशः 11000 करोड़ रु तथा 7000 करोड़ रु नियत किए गए थे। 1998-99 के लिए अर्थोपाय पेशगियों की ब्याज की दर को बैंक दरों से सम्बद्ध किया गया था तथा 9 प्रतिशत वार्षिक पर निर्धारित किया गया था। ओवरड्राफ्ट के लिए ब्याज की दर 11 प्रतिशत वार्षिक पर निर्धारित की गई थी। तदर्थ खजाना बिलों से अर्थोपाय पेशगियों के लेन-देन का अर्थ राजकोषीय घाटे का स्वतः मुद्रीकरण है क्योंकि तदर्थ खजाना बिलों की भांति अर्थोपाय पेशगियों का साधन राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्रोत नहीं है। अनुबंध के अनुसार अर्थोपाय पेशगियों का अर्थोपाय पेशगियां देने की तिथि से तीन महीने के अंदर पूर्ण रूप से भुगतान करना होता है। इसके अतिरिक्त जब अर्थोपाय पेशगियों के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लिया जाता है तो भा.रि.बैं. सरकारी प्रतिभूतियों के नये प्रवर्तन उत्पन्न करेगा।

पिछले दो वर्षों के लिए संघ सरकार द्वारा प्राप्त अर्थोपाय पेशगियों की संचयी राशियों के विवरण निम्न प्रकार थे:

तालिका 7.6 अर्थोपाय पेशगियां

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अर्थ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	बचाया अर्थोपाय पेशगियां
1998-99	2000	92257	91215	3042
1997-98	--	17239	15239	2000

1997-98 एवं 1998-99 के दौरान अर्थोपाय पेशगियों के प्राप्तियों तथा संवितरणों के कुल जोड़ हेतु बजट आंकड़े प्रत्येक के लिए 100,000 करोड़ रु अनुमानित थे।

अर्थोपाय पेशगियों की पद्धति सरकार पर वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। व्यय तथा प्राप्तियों के बीच बड़े अन्तर के कारण सरकार के लिए वर्ष के ज्यादातर भाग के लिए निरन्तर आधार पर अर्थोपाय पेशगियों का सहारा लेना आवश्यक हो गया। 1998-99 के दौरान, सरकार ने अधिकतम लगातार पांच कार्यदिवसों तक 11 बार ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया।

7.6.1 अर्थोपाय पेशगी पद्धति अर्थात् (i) अल्पावधि उधारों के साधन के माध्यम से अर्थात् अप्रैल 1997 से पूर्व तदर्थ खजाना बिल तथा 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल तथा (ii) अर्थोपाय पद्धति के प्रारम्भ होने के पश्चात् अर्थोपाय पेशगी, 14 दिवसीय खजाना बिल तथा 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल, को शुरु करने से पहले तथा बाद नई पद्धति की क्षमता के निर्धारण हेतु अर्थोपाय पद्धति लागू करने के पश्चात् सरकार के संसाधन प्रबंधन का विश्लेषण किया गया था।

उक्त विश्लेषण, संवितरण आवश्यकताओं के प्राप्ति के अनुरूप न होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के नकद शेष में कमी को पूरा करने के लिए सरकार की अल्पावधि उधारों की आवश्यकताओं के कारण किया गया था।

अल्पावधि साधनों के माध्यम से उधार की सीमा उन पर दिया गया ब्याज एक अभिकर्ता है तथा नई पद्धति की क्षमता को, ब्याज की दर को समायोजित करने के पश्चात् अल्पावधि साधनों पर दिए गए ब्याज की कुल राशि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

पिछले चार वर्षों के लिए विभिन्न अल्पावधि उधार साधनों पर दिए गए ब्याज तथा लागू ब्याज की दर के विवरण निम्न प्रकार से हैं:

तालिका 7.6.1 : अल्पावधि उधारों पर दिया गया ब्याज तथा ब्याज की दर

वर्ष	दिया गया ब्याज (करोड़ रुपयों में)				ब्याज की दर (प्रतिशतता में)			
	तदर्थ ख. बिल	14 दिवसीय ख.बिल	91 दिवसीय ख.बिल	अ.पा. अ.	तदर्थ ख.बि.	14 दिवसीय ख.बिल	91 दिवसीय ख.बिल	अ.पा.अ.
1998-99	--	270	427	410	--	7.79	8.57	9 (11)
1997-98	--	357	213	24	--	5.83	6.80	3.80 (5.80) ^β
1996-97	*	--	2879*	--	4.6	--	9.67	--
1995-96	*	--	2621*	--	4.6	--	12.66	--

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े ओवरड्राफ्ट के मामलों में ब्याज को दर्शाते हैं।

अर्थोपाय पेशगी की मुद्रा के प्रथम वर्ष में, उस पर दिया गया ब्याज नगण्य था, क्योंकि सरकार ने अधिकतर 14 दिवसीय खजाना बिलों तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के सहारे हेतु निर्भर रही तथा बड़ी सीमा तक अर्थोपाय पेशगी का सहारा नहीं लिया। इसके अतिरिक्त 1997-98 में अर्थोपाय पेशगी पर ब्याज की दर भी 3.80 प्रतिशत पर बहुत कम थी।

^β 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिलों की त्रैमासिक औसत अन्तर्निहित प्राप्ति के अभाव में, वार्षिक औसत अन्तर्निहित प्राप्ति को ब्याज की दर के निर्धारण हेतु लेखे में लिया गया है।

* तदर्थ ख.बिलों, टेप ख.बिलों तथा 91 दिवसीय ख. बिलों पर दिया गया ब्याज, अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में अलग से नहीं दर्शाया गया है।

1998-99 में अर्थोपाय पेशगी पर ब्याज की दर बैंक की दर के साथ सम्बद्ध थी जो कि सीमा के भीतर तक पेशगियों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर तथा ओवरड्राफ्ट के लिए 11 प्रतिशत की वार्षिक दर पर नियत की गई थी। लगातार अर्थोपाय पेशगी का सहारा लेने के अतिरिक्त सरकार ने वर्ष के दौरान 11 बार ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया जिसके कारण 410 करोड़ रु का अधिक ब्याज देना पड़ा।

7.7 बाजार उधार


बाजार उधार में विशिष्ट अवधि के पश्चात् परिपक्व होने वाले तथा अलग-अलग ब्याज की विशिष्ट दर अर्जित करने वाले दिनांकित स्टॉक प्रमाणपत्रों/बांडों के माध्यम से निधियों का उगाहना सम्मिलित है।

पिछले पांच वर्षों में बाजार कर्जों का निवल परिवर्धन निम्नानुसार था :

तालिका 7.7 (i) : वापस अदायगियों के पश्चात् बाजार कर्जों का निवल परिवर्धन

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	वापस अदायगी	निवल परिवर्धन	बकाया बाजार कर्जे
1998-99	236525	83753	14766	68987	305512
1997-98	204027	43389	10891	32498	236525
1996-97	164935	26998	7905	19093	184028
1995-96	130934	39548	5547	34001	164935
1994-95	110608	21250	924	20326	130934




उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि 1998-99 के दौरान बाजार कर्जे में निवल परिवर्धन दुगने से भी अधिक हुआ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान बाजार कर्जों की वृद्धि निम्नानुसार थी :

तालिका 7.7 (ii) : बाजार कर्जों की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बकाया राशि	प्रदत्त ब्याज
1998-99	305512	28362
1997-98	236525	22170
1996-97	184028	19125
1995-96	164935	15856
1994-95	130934	13480



उपरोक्त तालिका से पता चलेगा कि बाजार कर्जों की बकाया राशि 1994-95 के अन्त में 130934 करोड़ रु से बढ़ कर मार्च 1999 के अन्त में 305512 करोड़ रु हो गई जो कि 133 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि बनती थी।

बाजार कर्जों में 133 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा इस पर ब्याज भुगतान पिछले पांच वर्षों में 110 प्रतिशत बढ़ा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान 174905 करोड़ रु बाजार उधारों के माध्यम से लोक ऋण में जोड़े गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज अदायगी कम करने के बाद संसाधनों में वास्तविक अभिवृद्धि केवल 75912 करोड़ रु हो गई। 1998-99 के दौरान वापस अदायगियां तथा ब्याज भुगतान की संगणना करने के बाद संसाधनों में निवल अभिवृद्धि 40625 करोड़ रु की थी जो कि वास्तविक प्राप्ति का 49 प्रतिशत है। बाजार कर्जों पर ब्याज भुगतान 1994-95 में 13480 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 28362 करोड़ रु हो गए, 110 प्रतिशत की वृद्धि थी। इन कर्जों पर ब्याज की दर 5.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत वार्षिक के बीच थी।

भा.रि.बैं. की 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुल बाजार कर्जों में अल्पकालिक कर्जों का अनुपात मार्च 1992 के अन्त में 75.8 प्रतिशत से तेजी से घटकर मार्च 1998 के अन्त में 18.2 प्रतिशत रह गया। अल्पकालिक ऋण बारम्बार उसकी वापस अदायगी के दायित्व का निर्वाह करने और परिशोधन की समस्या को अपरिहार्य बनाते हैं। बाजार ऋण की वापस अदायगी, अगले पांच वर्षों के दौरान वर्ष 1999-2000 में 16353 करोड़ रु से बढ़कर वर्ष 2003-2004 के दौरान अधिकतम 31252 करोड़ रु तक पहुंच जाएगी जैसा कि नीचे दी गई तालिका से सुस्पष्ट है:-

तालिका 7.7(iii) बाजार ऋणों का वापसी कार्यक्रम
(करोड़ रु में)

वर्ष	राशि
1999-2000	16353
2000-2001	28321
2001-2002	28260
2002-2003	28263
2003-2004	31252

कर्जे की वापस अदायगी के इस भारी दायित्व की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये, सरकार पिछले कर्जों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए और अधिक बड़े उधारों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाएगी।

7.7.1 भारि.बैं. पर बाजार उधारों का अन्तरण

1998-99 के लिए भारि.बैं. की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बाजार उधारों का भारि.बैं. पर अन्तरण जो कि पिछले चार वर्षों के दौरान बाजार द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था निम्न प्रकार था :

तालिका 7.7.1(i) : भारि.बैं. पर बाजार उधारों का अन्तरण
(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
1998-99	38205
1997-98	13028
1996-97	3698
1995-96	12655
1994-95	1752

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1997-98 में सही अर्थों में भारि.बैं. पर बाजार उधारों का अन्तरण 13028 करोड़ रु. का था। वर्ष 1998-99 के दौरान बाजार कर्जों में बढ़ोतरी 83753 करोड़ रु थी। इसमें से, 30,000 करोड़ रु की निजी नियोजन सहित काफी राशि भारि.बैं. पर अन्तरित कर दी गई जो कि 38205 करोड़ रु थी।

1998-99 के दौरान बाजार कर्ज पर भारि.बैं. नीलामी-वार अन्तरण निम्न प्रकार से था :-

तालिका 7.7.1 (ii) भा.रि.बैं. पर नीलामी-वार अन्तरण

(करोड़ रुपयों में)

नीलामी/निर्गम की तिथि	अधिसूचित राशि	भा.रि.बैं. पर अन्तरण	अन्य द्वारा अंशदान
24.04.98	5000.00	5000.00 ^B	--
27.05.98	4000.00	3999.50	0.50
04.06.98	5000.00	5000.00 ^B	--
01.07.98	4500.00	1772.31	2727.69
23.07.98	2500.00	1462.50	1037.50
07.09.98	4000.00	970.31	3029.69
16.10.98	3000.00	3000.00 ^B	--
02.11.98	5000.00	5000.00 ^B	--
20.11.98	2000.00	2000.00 ^B	--
03.12.98	2000.00	2000.00 ^B	--
18.01.99	3000.00	3000.00 ^B	--
29.1.99	5000.00	5000.00 ^B	--
जोड़	45000.00	38204.62	6795.38

उपरोक्त तिथियों पर अधिसूचित कुल राशि में से, भा.रि.बैं. पर अन्तरित 38205 करोड़ रु जो कि 85 प्रतिशत था, प्राथमिकता व्यापारी अंशदान 564 करोड़ रु था तथा अन्य बोलीदाताओं का अंशदान 6231 करोड़ रु था। जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जाएगा कि भा.रि.बैं. को अन्तरित राशि में से केवल 30000 करोड़ रु उन पर निजी श्रेणीकरण के कारण थे।

7.8 अन्य आन्तरिक देयताएं : लोक लेखा

लघु बचतें, भविष्य निधियां, अन्य लेखे (विशेष निक्षेपों, गैर सरकारी भविष्य निधियां इत्यादि) आरक्षित निधियां तथा निक्षेप लोक लेखे के भाग बनते हैं। लोक लेखे के शेष वार्षिक रूप से अग्रेनीत किये जाते हैं। लघु बचतों, भविष्य निधियों, अन्य लेखाओं, आरक्षित निधियों तथा निक्षेपों में निवल परिवर्धन सरकार की देयता को पर्याप्त रूप से जोड़ते हुये सरकार द्वारा संसाधन के रूप में उपयोग किये जाते हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न लोक लेखाओं में परिवर्धन, वापस अदायगी तथा शेषों की स्थिति निम्न प्रकार थी :

^B भा.रि.बैं. के पास निजी व्यवस्था

तालिका 7.8 : अन्य आन्तरिक देयताओं की वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
लघु बचत					
अथ शेष	124337	103928	91786	81710	67284*
परिवर्धन	54829	46194	33339	32810	34438
मूलधन की वापस अदायगी	27209	25785	21197	22734	20012
अन्तशेष (क)	151957	124337	103928	91786	81710
भविष्य निधियां					
अथ शेष	43440*	35026*	29611*	24721*	20592
परिवर्धन	18784	14755	11130	9561	8141
मूलधन की वापस अदायगी	7723	6339	5714	4643	4008
अन्तशेष (ख)	54501	43442	35027	29639	24725
अन्य लेखे (विशेष निक्षेप तथा गैर सरकारी भविष्य निधियां इत्यादि)					
अथ शेष	124087	100087	92009*	85787	72477*
परिवर्धन	20795	32818	17178	16508	16066
मूलधन की वापस अदायगी	18080	8818	9100	10285	2756
अन्तशेष (ग)	126802	124087	100087	92010	85787
निक्षेप					
अथ शेष	33809*	29599	27299*	23325*	20404
परिवर्धन	27103	35893	33637	28031	25139
मूलधन की वापस अदायगी	25330	31682	31337	24044	22217
अन्तशेष (घ)	35582	33810	29599	27312	23326
आरक्षित निधियां					
अथ शेष	8288*	7876*	6275*	5672*	4153*
परिवर्धन	14730	15820	14643	13907	11356
मूलधन की वापस अदायगी	17006	15409	12597	13211	9842
अन्तशेष (ड.)	6012	8287	8321	6368	5667
अन्त शेष का सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ड.)	374854	333963	276962	247115	221215
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	21.27	21.36	21.69	22.49	23.39

* पूर्व अवधि समायोजन के कारण अथ शेषों में परिवर्तन

* पूर्ण करने के कारण अथ शेषों में परिवर्तन

1998-99 के दौरान अन्य आन्तरिक देयताओं का कुल संचय 374854 करोड़ रु था जिसमें से 126802 करोड़ रु (33.83 प्रतिशत) विशेष निक्षेप तथा गैर सरकारी भविष्य निधियों इत्यादि तथा 151957 करोड़ रु (40.54 प्रतिशत) लघु बचतों के अन्तर्गत थे। शेष 96095 करोड़ रु (25.63 प्रतिशत) भविष्य निधि : 54501 करोड़ रु, निक्षेप : 35582 करोड़ रु तथा आरक्षित निधियां: 6012 करोड़ रु के सम्बन्ध में थे।

संघ सरकार की कुल अन्य आन्तरिक देयताएं 1994-95 के अन्त में 221215 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 के अन्त में 374854 करोड़ रु हो गयी जो कि 69.45 प्रतिशत की वृद्धि बनी। पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार ने घाटे का निधियन करने के लिए संसाधन के रूप में, लोक लेखे में 153639 करोड़ रु की निवल अभिवृद्धि का उपयोग किया।

पिछले पांच वर्षों की अवधि में अन्य आन्तरिक देयताएं 69.45 प्रतिशत बढ़ गई।

7.9 आन्तरिक उधारों का ऋण शोधन

खजाना बिलों सहित आंतरिक उधारों के ऋण शोधन (मूलधन की वापस अदायगी तथा ब्याज का भुगतान) की प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी :

तालिका 7.9(i) आन्तरिक ऋण का शुद्ध अन्तर्वाह

(करोड़ रुपयों में)


वर्ष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	ऋण शोधन		शुद्ध अन्तर्वाह	परिवर्धन के शुद्ध अन्तर्वाह की प्रतिशतता
		वापस अदायगी	ब्याज भुगतान		
1998-99	385283	314584	39832	30867	8.01
1997-98	368806	324282	31270	13254	3.59
1996-97	200507	163901	27233	9373	4.67
1995-96	174207	132805	22179	19223	11.03
1994-95	148556	127801	19168	1587	1.07

तालिका 7.9 (ii) : अन्य आन्तरिक देयताओं का शुद्ध अन्तर्वाह

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	ऋण शोधन		शुद्ध अन्तर्वाह	परिवर्धन के शुद्ध अन्तर्वाह की प्रतिशतता
		वापस अदायगी	ब्याज भुगतान		
1998-99	136241	95348	33686	7207	5.29
1997-98	145480	88033	30257	27190	18.69
1996-97	109927	79945	28022	1960	1.78
1995-96	100817	74917	23452	2448	2.43
1994-95	95140	58835	20866	15439	16.23

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि आन्तरिक ऋण का शुद्ध अन्तर्वाह जो 1997-98 के दौरान 3.59 प्रतिशत था, बाजार ऋणों, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगने हो गए थे, में अत्यधिक परिवर्धन के कारण वर्ष 1998-99 के दौरान बढ़कर 8.01 प्रतिशत हो गया।



अधिकतर उधारों/देयताओं का उपयोग वापस अदायगियों तथा ब्याज भुगतानों द्वारा किया जाता है।

अन्य आन्तरिक उधारों में शुद्ध अन्तर्वाह जो कि 1997-98 में परिवर्धन का 18.69 प्रतिशत था, 1998-99 के दौरान घटकर 5.29 प्रतिशत हो गया। घटने का एक कारण 6382 करोड़ रु के पेटोलियम बन्धपत्रों का प्रतिदान भी था। पांच वर्षों के दौरान संसाधन के शुद्ध अन्तर्वाह की प्रतिशतता यह संकेत करेगी कि अधिकतर उधारों तथा अन्य देयताओं में वृद्धि के बड़े भाग का उपभोग मूलधन की वापस अदायगी तथा ब्याज के भुगतान में किया गया।

7.10 संघ सरकार का बाह्य ऋण


पिछले पांच वर्षों की समाप्ति पर ऐतिहासिक विनिमय दरों पर बकाया बाह्य ऋण की वृद्धि निम्न प्रकार थी :-

तालिका 7.10 (i) : बाह्य ऋण की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
अथ शेष ^x	55335	54241	51251	50931	47347
परिवर्धन	10014	7859	9535	6759	9050
मूलधन की वापस अदायगी	8095	6768	6547	6441	5469
ऐतिहासिक दर पर अन्त शेष	57254	55332	54239	51249	50928
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	3.25	3.54	4.25	4.66	5.38
वर्तमान विनिमय की दर पर अंत शेष	177934	161442	149077	148583	142389
वर्तमान विनिमय की दर पर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	10.09	10.32	11.67	13.52	15.06

^x अथ शेषों में परिवर्तन पूर्व अवधि के समायोजन के कारण है।



स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में विनिमय की ऐतिहासिक दर पर बाह्य ऋण की बकाया-राशि 1994-95 में 5.38 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 3.25 प्रतिशत हो गई। तथापि, वास्तविक संदर्भ में बाह्य ऋण 1994-95 के अन्त में 50928 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 के अन्त में 57254 करोड़ रु हो

गया जिससे लगभग 12.42 प्रतिशत की वृद्धि बनती थी।

बाह्य ऋण का अन्तर्वाह 1994-95 से नकारात्मक हो गया है।

तथापि, चूंकि मूलधन की वापस अदायगी तथा ब्याज का भुगतान विनिमय की वर्तमान दर पर किया जाता है इसलिये बाह्य ऋण का वास्तविक परिमाण प्रचलित विनिमय दर पर उसका मूल्य है। तथापि सरकारी लेखे बाह्य ऋण को ऐतिहासिक दर पर प्रतिबिम्बित करते हैं। वर्तमान विनिमय की दर पर बाह्य ऋण 177934 करोड़ रु बना जो कि 1998-99 के अन्त में स.घ. उ. का 10.09 प्रतिशत था।

पिछले पांच वर्षों के लिए बाह्य ऋण के शुद्ध अन्तर्वाह की प्रवृत्ति (वर्ष के दौरान परिवर्धन में से मूलधन की वापस अदायगी तथा ब्याज के भुगतान को घटाकर) निम्न प्रकार से था:-

तालिका 7.10 (ii) : बाह्य ऋण का शुद्ध आगम

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	ऋण शोधन		शुद्ध आगम	शुद्ध आगम परिवर्धन की प्रतिशतता
		वापस अदायगी	ब्याज भुगतान		
1998-99	10014	8095	4364	(-) 2445	(-) 24.42
1997-98	7859	6768	4110	(-) 3019	(-) 38.41
1996-97	9535	6547	4223	(-) 1235	(-) 12.95
1995-96	6759	6441	4414	(-) 4096	(-) 60.60
1994-95	9050	5469	4026	(-) 445	(-) 4.92

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि बाह्य ऋण के आगम की प्रतिशतता के रूप में ऋण सेवा भुगतान जो कि 1994-95 में 105 प्रतिशत थे 1998-99 में 124 प्रतिशत तक ऊपर उछल गया जिसके परिणामस्वरूप संघ सरकार के संसाधनों से 2445 करोड़ रु का शुद्ध बहिर्गमन हुआ। वर्ष 1994-95 से ऋण सेवाओं के दबाव ने बाह्य ऋण के शुद्ध अन्तर्वाह को ऋणात्मक कर दिया। ऋण सेवाओं के प्रतिशत के रूप में शुद्ध अन्तर्वाह 1994-95 में ऋणात्मक 4.92 प्रतिशत था जो कि 1995-96 में 60.60 प्रतिशत तक बढ़ गया किन्तु 1998-99 में 24.42 प्रतिशत पर नीचे पहुंच गया।

7.11 अप्रयुक्त बचनबद्ध बाह्य सहायता

बचनबद्ध बाह्य सहायता की भारी राशि अप्रयुक्त रही जिस पर 47.59 करोड़ रु के बचनबद्धता प्रभारों का भुगतान किया गया था।

31 मार्च 1999 को अप्रयुक्त बचनबद्ध बाह्य सहायता 50157 करोड़ रु. की थी। बाह्य सहायता के उपयोग की कम गति अब विशेष रूप से चिन्ता की बात है जबकि शुद्ध अन्तर्वाहन कारात्मक हो गया है। अधिकांश अप्रयुक्त बाह्य सहायता, आधारीक संरचना सेक्टर की परियोजनाओं के लिए है। विद्युत 10320 करोड़ रु, सामाजिक 13353 करोड़ रु, जल संसाधन प्रबंधन 7205 करोड़ रु तथा सड़कें 5044 करोड़ रु कुछ मुख्य सैक्टर हैं। 31 मार्च 1999 को अप्रयुक्त बाह्य सहायता का क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट XIII में दिया गया है।

पिछले चार वर्षों के लिए अप्रयुक्त बचनबद्ध बाह्य सहायता निम्न प्रकार से थी:-

तालिका 7.11 अप्रयुक्त बचनबद्ध बाह्य सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
1998-99	50156.67
1997-98	47031.39
1996-97	44770.61
1995-96	48573.60

अप्रयुक्त बचनबद्ध बाह्य सहायता 1997-98 में 47031.39 करोड़ रु से बढ़कर 1998-99 में 50156.67 करोड़ रु हो गई जिससे 6.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्तीय स्थायी समिति (1995-96) – दसवीं लोक सभा ने अपनी तेरहवीं रिपोर्ट में भी इस बात को गम्भीरता से लिया था कि देश के बाह्य ऋण का एक बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के पड़ा है तथा देश को इन अनाहरित राशियों पर वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए समिति ने अनुभव किया कि इन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पुनरीक्षण की तुरन्त आवश्यकता थी ताकि उनके कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों का पता लगाया जा सके तथा सिफारिश की कि कर्जों के उपयोग में सुधार के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

7.12 बचनबद्धता प्रभार

विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी सरकारों से लिये गए बाह्य कर्जों के सम्बन्ध में हुये अनुबन्ध में बाद की तिथियों पर आहरण के लिए पुनः अनुसूचित मूलधन की राशि पर वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था है। क्योंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई अलग से शीर्ष नहीं है, यह ब्याज दायित्व शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये जाते हैं। पिछले पांच

वर्षों के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किये गए प्रभारों का विवरण निम्न प्रकार है :

तालिका 7.12 : वचनबद्धता प्रभार

(करोड़ रुपयों में)


क्र.सं.	उधारदाता का नाम	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
1.	ए.वि.बैं.	22.83	25.74	69.52	35.37	31.80
2.	फ्रांस	0.21	0.25	0.27	0.30	0.22
3.	जर्मनी	0.66	1.60	2.09	2.43	2.57
4.	अं.पु.वि.बैं.	23.89	22.06	21.41	20.12	24.25
5.	स्वीडन	--	--	0.48	0.72	0.79
	जोड़	47.59	49.65	93.77	58.94	59.63

ब्याज की उच्चतर दर पर बाजार कर्ज का दुगुना परिवर्धन हुआ जबकि सुलभ बाह्य कर्ज अप्रयुक्त पड़े रहे।

यह ध्यान देना रुचिकर है कि जैसा कि पैरा सं. 7.7 में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि बाजार कर्जों का परिवर्धन जो कि वर्ष 1997-98 के दौरान 43389 करोड़ रु था, बढ़ कर 83753 करोड़ रु होता गया। यह एक वर्ष में उस राशि से लगभग दुगुना हो

गया जिस पर विश्व बैंक तथा अन्य साधनों से लिए गए सुलभ बाह्य कर्जों पर ब्याज 0.75 प्रतिशत से 6.98 प्रतिशत के बीच था की तुलना में आन्तरिम रूप से लिये गये कर्जों पर सरकार 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच की भारी दर पर ब्याज का भुगतान कर रही थी। फिर भी ये कर्ज अप्रयुक्त पड़े रहे थे तथा सरकार को वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।


वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान पर 1968-69 में लोक लेखा समिति द्वारा अपनी पचपनवीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) के पैराग्राफ 2.35 में तथा प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) के पैराग्राफ 4.38 में अभिव्यक्त मामले के बावजूद यह 1994-95 में 59.63 करोड़ रु से बढ़ कर 1996-97 में 93.77 करोड़ रु तक पहुंच गया परन्तु 1997-98 में यह घटकर 49.65 करोड़ रु हो गया तथा फिर 1998-99 में घटकर 47.59 करोड़ रु हो गया।



पिछले दो वर्षों के दौरान बढ़ती हुई अनआहरित बचनबद्ध बाह्य सहायता के पृष्ठपट में बचनबद्धता प्रभारों के भुगतान में आकस्मिक कमी, जो कि असामान्य थी, के कारण लेखा सहायता एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

7.13 संघ सरकार की ऋणग्रस्तता

चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण की गणना करते हुये संघ सरकार की कुल ऋणग्रस्तता पिछले पांच वर्षों के लिए निम्न प्रकार थी:-



संघ सरकार की उपरोक्त ऋणग्रस्तता संघ सरकार वित्त लेखाओं पर आधारित है तथा देश की बाह्य ऋण ग्रस्तता से भिन्न है। वित्त लेखाओं में दर्शाये गए बाह्य ऋण के अतिरिक्त विदेशों से सार्वजनिक क्षेत्र उधार, विदेशी कर्जों से निधिबद्ध आयात, अनिवासी भारतीय (अ.भा.) तथा अन्य विदेशी मुद्रा (वि.मु.) निक्षेप तथा लेखे, वाणिज्यिक उधार तथा संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां, जो परोक्ष रूप से देश के बाह्य ऋण के लिए भी योगदान देती हैं, जैसी अन्य देयताएं हैं।

7.14 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

सरकार कुछ आर्थिक उद्यमों को, निवेशकों का क्रेडिट जोखिम कम करके विशेष कर क्रियाकलापों में, जहां निवेश का स्वरूप लम्बी अवधियों द्वारा वर्णन किया जाता है, प्रोत्साहित करने के लिए गारंटियां प्रदान करती है। जबकि गारंटियां ऋण का भाग नहीं होती, जैसा कि आम तौर पर माना जाता है, चूक होने पर, इससे सरकार की ऋण स्थिति के बदतर होने की संभावना होती है क्योंकि संघ सरकार की कुल देयता पहले ही काफी अधिक है। गारंटियों का मामला अवस्थापना तथा अधिक निवेश की अपेक्षा वाली परियोजनाओं में निजी क्षेत्र द्वारा भागीदारी के लिए बढ़ती आवश्यकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है।

गारंटियों की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किये हैं से सम्बन्धित स्थिति तथा 1994-99 के वर्षों के अन्त में बकाया गारंटित राशियां नीचे दी गई हैं।

तालिका 7.14 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अन्त में स्थिति	गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया	बकाया गारंटित राशियां (आन्तरिक एवं बाह्य)	बकाया बाह्य गारंटियां	कालम 4 से कालम 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1998-99	125210	74606	36530	48.96
1997-98	122044	73877	33445	45.27
1996-97	124705	69748	30839	44.21
1995-96	94761	65573	29345	44.75
1994-95	89563	63153	30268	47.93

7.14.1 गारंटी शुल्क

संघ सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा आन्तरिक उधारों पर एक प्रतिशत तथा बाह्य उधारों पर 1.2 प्रतिशत की दर पर गारंटी शुल्क उगाहना अपेक्षित है। गारंटी शुल्क गारंटी की तिथि तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उगाहया जाना था। यदि गारंटी शुल्क निर्धारित तिथि को न दिया गया हो तो उसे साधारण दर से दुगुनी दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए। जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है: प्राप्य गारंटी शुल्क की वसूलियां, सरकार के विभागों द्वारा प्रभावी ढंग से मॉनीटर नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की कम प्राप्ति हुई। पिछले पांच वर्षों के लिए बकाया गारंटित राशियों तथा प्राप्य एवं प्राप्त गारंटी शुल्क की प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी:-

तालिका 7.14.1 गारंटी शुल्क

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बकाया गारंटित राशियां			बकाया गारंटी शुल्क			प्राप्त किया गया कुल गारंटी शुल्क	कुल बकाया गारंटी से प्राप्त शुल्क की प्रतिशतता
	आन्तरिक	बाह्य	जोड़	आन्तरिक	बाह्य	जोड़		
1998-99	38076	36530	74606	381	438	819	320	0.43
1997-98	40432	33445	73877	404	401	805	221	0.30
1996-97	38909	30839	69748	389	370	759	146	0.21
1995-96	36228	29345	65573	362	352	714	167	0.25
1994-95	32885	30268	63153	329	363	692	194	0.31

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि संघ सरकार के निर्देशों के बावजूद गारंटी शुल्क की प्रभावी ढंग से वसूली नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप पांच वर्षों की अवधि के दौरान 2741 करोड़ रु के गारंटी शुल्क की कम वसूली हुई।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि भारतीय ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को ऋण वापस चुकाने में विफलता के कारण, रसायन एवं पेटोरसायन विभाग भी 1986 में मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज को सम्मिलित करते हुए भारतीय जीवन बीमा द्वारा आह्वान की गई 20.39 करोड़ रु की गारंटी को छुड़ाने में विफल रहा।

एक अन्य मामले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 16 करोड़ रु के मूलधन एवं मार्च 1999 के अन्त में देय 36.38 करोड़ रु के चक्रवृद्धि ब्याज को वापस चुकाने में विफलता से 1988 में जीवन बीमा निगम ने उर्वरक विभाग के प्रति गारंटी का आह्वान किया। यह गारंटी भी नहीं छुड़ाई गई थी।

सरकार द्वारा अपनी राजकीय गारंटी का सम्मान करने में विफल रहने पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 1999 तथा 2000 के प्रतिवेदन सं.2 (सिविल) में शामिल की गई है।

7.15 लोक ऋण का प्रभाव

लोक ऋण की निरन्तर बढ़ती हुई राशि का व्यय के अन्य क्षेत्रों तथा लोक वित्त के पहलुओं पर अपरिहार्य प्रभाव होता है। ऋण शोधन दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध दायित्व सार्वजनिक खर्च के लगभग आधे भाग के लिए होता है तथा व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों को उगाहने के अतिरिक्त ऋण शोधन के दायित्व को निभाने के लिए सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुये व्यय के लिए आवश्यकताओं को व्यय कम करने और घाटा घटाने की जरूरत के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना है।

7.15.1 बजट पर संसद का नियंत्रण

ऋण शोधन में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत की समेकित निधि में से कुल संवितरण का अत्यधिक भाग निधि पर प्रभारित किया जाता है अर्थात् इस पर संसद द्वारा मतदान की आवश्यकता नहीं है। अब कुल बजटीय व्यय का एक-तिहाई से भी कम भाग संसद के स्वनिर्णय के अधिकार क्षेत्र में है तथा इस पर मतदान होता है। 1998-99 के दौरान भारत की समेकित निधि से 694929 करोड़ रु के कुल संवितरण में से 67.45 प्रतिशत अर्थात् 468701 करोड़ रु की राशि प्रभारित व्यय था। प्रभारित व्यय में से 85.46 प्रतिशत का उपयोग ऋण शोधन दायित्वों अर्थात् कर्जे की किश्तों की वापस अदायगी तथा ब्याज का भुगतान करने के लिए किया गया था।

अध्याय VIII : लेखाओं की परिशुद्धता

8.1 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियन्त्रकों/नियन्त्रकों/प्र.भु.ले.अ. द्वारा इसे प्रस्तुत किये गए विवरणों के आधार पर संघ सरकार के मासिक लेखाओं को समेकित करने तथा उस आधार पर वार्षिक लेखाओं (संक्षिप्त सिविल विनियोग लेखाओं सहित) को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। महालेखा नियन्त्रक केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाओं के लेखाविधि पर्याप्त मानदण्ड के अनुरक्षण के निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। इस अध्याय में टिप्पणियां लेखांकन कार्यों में विश्वसनीयता तथा पर्याप्तता के मानदण्ड के सन्दर्भ में संकलन तथा समेकन प्रक्रिया से सम्बन्धित है। इसमें चुनी हुई विभागीय लेखांकन इकाइयों की कार्य प्रणाली पर टिप्पणियां भी शामिल है।

8.2 लेखाओं का असमाधान

वित्त लेखे में दर्शाये गए आंकड़े व्यय तथा प्राप्ति के उन आंकड़ों, जिन्हें विभिन्न भुगतान एवं लेखा कार्यालयों की बहियों में दर्ज किया जा चुका है तथा बाद में समेकित किया जाता है, को निरूपित करते हैं। ऐसा प्रत्येक लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी बहियों में दर्ज प्राप्तियों व भुगतानों को भी निरूपित करता है। वर्ष के अन्त में सरकारी लेखाओं में लेन-देनों का निवल प्रभाव “भा.रि.बैं. के पास जमा राशि” द्वारा निरूपित होता है। यह राशि जो सरकार तथा भा. रि.बैं. दोनों की बहियों में होती है, सामान्यतः मेल खानी चाहिए। इन दो राशियों के बीच अन्तर, यदि कोई हो तो लेखाओं की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए उसका समाधान तथा सन्तोषपूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.19.4 में इन आंकड़ों के समाधान के लिए व्यवस्था है। तथापि लेखाओं से यह देखा गया है कि वित्त लेखे में 31 मार्च 1999 को ‘भा.रि.बैं. के पास जमा राशि’ 3525 करोड़ रु. डेबिट के रूप में दर्शायी गई है जबकि भा.रि.बैं. द्वारा सूचित की गई राशि 2927 करोड़ रु. डेबिट थी जिससे दो राशियों के बीच 598 करोड़ रु. का अन्तर प्रकट हुआ। अन्तर का समाधान नहीं किया गया था।

पिछले चार वर्षों के दौरान भा.रि.बैं. के पास पड़े शेषों के पुस्तक आंकड़ों तथा पूर्ण रूप से संघ सरकार के वित्त लेखाओं में प्रकट लेखा आंकड़ों के बीच अन्तर निम्न प्रकार से है:

तालिका 8.2: रि.बैं.ज. के पुस्तक आंकड़ों तथा लेखा आंकड़ों के बीच अन्तर

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)		
	वित्त लेखाओं के अनुसार आंकड़े	भा.रि.बैं. द्वारा सूचित आंकड़े	अन्तर
1998-99	3525	2927	598
1997-98	3289	2679	610
1996-97	2377	2071	306
1995-96	2832	2499	333

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि समाधान न किए गए आंकड़ों के अन्तर बढ़ रहे हैं। समाधान न किए गए अन्तर के कारणों की जांच की जानी चाहिए तथा इसके परिणाम लेखापरीक्षा को भेजे जाने चाहिए।

8.3 शेषों का पुनरीक्षण नहीं किया जाना

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 13.13.1 तथा 13.13.2 के अनुसार वित्त वर्ष के अन्त में भु. ले.अ. विभिन्न ऋण, निक्षेप तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का पुनरीक्षण तथा सत्यापन करेंगे तथा जहां आवश्यक हो यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या लोगों/दलों ने, जो शेषों के स्वामी हैं या जिन्हें ये देय हैं और जिनसे हर वर्ष समाधान न किये गए अन्तरों को दर्शाने वाली एक विस्तृत विवरणी 15 सितम्बर तक भेजनी होती है तथा जहां शेषों की स्वीकारोक्ति के मामले प्रतीक्षित हैं, शेषों की शुद्धता स्वीकार कर ली है। प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा मंत्रालय/विभाग की कुल मिलाकर एक समेकित रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को महालेखा नियन्त्रक को भेजनी होती है। इस पुनरीक्षण का उद्देश्य विभिन्न लेखा बहियों के अनुरक्षण की गुणवत्ता का पता लगाना और ऋण, निक्षेप तथा प्रेषणों के आंकड़ों का मिलान करना है। सिविल विभागों के संबंध में वर्ष 1998-99 के लिए शेषों का पुनरीक्षण केवल राष्ट्रपति सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय विभाग तथा भु.ले.का. ने सम्पन्न किया है।

शेष प्रधान लेखा कार्यालयों ने शेषों का पुनरीक्षण पूरा नहीं किया है और उस स्तर पर ऋण, निक्षेप और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शेषों की यथार्थता की जांच नहीं की गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1999 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 11.10 में इसका उल्लेख भी किया गया था। उसके बावजूद लगभग सभी प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों का पुनरीक्षण पूरा नहीं किया गया था।

8.4 उच्चत शेषों के अन्तर्गत बकाया

सरकारी लेखा नकद आधार पर रखा जाता है। अधिकतर लेन-देन अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको पर चैक काट कर किये जाते हैं वे भी सरकार की ओर से धन प्राप्त करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का मुख्य बैंक है तथा सरकारी लेन-देन करते समय अन्य प्राधिकृत बैंक इसके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। बैंकों के माध्यम से लेन देनों का समय अवधि में सरकार के नकद शेष पर अंतिम प्रभाव पड़ता है। उससे पूर्व कुछ मध्यवर्ती/समायोज्य शीर्ष संचालित किये जाते हैं तथा सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय को ठीक-ठीक दिखाने के लिए उनके अन्तर्गत की गई बुकिंग को यथाशीघ्र अंतिम रूप से समायोजित किया जाता है।

प्राप्तियां तथा भुगतान, जो उनकी प्रकृति के संबंध में सूचना अथवा अन्य कारणों से लेखे के अंतिम शीर्ष को बुक नहीं किये जा सकते हैं, के लेन-देनों को दर्शाने के लिए सरकारी लेखे में "उच्चत शीर्ष" के रूप में जाने गए कुछ मध्यवर्ती/समायोज्य लेखा शीर्ष खोले जाते हैं। ये लेखा शीर्ष अन्ततः माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा समायोजित किये जाते हैं। यदि ये राशियां गैरसमाशोधित रही तो उच्चत शीर्ष के अन्तर्गत शेष संचित होते जायेंगे तथा राज्य सरकार के लेखे की सही तस्वीर नहीं दिखायेंगे।

साधारणतया उच्चत लेखाओं के विविध लघु शीर्ष का महत्व उनमें निवल शेषों से जाना जाता है वे उस विशेष वर्ष के वित्त लेखे में दर्शाये जाते हैं तथा निवल शेष वर्षानुवर्ष अग्रनिर्णय किये जाते हैं। उस विशिष्ट लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया के वास्तविक महत्व का अन्दाजा उस विशिष्ट लघु शीर्ष के डेबिट तथा क्रेडिट के अलग-अलग पक्षों के अन्तर्गत पड़े प्रणामी बकाया शेषों जिनका अन्ततः सरकार के नकद शेषों पर प्रभाव पड़ता है, का अध्ययन करके लगाया जा सकता है। तथापि, वित्त लेखे में डेबिट तथा क्रेडिट के निवल आंकड़े उच्चत के विविध लघु शीर्षों के अन्तर्गत अथवा अन्त शेष के रूप में दिखाई देते हैं। अतः आंकड़ों को निवल करने से उच्चत लेखा द्वारा दर्शाई जाने वाली वास्तविक भयंकर स्थिति से ध्यान हट जाता है। उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत सभी शेषों की थोड़े-थोड़े अन्तराल पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मामले में लागू नियमों को महत्व देते हुये साधारण प्रक्रिया में कोई भी मद इसमें समाशोधन के लिए उपयुक्त रूप से आवश्यकता से अधिक समय तक असमायोजित न रहे। इस प्रकार इन राशियों को शीघ्रता से समाशोधित करने तथा उन्हें उपयुक्त लेखाओं के शीर्षों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।

8.4.1 मुख्य उचन्त लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष

पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेषों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.4.1 मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष

(करोड़ रुपयों में)

लेखा शीर्ष	31 मार्च को निवल शेष				
	1999	1998	1997	1996	1995
भुगतान एवं लेखा कार्यालय उचन्त (भु.ले. का.उचन्त)	₹. 10.11	₹.201.60	₹. 262.90	₹. 217.19	₹ 267.98
उचन्त लेखा (सिविल)	₹. 529.89	₹. 488.82	₹. 354.84	₹. 456.84	₹ 568.99
उचन्त लेखा (डाक)	₹. 471.38	₹. 760.17	₹. 68.66	₹. 48.64	₹ 97.41
उचन्त लेखा (रक्षा)	₹. 2417.07	₹. 1621.72	₹. 980.42	₹. 794.38	₹ 635.18
उचन्त लेखा (रेलवे)	₹. 286.60	₹. 163.79	₹. 145.08	₹. 121.30	₹. 215.52
उचन्त लेखा कार्यालय (दूरसंचार)	₹. 1586.46	₹. 1398.71	₹. 1700.10	₹ 2017.58	₹.1830.01
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त	₹. 742.77	₹. 498.86	₹. 563.28	₹. 498.73	₹ 581.35
विदेश में की जाने वाली खरीद के लिए उचन्त लेखा	₹. 1850.71	₹. 1336.52	₹. 2151.68	₹. 1848.78	₹ 1426.68
रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	₹. 369.38	₹. 369.32	₹. 198.95	₹. 172.77	₹. 178.12
रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	₹. 55.86	₹. 23.94	₹ 1.41	₹ 1039.45	₹. 48.49
रोकड़ परिशोधन उचन्त	₹. 226.16	₹ 258.15	₹. 205.26	₹ 191.38	₹. 186.40
बट्टा शोधन निधि	₹. 1967.60	₹ 3218.69	₹ 4273.09	₹ 3004.91	₹. 2005.61
अन्य	₹. 930.49	₹. 1238.23	₹ 1007.33	₹ 253.59	₹. 127.48
जोड़	₹. 10594	₹. 10792	₹ 11515	₹ 10320	₹ 7716

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि उचन्त लेखे (सिविल), उचन्त लेखे (रक्षा), उचन्त लेखे (रेलवे), उचन्त लेखा कार्यालय (दूरसंचार), सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त, विदेश में की जाने वाली खरीद के लिए उचन्त लेखे, रि.बैं.उचन्त (मुख्यालय) तथा रिजर्व बैंक उचन्त, केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत निवल शेष 1998-99 में पिछले वर्ष से बढ़े हैं। भु.ले.का. उचन्त, उचन्त लेखे (डाक) रोकड़ परिशोधन उचन्त तथा बट्टा शोधक निधि के अन्तर्गत शेष 1998-99 में पिछले वर्ष से कम हुये हैं।

उचन्त शेषों को उस उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके लिए उचन्त शीर्ष बनाए गए हैं। जबकि कुछ मामलों अर्थात् 'बट्टा शोधन निधि' तथा 'विदेश में की जाने वाली खरीद

के लिए उचन्त लेखा' में राशियां प्रारम्भ में दी गई समयावधि में अथवा यथाशीघ्र अन्तिम निपटान के लिए उचन्त लेखे में बुक की जाती हैं, अन्य राशियां उन की अपूर्णता को निरूपित करती हैं। जबकि बट्टा शोधन निधि का मूल बुकिंग के पांच/छः वर्षों के अन्दर निपटान किया जाना है, अन्य जिनमें विदेश में की जाने वाली खरीद के लिए उचन्त लेखा शामिल है, का यथाशीघ्र आदर्शतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाना चाहिए। उचन्त लेखे में बकाया शेष अथवा उनकी वृद्धि प्रशासन तथा शेषों के निपटान में लेखा नियंत्रक की ढिलाई की द्योतक है।

'बट्टा शोधन निधि' तथा 'विदेश में की जाने वाले खरीद के लिए उचन्त लेखा' के अधीन मदों को छोड़ कर, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचन्त लेखे में बुक करने के लिए ही डिजाईन किया जाता है, अन्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत शेष बढ़ते रहे।

कुछ नियमित रूप से संचालित लघु शीर्षों के उचन्त लेखाओं के संचालन के सिद्धांतों का सार नीचे दिया गया है:

भु.ले.का. (उचन्त)

यह लघु शीर्ष संघ सरकार/सं.रा.क्षे. के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों की बहियों में उत्पन्न होने वाले अन्तर्विभागीय तथा अन्तःसरकारी लेन-देनों के निपटान के लिए परिचालित किया जाता है तथा म.ले. द्वारा यह तब परिचालित किया जाता है जब अंतर्ग्रस्त अन्य पार्टी भुगतान एवं लेखा कार्यालय हो ताकि एक अन्य लेखा अधिकारी की ओर से एक लेखा अधिकारी द्वारा की गई वसूलियों अथवा किए गए भुगतानों जिनका समायोजन, उस लेखा अधिकारी जिसके प्रति लघु शीर्ष परिचालित किया गया है की बहियों में अंतिम लेखा शीर्षों में किया गया है, को दर्ज किया जा सके। की गई वसूलियों के लिए शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है तथा किये गए भुगतानों के लिए शीर्ष को डेबिट किया जाता है। की गई वसूलियों/भुगतानों के लिए चैक के निर्गम/प्राप्ति पर शीर्ष(-) क्रेडिट (-) डेबिट, जैसी भी स्थिति हो, किया जायेगा।

1998-99 में भु.ले.क. उचन्त ने 10.11 करोड़ रु. का डेबिट शेष दर्शाया। यह शेष संबंधित लघु-शीर्षों के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियों का निवल प्रभाव है जिसके निपटान हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालन किया जाना अपेक्षित है। चूंकि निवल प्रभाव का चित्रण, अन्तर्ग्रस्त समायोजन का महत्व नहीं दर्शा सका, अतः वित्त लेखाओं में प्रविष्टि की समुचित रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।

उचन्त लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष, उन लेन देनों के लेखांकन हेतु परिचालित किया जाता है, जो किसी विशेष सूचना/दस्तावेजों जैसे - वाउचर, चालान आदि की कमी के कारण व्यय अथवा प्राप्ति के

आतम शीर्ष में नहीं लिये जा सकते हैं। प्राप्तियां दर्ज करने के लिए यह लघु शीर्ष क्रेडिट तथा व्यय के लिए डेबिट किया जाता है। वांछित सूचना प्राप्त होने पर यह लघु शीर्ष लेखे के सम्बंधित शीर्ष को क्रेडिट/डेबिट, जैसा भी मामला हो, करके दूसरी ओर (-) क्रेडिट/(-) डेबिट करके समायोजित किया जाता है। यह लघु शीर्ष आगे 14 उपशीर्षों में विभाजित किया गया है।

1998-99 में उचन्त लेखे (सिविल) ने 529.89 करोड़ रु. का डेबिट शेष दर्शाया। यह शेष संबंधित लघु-शीर्षों के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियों का निवल प्रभाव है जिसके निपटान हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालन किया जाना अपेक्षित है। चूंकि निवल प्रभाव का चित्रण, अन्तर्ग्रस्त समायोजन का महत्व नहीं दर्शा सका, अतः वित्त लेखाओं में प्रविष्टि की समुचित रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।

सा.क्षे.बैं. उचन्त

यह लघु शीर्ष उन भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा परिचालित किया जाता है जिनका अधिकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। भु.ले.का. द्वारा जारी किये गए चैकों तथा अधिकृत बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि इस लघु शीर्ष को क्रेडिट की जाती है। इसी प्रकार प्राप्ति स्कूल के जरिए सा.क्षे.बैं. द्वारा सूचित प्राप्ति की राशियां इस शीर्ष को डेबिट की जाती हैं। भा.रि.बैं. (के.ले.का.) नागपुर से समायोजन की सूचना देते हुये लेखाओं के प्राप्त होने पर सा.क्षे.बैं. उचन्त के अन्तर्गत मूल बुकिंग को (-)क्रेडिट/ (-) डेबिट, जैसा भी मामला हो, द्वारा समायोजित किया जाता है।

1998-99 में सा.क्षे.बैं. उचन्त ने 742.77 करोड़ रु. का डेबिट शेष दर्शाया। यह शेष संबंधित लघु-शीर्षों के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियों का निवल प्रभाव है जिसका निपटान हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालन किया जाना अपेक्षित है। चूंकि निवल प्रभाव का चित्रण, अन्तर्ग्रस्त समायोजन का महत्व नहीं दर्शा सका, अतः वित्त लेखाओं में प्रविष्टि की समुचित रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।

रोकड़ परिशोधन उचन्त

यह लघु शीर्ष उसी भुगतान एवं लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले लोक निर्माण मण्डलों के बीच लेन देनों के निपटारे के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा लोक निर्माण कार्य मण्डलों से संकलित लेखे प्राप्त करने वाले भु.ले.का. द्वारा परिचालित किया जाएगा। यह लघु शीर्ष आरम्भिक रूप से किसी लोक निर्माण मण्डल द्वारा एक अस्थायी शीर्ष के रूप में परिचालित किया जाता है जो इस शीर्ष को डेबिट करके अन्य निर्माण कार्य मण्डलों को सेवा/आपूर्तियां प्रदान करते हैं। इस शीर्ष को तब क्रेडिट किया जाता है जब एक मण्डल दूसरे मण्डल की ओर से कुछ प्राप्तियां/राजस्व स्वीकार करता है। चैक/बैंक ड्राफ्ट के प्राप्त होने अथवा अन्य मण्डल से/ को चैक/बैंक ड्राफ्ट जारी होने पर, जैसा भी मामला हो, इस शीर्ष को (-) डेबिट/(-)

क्रेडिट किया जाता है। अप्रैल 1993 के पश्चात् यह शीर्ष मंत्रिमण्डल सचिवालय को छोड़कर केन्द्रीय भु.ले.का. द्वारा नई बुकिंग के लिए परिचालित नहीं किया जाएगा यद्यपि कि पुराने शेष इससे क्लियर किये जा सकते हैं।

1998-99 में रोकड़ परिशोधन उचन्त ने 226.16 करोड़ रु. का डेबिट शेष दर्शाया। यह शेष संबंधित लघु-शीर्षों के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियों का निवल प्रभाव है जिसका निपटान हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालन किया जाना अपेक्षित है। चूंकि निवल प्रभाव का चित्रण, अन्तर्ग्रस्त समायोजन का महत्व नहीं दर्शा सका, अतः वित्त लेखाओं में प्रविष्टि की समुचित रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।

तथापि अप्रैल 1993 के पश्चात् प्रचालित न करने के लिए म.ले.नि. द्वारा निर्देश जारी किये जाने के बावजूद भु.ले. का, जल संसाधन तथा शहरी मामले एवं रोजगार द्वारा नई बुकिंग के लिए यह लघु शीर्ष अभी भी परिचालित किया जा रहा है।

रिजर्व बैंक उचन्त, केन्द्रीय लेखा कार्यालय

यह लघु शीर्ष संघ सरकार की बहियों में राज्य सरकारों को कर्जों के भुगतान, सहायता अनुदान, आयकर के हिस्से, संघ उत्पाद शुल्क के हिस्से के भुगतान के लिए प्रचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत किया जाता है, तो सम्बद्ध व्यय शीर्ष डेबिट किया जाता है तथा इस शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखाओं को समायोजित करते हुये भा.रि.बैं. से लेखाओं के मासिक विवरणों की प्राप्ति पर 8675-रिजर्व बैंक के पास निक्षेप-101-केन्द्रीय सिविल को क्रेडिट करके यह लघु शीर्ष माइनस क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कर्जों की चुकौती तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय कर्जों/ब्याज शीर्ष को क्रेडिट करके यह शीर्ष डेबिट किया जाता है। भा.रि.बैं.(के.ले.अ.) नागपुर से लेखाओं की मासिक विवरणी के प्राप्त होने पर 8675-101, रिजर्व बैंक के पास निक्षेप-केन्द्रीय सिविल को दूसरी तरफ डेबिट करके इस शीर्ष से माइनस डेबिट किया जाता है।

1998-99 में रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय ने 55.86 करोड़ रु. का क्रेडिट शेष दर्शाया है। यह शेष संबंधित लघु-शीर्षों के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियों का निवल प्रभाव है जिसका निपटान हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालन किया जाना अपेक्षित है। चूंकि निवल प्रभाव का चित्रण, अन्तर्ग्रस्त समायोजन का महत्व नहीं दर्शा सका, अतः वित्त लेखाओं में प्रविष्टि की समुचित रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।

विदेश में की जाने वाली खरीद के लिए उच्चत लेखा

यह लघु शीर्ष सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की बहियों में विदेशी सरकार से प्राप्त संवितरण सूचना के जरिए मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी कर्ज/अनुदान की प्राप्ति के लिए परिचालित किया जाता है। कर्जों/अनुदानों की प्राप्ति पर बाह्य ऋण /अनुदान शीर्ष को क्रेडिट कर यह शीर्ष डेबिट किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट सिविल निक्षेप शीर्ष 8443- 113 के अन्तर्गत आयातकों द्वारा विदेशी कर्जों/अनुदानों के अन्तर्गत उनके द्वारा की गई खरीदों के प्रति किये गए निक्षेपों के साथ क्रेडिटों का मिलान करके क्लियर किया जाता है।

1998-99 में विदेश में की जाने वाली खरीद के लिए उच्चत लेखा में 1850.71 करोड़ रु. का डेबिट दर्शाया। पिछले वर्ष की तुलना में बकाया जो विभिन्न आयातकों से सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली राशि प्रतिबिम्बित करते हैं वह 514.19 करोड़ रु. तक बढ़ गये।

आयातकों से बड़ी राशियां बकाया है जबकि सरकार ने आयात के लिए पहले ही भुगतान कर दिये हैं।

प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत आयात हेतु लाईसेंस की शर्तों में जहां निक्षेप, विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किए जाते हैं वहां आयातक से 9 प्रतिशत की दर पर ब्याज की वसूली का प्रावधान है तथा जहां रुपए के निक्षेप विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान की तिथि से 30 दिन के बाद किए जाते हैं वहां ब्याज की दर पहले 30 दिन के लिए 9 प्रतिशत तथा 30 दिन के बाद की अवधि के लिए 15 प्रतिशत होगी। ब्याज की ये दरें 31 अगस्त 1983 तक लागू थीं।

सितम्बर 1983 से, 30 दिन के अन्दर किए जाने वाले निक्षेप के लिए ब्याज की दर बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दी गई है। उन मामलों में जहां निक्षेप 30 दिन के बाद किए जाते हैं, वहां ब्याज पहले 30 दिन के लिए 12 प्रतिशत तथा 30 दिन के बाद की अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाता है।

चुने हुये आयातक-वार विवरण दर्शाने वाली सूची परिशिष्ट XIV में दी गई है। परिशिष्ट से यह भी देखा गया है कि विभिन्न आयातकों से जैसे पवन हंस हैलीकाप्टर: 108.74 करोड़ रु., एन.एच.पी.सी.: 12.19 करोड़ रु., एन.टी.पी.सी.: 102.88 करोड़ रु., एम.एम.टी.सी.: 37.81 करोड़ रु., अनपाड़ा यू.पी.एस.ई.बी., 88.65 करोड़ रु., रेलवे बोर्ड: 52.98 करोड़ रु., ए.पी.एस. ई.वी. हैदराबाद : 70.03 करोड़ रु., हिन्दुस्तान जिंक एड:106.53 करोड़ रु., तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया: 182.45 करोड़ रु., पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम : 254.64 करोड़ रु., निजामुद्दीन पुल (एमओएसटी) 28.74 करोड़ रु., रायल सीमा थर्मल विद्युत परियोजना: 57.23 करोड़ रु. हैलीकॉप्टर कार्पोरेशन आफ इंडिया: 21.91 करोड़ रु., उड़ीसा पॉवर सेक्टर रिफार्म: 36.48 करोड़ रु., फर्टिलाइजर सेक्टर: 102.16 करोड़ रु., कृषि मन्त्रालय: 21.87 करोड़ रु., पिपावव पोर्ट शिप ब्रेकिंग प्रॉजेक्ट, गुजरात: 26.67 करोड़ रु., महाराष्ट्र पॉवर: 38.31 करोड़ रु. तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: 27.37 करोड़ रु. की

भारी राशि लेनी बकाया है। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से यह देखा गया कि 1998-99 में विभिन्न आयातकों की ओर से खरीदों की गई हैं जबकि पूर्व वर्षों, यहां तक कि कुछ मामलों में दस वर्षों की खरीदों के भुगतान उनसे अभी तक बकाया है।

आयातकों से निक्षेपों की वसूली के पश्चात् ब्याज परिकलित करके वसूल किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1999 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 11.3.3. में भी इसका उल्लेख किया गया था।

इस उच्चतम शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इतनी अधिक राशि को दृष्टिगत रखते हुए आयातकों से प्राप्य राशियों की वसूली करने का कार्य करने वाले अधिकारियों को वसूली करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।

8.5 प्रतिकूल शेषों की बढ़ती हुई संख्या

प्रतिकूल शेष नकारात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रकट होते हैं जहां सामान्य रूप से नकारात्मक शेष नहीं होता है। उदाहरण के लिए किसी कर्ज या अग्रिम लेखा शीर्ष के प्रति नकारात्मक शेष मूल रूप से अग्रेषित राशि से अधिक अदायगी का संकेत देगा। ऐसी स्थितियां अधिकतर लेखा त्रुटियों या लेखावर्गीकरण के वैज्ञानिक अथवा एक लेखा इकाई का विभिन्न इकाइयों में प्रशासनिक पुनर्गठन से प्रकट होने वाली स्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं।

वर्ष 1998-99 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं में ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष के 63 मामले हैं जैसा कि परिशिष्ट XV में दिखाया गया है। इन में से वर्ष 1998-99 के दौरान 16 शेष प्रतिकूल हुए। 47 मामले पूर्व वर्षों से वित्त लेखाओं में निरन्तर चले आ रहे हैं। 47 पुराने मामलों में से पांच शेष 1976-77 अर्थात् विभागीयकरण की अवधि के पूर्व से ही प्रतिकूल हैं, तथा 42 शेष 1979-89 से 1997-98 तक के प्रतिकूल हैं। पूर्व वर्षों की भांति ये सभी मामले एक टिप्पणी के द्वारा यह उल्लेख करते हुए मान लिए गए हैं, कि प्रतिकूल शेषों की छानबीन की जा रही है। परन्तु अभी तक उस छानबीन का कोई परिणाम लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

ये विभिन्न लेखा परिमण्डलों के शेषों को एक साथ लेने पर समस्त प्रभाव को निरूपित करते हैं। इकाई/लेखा परिमण्डलों के स्तर पर प्रतिकूल शेष भुगतान तथा लेखा कार्यालयों एवं प्रधान लेखा कार्यालयों की बहियों में भी प्रकाश में आते हैं परन्तु इनमें से कई प्रतिकूल शेष छुप जाते हैं क्योंकि ये शेष इस समय जुड़ जाते हैं जब लेखा परिमण्डलों के लेखे समेकित किए जाते हैं।

8.6 बैंकों तथा बिलों के अन्तर्गत भारी बकाया

यह शीर्ष ऐसे लेन-देनों के आरम्भिक रिकार्ड के लिए एक मध्यवर्ती लेखांकन युक्ति है जो अंततः समाशोधित/वापस किए जाने होते हैं। लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के अन्तर्गत सरकार के प्रति दावों का भुगतान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि. बैं अथवा मंत्रालय/विभाग के अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की शाखाओं पर बैंक काट करके किया जाता है।

उपयुक्त बिल फार्म में भु.ले.अ/ विभागीय अधिकारी को जब दावे प्रस्तुत किये जाते हैं, तो भु.ले. अ./विभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित जांच करने तथा भुगतान आदेश दर्ज करने के पश्चात् बैंक जारी करके भुगतान प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में मुख्य शीर्ष 8670-बैंक एवं बिल को सुपुर्द किए गए बैंकों की कुल राशि से क्रेडिट किया जाता है। जारी किये गए बैंकों के प्रति उनके द्वारा किये गये भुगतान को दशति हुये तिथिवार मासिक विवरण (ति.मा.वि.)/सा.क्षे.बैं./भा.रि.बैं.(के.ले.अ.), नागपुर से शेषों का मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष 8670 बैंक एवं बिल-माइनस क्रेडिट किया जाता है तथा 8658-108 सा.क्षे.बैं.उचन्त/ 8675-101 रिजर्व बैंक में निक्षेप-केन्द्रीय सिविल, जैसा भी मामला हो, को क्रेडिट दिया जाता है।

1998-99 के वित्त लेखों में बैंक एवं बिलों के निम्नलिखित लघु शीर्षों के अन्तर्गत भारी राशियां बकाया पड़ी हैं।

(करोड़ रु में)

पूर्व लेखापरीक्षा बैंक	के.	0.16
भुगतान एवं लेखा कार्यालय बैंक	के.	5745.20
विभागीय बैंक	डे.	150.11
खजाना बैंक	के.	4.62
इरला बैंक	के.	1.32
दूरसंचार लेखा कार्यालय बैंक	के.	2158.01
डाक बैंक	के.	12051.36
रेलवे बैंक	के.	266.80
डिपॉसिट बैंक	के.	2670.53

मूल प्रविष्टि को पलट कर अर्थात् 8670-बैंक एवं बिल को माइनस क्रेडिट करके तथा कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष जिसे व्यय मूलतः डेबिट किया गया था को माइनस डेबिट करके कालबाधित बैंक को रद्द करना होता है।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 47 के उपनियम (2) में भी यह परिकल्पित है कि जारी होने की तिथि से छः माह तक की अवधि तक भुगतान के बिना रहे तथा पुनः वैध करने के लिए अभ्यर्पित न किये गए चैकों के मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। रद्द किये गए चैकों की राशि को लेखाओं के बटूटे-खाते डाला जाना चाहिए जैसा कि नियमों में निर्धारित है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत इतना भारी बकाया यह दर्शाता है कि लेखांकन प्राधिकारी नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार कोई उपचारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। चैकों तथा बिलों के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी नकद शेष अधिक दशयि गये हैं।

इसके अतिरिक्त विभागीय चैकों के अन्तर्गत शेष प्रतिकूल था अर्थात् जारी किये गए चैकों के मूल्य से अधिक भुगतान प्राधिकृत किया गया था। शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष प्रस्तुत करने में अन्वियों के साथ प्र.भु.ले.का., सी.बी.ई.सी. का मुख्य योगदान था। कम्प्यूटर एडवाइस, जो कि सीमा शुल्क विभाग में चैक जारी करने के स्थान पर फिरती प्रतिदायों को सकारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज प्रणाली के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई थी, को लेखे में न लेने के कारण विभागीय चैकों के अन्तर्गत मूल बुकिंग से अधिक भुगतान हुआ।

8.7 विनिवेश का असमायोजन

1998-99 के दौरान सरकार ने विदेश संचार निगम लि. (वि.सं.नि.लि.) में 10 करोड़ रु. की इक्विटी का विनिवेश किया। इस संगठन में सरकार का निवेश वर्ष 1998-99 के लिए संघ सरकार वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 11* में उस सीमा तक घटा दिया गया है। तथापि विवरणी संख्या 10* तथा 12* में जो कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय का तथा वर्ष के अन्त में प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का आंकड़ा दर्शाती हैं विनिवेश की उक्त राशि, प्रगामी पूंजीगत परिव्यय में से नहीं घटाई गई थी। इस असमायोजन के कारण, सरकार के प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का आंकड़ा सही स्थिति को नहीं दर्शाता है तथा उसे अधिक बताया गया है। महालेखा नियंत्रक ने बताया कि वि.सं.नि.लि. में किये गये प्रारम्भिक विनिवेश से सम्बन्धित लेखा शीर्ष प्रशासनिक मंत्रालय से अभी तक प्रतीक्षित था।

इसका भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1999 के प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा 11.5 में भी उल्लेख किया गया था।

* विवरणी 10: वर्ष के दौरान तथा अन्त में पूंजीगत लेखे पर किया गया व्यय।

* विवरणी 11: सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों आदि में कुल निवेश।

* विवरणी 12: वर्ष के दौरान तथा अन्त में सेक्टर.वार पूंजीगत व्यय तथा कर्जे तथा पेशगियां तथा निधिकरण का स्रोत।

8.8 विनिवेश की प्राप्ति तथा लेखाओं में उसके समायोजन में भिन्नता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में वर्ष 1998-99 के वित्त लेखों में लेखाबद्ध की गई संघ सरकार द्वारा धारित इक्विटीज के विनिवेश से 5369.32 करोड़ रु. की प्राप्ति थी। इस प्रकार विनिवेशित इक्विटी का मूल्य प्रगामी पूंजीगत परिव्यय दशति हुये विवरण संख्या 10 तथा 12 एवं सा.क्षे.उ. इत्यादि के इक्विटी/ पूंजीगत आधार में सरकारी निवेशों को दशति हुये विवरण संख्या 11 से कम किया जाना चाहिए था।

1998-99 के दौरान विनिवेश के सम्बन्ध में वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 तथा 11 से 329.53 करोड़ रु. समायोजित किये गये थे। इस प्रकार विनिवेश से हुई प्राप्तियों तथा लेखे में किये गए विनिवेश के समायोजन के बीच 5039.79 करोड़ रु. का अन्तर था।

इंगित किये जाने पर महालेखा-नियन्त्रक ने बताया कि विनिवेश से हुई प्राप्ति तथा लेखाओं में किए गये समायोजन के बीच अन्तर विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम मूल्य बना। चूंकि अंकित मूल्य से विनिवेश पर प्रीमियम मूल्य करने के लिए लेखाओं में कोई शीर्ष नहीं है इसलिए प्रीमियम की राशि सत्यापित नहीं की जा सकी। अतः वसूल किये गये अंकित मूल्य को लेखाओं में पृथक रूप से दर्शाने की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी जहां पर विनिवेश का लेखाओं में समायोजन नहीं किया गया है।

8.9 निवेश का विलम्बित समाधान

सा.क्षे.उ. इत्यादि के इक्विटी/पूंजीगत बेस में सरकार के निवेश को दशति हुये वित्त लेखे की विवरणी संख्या 11 में एअर इण्डिया तथा कोंकण रेलवे निगम लि. में निवेश क्रमशः 79.47 करोड़ रु. तथा 92.00 करोड़ रु. तक बढ़ गया था। यह वृद्धि पाद टिप्पणी "समाधान के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न" द्वारा बताई गई थी। यह विशेषक विवरण दर्शाता है कि निवेश के मूल अभिलेख प्र.भु.ले.का. की सम्बद्ध इकाई में अनुरक्षित (फार्म-सि.ले.नि. 60) नहीं किये गये थे जैसा कि सिविल लेखा नियमावली के पैरा 10.11.1 में निर्धारित है। यह विचार इस पृष्ठ पट में आना चाहिए कि एअर इण्डिया तथा कोंकण रेलवे निगम लि. के पूंजीगत बेस में अंतिम निवेश वर्ष 1987-88 तथा 1996-97 में हुआ था तथा इन सा.क्षे.उ. में निवेश का समाधान करने तथा सही तस्वीर प्रस्तुत करने में सम्बद्ध प्र.भु.ले.का. ने क्रमशः 11 वर्ष तथा 2 वर्ष ले लिए।

इस प्रकार, लेखांकन इकाइयों से वित्त लेखे की सामग्री मंगाते समय संकलन प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सच्चे शुद्ध तथा पूरे आंकड़ों का संकलन कर रहे हैं।

8.10 कर्जे के इक्विटी में रूपान्तरण को विलम्ब से लेखे में लेना

वित्त लेखा 1998-99 के विवरण संख्या 10, जो कि पूंजीगत व्यय के प्रगामी आंकड़े दर्शाता है, में कर्जे को इक्विटी में रूपान्तरित करने के सम्बन्ध में विद्युत क्षेत्र (रा.ता.वि.नि.) के अन्तर्गत प्रगामी पूंजीगत परिव्यय में 387.43 करोड़ रु. जोड़े गये थे परन्तु वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में उतनी राशि की इक्विटी की राशि नहीं दर्शाई गई थी।

इंगित किये जाने पर म.ले.नि. ने बताया कि रा.ता.वि.नि. के कर्जे को इक्विटी में रूपान्तरित करने का प्रभाव 1990-91 के वित्त लेखे अर्थात् विवरणी सं. 11 में दिया गया है।

म.ले.नि. का तर्क इस तथ्य के आधार पर मान्य नहीं है कि कर्जे को इक्विटी में परिवर्तित करने की संस्वीकृति इसके द्वारा 1990-91 में प्रदान की गई थी परन्तु विवरणी सं. 10 रूपान्तरण को लेखाओं में दर्शाने में इसने आठ वर्ष लगा दिये।

8.11 दिये गये कर्जों के नियमों व शर्तों को अंतिम रूप न देना

वित्त लेखे का विवरण संख्या 3 जिसमें संघ सरकार द्वारा प्रदान किये गए कर्जों का विवरण शामिल है ने दर्शाया कि निम्नलिखित सरकारी कम्पनियों/निगमों/गैर सरकारी संस्थाओं आदि को 1123.33 करोड़ रु. के अग्रिम दिये गये थे परन्तु दिये गये कर्जों की शर्तों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	राशि	कर्जे की प्रारम्भिक अवधि
1.	दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.	158.00	1997-98
2.	भारतीय खाद्य निगम	900.00	1986-87
3.	भारतीय शिपिंग क्रेडिट एवं इन्वैश्टमेंट को.लि. बम्बई	41.33	1987-88
4.	राजीव गान्धी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	24.00	1994-95
	जोड़	1123.33	

यह देखा जा सकता है कि कुछ मामलों में कर्जे देने के 12 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् भी कर्ज के नियम व शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह वसूली तथा दिये गए कर्जों के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में प्रबन्ध मंत्रालय की लापरवाही के रूख को दर्शाता है।

इंगित किये जाने पर महालेखा-नियन्त्रक ने बताया कि मामला सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

8.12 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल निवेश में विसंगति

राष्ट्रीयकृत बैंकों को, उनका पूंजीगत आधार बढ़ाने के लिए पुनर्पूजीकरण सहायता प्रदान की जाती है। पुनर्पूजीकरण सहायता का विशेष प्रतिभूतियों में निवेश 1985-86 से प्रारम्भ हुआ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी निवेश की एक विस्तृत तस्वीर, जो कि वर्ष 1985-86 से वित्त लेखाओं में प्रकट होने वाली विशेष प्रतिभूतियों के रूप में जोड़ी गई थी निम्न प्रकार से है:-

तालिका 8.12 : राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश तथा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान निवेश	वित्त लेखाओं के अनुसार सरकार का प्रगामी निवेश	वर्ष के दौरान सर्जित विशेष प्रतिभूतियां	वर्ष के अन्त में बकाया विशेष प्रतिभूतियां
1	2	3	4	5
1984-85 तक	--	137.00	--	--
1985-86	400.00	537.00	400.00	400.00
1986-87	400.00	937.00	400.00	800.00
1987-88	200.00	1137.00	200.00	1000.00
1988-89	214.23	1351.23	310.00	1310.00
1989-90	739.37	2090.60	788.42	2098.42
1990-91	770.86	2861.46	707.19	2805.62
1991-92	817.55	2979.01 ^क	705.27	3510.89
1992-93	760.58	3739.59	701.25	4212.13
1993-94	5725.30	9464.89	5722.77	9934.90
1994-95	5288.84	14753.73	4362.54	14297.44
1995-96	850.00 ^ख	13673.68 ^ख	850.00	15147.44
1996-97	1509.00 ^ख	13146.21 ^ख	1509.00	16150.94 ^ख
1997-98	2700.15	15846.36	2700.00	18712.61 ^ख
1998-99	400.00 ^ख	13672.62 ^ख	400.00	19112.61

^क 1990-91 तक निवेश 2861.46 करोड़ रु था। 1991-92 में मंत्रालय ने 700 करोड़ रु का निवेश कम करके इस राशि को 2161.46 करोड़ रु कर दिया था तथा इस शुद्धि का कारण उत्तरवर्ती शुद्धि बताया गया था।

^ख निवेश, वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया।

^ख 1995-96 तक निवेश, मंत्रालय द्वारा यह कहते हुए कि मामले की जांच की जा रही थी, 1080.05 करोड़ रु घटा दिया गया था।

^ख 1996-97 तक निवेश, मंत्रालय द्वारा यह कहते हुए कि मामले की जांच की जा रही थी, 527.47 करोड़ रु घटा दिया गया था।

^ख 505.50 करोड़ रु की विशेष प्रतिभूतियां दी गई थी।

^ख 138.33 करोड़ रु की विशेष प्रतिभूतियां दी गई थी।

^ख राष्ट्रीयकृत बैंकों की हानियों के समायोजन के कारण 1998-99 तक निवेश 2573.74 करोड़ रु घटा दिया गया था, परन्तु वित्त लेखाओं में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

1984-85 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार का निवेश 137 करोड़ रु. था। सरकार ने 1985-99 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में 20775.88 करोड़ रु. (1995-96, 1996-97 तथा 1998-99 में क्रमशः 850 करोड़ रु., 1509 करोड़ रु. तथा 400 करोड़ रु. के निवेश को लेखाओं में दर्शाया नहीं गया था परन्तु यहां सम्मिलित किया गया है) का और निवेश किया। इस निवेश के अतिरिक्त 1998-99 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की हानियों के बट्टे खाते के समायोजन के सम्बन्ध में 2573.74 करोड़ रु. (लेखाओं में नहीं दिखाए गए) छोड़े गए और 1991-92, 1995-96 तथा 1996-97 के प्रगामी निवेश में से भी क्रमशः 700 करोड़ रु. 1080.05 करोड़ रु. तथा 527.47 करोड़ रु. बिना कोई कारण बताए छोड़ दिये गये थे।

इसके अतिरिक्त 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के बट्टे खाते की हानियों के समायोजन के सम्बन्ध में क्रमशः 425.23 करोड़ रु., 1506.21 करोड़ रु. तथा 1532 करोड़ रु. के निवेश को नहीं घटाया गया था (तालिका 4.11 (iii) देखें)।

मार्च 1999 के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखाओं में दर्शाया गया 13672.67 करोड़ रु. का प्रगामी निवेश इस तथ्य के दृष्टिगत कि 1995-96 तथा 1996-97 में मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई जांच के परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, सरकार के निवेश का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता।

पुनः आगे, वर्ष 1985-86 से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निवेश की राशि (पुनः पूंजीकरण सहायता) को सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश किया गया। 1998-99 तक 19756.44 करोड़ रु. का पुनर्निवेश किया गया जिसमें से 1996-97 तथा 1997-98 में क्रमशः 505.50 करोड़ रु. तथा 138.33 करोड़ रु. चुका दिए गए तथा 31 मार्च 1999 को 19112.61 करोड़ रु. की विशेष प्रतिभूतियां बकाया थी।

चूंकि सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश 1985-86 से आरम्भ हुआ था, राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रगामी निवेश बकाया विशेष प्रतिभूतियों से अधिक होना चाहिए था परन्तु बाद में (राष्ट्रीयकृत) बैंकों की हानियों को निपटाने के लिए उन्हें छोड़ने/समायोजित करने के कारण विशेष प्रतिभूतियों के लंबित आंकड़े (राष्ट्रीयकृत) बैंकों के प्रगामी निवेश आंकड़ों से आगे निकल गए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की हानियों को निपटाने के लिए उनमें सरकारी निवेश कम करके समायोजन करने से इन बैंकों में सरकार की अधिसम्पत्ति को क्षीण कर दिया, जबकि दूसरी ओर विशेष प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में सरकार का दायित्व अछूता रहा।

8.13 बाह्य ऋण का कम लेखांकन

बाह्य ऋण लेखाओं में विनियम की ऐतिहासिक दर पर दर्शाये जाते हैं जो देयता का सही प्रतिबिम्बन नहीं हैं।

भारत सरकार द्वारा ऋणदाता देशों अथवा विदेशी संस्थानों से प्राप्त बाह्य ऋण सरकारी लेखाओं में विनियम की ऐतिहासिक दरों, अर्थात् लेन-देन/प्राप्ति की तिथि पर विद्यमान दरों पर अभिलेखित किये जाते हैं। विनियम दर में अनुवर्ती परिवर्तन के कारण, पुनर्भुगतान मूल लेखाओं के आधार पर परिकल्पित देय राशि से अधिक होते हैं। लेखे में इस अधिक पुनर्भुगतान को प्रतिवर्ष ऋणात्मक अन्त शेष के रूप में दर्शाया जाता है। शेष कर्जे जिनकी पूर्णतया चुकौती नहीं

की गई है लेखे में धनात्मक शेष के रूप में प्रकट होते हैं। तत्पश्चात जब बाह्य ऋण जोड़ा जाता है ऋणात्मक तथा धनात्मक शेषों के समागम के कारण यह कम दर्शाया जाता है।

इसी प्रकार किसी देश विशेष से प्राप्त किये गए ऋणों का शेष, ऋण के सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि वह देश विशेष बहुत सी परियोजनाओं के लिए उधार देता है जिनको अलग-अलग लेखाबद्ध किया जाता है। इनमें से कुछ परियोजनाओं पर ऋण का भुगतान पहले ही किया जा चुका है परन्तु विनिमय विभिन्नता के कारण भुगतान अभी तक किया जा रहा है जिन्हें ऋणात्मक शेष के रूप में लेखाबद्ध किया जा रहा है। ऐसे ऋणात्मक शेष जब समेकित किये जाते हैं तब उस देश विशेष के लंबित ऋणों का शेष कम करके बताया जाता है।

इस प्रकार लेखाओं में दर्शाये गए 57254 करोड़ रु. के बाह्य ऋणों के आंकड़े बकाया बाह्य ऋणों का वास्तविक आकार प्रदर्शित नहीं करते। विवरण सं.14 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार, मार्च 1999 तक वर्तमान मूल्य पर बाह्य ऋण 177934 करोड़ रु था।

8.13.1 अन्त/अथ शेषों में विसंगति

1998-99 की संघ सरकार वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 14 में विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋणों के 1 अप्रैल 1998 को अग्रनित अथ शेष 18 देशों के मामले में 31 मार्च 1998 को अन्त शेषों के आंकड़ों से भिन्न थे जिनके विवरण नीचे दिये गए हैं:

तालिका 8.13.1. बाह्य ऋणों के अन्त तथा अथ शेष

क्र.सं.	देश का नाम	(दातृ मुद्रा हजारों में)	
		31.3.98 को अन्त शेष	1.4.98 को अथ शेष
1.	ऑस्ट्रिया (आ.शि)	527402	527403
2.	कनाडा (क \$)	527763	527767
3.	जर्मनी (डी.एम.)	5194366	5193868
4.	फ्रांस (एफ.एफ-)	5649917	5635656
5.	जापान (येन)	838344000	838354000
6.	नीदर लैंड (डी.जी.)	1341148	1341168
7.	स्विटजरलैंड (से.फ्रां)	51094	51154
8.	यू.के. (पों. स्ट.)	10184	10180
9.	यू.एस.ए. (यू.एस.\$) एस आर पी कर्जे तथा पी.एल 480 सहित)	1692315	1707651
10.	अ.पु.वि.बो. (यू.एस.\$)	6430341	6430581
11.	आई.डी.ए. (एस.डी.आर.) (यू.एस.\$)	6441113	6441114
12.	अरब आर्थिक विकास हेतु कुवैत निधि(के.डी.)	27653	27654
13.	पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन (यू.एस. \$)	31647	31648
14.	सऊदी निधि (रियाल)	61070	61071
15.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (एस.डी.आर.)	158581	158121
16.	ए.वि.बैं. (यू.एस. \$)	2081557	2077828
17.	रूसी फेड (रु)	21981111	21981112
18.	स्विडन (स्वि.क.)	1264323	1264333

इंगित किये जाने पर म.ले.नि. ने नवम्बर 1999 में बताया कि अन्त/अथ शेषों में विसंगति नियन्त्रक सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा के कार्यालय में कामन डेटा बेस के साथ एकीकृत कम्प्यूटर प्रणाली लागू करने के कारण हुई।

सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अथ शेष, अन्त शेष के अनुरूप हैं, बाह्य ऋण के लेखाओं की शुद्धता अनुमोदित करने की आवश्यकता है।

8.14 केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं पर व्यय का गलत वर्गीकरण

राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों की अर्थोपाय स्थिति को बढ़ाने के लिए संघ सरकार उन्हें कर्जे तथा पेशगियां देती है। यह व्यय भारत की समेकित निधि के माध्यम से किया जाता है। संघ सरकार से कर्जों तथा पेशगियों की प्राप्ति पर सम्बद्ध राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारें इन्हें समेकित निधि में प्राप्ति के रूप में लेती है। तदनुसार बिना समेकित निधि वाले राज्य/सं.शा.क्षे. संघ सरकार से कर्जे तथा पेशगियां लेने के पात्र नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, कर्जे तथा पेशगियां केवल विधायिका वाले राज्यों/सं.शा.क्षे. को ही दिये जाने चाहिए।

1998-99 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं में केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों तथा पेशगियों की निम्नलिखित राशि बिना विधायिका के सं.शा.क्षे. से लम्बित दर्शाई गई है :

तालिका 8.14 केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे

(हजार रुपयों में)

सं.शा.क्षे. का नाम	राशि	प्रारम्भिक अवधि जिससे कर्जा संबंधित है
दमन एवं दीव	21312	1987-88*
लक्षद्वीप	563	1991-92
चण्डीगढ़	369	1987-88
अण्डमान एवं निकोवार द्वीप समूह	4835	1989-90
जोड़	27079	

उपर्युक्त सं.शा.क्षे. को कर्जे एवं पेशगियों के आरम्भिक व्यय को, मुख्य शीर्ष 7602-सं.शा.क्षे. को कर्जे एवं पेशगियों के अन्तर्गत पुस्तकीकरण की बजाए केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं पर व्यय संघ सरकार के सम्बद्ध विभाग के कार्यशील मुख्य शीर्ष में पुस्तकीकृत किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार मुख्य शीर्ष 7602-सं.शा.क्षे. को कर्जे एवं पेशगिया के अन्तर्गत पुस्तकीकरण गलत था तथा लम्बित कर्जे एवं पेशगियां लेखाओं में सही रूप से नहीं बताए गए थे।

महालेखा नियंत्रक ने चर्चा के दौरान बताया कि उपचारी कार्यवाही हेतु मामला तेजी से विचाराधीन था।

* 1986-87 तक दमन एवं दीव बड़े गोआ, दमन एवं दीव नामक बड़े सं.शा.क्षे. का एक भाग था।

8.15 विभागीय लेखांकन इकाईयों की कार्य प्रणाली

मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/प्र.भु.ले.अ., संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों /विभागों के वार्षिक लेखाओं के इकाई स्तर के संकलन हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित चार मंत्रालयों/विभागों के संबंध में इकाई स्तर पर लेखाओं के अनुरक्षण का पुनरीक्षण किया गया था जिससे निम्नलिखित का पता चला।

8.15.1 प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

प्र.भु.ले.का केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अधीन कार्य कर रहे 47 भु.ले.का. द्वारा प्रस्तुत किये गए लेखाओं का संकलन करता है। प्र.भु.ले.का., के.उ.सी.बो. के वर्ष 1998-99 के लिए वित्त लेखाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला।

(i) प्रतिकूल शेष

1998-99 के वित्त लेखाओं में निम्नलिखित लेखा शीर्षों में प्रतिकूल शेष के दो मामले हैं :-

(हजार रुपयों में)		
8670-103	विभागीय चैक	(-) के. 2018626
8671-101	विभागीय शेष (सिविल)	के. 28113

लेखाओं में प्रतिकूल शेष, लेखाओं के अनुरक्षण में गलत वर्गीकरण/लेखांकन त्रुटियों के कारण होते हैं। इस प्रकार लेखाओं में प्रतिकूल शेषों की उपस्थिति लेखाओं की सही तस्वीर को विकृत कर देती है।

(क) सीमा शुल्क विभाग में इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली आरम्भ करने के कारण लेखा शीर्ष-8670-103 विभागीय चैक प्रतिकूल बन गए। ड्रा बैंक के भुगतान की नई प्रणाली के अन्तर्गत, चैक जारी करने की बजाए बैंकों को कम्प्यूटर एडवाइस जारी की गई थी जिसके बदले में ड्राबैंक के सम्बन्ध में निर्यातकों के लेखे में क्रेडिट दे दिया। नई लेखांकन प्रणाली के अनुसार कम्प्यूटर एडवाइस का लेखांकन चैकों के समान ही किया जाना था। परन्तु जारी की गई एडवाइस को लेखाबद्ध नहीं किया गया परिणामतः जारी किये गए चैकों की तुलना में अधिक (क्लियरेन्स) भुगतान हुआ जिससे लघु शीर्षों के प्रतिकूल शेष चरम बिन्दु तक पहुंच गए।

(ख) लेखा शीर्ष 8671-101- विभागीय शेष (सिविल), विभागीय अधिकारियों द्वारा साधारणतया उपलब्ध नकद शेष से बाहर उनके द्वारा रखे गए नकद शेष के लिए डेबिट प्राप्त करता है। जब एक अधिकारी द्वारा रखे गए नकदी का लेखा प्रस्तुत किया जाता है यह शीर्ष क्लियर हो जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट शेष यह प्रदर्शित करते हैं कि कुछ लेखांकन त्रुटियां/कमियां हुई हैं जिससे इस शीर्ष के शेष प्रतिकूल हुये हैं।

(ii) उच्चत शेष

उच्चत शेषों के निम्नलिखित लघु शीर्षों में 31 मार्च 1999 को उनके अन्तर्गत भारी निवल बकाया दर्शाये गये:-

(हजार रु. में)	
भु.ले.का. उच्चत	(-) डे. 175713
उच्चत लेखा (सिविल)	डे. 5521
सा.क्षे.बै. उच्चत	डे. 1114754
सीमा शुल्क प्राप्ति को प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण की प्रतीक्षा	के. 4199315

(क) भु.ले.का. उच्चत

यद्यपि वित्त लेखे ने 1757.13 लाख रु. के निवल ऋणात्मक डेबिट शेष दर्शाये गये विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्षवार विवरण ने दर्शाया कि 10.21 लाख रु. के डेबिट शेष तथा 1767.34 लाख रु. के क्रेडिट शेष के समायोजन प्रतीक्षित थे। इस प्रकार कुल 1777.55 लाख रु. के समायोजन प्रतीक्षित थे जिसमें 1987-88 तक के पुराने लेन देनों के अंतिम समायोजन प्रतीक्षित हैं। विभाग ने बताया कि इस शीर्ष में शेष, जब्त की गई वस्तुओं की बिक्री पर वसूल किये गए बिक्री कर के कारण हैं जिसकी क्लियरेंस राज्य सरकारों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई याचिका पर निर्भर करती है।

(ख) उच्चत लेखे (सिविल)

वित्त लेखे 55.21 लाख रु. के निवल डेबिट शेष दर्शाये परन्तु वर्षवार विवरण ने दर्शाया कि 239.66 लाख रु. का डेबिट तथा 184.45 लाख रु. का क्रेडिट के समायोजन प्रतीक्षित है। इस प्रकार बकाया पड़े शेष का कुल परिमाण 424.11 लाख रु. था। बकाया उच्चत शेष की सबसे पुरानी अवधि 1996-97 से सम्बंधित थी।

(ग) सा.क्षे.बै. उच्चत

वित्त लेखे ने 11147.54 लाख रु. के निवल डेबिट शेष दर्शाये जबकि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्षवार विवरण से पता चला कि डेबिट के अन्तर्गत बकाया शेष 17299.62 लाख रु. तथा क्रेडिट के अन्तर्गत 646.78 लाख रु. थे इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया का वास्तविक परिमाण 17946.40 लाख रु. था। इस प्रकार लेखाओं में दर्शाये गये वर्ष 1998-99 के लिए बकाया शेषों के आंकड़े 11147.54 लाख रु. निवल डेबिट थे जबकि बकाया का वर्षवार में 16652.84 लाख रु. का निवल डेबिट दर्शाया। बकाया की प्रारम्भिक अवधि 1987-88 से संबंधित थी। इसके अलावा वर्षवार विवरण से यह भी पता चला कि अधिकतर मामलों में डेबिट तथा क्रेडिट के अन्तर्गत बकाया ऋणात्मक है। मूल बुकिंग सदैव धनात्मक आंकड़ों में की जाती है तथा तत्पश्चात इसकी क्लियरेंस ऋणात्मक आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार यदि कोई बकाया हो तो वह धनात्मक आंकड़े में होना चाहिए। बकायों के ऋणात्मक शेष मूल रूप से बुक

किये गए की तुलना में उच्च मूल्य के मामलों के आंकड़े के क्लियरेंस के परिणामस्वरूप होंगे जिन्हें लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता।

(घ) सीमाशुल्क प्राप्ति को प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण की प्रतीक्षा

इस शीर्ष के अन्तर्गत निर्यातकों/आयातकों द्वारा किये गए सीमा शुल्क अग्रिम निक्षेप अभिलेखित किये जाते हैं। पिछली बार सीमा शुल्क के अग्रिम निक्षेप शीर्ष 8443-106 - सिविल निक्षेप - व्यक्तिगत निक्षेप में क्रेडिट किये गये थे। संशोधित क्रिया विधि के अनुसार वर्ष 1998-99 से अग्रिम सीमा शुल्क, शीर्ष 0037-106 - सीमा शुल्क - निर्धारितियों से अग्रिम भुगतान की प्राप्तियों के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाना था। मार्च माह के लेखाओं में शीर्ष 8658-136 - उच्चतम लेखा सीमा शुल्क - प्राप्तियों को अन्तरण की प्रतीक्षा करती प्राप्तियों को क्रेडिट प्रदान करते हुये शीर्ष 0037-106 को ऋणात्मक क्रेडिट किया जाना होता है। प्रत्येक वर्ष पुनः अप्रैल माह के लेखाओं मार्च माह में किये गए समायोजन को शीर्ष 0037-106 को क्रेडिट करते हुये शीर्ष 8658-136 में ऋणात्मक क्रेडिट करने के द्वारा पलटना चाहिए। 41993.15 लाख रु. का बकाया क्रेडिट केवल अगस्त 1999 माह के लेखाओं में समाशोधन हुआ था जबकि अप्रैल 1999 माह के लेखाओं में समाशोधन किया जाना अपेक्षित था

(iii) चैक एवं बिल

इस मुख्य शीर्ष के दो लघु शीर्ष निम्नलिखित भारी बकाया दर्शाते हैं :-

(हजार रु. में)	
भु.ले.का. चैक	के.664770
विभागीय चैक	(-) के. 2018626

दोनों शीर्ष के अन्तर्गत बकायों का वर्षवार विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इसके अतिरिक्त, विभागीय चैक के अन्तर्गत शेष प्रतिकूल था, अर्थात् ड्रा बैंक वापसियों के भुगतान के लिए आरम्भ की गई नई कम्प्यूटर एडवाइस को लेखे में न लेने के कारण जारी किये गए चैकों की तुलना में अधिक भुगतान प्राधिकृत हुए दर्शाते गए थे। इस प्रकार कम्प्यूटर एडवाइस त्रुटियां लेखांकन करने के उद्देश्य हेतु अतिसंवेदनशील है। इसके अतिरिक्त इस शीर्ष के अन्तर्गत बकायों की वर्षवार स्थिति की अनुपलब्धता/अनुरक्षण न होना, बकायों को समाशोधन करने में प्राधिकारियों की दोषपूर्णता का संकेत है।

(iv) सिविल जमा (व्यक्तिगत जमा)

इस शीर्ष के अन्तर्गत निर्धारितियों द्वारा सीमा शुल्क के अग्रिम जमा को क्रेडिट किया जाता है। तथापि 1998-99 से क्रियाविधि में संशोधन किया गया था तथा अग्रिम शुल्कों को मुख्य शीर्ष 0037-सीमा शुल्क के अन्तर्गत नए लघु शीर्ष 106 निर्धारितियों से अग्रिम भुगतानों की प्राप्तियों में दिया जाना अपेक्षित था। शीर्ष 8443-सिविल जमा-106 व्यक्तिगत जमा के अन्तर्गत 31 मार्च 1998 को पुराने शेषों के सम्बन्ध में पुराने शेषों को शून्य पर लाते हुये इन्हें मुख्य शीर्ष 0037

के अन्तर्गत लघु शीर्ष को अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में प्र.भु.ले.का.के.उ. एवं सी.बो.के. दिनांक 14 दिसम्बर 1994 के गै.स. पत्र द्वारा महालेखा नियन्त्रक को आश्वासन भी दिया गया था। इसके बावजूद यह देखा गया कि 31 मार्च 1999 को इस शीर्ष के अन्तर्गत 1164.19 लाख रु. का क्रेडिट शेष बकाया था। इस प्रकार लेखाओं के अनुरक्षण की प्रक्रिया में भी संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

(v) ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत लेजर के शेष

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 5.9 के उप. पैरा 5.9.2 के अन्तर्गत प्र.भु.ले.का. को लघु शीर्ष वार विवरण सहित उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी भु.ले.का. के इकट्ठे लेन देन को शामिल करते हुये फार्म सि.ले.नि. - 40 में एक लेजर बनाना चाहिए। ऐसा कोई लेजर नहीं बनाया गया था जबकि यह मूल तथा स्थाई अभिलेख है तथा किसी भिन्नता के मामले में समाधान करने का केवल यही एक साधन है। इस प्रकार स्थाई अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वित्त लेखे में दर्शाये गए शेष ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के सम्बन्ध में प्रामाणिक हैं।

(vi) शेषों का पुनरीक्षण

जैसा कि सिविल लेखा नियमावली के पैरा 13.13 के उप पैरा 13.13.1 तथा 13.13.2 में अपेक्षित है पूरे विभाग का कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया तथा के.उ.सी.बो. प्र.भु.ले.का. द्वारा 15 अक्टूबर 1999 तक महालेखा नियन्त्रक को इसकी कोई समेकित रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इस प्रकार शेषों के पुनरीक्षण के अभाव में ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे शेषों की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

8.15.2. प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय

प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय एवं इसके अधीन कार्य कर रहे 17 भु.ले.का. द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखाओं का संकलन करता हैं। प्र.भु.ले.का. के वर्ष 1998-99 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला :-

(i) निवेश रजिस्टर न बनाना

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 11 के अनुसार 1998-99 तक गृह मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कुल 855.96 करोड़ रु. का निवेश था तथा लांभाश के रूप में उनसे 56.08 लाख रु. प्राप्त हुये थे। तथापि जैसा कि सिविल लेखा नियमावली के पैरा 10.11.1 की शर्तों में अपेक्षित है फार्म सि.ले.नि. - 60 में कोई निवेश रजिस्टर न बनाए जाने के कारण, निवेश के आंकड़े प्रारम्भिक अभिलेखों के साथ सत्यापित नहीं किये जा सके।

(ii) प्रतिकूल शेष

1998-99 के वित्त लेखे में निम्नलिखित लेखाओं के शीर्षों में प्रतिकूल शेष के छः मामले हैं:-

(हजार रु. में)

(क)	6235-01-110	तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु कर्जे	के. 11
(ख)	6235-01-800	अन्य कर्जे	के. 24
(ग)	7601-05-102	राज्य सरकार-राज्य योजनागत योजना विकास सीमा क्षेत्र को कर्जे एवं पेशगियां	के. 10496
(घ)	8443-107	सिविल जमा-न्यास ब्याज निधियां	डे. 5
(ङ.)	8449-120	अन्य जमा-विविध जमा	डे. 45
(च)	8670-103	चैक तथा बिल-विभागीय चैक	(-) के. 361368

लेखाओं में प्रतिकूल शेष, लेखाओं के रख रखाव में गलत वर्गीकरण/लेखांकन त्रुटियों के कारण हुये। प्र.भु.ले.का. ने उपर्युक्त प्रतिकूल शेषों के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार लेखाओं में प्रतिकूल शेषों की उपस्थिति ने लेखाओं की सही तस्वीर को विकृत कर दिया।

(iii) उचन्त शेष

उचन्त शेषों के निम्नलिखित लघु शीर्षों ने 31 मार्च 1999 को उनके अधीन भारी निवल बकाया दशयि :-

(हजार रु. में)

भु.ले.का. उचन्त	के. 70120
उचन्त लेखे (सिविल)	डे. 903668
सा.क्षे.बै. उचन्त	डे. 633111
रि.बै. उचन्त के.ले.का.	के. 194594

(क) भु.ले.का. उचन्त

यद्यपि 1998-99 के लिए वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 ने 701.20 लाख रु. के निवल क्रेडिट बकाया शेष दशयि। उपलब्ध करवाये गए डेबिट तथा क्रेडिट के वर्षवार विवरण ने क्रमशः 219.56 लाख रु. तथा 289.37 लाख रु. के शेष दशयि, जिन्हें निवल करने पर 69.81 लाख रु. का क्रेडिट बना। इस प्रकार लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाये गए वित्त लेखे तथा वर्षवार विवरण, जिसकी प्रति म.ले.नि. को भी प्रेषित की गई थी, ने उचन्त के लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया आंकड़ों के दो भिन्न सेट दशयि। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत समायोजन हेतु प्रतीक्षित लेन- देन पुराने तथा 1986-87 से भी पहले के हैं।

(ख) उचन्त लेखे (सिविल)

वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 ने 9036.68 लाख रु. डेबिट का निवल बकाया शेष दर्शाया जबकि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्षवार विवरण में 142.44 लाख रु. का डेबिट शेष तथा 51.21 लाख रु. का क्रेडिट शेष था जिसे निवल किये जाने पर 91.23 लाख रु. का डेबिट शेष बना। इस प्रकार आंकड़ों के दो सैटों में 8945.45 लाख रु. डेबिट का अन्तर था। लघु शीर्ष में समायोजन हेतु प्रतीक्षित लेन देन 1993-94 तक के पुराने हैं।

(ग) सा.क्षे.बै. उचन्त

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 13 ने 6331.11 लाख रु. का निवल डेबिट शेष दर्शाया जबकि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्षवार विवरण ने 6319.74 लाख रु. का निवल डेबिट शेष दर्शाया। इस प्रकार आंकड़ों के दो सैटों के बीच 11.37 लाख रु. का अन्तर था। वर्षवार विवरण ने 1076.68 लाख रु. का डेबिट शेष तथा (-) 5243.06 लाख रु. का क्रेडिट शेष दर्शाया। लघु शीर्ष में समायोजन हेतु प्रतीक्षित लेन-देन 1987-88 तक पुराने हैं।

(घ) रि.बै. उचन्त, के.ले.का.

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 13 ने 1945.94 लाख रु. का निवल क्रेडिट शेष दर्शाया जबकि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्षवार विवरण ने 2475.91 लाख रु. का निवल क्रेडिट शेष दर्शाया। लघु शीर्ष में समायोजन हेतु प्रतीक्षित लेन-देन 1995-96 तक पुराने हैं।

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 13 में दर्शाये गये उचन्त शेषों के लघु शीर्षों के सभी आंकड़े प्र.भु. ले.का. द्वारा अनुरक्षित किये गए मूल अभिलेखों से मेल नहीं खाते हैं। इस प्रकार प्र.भु.ले.का. द्वारा तैयार किये गए लेखाओं की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी।

(IV) चैक एवं बिल

इस मुख्य शीर्ष के दो लघु शीर्ष भारी बकाया दर्शाते हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

(हजार रु. में)

भु.ले.का. चैक	के. 3905980
विभागीय चैक	(-) के. 361368

(क) भु.ले.का. चैक

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत 39059.80 लाख रु. का क्रेडिट बकाया है। विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्षवार ब्यौरे ने दर्शाया कि 1986-87 से पहले से भी जारी किये गए चैक बकाया हैं।

(ख) विभागीय चैक

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाओं में 3613.68 लाख रु. के क्रेडिट शेष दर्शाये गये हैं इस शीर्ष में 1986-87 से पहले जारी किये गए चैक भी बकाया हैं।

यह दर्ज करना रूचिकर है कि इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत शेष प्रतिकूल अर्थात् ऋणात्मक क्रेडिट हो गये हैं जिससे उपलक्षित हुआ कि बैंको ने आ.स.अ. द्वारा जारी किये गए चैको से अधिक राशि के भुगतान प्राधिकृत किये।

मुख्य शीर्ष 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया पड़े शेषों की सीमा तक विभागीय नकद शेष कम बताए गये हैं। इसके अतिरिक्त इस शीर्ष के अन्तर्गत समाशोधन न हुये शेष प्र.भु.ले.का. द्वारा अप्रभावी मानीटरिंग दर्शाने के अतिरिक्त लेखाओं की सच्ची एवं सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली 1983 के नियम 47 के उपनियम (2) के अन्तर्गत लेखांकन प्राधिकरियों से चैक जारी करने के माह से छः माह तक बिना भुगतान हुए तथा नवीकरण हेतु अभ्यर्पित न किये गए चैकों के मामलों के पुनरीक्षण की उपेक्षा की जाती है इन भुगतान न किये गए चैकों को रद्द करना चाहिए तथा राशि को लेखाओं में वापस दर्ज किया जाना चाहिए इस शीर्ष के अन्तर्गत 1986-87 से भी पहले की तिथियों की भारी बकाया राशि यह संकेत देती है कि लेखाओं का अनुरक्षण करने वाले उत्तरदायी प्राधिकरियों ने उचित जांच नहीं की।

(v) ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों के लेजर

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 5.9 के उप-पैरा 5.9.2 के अन्तर्गत प्र.भु.ले.का. को लघु शीर्ष वार विवरण सहित उसके अधिकार क्षेत्र के सभी भु.ले.का. के इकट्ठे लेन-देन को शामिल करते हुये फार्म सि.ले.नि. 40 में एक लेजर बनाना चाहिए। लेजर की संवीक्षा से पता चला कि ऋ.नि.प्रे. लेखा शीर्षों के निम्नलिखित मुख्य/लघु शीर्षों के अथ शेष के आंकड़े अनुरूप शीर्ष के अथ शेष के आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे जैसा कि लेखाओं की विवरणी संख्या 13 में दर्शाया गया है:-

(हजार रु. में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु शीर्ष	के अनुसार आंकड़े	
		विवरणी सं.13	लेजर (सि.ले.नि. -40)
1.	6235-01-110	क्रे. 11	क्रे. 55
2.	6235-01-200	डे. 6122	डे. 5716
3.	7601-04-102	क्रे.. 8824	दर्शाया नहीं
4.	7601-01-053	डे.. 23195	-वही-
5.	7602-02-101	डे. 11517453	डे. 11379839
6.	7610-00-200	डे. 44479	डे. 44417
7.	8005-01-101	क्रे. 24425584	क्रे. 24416114
8.	8005-60-101	क्रे. 23	दर्शाया नहीं
9.	8550-103	डे. 387662	डे. 387665
10.	8550-104	डे.. 86081	डे. 86090
11.	8658-101	क्रे. 92938	क्रे. 92653
12.	8658-107	डे. 2	डे.. 248118686
13.	8658-110	क्रे. 105224	क्रे. 201001

लेजर जो कि मूल तथा स्थाई अभिलेख है तथा वित्त लेखे की विवरणी संख्या 13 में अन्तर यह प्रदर्शित करता है कि प्र.भु.ले.का. द्वारा संकलित किया गया लेखा मूल तथा स्थाई अभिलेखों के सैटों पर आधारित नहीं था इसलिए सत्यापन योग्य नहीं है।

(vi) शेषों का पुनरीक्षण

सम्पूर्ण मंत्रालय का कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया था तथा प्र.भु.ले.का. गृह मंत्रालय द्वारा महालेखा नियंत्रक को 15 अक्टूबर तक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी जैसा कि सिविल लेखा नियमावली के पैरा 13.3 के उप पैरा 13.13.1 तथा 13.13.2 के अन्तर्गत अपेक्षित है। इस प्रकार शेषों के पुनरीक्षण के अभाव में ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत दशयि गये शेष प्रमाणीत नहीं किये जा सके।

8.15.3 प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय, मानव ससांधन विकास मंत्रालय

प्र.भु.ले.का. मानव ससांधन विकास मंत्रालय, इसके अधीन कार्य कर रहे 10 भु.ले.का. द्वारा प्रस्तुत किये गए लेखाओं का सकलन करता है। वर्ष 1998-99 के लिए वित्त लेखे की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला :-

(i) प्रतिकूल शेष

मुख्य शीर्ष 8670 चैक एवं बिल के अन्तर्गत लघु शीर्ष 103- विभागीय चैक के शेष 9.47 लाख रु. डेबिट प्रतिकूल थे। विभाग ने बताया कि 11.33 लाख रु. की राशि को गलत वर्गीकृत किया गया तथा 8670-103 विभागीय चैक के बजाए शीर्ष 8670-102 भु.ले.का. चैक के अन्तर्गत बुक किया गया था जिसे तत्पश्चात शीर्ष 8670-103 के शेषों को प्रतिकूल करके शीर्ष 8670-103 विभागीय चैकों से क्लियर किया गया था। यह गलत वर्गीकरण अगस्त 1999 में ठीक किया गया था।

(ii) उचन्त शेष

31 मार्च 1999 को उचन्त शेषों के विविध लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकाया निम्न प्रकार थे :-

(हजार रु. में)

भु.ले.का. उचन्त	डे. 144
उचन्त लेखा सिविल	डे. 1053
सा.क्षे.बै. उचन्त	के. 12924

(क) भु.ले.का. उचन्त

वित्त लेखे की विवरणी ने 1.44 लाख रु. का निवल डेबिट शेष दर्शाया। विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए बकाया के वर्षवार विवरण ने दर्शाया कि 2.58 लाख रु. का डेबिट शेष तथा 1.14 लाख रु. का क्रेडिट शेष समायोजन हेतु प्रतीक्षित थे। इस प्रकार भु.ले.का. उचन्त के अन्तर्गत बकाया (डेबिट तथा क्रेडिट को एक साथ लेकर) का वास्तविक परिमाण 3.72 लाख रु. था। बकाया की सबसे पुरानी अवधि 1996-97 थी।

(ख) उच्चत लेखे सिविल

वित्त लेखे ने 10.53 लाख रु. का निवल डेबिट शेष दर्शाया वर्षवार स्थिति प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करने पर विभाग ने बताया कि 10.53 लाख रु. का सम्पूर्ण डेबिट केवल वर्ष 1998-99 से संबंधित था। इस तथ्य के आधार पर कि 1 अप्रैल 1998 को इस शीर्ष के अन्तर्गत 10.31 लाख रु. के डेबिट शेष का बकायों का अथ शेष था।

(ग) सा.क्षे.बै. उच्चत

लेखे ने 129.24 लाख रु. का निवल क्रेडिट शेष दर्शाया। विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए बकायों के वर्षवार ब्यौरे में दर्शाया कि सम्पूर्ण बकाया केवल वर्ष 1998-99 से सम्बंधित थे। यहां भी विभाग का कथन असत्य है क्योंकि 1 अप्रैल 1998 को 9.56 लाख रु. तक के बकाया का अथ शेष था।

(iii) चैक एवं बिल

31 मार्च 1999 को विविध लघु शीर्षों के अन्तर्गत शेष निम्न प्रकार थे :-

(हजार रु. में)

भु.ले.का. चैक	के. 13116723
विभागीय चैक	डे. 947

(क) भु.ले.का. चैक

1311 करोड़ रु. से अधिक की भारी राशि के भु.ले.का. चैक समायोजन हेतु प्रतीक्षित थी। विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्षवार विवरण ने दर्शाया कि 1987-88 में पीछे तक के जारी किये गए चैक बकाया थे।

(ख) विभागीय चैक

इस शीर्ष के अन्तर्गत 9.47 लाख रु. का डेबिट शेष बकाया है जो कि प्रतिकूल शेष है। यह शीर्ष 11.33 लाख रु. के लेन-देन के गलत वर्गीकरण के कारण, जैसा कि ऊपर उप पैरा (i) में स्पष्ट किया गया है, वर्ष 1998-99 में प्रतिकूल हुआ। तथापि, इस लघु शीर्ष के लिए विभाग ने बकायों के वर्षवार ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये।

इस प्रकार इतने पुराने 1987-88 में जारी किये गए चैकों का समाशोधन करने में विफल रहने से प्रकट हुआ कि लेखाकन प्राधिकारी उपयुक्त कार्यवाही करने में विफल रहे जैसा कि प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 47 के उपनियम (2) के अन्तर्गत विचार किया गया है।

(iv) ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों के लेजर

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 5.9 के उप पैरा 5.9.2 के अन्तर्गत प्र.भु.ले.का. को लघु शीर्षवार विवरण सहित उसके अधिकार क्षेत्र के सभी भु.ले.का. के इकट्ठे लेन-देन को शामिल करते हुये एक लेजर बनाना चाहिए। लेजर की नमूना जांच से पता चला कि लेखाओं के

मुख्य/लघु शीर्षों के अथ तथा अन्त शेष वित्त लेखे में दिखाये गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं
जैसा कि नीचे दिया गया है :-

(हजार रु. में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु शीर्ष	के अनुसार आंकड़े			
		वित्त लेखे		लेजर (सि.ले.नि-40)	
		अथ शेष	अन्त शेष	अथ शेष	अन्त शेष
1.	8658-101	डे. 1728	डे. 144	डे. 1825	डे. 240
2.	8658-102	डे. 1031	डे. 1053	डे. 1032	डे. 1055
3.	8658-108	के. 956	के. 14351	के. 950	के. 14356
4.	8670-102	के. 3634686	के. 13116723	के. 3634688	के. 13116725
5.	8670-103	के. 584	डे. 947	के. 563	(-)के. 967

इस प्रकार अभिलेखों के दो सैटों के बीच का अन्तर लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेखाओं में दर्शाये गए आंकड़े लेजर शेषों पर आधारित होने चाहिए क्योंकि यह अभिलेखों का मूल तथा स्थाई सैट है।

(v) शेषों का पुनरीक्षण

जैसा कि सिविल लेखा नियमावली के पैरा 13.13 के उप पैरा 13.13.1 तथा 13.13.2 में अपेक्षित है सम्पूर्ण विभाग के लिए कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया तथा प्र.भु.ले.का. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 15 अक्टूबर तक महालेखा नियन्त्रक को समेकित रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इस प्रकार शेषों के पुनरीक्षण के अभाव में ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत दिखाये गये शेष प्रमाणिक नहीं हैं।

8.15.4 प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग।

प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग इसके अधीन कार्यरत 13 भु.ले.का. द्वारा प्रस्तुत किये गए लेखाओं का सकलन करता है। वर्ष 1998-99 के लिए वित्त लेखाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:-

(i) निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण न करना।

वित्त लेखे की विवरणी सं.11 के अनुसार 1998-99 तक आर्थिक कार्य विभाग का 17 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी बैंकों, समितियों, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों आदि में कुल 18099.56 करोड़ रु. का निवेश था। तथापि निवेश के आंकड़े मूल अभिलेखे के साथ सत्यापित नहीं किये जा सकते चूंकि फार्म सि.ले.नि.-60 में निवेश रजिस्टर नहीं बनाया गया था जैसा कि सिविल लेखा नियमावली के पैरा 10.11.1 में अपेक्षित है, निवेश रजिस्टर जैसे स्थाई अभिलेखे के अभाव में निवेश के आंकड़ों की प्रमाणिकता सत्यापन योग्य नहीं थी।

प्रतिकूल शेष

1998-99 के वित्त लेखे में प्रतिकूल शेषों के 18 मामले शामिल हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

(हजार रु. में)

	लेखा शीर्ष	राशि
क)	6001-101-सब्याज बाजार कर्जे -10.50% ऋण, 1998	(-) 1687
ख)	6001-101-बिना ब्याज बाजार कर्जे -6.75% ऋण, 1994	(-) 2596
ग)	6001-106-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध पत्र- (i) पी.पी.बन्ध पत्र, 1964,	(-) 3841
घ)	(ii) 5 वर्षीय ब्याज मुक्त पुरस्कार बन्धपत्र: 1965	(-) 13514
ड.)	(iii) विशेष धारक बन्धपत्र, 1991	(-) 86285
च)	(iv) 9% राहत बन्धपत्र 1987	(-) 10696854
छ)	(v) 9% राहत बन्ध पत्र 1993	(-) 1566872
ज)	7601-07-106-नागालैंड	(-) 229
झ)	7601-07-106-पंजाब	(-) 3773
ण)	8002-103-लघु बचतें - खजाना बचतें जमा प्रमाण पत्र	डे. 81
ट)	8002-106-राष्ट्रीय विकास बन्धपत्र	डे. 24146
ठ)	8342-116-एन.आर.आई. बन्धपत्र योजना के अन्तर्गत भा.स्टे.बै. के जमा	डे. 34
ड)	8443-105-दण्ड न्यायालय जमा	डे. 72
ढ)	8443-800-अन्य जमा	डे. 4395
अ)	8448-104-भारतीय बीमा संगठन की निधियां	डे. 1
त)	8449-119-ए.वि.बै. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये अग्रिम जमा	डे. 1398303
थ)	8656-105-निक्कल सिक्का ढलाई लेखा	डे. 556915
द)	8670-103-विभागीय बैंक	डे. 166936

(क), (ड.), (च) तथा (छ) पर दिए गए मामलों में, प्र.भु.ले.अ. ने बताया कि शेष भारि.बै. द्वारा भुगतानों की अधिक स्कॉलिंग के कारण प्रतिकूल हुए, जिनके विवरण/ स्पष्टीकरण मंगाए जा रहे थे। (ख) तथा (ज) से (त्र)(द) पर दिए गए मामलों में भु.ले.अ. ने बताया कि शेष गलत वर्गीकरण के कारण प्रतिकूल हुए जिनको 1999-2000 के लेखाओं में ठीक किया जा रहा था। (ग) तथा (घ) पर दिए गए मामलों में प्र.भु.ले.अ. ने बताया कि ये विभागीयकरण से पहले से ही प्रतिकूल थे तथा ये सरकारी लेखों में रद्द किए जाएंगे।

लेखाओं के इतने अधिक शीर्षों में प्रतिकूल शेषों की उपस्थिति से लेखाओं के रख रखाव की सत्यता तथा गुणवत्ता से समझौता करना पड़ा।

(ii) उचन्त शेष

31 मार्च 1999 को उचन्त शेषों के निम्नलिखित लघु शीर्षों ने भारी बकाया दर्शायें:-

(हजार रु में)

भु.ले.का. उचन्त	के. 398414
उचन्त लेखा सिविल	के. 2193625
सा.क्षे.बै. उचन्त	डे. 615908
रि.बै. उचन्त मुख्यालय	के. 1967001
रि.बै. उचन्त के.ले.का.	के. 204510
भा.रि.बै. की ओर से लेन-देन	डे. 90517

(क) भु.ले.का. उचन्त

लेखे की विवरणी संख्या 13 ने 3984.14 लाख रु. के निवल क्रेडिट बकाया शेष दर्शायें जबकि प्र.भु.ले.का. द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्षवार विवरण ने 144.06 लाख रु. के डेबिट शेष दर्शायें, लेखाओं में प्रकट होने वाले बकाया के आंकड़ों तथा विभाग द्वारा आपूर्त किये गए बकाया के वर्षवार डाटा में भारी भिन्नता थी जहां तक कि लेखे क्रेडिट शेष दर्शायें परन्तु विभाग की सूचना डेबिट शेष दर्शाती हैं। उपर्युक्त भिन्नता को ध्यान में रखते हुये इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखाओं की प्रमाणिकता पर सन्देह है।

(ख) उचन्त लेखे सिविल

प्र.भु.ले.का. के लेखाओं ने 21936.25 लाख रु. का निवल क्रेडिट शेष दर्शाया जबकि वर्षवार विवरण ने 21947.23 लाख रु. का निवल क्रेडिट शेष दर्शाया। यहां पुनः आंकड़ों के दो सैटों के बीच 10.98 लाख रु. की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त यदि बकायों के वर्षवार विवरण को लेखे में लिया जाए तो 22042.95 लाख रु. की राशि (47.86 लाख रु. का डेबिट तथा 21995.09 लाख रु. का क्रेडिट) उचन्त लेखे के इस लघु शीर्ष में समशोधन हेतु प्रतीक्षित थी। 1986-87 से पहले के लेन-देन समायोजन हेतु प्रतीक्षित है।

(ग) सा.क्षे.बै. उचन्त

विवरण संख्या 13 ने 6159.08 लाख रु. के निवल डेबिट बकाया दर्शायें। विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए बकाया के वर्षवार विवरण ने दर्शाया कि 10959.27 लाख रु. के डेबिट शेष तथा 4800.19 लाख रु. के क्रेडिट शेष बकाया थे। इस शीर्ष के अन्तर्गत यहां तक कि 1986-87 से पहले के लेन-देन भी बकाया है। वर्षवार विवरण से यह पता चला कि समायोजन हेतु प्रतीक्षित बकायों का वास्तविक परिमाण 15759.46 लाख रु. (10959.27 लाख रु. का डेबिट तथा 4800.19 लाख रु. का क्रेडिट) था।

(घ) रि.बै. उचन्त मुख्यालय के. 19670.01 लाख रु.

(ङ) रि.बै. उचन्त के.ले.का. के. 2045.10 लाख रु.

(च) भा.रि.बै. की ओर से लेन-देन डे. 905.17 लाख रु.

प्र.भु.ले.का. ने उपर्युक्त लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकायों के वर्षवार विवरण प्रस्तुत नहीं किये तथा बताया कि विवरण उपलब्ध नहीं है। बकायों के वर्षवार विवरण के अभाव में बकायों की सबसे पुरानी अवधि सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त शीर्षों के अन्तर्गत उनके पास विवरण की अनुपलब्धता के कारण से विभाग बकायों का समाशोधन करने की स्थिति में भी नहीं है।

(iii) चैक एवं बिल

इस मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकायों की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(हजार रु. में)

भु.ले.का. चैक	के. 3544900
विभागीय चैक	डे. 166936

(क) भु.ले.का. चैक

वर्ष 1998-99 के लेखाओं में शीर्ष के अन्तर्गत 35449.00 लाख रु. की राशि का क्रेडिट बकाया था। प्र.भु.ले.का. ने बकायों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

(ख) विभागीय चैक

वर्ष 1998-99 के लेखाओं में इस शीर्ष के अन्तर्गत 1669.36 लाख रु. का डेबिट शेष था। इस शीर्ष के अन्तर्गत शेष प्रतिकूल था अर्थात् जारी किये गए चैकों के मूल्य से अधिक भुगतान किये बताये गए थे जो कि गम्भीर गलती है। विभाग ने इस मामले में भी बकायों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। विभाग ने प्रतिकूल शेषों की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। जैसा कि प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 47 के उपनियम 2 में विचार किया गया है लेखांकन प्राधिकारियों ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की।

(iv) ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों के लेजर

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 5.9 के उप पैरा 5.9.2 के अन्तर्गत प्र.भु.ले.का. को लघु शीर्षवार विवरण सहित उसके अधिकार क्षेत्र के सभी भु.ले.का. के इकट्ठे लेन-देनों को शामिल करते हुये फार्म सि.ले.नि.-40 में एक लेजर बनाना चाहिए। यद्यपि यह एक मूल तथा स्थाई अभिलेख है तथा किसी भी असंगति के मामले में समाधान के लिए यही एक स्रोत है, परन्तु ऐसा लेजर बनाया नहीं गया था। स्थाई अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के सम्बन्ध में वित्त लेखे में दशयि गये शेष प्रमाणिक थे।

(v) शेषों का पुनरीक्षण

सम्पूर्ण विभाग के लिए कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया था तथा प्रधान भुगतान लेखा कार्यालय वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा महालेखा नियन्त्रक को 15 अक्टूबर तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, जैसा कि सिविल लेखा नियमावली के पैरा 13.13 के उप पैरा 13.13.1 तथा 13.13.2 में अपेक्षित है। इस प्रकार शेषों के पुनरीक्षण के अभाव में ऋ.नि.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत दशयि गये शेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका।

अध्याय IX : अन्य टिप्पणियां

9.1 बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा अवसूली योग्य राशियां लेखाओं का असमाधान

1998-99 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों, शुल्कों, पेशगियों के विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-XVI में दिये गये हैं।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 1998-99 के दौरान 337 मामलों में मुख्यतः प्रणाली की विफलता (1 लाख रु), व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों के भाग पर उपेक्षा, धोखाधड़ी आदि (1.80 लाख रु) तथा अन्य कारणों (96.80 लाख रु) के कारण हानियों को निरूपित करते हुए 99.60 लाख रु बट्टे खाते डाले गए थे। वर्ष के दौरान कोई वसूली छोड़ी नहीं गई थी।

9.2 विभागीय रूप से प्रबन्धित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप के विभागीय रूप से प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों से ऐसे सहायक लेखे तथा प्रोफार्मा लेखे बनाने की अपेक्षा की जाती है जो कि सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक.महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श से निर्धारित किये जायें।

मार्च 1999 को, वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप के विभागीय रूप से प्रबन्धित 37 सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम, प्रतिवर्ष सामान्यतः व्यापार, लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र से समाविष्ट प्रोफार्मा लेखे तैयार करके सुनिश्चित किए जाते हैं। प्रकाशन विभाग, दिल्ली तथा भारत सरकार के मुद्रणालय केवल भण्डार लेखे तैयार करते हैं।

प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग के लिए यह उत्तरदायित्व लेना अनिवार्य है कि इन उपक्रमों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर लेखापरीक्षित लेखे तैयार करने हैं। विभागीय रूप से प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों के उनके नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-XVII में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जाएगा कि प्रोफार्मा लेखे एक से 25 वर्षों के बीच की अवधि से तैयार नहीं किये गये थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवधि जिसके लिए बकाया पड़े हैं		
वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-5	1993-94 से 1997-98	13
6-10	1988-89 से 1992-93	9
11-15	1983-84 से 1987-88	8
16-20	1978-79 से 1982-83	2
21-25	1973-74 से 1977-78	3
		35

उन उपक्रमों में, जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया थे, आल इण्डिया रेडियो (15 वर्ष), दूरदर्शन (15 वर्ष), चिकित्सा भण्डार डिपो (13 वर्ष), दिल्ली दुग्ध योजना (5 वर्ष) शामिल थे।

लोक लेखा समिति ने अपने 57वें प्रतिवेदन (दसवीं लोकसभा) में अवलोकित किया कि दूरदर्शन के प्रोफार्मा लेखे वर्ष 1977-78 से पूर्ण नहीं किये गये थे। जबकि लेखाओं को अन्तिम रूप देने में 15 वर्षों से अधिक की असाधारण देरी की अलोचना करते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के साथ विचार विमर्श करके अर्थोपाय ढूंढकर अद्यतन प्रोफार्मा खातों को पूरा करे। इस विषय पर की गई कार्यवाही की अपनी रिपोर्ट अर्थात् 106वीं रिपोर्ट (दसवीं लोक सभा) में समिति ने यह देखा था कि निर्णय प्रक्रिया में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी और इस स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी। समिति ने बकाया प्रोफार्मा लेखाओं को दो वर्ष के अन्दर पूर्ण करने की सिफारिश की। लेकिन दूरदर्शन के प्रोफार्मा लेखे सन् 1983-84 से अभी भी बकाया पड़े हुए थे।


प्रोफार्मा लेखाओं के अभाव में, इन संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की लागत, जो कि वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधन किये जाने अभिप्रेत होते हैं, को सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। उनकी गतिविधियों हेतु किसी सामान्य निष्पादक सूचक, जैसे निवेश पर प्रतिफल, लाभकारिता इत्यादि को हल करना भी सम्भव नहीं था।

विभागीय रूप से प्रबन्धित उपक्रम के लेखाओं के संकलन में हुई देरी को वित्त सचिव और (i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (ii) भूतल परिवहन (iii) रक्षा (iv) कृषि (v) सूचना एवं प्रसारण (vi) शहरी मामलों एवं रोजगार (vii) पर्यावरण एवं वन (viii) विद्युत मंत्रालयों के सचिवों के उत्तरों/टिप्पणियों के लिए उनके के ध्यान में दिसम्बर 1999 में लाया गया था। शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय तथा भूतल परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्रालय ने जनवरी 2000 तक अपने उत्तर/टिप्पणी नहीं भेजी।

शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय के अधीन निदेशक मुद्रणालय ने भारत सरकार के मुद्रणालयों के प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति सूचित की परन्तु वित्तीय परिणाम प्रस्तुत न करने के कारण स्पष्ट नहीं किये। भूतल परिवहन मंत्रालय ने जनवरी 2000 में बताया कि ड्राफ्ट पैरों में उल्लिखित तथ्यों की जांच की जा रही थी तथा उत्तर शीघ्र ही भेज दिया जाएगा।

भाग ॥

विनियोग लेखे



अध्याय X प्रस्तावना : 1998-99 के विनियोग लेखाओं का सारांश

विनियोग लेखे : संघ सरकार (सिविल)

अनुदानों की कुल संख्या	96
जिसमें से	
● विभागीय अनुदान	93
● गैर विभागीय अनुदान	3

कुल प्रावधान तथा वास्तविक संवितरण

(करोड़ रु. में)

प्रावधान*		संवितरण*
मूल 628740.73		
अनुपूरक 14447.76		
कुल सकल प्रावधान 643188.49	↔	कुल सकल संवितरण 608167.09

(अनुमानित) 6303.52	संवितरण की कटौती में वसूलियां	(वास्तविक)	8026.96
कुल निवल प्रावधान		कुल निवल	
636884.97		संवितरण	600140.13

दत्तमत और प्रभारित प्रावधान तथा संवितरण

	प्रावधान		संवितरण	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	112763.79	105231.60	114203.68	106237.51
पूंजीगत	26319.82	398873.28	25284.07	362441.83
कुल: सकल	139083.61	504104.88	139487.75	468679.34
संवितरण की कटौती में वसूलियां	6297.00	6.52	8000.20	26.76
कुल : निवल	132786.61	504098.36	131487.55	468652.58

* इसमें रेलवे, रक्षा तथा डा. एवं दूरसं. के आंकड़े सम्मिलित नहीं किए गए हैं जबकि इस अध्याय की तालिका 10.3 में इनके लिये सकल आधार पर आंकड़े सम्मिलित किये गए। इस प्रतिवेदन के भाग-I में सिविल, रेलवे, रक्षा तथा डा. एवं दूरसं. के आंकड़े निवल आधार पर हैं।

10.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान दिए जाने के शीघ्र पश्चात्, भारत की समेकित निधि से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम में विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत किए जा सकते हैं।

विनियोग अधिनियमों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत संसद द्वारा दत्तमत संवितरण सम्मिलित होता है तथा इनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भारत की समेकित निधि पर प्रभारित किया जाने वाला संवितरण भी सम्मिलित होता है। विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत राशि की तुलना में सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं पर किए गए व्यय की सकल राशियों के विवरण दशाति हुए, प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं।

सरकार के क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों, के पांच पृथक विनियोग लेखे जैसे: सिविल, रक्षा सेवाएं, डाक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं तथा रेलवे संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं। ये विनियोग लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र रूप से अनुदान/विनियोग के लिए कुल संस्वीकृत अनुदान/विनियोग, वास्तविक संवितरण तथा बचतें/आधिक्य को प्रदर्शित करते हैं। अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की कुल संख्या जिसके अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 1998-99 के दौरान अनुदान प्राप्त किये, नीचे दी गई हैं :

क्रियाकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	96
रक्षा सेवाएं	5
डाक सेवाएं	1
दूर संचार सेवाएं	1
रेलवे	16
जोड़	119

डाक एवं दूरसंचार सेवाओं, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे के लिए अनुदानों के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैयार किये जाते हैं। उपरोक्त 96 अनुदानों तथा विनियोगों के विनियोग लेखे (सिविल) वित्त मंत्रालय में महालेखा-नियंत्रक द्वारा तैयार किए जाते हैं।

10.2 विनियोग लेखापरीक्षा

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या विभिन्न अनुदानों में से किया गया वास्तविक संवितरण विनियोग अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त प्राधिकार के अधीन ही है तथा संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रभारित किया जाने वाला व्यय ही प्रभारित किया गया है। यह इस बात का भी पता लगाता है कि क्या इस प्रकार से किया गया संवितरण विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

इस भाग में डाक सेवाओं, दूर संचार सेवाओं, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे, जहां उपयुक्त हो, के विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा उपलब्धियों के सारांश के अतिरिक्त वर्ष 1998-99 के लिए महालेखानियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखाओं (सिविल) के संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निहित हैं। डाक तथा दूर संचार, रक्षा तथा रेलवे के विनियोग लेखाओं के संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा उपलब्धियां नि.म.ले.प. के वर्ष 2000 के प्रतिवेदन सं. 6,7,8 तथा 9 में शामिल की गई हैं।

10.3 विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 तथा 115 के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान संसद द्वारा पारित विभिन्न विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में प्राधिकृत विभिन्न राशियों की तुलना में मार्च 1999 को समाप्त वर्ष में सकल व्यय की गई राशियों के विनियोग लेखाओं का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 10.3: अनुमोदन एवं संवितरण

(करोड़ रुपये में)

	संवितरण का स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान-/ आधिक्य +
सिविल						
दत्तमत	I. राजस्व	109434.34	3329.45	112763.79	114203.68	+1439.89
	II. पूंजीगत	18600.12	43.15	18643.27	18172.17	- 471.10
	III. कर्जे तथा पेशगियां	6724.14	952.41	7676.55	7111.90	- 564.65
कुल दत्तमत		134758.60	4325.01	139083.61	139487.75	+404.14
प्रभारित	IV. राजस्व	105199.64	31.96	105231.60	106237.51	+1005.91
	V. पूंजीगत	15.71	22.43	38.14	28.44	- 9.70
	VI लोक ऋण	359079.96	-	359079.96	322679.22	- 36400.74
	VII. कर्जे तथा पेशगियां	29686.82	10068.36	39755.18	39734.17	- 21.01
कुल प्रभारित		493982.13	10122.75	504104.88	468679.34	-35425.54

	संवितरण का स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	वस्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान-/ आधिक्य +
कुल जोड़- सिविल		628740.73	14447.76	643188.49	608167.09	-35021.40
डाक एवं दूरसंचार (डा. एवं दू.)						
दत्तमत		33096.84	1059.45	34156.29	32855.21	-1301.08
प्रभारित		0.13	0.39	0.52	-	-0.52
कुल डा. एवं दू.		33096.97	1059.84	34156.81	32855.21	-1301.60
रक्षा सेवाएं						
दत्तमत		42364.33	--	42364.33	41341.58	- 1022.75
प्रभारित		20.72	--	20.72	21.93	+ 1.21
कुल रक्षा सेवाएं		42385.05	--	42385.05	41363.51	- 1021.54
रेलवे						
दत्तमत		51068.48	1701.16	52769.64	49392.92	- 3376.72
प्रभारित		24.13	11.88	36.01	26.28	- 9.73
कुल रेलवे		51092.61	1713.04	52805.65	49419.20	- 3386.45
कुल दत्तमत: भा.स.नि.		261288.25	7085.62	268373.87	263077.46	- 5296.41
कुल प्रभारित: भा.स.नि.		494027.11	10135.02	504162.13	468727.55	- 35434.58
संघ सरकार विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल जोड़: भा.स.नि.		755315.36	17220.64	772536.00	731805.01	(-) 40730.99

टिप्पणी : अनुदानों के लिए मांग में, प्रभारित संवितरण के प्रावधान को विनियोग कहा जाता है तथा दत्तमत संवितरण के प्रावधान को अनुदान कहा जाता है ।
भा.स.नि.= भारत की समेकित निधि ।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित अनुदानों में 35021.40 करोड़ रु के समग्र बचत प्रावधानों में से 28102.06 करोड़ रु की बचत 91, 28 और 14 दिवसीय खजाना बिलों के बजट में अनुमोदित आहरण से कम आहरण किए जाने के कारण थी जिसके परिणामस्वरूप बजट में अनुमोदित वापस अदायगियों से कम अदायगी हुई। इसे छोड़ कर, प्रभावी अव्ययित प्रावधान 6919.34 करोड़ रु का था। इसमें से 148.17 करोड़ रु ऊपर बताए गए कारणों से इन खजाना बिलों पर कम ब्याज भुगतान पर आरोप्य था।

आगे, उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ऋणों की वापस अदायगी के प्रावधान के अन्तर्गत, कुल अव्ययित प्रावधान 36400.74 करोड़ रु था। इस अव्ययित प्रावधान में से, 28102.06 करोड़ रु अल्प अवधि उधारों अर्थात् 91, 28 और 14 दिवसीय खजाना बिल की कम अदायगी के कारण था जबकि ऋणों की वापस अदायगी के लिये प्रावधान के प्रति 8298.68 करोड़ रु का बाकी अव्ययित प्रावधान बाजार ऋणों तथा बाह्य उधारों से सम्बन्धित था। इस अव्ययित प्रावधान से राजस्व तथा अन्य पूंजीगत व्ययों के लिए सेवा शीर्षों में आधिक्य को छुपाने का प्रभाव डाला था।

यदि प्रावधान एवं ऋणों की वापस अदायगी के लिए अव्ययित राशि, दोनों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो सिविल मंत्रालयों में 1379.34 करोड़ रु का कुल आधिक्य हुआ।

यह ध्यान देने योग्य है कि अव्ययित प्रावधान/आधिक्य का उपर्युक्त विश्लेषण मूल प्रावधान एवं प्रथम खेप में लिये गये अनुपूरक अनुदानों के संदर्भ में है। तथापि, चूंकि मंत्रालय इससे अवगत नहीं हो सके थे कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप प्रभावी नहीं हो पाएगी, उन्होंने यह मानते हुए अपना व्यय योजनाबद्ध किया था कि दूसरी खेप में अनुदानों की अनुपूरक मांगें पारित हो जाएंगी तथा सम्बन्धित विनियोग लेखा भी प्रभाव में आ जाएगा। अतः, वास्तव में, अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप में सम्मिलित इस मांग का अनुमान लगाने के बाद मंत्रालयों/विभागों का वित्तीय निष्पादन देखा जाना चाहिए।

चूंकि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप में सिविल मंत्रालयों के लिए मागे कुल 11809.55 करोड़ रु थी, प्रभावी अव्ययित प्रावधान निम्न प्रकार होंगे:-

(करोड़ रुपयों में)

	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक
कुल अव्ययित प्रावधान	35021.40	46830.95
91,28 एवं 14 दिवसीय खजाना बिलों को छोड़ते हुए अव्ययित प्रावधान	6919.34	18728.89
लोक ऋण को छोड़ते हुए अव्ययित प्रावधान	1379.34 (अतिरेक)	10430.21


10.3.1 चुने हुये मंत्रालयों की विनियोग लेखापरीक्षा के विस्तृत परिणाम

जबकि विनियोग लेखापरीक्षा (सिविल) के समग्र परिणाम अध्याय X से XV में सम्मिलित किये गए हैं, कुछ चुने गए मंत्रालयों/विभागों की विनियोग लेखापरीक्षा के विस्तृत परिणाम अध्याय XVI में शामिल हैं।

इसी प्रकार डाक एवं दूर संचार, रक्षा सेवायें (सेना तथा आयुध निर्माणी); रक्षा सेवाएं (वायु सेना तथा नौ-सेना) तथा रेलवे की विनियोग लेखापरीक्षा के विस्तृत परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2000 के प्रतिवेदन सं. क्रमशः 6, 7, 8 एवं 9 में सम्मिलित किये गए हैं।

10.4 प्रभारित तथा दत्तमत व्यय

वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक के सिविल मंत्रालयों/विभागों की अनुमोदित मांगों (अनुदानों एवं विनियोगों) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरण की राशियों का विवरण इस अध्याय के अंत में अनुबंध-1 में दिया गया है। यह देखा जाएगा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 71 से 77 प्रतिशत तक का सिविल मंत्रालयों का संवितरण भारत की समेकित निधि पर प्रभारित किया गया था।



जबकि सिविल मंत्रालयों का कुल संवितरण 1994-95 में 304012 करोड़ रु से 100 प्रतिशत बढ़कर 1998-99 के दौरान 608167 करोड़ रु हो गया है, प्रभारित संवितरण 216958 करोड़ रु से 116 प्रतिशत

बढ़कर 468679 करोड़ रु हो गया है और दत्तमत संवितरण 87054 करोड़ रु से 60 प्रतिशत बढ़कर 139488 करोड़ रु हो गया है।

- 1998-99 के दौरान सिविल मंत्रालयों का प्रभारित संवितरण मुख्यतः ब्याज भुगतानों (1997-98 के लिए 65637 करोड़ रु से 19 प्रतिशत अधिक अर्थात् 77882 करोड़ रु), ऋण की वापस अदायगी (322679 करोड़ रु), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को आयकर के निवल प्रावधान (1997-98 के लिये 54717 करोड़ रु से 23 प्रतिशत अधिक अर्थात् 67121 करोड़ रु) को छोड़कर मुख्यतः मूल तथा अतिरिक्त संघ उत्पाद शुल्क का राज्यों का भाग, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों, निवल लघु बचत संग्रहण के प्रति राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को ऋणों, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋणों आदि तथा अन्य (997 करोड़ रु) को अंतरण के कारण था एवं कुल संवितरण का 77 प्रतिशत बना।

अत्यधिक प्रभारित संवितरण के कारण सिविल मंत्रालयों के संवितरण पर संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का सीमित क्षेत्र।

चूंकि प्रभारित संवितरण के लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल लगभग 23 प्रतिशत तक सीमित हो जाता है। किन्तु, भारत की समेकित निधि से कुल व्यय (731805 करोड़ रु) की पृष्ठ भूमि में देखने पर प्रभारित संवितरण (468728 करोड़ रु) 64 प्रतिशत था। यदि वेतन तथा भत्तों पर संवितरण को भी इसमें जोड़ा जाए तो भारत की समेकित निधि के कुल संवितरण के 25 प्रतिशत से भी कम पर संसद द्वारा प्रभावी मतदान किया जाता है।


10.5 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम (सिविल मंत्रालय)

प्रत्येक अनुदान में अव्ययित प्रावधान राजस्व तथा पूंजीगत संवितरण दोनों के लिए दत्तमत तथा प्रभारित अनुभागों के लिए अलग-अलग परिकलित किया जाता है। ऊपर पैरा 10.3 में उल्लिखित सिविल मंत्रालय में समस्त अव्ययित राशि, अनुदानों/विनियोगों के 167 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान तथा 56 अनुभागों में आधिक्य का विशुद्ध परिणाम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 10.5: अनुदानों/विनियोगों में विशुद्ध अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

प्रभावित अनुदान एवं विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		विशुद्ध अव्ययित प्रावधान (-) / आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
सिविल						
दत्तमत	5710.84	2792.09	7150.73	1756.34	+1439.89	-1035.75
अनुदानों की संख्या	59	60	31	12		
प्रभारित	1885.68	36457.25	2891.59	25.80	+1005.91	-36431.45
विनियोगों की संख्या	32	16	9	4	--	--
डाक एवं दूरसंचार						
दत्तमत	76.33	1525.60	300.85	-	+224.52	-1525.60
अनुदानों की संख्या	1	2	1	-	-	-
प्रभारित	0.51	0.01	-	-	-0.51	-0.01
विनियोगों की संख्या	2	1				
रक्षा सेवायें						
दत्तमत	964.96	332.72	274.93	--	- 690.03	- 332.72
अनुदानों की संख्या	2	1	2	--		
प्रभारित	7.77	--	--	8.98	- 7.77	+ 8.98
विनियोगों की संख्या	4	--	--	1		
रेलवे						
दत्तमत	1970.64	1752.19	346.11	-	- 1624.53	- 1752.19
अनुदानों की संख्या	13	1	4			
प्रभारित	9.51	0.86	0.57	0.07	- 8.94	- 0.79
विनियोगों की संख्या	9	1	4	1		



वर्ष 1998-99 के लिए प्राप्त 628741 करोड़ ₹ का मूल प्रावधान वर्ष 1997-98 के लिए प्राप्त 460248 करोड़ ₹ के प्रावधान से 37 प्रतिशत अधिक था। 1998-99 के दौरान 608167 करोड़ ₹ का कुल संवितरण 1997-98 के दौरान 584471

करोड़ ₹ के कुल संवितरण से 23696 करोड़ ₹ अधिक था। प्रभारित व्यय में पिछले वर्ष से 4 प्रतिशत की वृद्धि जबकि दत्तमत व्यय में 5 प्रतिशत की वृद्धि थी। प्रभारित व्यय का 69 प्रतिशत ऋण की वापस अदायगी से तथा 17 प्रतिशत ब्याज भुगतानों से सम्बन्धित था। सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत प्रभारित संवितरण कुल संवितरण का 77 प्रतिशत था। इसमें ब्याज भुगतानों तथा ऋण की वापस अदायगी शामिल थी जो सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत कुल संवितरण का 66 प्रतिशत थी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत प्राप्त मूल/अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता की स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूँजीगत					जोड़
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत		प्रभारित			
				पूँजीगत	कर्जे एवं अग्रिम	लोक ऋण	पूँजीगत	कर्जे एवं अग्रिम	
1994-95	मूल	64579	66938	14846	5536	168638	7	14500	335044
	अनुपूरक	6686	256	1954	779	176	219	4047	14117
	प्रतिशतता	10	0.4	13	14	0.1	3129	28	4
1995-96	मूल	69473	77275	8722	5766	184928	8	16731	362903
	अनुपूरक	8065	99	3358	1337	-	3	3034	15896
	प्रतिशतता	12	0.1	38	23	-	38	18	4
1996-97	मूल	86187	87431	9042	6790	201914	9	22202	413575
	अनुपूरक	4378	55	767	418	-	11	1698	7327
	प्रतिशतता	5	0.1	8	6	-	122	8	2
1997-98	मूल	94519	97177	9907	6258	227229	8	25150	460248
	अनुपूरक	30641	62	3507	781	130735	4	5673	171403
	प्रतिशतता	32	0.1	35	12	58	50	23	37

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूँजीगत					जोड़
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत		प्रभारित			
				पूँजीगत	कर्जे एवं अग्रिम	लोक ऋण	पूँजीगत	कर्जे एवं अग्रिम	
1998-99	मूल	109434	105200	18600	6724	359080	16	29687	628741
	अनुपूरक	3329	32	43	953	-	23	10068	14448
	प्रतिशतता	3	0.03	0.23	14	-	144	34	2
	मार्च 1999 में अनुपूरक मांगों की परन्तु पारित नहीं की जा सकी।	7569	2272	95	1847	-	4	23	11810

10.6 बिना संस्वीकृति के किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 266 (3), 267(1) तथा 283(1) के 'उपबन्धों की शर्तों के अधीन सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 6 के उपबन्धों के अनुसार, कोई प्राधिकारी, तब तक कोई व्यय नहीं कर सकता या किसी देयता को वहन नहीं कर सकता जिसमें सरकारी लेखे से निवेश अथवा जमा के लिए धन का व्यय अथवा अंतरण अंतर्ग्रस्त हो, जब तक ऐसा व्यय अथवा अंतरण, जैसी भी स्थिति हो, सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी जिसे इस विषय में विधिवत अधिकार प्रत्यायोजित किया गया हो, द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा संस्वीकृत न किया गया हो'।

वित्त मंत्रालय ने समुचित संस्वीकृति के बिना 0.22 करोड़ रु का व्यय किया।

वर्ष 1998-99 के लिए विनियोग लेखाओं के अनुबन्ध 'ख' की संवीक्षा से पता चला कि वित्त मंत्रालय ने उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करके उपयुक्त संस्वीकृति के बिना 10 मदों पर कुल 22 लाख रु का व्यय किया। यह राशि वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों के व्यय आंकड़ों में शामिल है। महालेखा नियंत्रक ने सवितरण का सत्यापन करते समय इस राशि को संस्वीकृति की दृष्टि से स्वीकार्य मान लिया। पिछले पांच वर्षों के लिए ऐसे मामलों के विवरण इस अध्याय के अनुबंध-II में दिए गए हैं।

10.7 मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में किया गया व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 की टिप्पणी 3 के अनुसार विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में भारी व्यय, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1996 से भारत के नि.म.ले.प. के पिछले प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा लगातार इंगित किये जाने पर तथा उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत, 34 अनुदानों/विनियोगों के 68 मुख्य शीर्षों में 27 से 100 प्रतिशत तक सवितरण मार्च 1999 में

किया गया। 36 अनुदानों/ विनियोगों के 77 मुख्य शीर्षों में 50 से 100 प्रतिशत तक संवितरण वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया। परिशिष्ट XVIII में ऐसे कुछ उदाहरण दर्शाए गये हैं।

मार्च/वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय 1998-99 में भी जारी रहा।

परिशिष्ट-XVIII में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि राज्य, संघ शासित सरकारों को दिए गए सहायता अनुदानों, ऋणों तथा निवेश पर लगभग समस्त व्यय के संबंध में, निधियां केवल मार्च के महीने में ही जारी की जाती थीं। इस प्रथा से कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या इस प्रथा से विकास के समग्र लक्ष्यों, जिनके लिए इन निधियों के उपयोग का उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जिनके लिए ये दत्तमत अथवा विनियोजित की जाती हैं, पर कोई प्रभाव पड़ता है।

चूंकि मार्च/वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में विभिन्न संगठनों को जारी निधियां, वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकतीं, यह मान लेना संभव नहीं है कि वर्ष के दौरान इन निधियों का उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थीं।

10.8 वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखाओं से 26.71 करोड़ रु राशि के व्यय का अपवर्जन

विनियोग लेखाओं का अभिप्राय उन लेखाओं से है जो विभिन्न उद्देश्यों, जिनका संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय (दत्तमत तथा प्रभारित दोनों) को दर्शाते हैं तथा एक वर्ष के दौरान खर्च की गई ऐसी राशि को, जब तक बहुत आवश्यक न हो, सामान्य रूप से विनियोग लेखाओं से बाहर नहीं रखा जाएगा। वर्ष 1998-99 के लिए विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि नीचे दर्शाए गए चार अनुदानों/विनियोगों के मामले में 26.71 करोड़ रु व्यय करने तथा व्यय को भारत की आकस्मिकता निधि में वापस न किए गए अग्रिमों के रूप में दर्शाने के बाद वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखे (सिविल) से बाहर रखा गया था।

(करोड़ रुपयों में)

	वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय	विनियोग लेखे से बाहर रखा गया व्यय	विनियोग लेखे में दर्शाया गया व्यय	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम
अनुदान सं. 27 मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टिकटें				(रुपए)
राजस्व (प्रभारित)	6.46	1.93	4.53	19268000
अनुदान सं. 50- संस्कृति विभाग				
राजस्व (दत्तमत)	312.18	14.69	297.49	150000000
अनुदान सं. 55- लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग				
राजस्व (दत्तमत)	670.79	1.65	669.14	16482842
अनुदान सं. 61- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय				
राजस्व (प्रभारित)	29.42	8.44	20.98	84360000
जोड़	1018.85	26.71	992.14	270110842

मामला संबंधित लेखा नियंत्रकों तथा लेखा महानियंत्रक के साथ उठाया गया जिन्होंने बताया है कि व्यय भारत की आकस्मिकता निधि से किया गया था, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकी चूंकि अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने वाला विनियोग अधिनियम वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभाव में आया। चूंकि व्यय भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित करके किया गया इसलिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है जो कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अप्राधिकृत रूप से अधिक व्यय हुआ। इस व्यय को नियमित कराने की आवश्यकता है।

10.9 विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विनियोग लेखाओं के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण आगामी अध्यायों में, प्रस्तुत किया गया है। इसमें संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता वाले अधिक व्यय, अव्ययित प्रावधानों के लिए स्पष्टीकरण, पुनर्विनियोग, अनुपूरक अनुदानों का उपयोग, नई सेवा /सेवा के नए साधनों के मामले तथा गहन जांच हेतु चुने गए मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण शामिल है। व्यय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में, पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्तियां एक संतुलित मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत की गई हैं।

अनुबन्ध- I

(पैराग्राफ 10.4 देखें)

प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का अनुपात

(सिविल क्षेत्र)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन			व्यय				
		दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत की प्रतिशतता	प्रभारित की प्रतिशतता
1.	1994-95	94380	254781	349161	87054	216958	304012	29	71
2.	1995-96	96720	282079	378799	90196	231831	322027	28	72
3.	1996-97	107583	313320	420903	96316	280355	376671	26	74
4.	1997-98	145613	486038	631651	132239	452232	584471	23	77
5.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77

अनुबन्ध II

(पैराग्राफ 10.6 देखें)

आपत्ति के अधीन रखे गए विविध संवितरणों का विवरण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	वित्त मंत्रालय	
	मदों की संख्या	राशि
1994-95	45	89.51
1995-96	23	44.56
1996-97	27	45.52
1997-98	17	12.24
1998-99	10	21.85

अध्याय XI: आबंटन से अधिक संवितरण


(राशि रूपों में)

		सिविल	डाक एवं दूरसंचार	रक्षा सेवाएं	रेलवे
दत्तमत	राजस्व	71507265254	3008500000	2749327145	3461074896
	पूँजीगत	17563431383	-	-	-
प्रभारित	राजस्व	28915924639	-	-	5720054
	पूँजीगत	258002208	-	89822170	681327
कुल आधिक्य		118244623484	3008500000	2839149315	3467476277
संख्या		42	1	3	9
अतिरिक्त संवितरणों को प्राधिकृत करने वाले विनियोग अधिनियम के वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद व्यवहार में आने के कारण आधिक्य में अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरे खेप में शामिल नहीं		111127727074	3008500000	2839149315	-
जोड़		118244623484	3008500000	2839149315	3467476277
सकल जोड़			127559749076		

11.1 अनुदानों/विनियोगों (सिविल) की तुलना में अधिक संवितरण

सिविल मंत्रालयों ने 11824.46 करोड़ रु का अनुमोदन से अधिक व्यय किया, जिसके नियमन की आवश्यकता है।

संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन के सिवाय कोई भी धन भारत की समेकित निधि से



आहरित नहीं किया जाता। आगे, सामान्य वित्तीय नियम 71 यह अनुबद्ध करता है कि ऐसा कोई संवितरण नहीं किया

नियम 71 यह अनुबद्ध करता है कि ऐसा कोई संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए सिवाय उस स्थिति के जबकि अनुपूरक अनुदान या आकस्मिक निधि से अग्रिम लिया जाए। 1998-99 के दौरान सिविल मंत्रालयों में राजस्व तथा पूंजीगत अनुभागों के अन्तर्गत 41 अनुदानों के 56 खंडों तथा एक विनियोग में 118244623484 (अर्थात् 11824.46 करोड़ रु) रु का अधिक संवितरण था।

11824.46 करोड़ रु के कुल आधिक्य में से, 11112.77 करोड़ रु का अधिक व्यय हुआ क्योंकि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के आधार पर 11809.55 करोड़ रु के अतिरिक्त संवितरण को प्राधिकृत करने वाला विनियोग अधिनियम वित्तीय वर्ष 1998-99 की समाप्ति से पूर्व लागू नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, छः अनुदानों तथा एक विनियोग में 711.69 करोड़ रु का अधिक संवितरण था। कुल अधिक संवितरणों, अनुपूरक अनुदानों की दूसरी खेप के कारण होने वाले संवितरणों सहित, जो कि वर्ष के दौरान लागू नहीं हो सके, के नियमन की आवश्यकता है। सिविल मंत्रालयों के अधीन ऐसे अधिक संवितरणों का विवरण निम्नानुसार था:

	अधिक संवितरण		
	जोड़	मार्च 1999 की अनुपूरक मांगों की दूसरे खेप में शामिल किए गए	मार्च 1999 की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप में शामिल न किए गए
राजस्व	रुपए	रुपए	रुपए
दत्तमत	71507265254	71302375221	204890033
प्रभारित	28915924639	22572061064	6343863575
पूंजीगत			
दत्तमत	17563431383	16995328739	568102644
प्रभारित	258002208	257962050	40158
कुल जोड़	118244623484	111127727074	7116896410

भारत की समेकित निधि से अनुमोदन से ऊपर कुल आधिक्य का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अनुदान / विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
राजस्व-दत्तमत				
1.	1 - कृषि	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	44109800000 47287870646 3178070646	<ul style="list-style-type: none"> * सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की दरों में वृद्धि तथा विनियंत्रित फासफेटिक तथा पोट्टाशिक ऊर्वरकों की बिक्री (789.95 करोड़ रु) * हिमाचल प्रदेश में सेबों पर बाजार मध्यस्थता योजना पर 50 प्रतिशत हानि के केन्द्रीय सरकार के हिस्से को पूरा करने के कारण (9.98 करोड़ रु) * कृषि संगणना कार्य हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों को बहुत अधिक मानदेय का भुगतान (4.57 करोड़ रु)
2.	11 - चीनी तथा खाद्य तेल विभाग	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	7656100000 8327339867 671239867	<ul style="list-style-type: none"> * सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु खाद्य तेल के आयात के कारण राज्य व्यापार निगम को जारी अतिरिक्त आर्थिक सहायता (75.00 करोड़ रु).
3	13 - वाणिज्य विभाग	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	9323100000 9600172682 277072682	<ul style="list-style-type: none"> * विदेश मंत्रालय से अधिक दावों की प्राप्ति। * निर्यात आर्थिक सहायता के अन्तर्गत निर्यातकों के लम्बित दावों के निपटान हेतु निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता (73.62 करोड़ रु). * वर्ष के दौरान कीमतों में गिरावट के कारण रबड़ की खरीद पर हुई हानि का निपटान
4	17 - रक्षा मंत्रालय	अनुदान	29971700000	<ul style="list-style-type: none"> * पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
		व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	30622497355 650797355	कारण बकाया की दूसरी किश्त का भुगतान। * कैंटीन भण्डार विभाग की बिक्री में वृद्धि के कारण अधिक भण्डार की खरीद। * पेंशन प्रभारों, घरेलू यात्रा, ब्याज भुगतान तथा अन्य प्रभारों में वृद्धि।
5	18 -रक्षा पेंशन	अनुदान व्यय (1) अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य (2) अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत न आने वाला आधिक्य	59231900000 72699842021 13464700000 3242021	* पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में संशोधन। * 1 जनवरी तथा 1 जुलाई 1998 से मंहगाई भत्ते की दो किश्तों की संस्वीकृति।
6	25 – विदेश मंत्रालय	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत न होने वाला आधिक्य	18916900000 18947092735 30192735	* पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बकाया की दूसरी किश्त का भुगतान। * हवाई किरायों, होटल दरों में वृद्धि। * पूरे विश्व में सामान्य वृद्धि तथा भारतीय रूप का ह्रास। * विदेशी भत्ते की सूचकांक योजना का कार्यान्वयन। * विदेशी उच्चाधिकारियों की राजकीय यात्रा पर अधिक व्यय। * अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विदेशी यात्राओं पर अतिरिक्त व्यय। * भारतीय सांस्कृतिक संबंध

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
			<p>परिषद को दिए गए सहायता अनुदान में वृद्धि।</p> <ul style="list-style-type: none"> * खाद्य सहायता के रूप में चावल, गेहूँ तथा मक्का की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायक बचनबद्धता। * टाला तथा कुरिचु परियोजनाओं के निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए भूटान को अतिरिक्त सहायक बचनबद्धता। * आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायक बचनबद्धता।
7	26 -आर्थिक कार्य विभाग	<p>अनुदान व्यय</p> <p>अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य</p>	<p>29456000000 33067009746 3611009746</p> <ul style="list-style-type: none"> * विदेशी मुद्रा (गैर-निवासी) लेखा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त विनिमय हानि। * विनिमय हानियों के कारण प्रत्याशा से अधिक भुगतान। * विश्व पर्यावरण सुविधा हेतु अधिक अंशदान।
8	28 – वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	<p>अनुदान व्यय</p> <p>अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य</p>	<p>3008100000 28675744785 25667644785</p> <ul style="list-style-type: none"> * प्रतिकूल विनिमय दर विभिन्नता। * आई सी आई सी आई तथा आई डी बी आई से प्रतिपूर्ति हेतु अधिक दावों की प्राप्ति। * कुछ बैंकों को बाजार से पूंजी प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए उनमें सरकारी निवेश (पूंजीगत आधार) का अवलेखन।
9	34 – पेंशन	<p>अनुदान व्यय</p> <p>(1) अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के</p>	<p>14271500000 27996032713 13680600000</p> <ul style="list-style-type: none"> * पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण होने वाले संशोधन की वजह से पेंशन/रूपान्तरण /उपदान/परिवार पेंशन के

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
		अन्तर्गत आवृत आधिक्य (2) अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत न होने वाला आधिक्य	43932713	अधिक मामलों का निपटान। * परमाणु ऊर्जा विभाग के एक हजार कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अंशदायी भविष्य निधि की योजना में शामिल करने के कारण सरकारी अंशदान के तीन वर्षों के बकाया को जमा कराना। * प्रत्याशा से अधिक मौतों के कारण अधिक बीमा दावों की प्राप्ति।
10	35 – लेखापरीक्षा	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	7662200000 7847775524 185575524	* पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के कारण वेतन तथा भत्तों के बकाया का भुगतान। * भवनों के किराए का संशोधन। * राज्य लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण।
11	37 – प्रत्यक्ष कर	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	7659800000 8133624923 473824923	* कर आधार बढ़ाने के लिए कर विवाद समाधान योजना के विज्ञापन तथा प्रचार पर भुगतानों की बढ़ोतरी। * बोनस, मंहगाई भत्ते, पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों आदि को लागू करने के लिए वेतन तथा भत्तों के बकाया का भुगतान। * किराए पर लिए गए भवनों के संशोधित किराए तथा विभागीय भवनों के रख-रखाव के बकायों का भुगतान।
12	38 – अप्रत्यक्ष कर	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों	10008800000 10270533290 261733290	* पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण वेतन आदि के बकायों की दूसरी किश्त का भुगतान।

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रुपए	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
		की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	<ul style="list-style-type: none"> * कम्प्यूटरों के लिये संयोजन प्रभारों का भुगतान। * कर विवाद समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु विज्ञापन तथा प्रचार पर अधिक भुगतान। * कम्प्यूटर उपकरणों सहित अवसंरचनीय सहायता पर बढ़ा हुआ भुगतान। * किराए पर लिए गए भवनों का अधिक किराया। * मैच उत्पाद झण्डियों के मुद्रण तथा पिछले वर्षों के दावों के निपटान पर अधिक भुगतान।
13	41- भारतीय औषधि तथा होमियोपैथी पद्धति विभाग	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	<ul style="list-style-type: none"> * शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन मानों के संशोधन, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्टाफ क्वार्टरों के रूप में प्रयोग हेतु बने बनाए मकानों की खरीद तथा विभिन्न उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता। * संशोधित वेतन तथा भत्तों/प्रेक्टिस बंदी भत्तों के बकायों का भुगतान तथा उपकरणों की खरीद। * उन्नत करने हेतु अधिक संस्थाओं को आवृत करना।
14	43 -गृह मंत्रालय	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	<ul style="list-style-type: none"> * पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण वेतन तथा भत्तों की दूसरी किश्त के बकायों, मंहगाई भत्ते की दो किश्तों का भुगतान तथा 1-10-97 से यात्रा भत्ता दरों का संशोधन। * प्रत्याशा से अधिक दावों की प्रतिपूर्ति तथा कुछ राज्य

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूपए		सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
				सरकारों के पिछले दावों का निपटान।
15.	45 – पुलिस	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	59213500000 60504662469 1291162469	<ul style="list-style-type: none"> * सविदागत मदों की लागत में वृद्धि तथा उच्च परिवहन प्रभार, अतिरिक्त अस्त्र.शस्त्र तथा गोला बारूद, वाहन, अतिरिक्त पुरजे, मशीनरी तथा उपकरण की अधिप्राप्ति। * ज.एवं का. लाईट इनफैंट्री के संबंध में रक्षा मंत्रालय को अधिक प्रतिपूर्ति। * संशोधित दरों पर अनासक्ति/ यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान। * कार्यालयी खर्चों पर अधिक भुगतान। * रेल किरायों में वृद्धि। * अपनी ड्यूटी के निष्पादन के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रही भुगतानों की दरों में वृद्धि। * वेतन तथा भत्तों के बकाया की दूसरी किश्त तथा मंहगाई भत्ते की दो किश्तों का भुगतान। * विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु वाहनों के किराया प्रभारों की दरों में संशोधन। * दिल्ली में 17 नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए बजट पश्चात निर्णय के कारण कर्मचारियों की नियुक्ति। * बिजली तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की पिछली देयताओं का निपटान।
16	47 – संघ- राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	अनुदान	3532500000 4366600000	* योजनेत्तर घाटे तथा खण्ड अनुदानों को पूरा करने के

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप		सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
		व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत होने वाला आधिक्य	834100000	लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।
17	52 -औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	5674700000 6195621182 520921182	* स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए अधिक आवेदनों की प्राप्ति के कारण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा नोडल एजेंसियों की बढ़ी हुई मांग। * गुजरात में चक्रवात द्वारा नष्ट लाइसेंस प्राप्त नमक निर्माण कार्यों को अतिरिक्त अनुदान सहायता जारी करना।
18.	54 - भारी उद्योग विभाग	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	674900000 4248263103 3573363103	* इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता उद्योग एवं राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक आवेदनों की प्राप्ति। * ब्रेथवेट, भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि., हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि., इन्स्ट्रुमेन्टेशन लि. तथा हिन्दुस्तान केबलज लि. को अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के भाग के रूप में ब्याज परिदान की मंजूरी। * हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. तथा हिन्दुस्तान केबलज लि. को अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के भाग के रूप में गारण्टी शुल्क परिदान की मंजूरी।

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
19.	56 -सूचना, फिल्म तथा प्रचार	अनुदान व्यय अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	1973400000 1982163692 8763692	* विभाग के अतिरिक्त स्थापना संबंधी भुगतान को पूरा करना। * क्षेत्रीय प्रचार यूनियों के नए वाहनों की खरीद। * वेतन बकाया तथा मंहगाई भत्तों की दूसरी किश्त का भुगतान। * अनुरक्षण/विद्युत दरों की लागत में वृद्धि।
20	60 - चुनाव आयोग	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	75000000 85257795 10257795	* आयोग के अतिरिक्त स्थापना संबंधी भुगतानों को पूरा करना।
21	78 - इस्पात मंत्रालय	अनुदान व्यय अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	372000000 483437037 111437037	* लोहा तथा इस्पात उद्योग में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत आशा से अधिक आवेदनों की प्राप्ति।
22.	80 - सड़कें	अनुदान व्यय अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	10472500000 10478292551 5792551	* कुछ राज्य सरकारों को मार्गकर संग्रहण प्रभारों की प्रतिपूर्ति। * वर्षा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण तथा मरम्मत पर अतिरिक्त भुगतान।
23	81 - पत्तन, प्रकाश-गृह तथा नौपरिवहन	अनुदान	3533700000	* स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड

क्र.सं.	अनुदान / विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
		व्यय (1) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य (2) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत्त न होने वाला आधिक्य	4672153043 1016400000 122053043	लिमिटेड को अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान करना। * कलकत्ता पत्तन न्यास को हुगली नदी के निकर्षण तथा अनुरक्षण तथा हल्दिया को जाने वाले शिपिंग चैनल पर किए गए अतिरिक्त भुगतान की प्रतिपूर्ति। * एम.वी. सागरदीप तथा एम.वी. पारादीप विभागीय जलयानों के प्रबन्ध हेतु भारतीय नौपरिवहन निगम को भुगतान। * राजस्व भुगतानों की तुलना में 'प्रकाश देयों' की अधिक प्राप्ति।
24	95 – राज्य सभा	अनुदान व्यय अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	380600000 404856656 24256656	* राज्य सभा के सदस्यों के वेतन तथा यात्रा खर्चों में वृद्धि। * समिति के कार्यों की मात्रा में वृद्धि।
25	96 – लोक सभा	अनुदान व्यय अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	665800000 776668525 110868525	* अतिरिक्त स्थापना संबंधी भुगतान।
26	98 – उप राष्ट्रपति सचिवालय	अनुदान व्यय अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के	7000000 10699304 3699304	* अतिरिक्त स्थापना संबंधी भुगतान।

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप		सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
		अन्तर्गत आवृत आधिक्य		
27	99 – अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	अनुदान व्यय अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	4837900000 5065077822 227177822	<ul style="list-style-type: none"> * अ.तथा नि. अग्नि सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु बकाया बचनबद्धता देयताओं का निपटान। * पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण वेतन तथा भत्तों के बकायों पर अतिरिक्त भुगतान। * उच्च गति डीजल तेल तथा अन्य भण्डार की खरीद। * औद्योगिक इकाईयों को अन्तर्देशीय परिवहन परिदान के पिछले भुगतान का निपटान। * भारतीय नौपरिवहन निगम को अधिक भुगतान। * निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त भण्डार की खरीद।
28	100 – चण्डीगढ़	अनुदान व्यय अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	5229300000 6167238422 937938422	<ul style="list-style-type: none"> * 1-1-1996 से पंजाब पद्धति पर वेतन मानों के संशोधन के कारण वेतन तथा भत्तों के बकायों का भुगतान। * अधिक पॉवर की खरीद तथा पिछले वर्षों की देयताओं का निपटान। * सुखना झील पर किए गए काम के लिए वैट निकर्षण निगम को भुगतान। * बिजली, पानी तथा टेलिफोन के अधिक बिलों का भुगतान। * कम्प्यूट्रीकृत पी.बी.ए.एक्स. पद्धति, अधिक कार्यालयी उपकरणों, मशीनरी, औषधियों, रसायनों, सर्जिकल मदों,

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
			<p>फर्नीचर, क्रियाशील वाहनों आदि की खरीद।</p> <p>* घाटे को पूरा करने के लिए पुनर्संगठन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजाब विश्वविद्यालय को सहायता अनुदानों का भुगतान।</p> <p>* अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्यों में वृद्धि तथा सामग्री की लागत में वृद्धि।</p>
29	101 – दादरा तथा नागर हवेली	<p>अनुदान</p> <p>व्यय</p> <p>अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य</p>	<p>1429300000</p> <p>1569642287</p> <p>140342287</p> <p>* भुगतान एवं लेखा कार्यालय, आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त डेबिट नोटों का भुगतान।</p> <p>* विद्युत विभाग के विद्युत/ऊर्जा प्रभारों का भुगतान।</p>
30	102 – दमन और दीव	<p>अनुदान</p> <p>व्यय</p> <p>अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य</p>	<p>1226000000</p> <p>1309288835</p> <p>83288835</p> <p>* विद्युत की भारी खरीद पर अतिरिक्त भुगतान तथा विद्युत की दरों में वृद्धि।</p> <p>* दीव जिले के लिये गुजरात जलापूर्ति तथा मलजल बोर्ड को जल प्रभारों का भुगतान।</p>
31	103- लक्षद्वीप	<p>अनुदान</p> <p>व्यय</p> <p>(1) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य</p> <p>(2) अनुदानों के लिए अनुपूरक</p>	<p>1387100000</p> <p>1510469521</p> <p>117900000</p> <p>5469521</p> <p>* पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के कारण बकाया की दूसरी किश्त का भुगतान।</p> <p>* मध्य दिवस आहार मदों की कीमतों में सामान्य वृद्धि।</p> <p>* जहाजों की मरम्मत के लिए भारतीय नौपरिवहन निगम को आवश्यक भुगतान।</p>

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
		मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत न होने वाला आधिक्य	
राजस्व- प्रभारित			
32	17 – रक्षा मंत्रालय	विनियोग व्यय अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य	1500000 6431217 4931217 * न्यायालयों/के.प्र.अ. आदि के द्वारा अधिक संख्या में मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना।
33	29 – ब्याज अदायगियां	विनियोग व्यय (1) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत आधिक्य (2) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत आवृत न होने वाला आधिक्य	750000000000 778823863575 22480000000 6343863575 * 'स्रोत का अन्तराल पाटने के लिए अधिक बाजार उधारों का सहारा। * विभिन्न बंधपत्र योजनाओं विशेषकर 10 % राहत बंधपत्र 1995 के अन्तर्गत आशा से अधिक भुगतान। * इराक निर्यातों के प्रति बंधपत्र धारकों को अर्जित ब्याज का अधिप्लावन भुगतान। * ऋण प्रबंधन के अन्तर्गत आशा से अधिक दावों की प्राप्ति। * विनिमय दर विभिन्नता। * विदेशी ऋणों का अधिक आहरण तथा परिणामस्वरूप अधिक ब्याज भुगतान। * लघु बचतों, भविष्य निधियों तथा अन्य जमाओं आदि के अधिक संग्रहण/जमाओं के कारण ब्याज का आशा से अधिक भुगतान। * राष्ट्रीय बचत योजना तथा डाक घर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नई श्रेणी) धारकों द्वारा

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
			अधिक मात्रा में प्रस्तुत दावे। * विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिक संग्रहण के कारण एजेंसी कमीशन का अधिक भुगतान।
34	35 – लेखापरीक्षा	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	210500000 222708882 12208882 * स्थानीय कम्प्यूटर कार्यक्रम प्रणाली की खरीद। * पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के वेतन तथा भत्तों के बकाया का भुगतान। * विनियम दर में उतार-चढ़ाव तथा सं.रा.लेखापरीक्षा दलों के दैनिक भत्ते में वृद्धि।
35	72 -ग्रामीण विकास विभाग	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	- 1455482 1455482 * न्यायालय के आदेश के पालन में भुगतान।
36	75 – विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	100000 449587 349587 * न्यायालय के आदेश के पालन में अनिवार्य सवितरण पूरा करना।
37	83 – शहरी विकास	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	123400000 127558985 4158985 * सामग्री की लागत में वृद्धि तथा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार श्रमिकों को अधिक मजदूरी।
38	94 – राष्ट्रपति के	विनियोग	77600000 * स्थापना संबंधी अतिरिक्त

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
	कर्मचारीगण, गृहकार्य तथा भत्ते	व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	108563765 30963765 संवितरण पूरा करना।
39	95 — राज्य सभा	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	1500000 1688020 188020 * 1-1-1996 से सभापति तथा उपसभापति के वेतन के संशोधन के कारण अतिरिक्त स्थापना संवितरण।
40	100 — चण्डीगढ़	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	155500000 193305126 37805126 * 1-1-1996 से पंजाब पद्धति पर वेतनमानों के संशोधन के कारण वेतन तथा भत्तों के बकाया का भुगतान। * एम.ए.सी.टी. दावों की संख्या में वृद्धि।
पूँजीगत - दत्तमत			
41	5 — रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	918800000 948300000 295000000 * पेट्रोफिल्म्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड को संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए योजनेत्तर ऋण जारी करना।
42	11 — चीनी तथा खाद्य तेल विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	1766100000 2563057561 796957561 * पुनर्वास हेतु ऋण /चीनी मिलों के आधुनिकीकरण /गन्ना विकास हेतु चीनी मिलों के लिए ऋण जारी करने के लिए आशा से अधिक आवेदनों की प्राप्ति।

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
43	28 – वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	68858300000 82675304738 13817004738	<ul style="list-style-type: none"> * एशियन विकास बैंक में निवेश हेतु निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता। * सरकार के निर्धारित अंशदान में वृद्धि तथा विशेष आहरण अधिकारों को शर्तों के अनुसार अं.मु.को. की सम्पत्ति के मूल्य भुगतान का अतिरिक्त अनुरक्षण। * विदेशी एजेन्सियों से निधियों के अधिक उपयोग के कारण भा. औ.वि.बैं. को ऋणों की प्रतिपूर्ति हेतु आशा से अधिक दावों की प्राप्ति।
44	31 – सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण.	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	4324900000 4893002644 568102644	<ul style="list-style-type: none"> * गृ.नि.अ., मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम तथा अन्य अग्रिमों के अन्तर्गत 1998-99 के दौरान किए जाने वाले संभावित व्यय के कम निर्धारण के कारण अधिक निधियां जारी करना।
45	47 – संघ.राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	3144600000 3239400000 94800000	<ul style="list-style-type: none"> * संसाधनों के अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण तथा पांडिचेरी सरकार को जारी किए गए ब्लॉक ऋण।
46	54 – भारी उद्योग विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	4966900000 5599533250 632633250	<ul style="list-style-type: none"> * इन्सट्रूमेन्टेशन लि., भारत भारी उद्योग निगम लि., एच एम टी लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि. तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस निर्माण कम्पनी लि. को निर्णायक संतोलन निवेश के अन्तर्गत अत्यावश्यक योजनागत योजनाओं की कार्यान्वयन तथा पुनरुत्थान

क्र.सं.	अनुदान / विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
			<p>योजना।</p> <ul style="list-style-type: none"> * भारतीय सीमेंट निगम लि. के कर्मचारियों को वेतन तथा मजदूरी के भुगतान हेतु ऋण। * स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना के कार्यान्वयन तथा कर्मचारियों को सांविधिक राशियों के भुगतान हेतु परिवहन उपकरण, चमड़ा, समाचार पत्र एवं समाचार मुद्रण उद्योग तथा भारतीय टायर निगम लि. को ऋण।
47	63 – खान मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	<p>470500000 1069399335 598899335</p> <ul style="list-style-type: none"> * स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु भारत सोना खान लि. को जारी अधिक ऋण। * पुनरुत्थान योजना के अन्तर्गत हिन्दुस्तान कॉपर लि. को जारी अधिक ऋण।
48	73 – ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	<p>-- 500000000 500000000</p> <ul style="list-style-type: none"> * इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत घरों के निर्माण हेतु आवास तथा शहरी विकास निगम में अतिरिक्त इक्विटी निवेश।
49	78 -इस्पात मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	<p>230700000 360600000 129900000</p> <ul style="list-style-type: none"> * पुनरुत्थान योजना के अन्तर्गत भारत रीफ्रेक्ट्रीज लि. को योजनेत्तर ऋण प्रदान करने के लिए बजट पश्चात निर्णय।
50	81 – पत्तन, दीपस्तम्भ तथा नौपरिवहन	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों	<p>8156500000 8534983214 378483214</p> <ul style="list-style-type: none"> * सर्वेक्षण जलयानों के निर्माण की अच्छी भौतिक प्रगति। * विलम्बित भुगतान पर 17 प्रतिशत की दर से दाण्डिक

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
		की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	भुगतान से बचना।	
51	87 – जल संसाधन मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	365400000 371822483 6422483	* संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. को अतिरिक्त योजनेत्तर ऋण।
52	101 – दादरा तथा नगर हवेली	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	305300000 316028158 10728158	* अनुबन्ध के अनुसार दामनगंगा नदी परियोजना के निर्माण हेतु गुजरात सरकार को 15.16 प्रतिशत जमा।
पूँजीगत-प्रभारित				
53	54 – भारी उद्योग विभाग	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	162900000 213100000 50200000	* हिन्दुस्तान केबल्ज लि. को सरकारी गारंटी के अन्तर्गत देयता के निर्वाह हेतु योजनेत्तर ऋण प्रदान।
54	57 – प्रसारण सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	7000000 8980719 1980719	* न्यायालय के निर्णय को लागू करने के कारण भुगतान।

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप		सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
55	87 – जल संसाधन मंत्रालय	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	45000000 220781331 175781331	* असम सरकार को ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत अनुदान के बजाय ऋण के रूप में निधियां प्रदान करने का बजट पश्चात निर्णय।
56	100 – चण्डीगढ़	विनियोग व्यय (1) आधिक्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल (2) आधिक्य अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल नहीं	50000000 80040158 30000000 40158	* राज्य राजधानी विकास के अन्तर्गत शहर के तीसरे चरण के विकास हेतु अधिक भूमि का अधिग्रहण।
डाक तथा दूरसंचार राजस्व-दत्तमत				
57.	16-दूर संचार सेवाएं	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	185646900000 188655400000 3008500000	* सन 2000 की रिपोर्ट नं.6 में विवरण दिया गया है (डाक तथा दूरसंचार)
रक्षा सेवाएं राजस्व-दत्तमत				
58.	19-सेना	अनुदान व्यय आधिक्य अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	218568000000 219884813931 1316813931	* सन 2000 की रिपोर्ट नं.7 में विवरण दिया गया है (रक्षा सेवाएं, सेना और युद्ध सामग्री)
59.	20-नौसेना	अनुदान	29657300000	

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप		सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
		व्यय आधिक्य अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	31089813214 1432513214	
60.	23-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	विनियोग व्यय आधिक्य अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अन्तर्गत शामिल	67600000 157422170 89822170	
रेलवे				
राजस्व-दत्तमत				
61.	5- कार्य चालन व्यय.- मोटिव पॉवर की मरम्मत तथा अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	14128503000 14217530027 89027027	* सन 2000 की रिपोर्ट नं.9 में विवरण दिया गया है (रेलवे)
62.	6-कार्यचालन व्यय- डिब्बों तथा माल डिब्बों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	26296346000 26511270450 214924450	
63.	8- कार्यचालन व्यय- चल भण्डार तथा उपकरण	अनुदान व्यय आधिक्य	24342964000 24346122645 3158645	
64.	13-कार्यचालन व्यय- भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य निवृत्ति लाभ	अनुदान व्यय आधिक्य	38427102000 41581066774 3153964774	
राजस्व-प्रभारित				
65.	3-कार्यचालन व्यय- सामान्य प्रबन्ध तथा सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	900000 925520 25520	

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
66.	4-कार्यचालन व्यय- स्थायी मार्ग की मरम्मत तथा अनुरक्षण	विनियोग	2526000
		व्यय	3251436
		आधिक्य	725436
67.	9-कार्यचालन व्यय- परिचालन व्यय ईंधन	विनियोग	600000
		व्यय	4260589
		आधिक्य	3660589
68.	11-कार्यचालन व्यय- कर्मचारी कल्याण तथा सुविधाएं	विनियोग	220000
		व्यय	1528509
		आधिक्य	1308509
	पूँजीगत - प्रभारित		
69.	16-परिसम्पत्तियां-प्राप्ति, निर्माण तथा प्रतिस्थापन	विनियोग	94124000
		व्यय	94805327
		आधिक्य	681327

11.1.1 प्रभावी आधिक्य

वर्ष 1998-99 के दौरान नागरिक मंत्रालयों, डाक और दूरसंचार, रक्षा और रेलवे से सम्बन्धित 55 अनुदानों/विनियोगों में संसद द्वारा प्राधिकृत व्यय की तुलना में भारत की समेकित निधि से 127559749076 रु अधिक खर्च किए गए थे। इसमें से 44 अनुदानों/विनियोगों में 116975376389 रु का आधिक्य हुआ चूंकि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के आधार पर अतिरिक्त संवितरणों को प्राधिकृत करने वाला विनियोग अधिनियम वित्त वर्ष 1998-99 की समाप्ति से पहले व्यवहार में नहीं आ सका तथा 17 अनुदानों/विनियोगों में 10584372687 रु इस से भिन्न हुए।

11.1.2 नियमन

सिविल मंत्रालयों से संबंधित 41 अनुदानों तथा एक विनियोग के 56 खण्डों में 11824.46 करोड़ रु, डाक तथा दूरसंचार की एक अनुदान के अन्तर्गत 300.85 करोड़ रु, रक्षा सेवाओं की दो अनुदानों तथा एक विनियोग के अन्तर्गत 283.91 करोड़ रु तथा रेलवे के चार अनुदानों तथा पांच विनियोगों के अन्तर्गत 346.75 करोड़ रु के अधिक संवितरण की भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अन्तर्गत नियमन की आवश्यकता है।

डाक एवं दूरसंचार, रेलवे तथा रक्षा विभागों में तथा इन अनुदानों से सम्बन्धित दूसरी मदों में अधिक संवितरण के विवरण की व्याख्या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2000 के प्रतिवेदन सं. क्रमशः 6,7 तथा 9 में की गई है।

11.1.3 भु.ले.का. द्वारा त्रुटिपूर्ण नियंत्रण

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबंध 'क' के प्रावधानों के अनुसार लेखा कार्यालयों के कार्यो का एक महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि किसी उप-शीर्ष अथवा विनियोग की प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन मामलों में जहां भुगतान के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है, भु.ले.का. अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त करके, कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जाएंगी, ही भुगतान कर सकता है।

वर्ष 1998-99 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि परिशिष्ट XIX में दिए गए विवरण के अनुसार 47 अनुदानों/विनियोगों के 143 मामलों में महालेखानियंत्रक के समग्र नियंत्रणाधीन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान-लेखा अधिकारियों ने सामान्य वित्तीय नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों से अधिक अथवा निधियों के पुनर्विनियोग के बिना 8505.69 करोड़ रु के भारी भुगतान किए जो कि त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा भु.ले.का. द्वारा अप्रभावी व्यय नियंत्रण का सूचक है। अप्राधिकृत अधिक व्यय के नियमन की आवश्यकता है।

अध्याय XII : अव्ययित प्रावधान

अव्ययित प्रावधान

	100 करोड़ रु से अधिक			100 करोड़ रु से कम परन्तु 20 करोड़ रु से अधिक		
	संख्या			संख्या		
	मामले	अनुदान	विनियोग	मामले	अनुदान	विनियोग
सिविल	25	20	1	36	31	
डा. एवं ता.	01	01	-	01	01	-
रक्षा सेवाएं	3	3	-	-	-	-
रेलवे	6	5	-	5	5	-

12.1 सिविल मंत्रालयों में विभिन्न अनुदानों विनियोगों के अन्तर्गत अव्ययित प्रावधान

अनुदान अथवा विनियोग में हुआ अव्ययित प्रावधान दर्शाता है कि भुगतान, अनुमान, पूर्वानुमान तथा योजना के अनुसार नहीं किया जा सका था। वे घटिया बजट तैयार करने अथवा निष्पादन में कमी के सूचक हैं जो परिस्थितियों और प्रयोजन, जिनके लिए मूल अनुदान अथवा विनियोग, मुहैया कराया गया था, पर निर्भर करते हैं। जैसा कि ऊपर के पैरा 10.3 में उल्लेख किया गया है, सरकार के बजट में समग्र अव्ययित प्रावधान (डाक तथा दूर संचार, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं को छोड़कर), कुल 35021.40 करोड़ रु था।

तदर्थ खजाना बिलों के कम आहरण के कारण हुए अव्ययित प्रावधान को छोड़कर सिविल मंत्रालयों का कुल अव्ययित प्रावधान 6771.17 करोड़ रु था।

इसमें से 28102.06 करोड़ रु का अव्ययित प्रावधान अनुमानित से कम खजाना बिलों के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप 91, 28 तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के कम उन्मुक्त करने के कारण था। कुल अव्ययित प्रावधान में उसी कारण से खजाना बिलों पर ब्याज के कम भुगतान के कारण 148.17 करोड़ रु भी शामिल थे। इन दोनों को छोड़कर, प्रभावी अव्ययित प्रावधान 6771.17 करोड़ रु था।

विनियोग लेखाओं की विस्तृत संवीक्षा से पता चलता है कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, ऋण की वापस अदायगी, शिक्षा विभाग, कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा स्टाम्प, सड़कें आदि जैसे कुछ अनुदानों तथा विनियोगों में अव्ययित प्रावधान दर्ज किए जा रहे हैं जो कि न केवल बराबर बने हुए हैं, अपितु एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जो वर्ष 1998-99 के दौरान जारी रहे। ये बड़े अव्ययित प्रावधान इस बात का संकेत करते हैं कि मंत्रालयों को उनके बजटीय पूर्वानुमान या/और उनके कार्यक्रम-प्रबन्ध की दक्षता प्रणाली का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। न केवल अनुमानों

तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच भारी भिन्नताओं को कम करने के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का लाभप्रद इस्तेमाल करने के लिए भी बजटीय कार्य को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप से सम्बन्धित विस्तृत विवरण पैरा 10.3-विनियोग लेखे में दिया गया है। अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप की राशि को लेखे में लेने के पश्चात् प्रभावी अव्ययित प्रावधान 46830.95 करोड़ रु होगा।

12.2 100 करोड़ रु अथवा अधिक के अव्ययित प्रावधान

21 अनुदानों/विनियोगों के 25 मामलों में 100 करोड़ रु से अधिक के अव्ययित प्रावधान।

लोक लेखा समिति ने फरवरी 1994 में प्रस्तुत अपने 60वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) के पैरा 1.24 में संस्वीकृत प्रावधान की तुलना में होने वाले अव्ययित प्रावधान में तीव्र वृद्धि पर टिप्पणी की थी। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि वित्त मंत्रालय को बड़े अव्ययित प्रावधान की खेदपूर्ण स्थिति पर काबू पाने के लिए समुचित उपायों के साथ समस्या को गम्भीरता से लेना चाहिए तथा यह भी इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक वर्ष के दौरान 100 करोड़ रु और उससे अधिक के अनुदान अथवा विनियोग से हुए अव्ययित प्रावधान के संबंध में एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी समिति को प्रस्तुत की जाए। 1997-98 के दौरान 27 मामलों के प्रति 1998-99 के दौरान भी 25 मामले ऐसे थे जिनमें 100 करोड़ रु अथवा उससे अधिक के अव्ययित प्रावधान हुए। ये मामले अव्ययित प्रावधान के मुख्य सहायक कारणों तथा प्रभावित योजनाओं सहित नीचे तालिका 12.2 में दिए गए हैं।

तालिका 12.2 : एक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक के अव्ययित प्रावधान (करोड़ रुपयों में)

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
---	---

राजस्व-दत्तमत

1. 4-पशुपालन तथा डेरी विभाग (कृषि मंत्रालय)	149.56 (32)
<p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताए गए सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * योजनाओं का अनुमोदन/अंतिम रूप न दिया जाना * राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना पर परियोजना प्रबन्धन यूनिट के संबंध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा अनुबंध समाप्त करने के कारण विदेशी सहायता की प्राप्ति न होना * वित्त मंत्रालय द्वारा संवितरणों की अधिकतम सीमा लगाना * रिक्त पदों का भरा न जाना * पूर्ववर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण राज्य सरकारों /कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों की कम मांग करना 	
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं /परियोजनाएं /कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ पशु तथा भैंस विकास (33.42 करोड़ रु) ⇒ डेरी विकास परियोजनाएं (26.23 करोड़ रु) ⇒ पशुपालन-पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य (48.65 करोड़ रु). ⇒ पशुपालन- मांस संसाधन (13.13 करोड़ रु). ⇒ समुद्रीय मत्स्य पालन (24.16 करोड़ रु). ⇒ ज्वारनदमुखी /आलवण जल मत्स्यपालन (5.20 करोड़ रु) ⇒ मत्स्यपालन- अन्तर्देशीय मत्स्यपालन (12.97 करोड़ रु) ⇒ मुर्गीपालन विकास (5.94 करोड़ रु) ⇒ भेड़ तथा ऊन विकास (4.44 करोड़ रु). 	

क्र.सं.	अनुदान सं / अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
---------	--	---

2.	6-उर्वरक विभाग (रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय)	528.50 (6)
----	---	---------------

मंत्रालय / विभाग द्वारा बताए गए सहायक कारण

- * अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतों में तेजी से कमी होना
- * प्रत्याशा से कम मात्रा में यूरिया का आयात करना

पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	34.17	⇒ उर्वरकों का आयात- आर्थिक सहायता

3.	10-खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय)	304.82 (3)
----	---	---------------

मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण

- * ए.पी.एल. के अंतर्गत लाभभोगियों के लिए 21 जनवरी 1999 से गेहूँ तथा चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि होना।
- * रिक्त पदों का भरा न जाना।
- * केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से बिलों की प्राप्ति न होना

अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य

- ⇒ भारतीय खाद्य निगम तथा अन्यो को खाद्यान्न लेनदेनों पर देय खाद्य आर्थिक सहायता (300.00 करोड़ रु)
- ⇒ भारतीय अनाज भण्डारण संस्थान (2.04 करोड़ रु)

4.	24-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	212.81 (26)
----	-----------------------------	----------------

मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण

- * ताज संरक्षण मिशन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब
- * कुछ पदों के सृजन हेतु अनुमोदन न होना
- * गंगा कार्य योजना फेज-I की कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होना।
- * विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जल उपकरण का कम संग्रहण करने के परिणामस्वरूप कम प्रतिपूर्ति होना।
- * भारतीय परिमार्जन प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन केन्द्र पर परियोजना का अनुमोदन न होना
- * निधियन पद्धति में परिवर्तन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब होना
- * राज्य सरकारों द्वारा निधियों का धीमा उपयोग।
- * राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रौद्योगिकी विस्तारण परियोजनाओं की प्राप्ति न होना।

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)		अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	140.76	⇒ ताज संरक्षण मिशन (38.00 करोड़ रु) ⇒ पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन (14.72 करोड़ रु) ⇒ गंगा कार्य योजना फेज-I (6.24 करोड़ रु) ⇒ जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण (उपकर) (15.22 करोड़ रु) ⇒ प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं (10.00 करोड़ रु) ⇒ खतरनाक पदार्थ व्यवस्था (6.20 करोड़ रु) ⇒ पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण कार्यक्रम (4.41 करोड़ रु) ⇒ भारतीय पर्यावरण प्रबन्ध क्षमता भवन तकनीकी सहायता परियोजना (26.08 करोड़ रु) ⇒ गंगा कार्य योजना फेज-II (77.00 करोड़ रु) ⇒ वन्य जीवन परिरक्षण (25.35 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय वनरोपण तथा परिस्थिति विज्ञान विकास कार्यक्रम ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजनाएं (13.00 करोड़ रु)

5.	27-मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा स्टाम्प (वित्त मंत्रालय)	116.82 (12)			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3"> मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण * सामग्रियों तथा आपूर्तियों की कम प्राप्ति /अधिप्राप्ति होना * अंतर्लेख अंतरणों पर सरकारी पूंजी का कम लगाया जाना * ठेके को अंतिम रूप देने में विलम्ब होना * प्रिन्टिंग मशीन की मरम्मत को रद्द करना * बिजली तथा अनुरक्षण कार्य पर कम भुगतान करना * नोएडा टकसाल में दूसरी पारी के आरंभ न होने के कारण मजदूरों को प्रोत्साहन का कम भुगतान होना * सामग्रियों पर कम व्यय होना * अतिरिक्त पुर्जों की भिन्न-भिन्न समय पर अधिप्राप्ति होना * रिक्त पदों का भरा न जाना </td> </tr> </table>			मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण * सामग्रियों तथा आपूर्तियों की कम प्राप्ति /अधिप्राप्ति होना * अंतर्लेख अंतरणों पर सरकारी पूंजी का कम लगाया जाना * ठेके को अंतिम रूप देने में विलम्ब होना * प्रिन्टिंग मशीन की मरम्मत को रद्द करना * बिजली तथा अनुरक्षण कार्य पर कम भुगतान करना * नोएडा टकसाल में दूसरी पारी के आरंभ न होने के कारण मजदूरों को प्रोत्साहन का कम भुगतान होना * सामग्रियों पर कम व्यय होना * अतिरिक्त पुर्जों की भिन्न-भिन्न समय पर अधिप्राप्ति होना * रिक्त पदों का भरा न जाना		
मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण * सामग्रियों तथा आपूर्तियों की कम प्राप्ति /अधिप्राप्ति होना * अंतर्लेख अंतरणों पर सरकारी पूंजी का कम लगाया जाना * ठेके को अंतिम रूप देने में विलम्ब होना * प्रिन्टिंग मशीन की मरम्मत को रद्द करना * बिजली तथा अनुरक्षण कार्य पर कम भुगतान करना * नोएडा टकसाल में दूसरी पारी के आरंभ न होने के कारण मजदूरों को प्रोत्साहन का कम भुगतान होना * सामग्रियों पर कम व्यय होना * अतिरिक्त पुर्जों की भिन्न-भिन्न समय पर अधिप्राप्ति होना * रिक्त पदों का भरा न जाना					
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य			
1997-98	44.04	⇒ करेंसी नोट प्रैस, बैंक नोट प्रैस, सिक्थोरिटी पेपर मिल तथा इंडिया सिक्थोरिटी प्रैसों का प्रचालन तथा अनुरक्षण।			

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
---	---

6. 30-राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
(वित्त मंत्रालय) 435.87
(3)

मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण

- * प्रत्याशा से कम केन्द्रीय कर्जों को बट्टे खाते डालना
- * योजना की उपलब्धि में कमी के कारण केन्द्रीय सहायता में कटौतियां करना
- * गुजरात सरकार से सरदार सरोवर परियोजना के लिए दावों की प्राप्ति न होना
- * संघ उत्पाद शुल्कों का प्रत्याशा से कम संग्रहण होना
- * मूल न्यूनतम सेवा तथा स्लम विकास आदि के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का कम जारी किया जाना।

पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्याधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	280.68	⇒ दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों को बट्टेखाते डालना (33.31 करोड़ रु)
1996-97	415.93	⇒ राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-ब्लॉक अनुदान (973.78 करोड़ रु)
1995-96	277.38	⇒ केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान (11.26 करोड़ रु)
1994-95	232.16	
1993-94	388.92	

7. 40-स्वास्थ्य विभाग 208.01
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) (11)

मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण

- * कुछ योजनाओं का समाप्त कर देना
- * प्रसार भारती को निधियों का जारी न किया जाना
- * विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सूचना, शिक्षा संचार, प्रशिक्षण तथा कार्यशाला कार्यकलापों पर कम व्यय करना।
- * कार्यालयों, अस्पतालों, औषधालयों तथा संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए मशीनरी, उपस्करों, रसायनों, प्रतिकर्मकों, दवाइयों, औषधियों, सामग्री, मदों तथा अन्य विविध मदों की कम खरीद होना।
- * राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा बीमारी सहायता निधि का गठन न करना।
- * वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए पुनरीक्षण के बाद कई योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक कटौतियां करना।

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)		अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	148.09	⇒ बीमारियों की रोकथाम तथा नियंत्रण
1996-97	121.96	⇒ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी एवं ग्रामीण)
1994-95	198.05	⇒ ट्रैकोमा तथा नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम ⇒ जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की योजनाएं ⇒ गरीब लोगों के अस्पताल दाखिले पर व्यय के प्रति सहायता ⇒ राष्ट्रीय क्ष.रो. नियंत्रण कार्यक्रम

8.	42-परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)	106.11 (4)
<p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * प्रजनक तथा शिशु स्वास्थ्य परियोजना की, उसके कार्यान्वयन का पहला वर्ष होने के कारण, प्रगति की धीमी गति (135.40 करोड़ रु) * फर्मों तथा वितरण कंपनियों /एजेंसियों द्वारा परिवार नियोजन सामग्री की कम /आपूर्ति न करना * कुछ राज्यों तथा मंत्रालयों द्वारा परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति हेतु कम मांग करना * परिवार कल्याण-प्रतिपूर्ति के अंतर्गत भाग लेने वाले राज्यों से विस्तृत प्रस्ताव की प्राप्ति न होना। * राज्य सरकारों को उनके पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा चयनित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय, वित्त समिति द्वारा लागत संशोधन हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण निधियों का कम जारी किया जाना। * वित्त मंत्रालय द्वारा की गई कटौतियां * प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत यूनिसेफ से वस्तु रूप में कम टीकों की मात्रा प्राप्त की गई (30.00 करोड़ रु). 		

पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	54.49	⇒ प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य-प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य परियोजना ⇒ चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) (45.51 करोड़ रु) ⇒ परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति (1203 करोड़ रु)

क्र.सं. अनुदान सं / अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
	⇒ परिवार कल्याण प्रतिपूर्ति (24.88 करोड़ रु) ⇒ उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजनाओं में नवीकरण (1357 करोड़ रु) ⇒ निरोध का सामाजिक विपणन (19.03 करोड़ रु)

9. 46-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय (गृह मंत्रालय)	125.38 (19)	
<p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * स्वतंत्रता सेनानियों /उन पर आश्रितों की संख्या में कमी होना। * हैदराबाद स्वतंत्रता आन्दोलन तथा केरल क्षेत्रीय आन्दोलन से संबंधित मामलों में पेंशन की संस्वीकृति न होना * राज्य में उधार लेने वालों के लिए ऋण राहत योजना की बजाय जम्मू व कश्मीर कार्य योजना पर व्यय के भाग को पूरा करना। * राज्यों को उत्तरी-पूर्वी परिषद योजनागत आबंटन के भीतर कुल व्यय को प्रतिबंधित करने के लिए कम सहायता -अनुदान जारी करना। 		
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्याधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	60.97	⇒ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजनाएं (54.33 करोड़ रु) ⇒ जम्मू व कश्मीर राज्य में उधार लेने वालों के लिए ऋण राहत योजना (50.00 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय राजमार्ग पैट्रोलिंग उत्तरपूर्वी क्षेत्र (26.53 करोड़ रु)

10. 48-शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	724.69 (10)
<p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * योजनाओं का आरंभ /प्रचालन न किया जाना * राज्य सरकारों तथा तकनीकी संस्थाओं से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होना * राज्य नोडल एजेंसियों /परिषदों /संस्थाओं /राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता/ समायोजन। * स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (स्वी.अं.वि.ए.) द्वारा राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना का समर्थन न करना। * अनौपचारिक शिक्षा योजना का संशोधन न करना * कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों की कम मांग करना * व्यय वित्त समिति के निदेशानुसार वर्ष के दौरान नए सामुदायिक पोलीटेक्नीकों का 	

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)		अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
आरंभ न किया जाना।		
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	603.58	⇒ राष्ट्रीय मीडिया प्रचार तथा यू.ई.ई. का अधिवक्तता कार्यक्रम (10.00 करोड़ रु)
1996-97	792.12	⇒ राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा मिशन (रा.प्रा.शि.मि.) (5.00 करोड़ रु)
1995-96	408.81	⇒ प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/ स.रा.क्षे. को विशेष सहायता (35.00 करोड़ रु)
		⇒ लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा (100.00 करोड़ रु)
		⇒ चयनित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को प्रौन्नत करना (10.00 करोड़ रु)
		⇒ ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना
		⇒ तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का संशोधन-राज्यों में संस्थाओं /सैलों को सहायता (50.50 करोड़ रु)
		⇒ ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना (24.00 करोड़ रु)
		⇒ विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा (8.95 करोड़ रु)
		⇒ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (116.69 करोड़ रु)
		⇒ अनौपचारिक शिक्षा (160.30 करोड़ रु)
		⇒ प्रौढ शिक्षा (19.97 करोड़ रु)
		⇒ सामुदायिक पोलिटेक्निकों में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए पोलिटेक्नीक अनुदान (64.89 करोड़ रु)
		⇒ विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन (776.63 करोड़ रु)
		⇒ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (72.58 करोड़ रु)

11. 57-प्रसारण सेवाएं (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)	284.11 (15)
<p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * प्रशासनिक कारणों के परिणामतः विद्युत आपूर्ति के बिलों, मशीनरी, उपस्कर, मोटर वाहनों तथा कार्यालयी खर्चों का भुगतान न करना। * आयतित पुर्जों/ मूल्यों के मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण भण्डारों की कम प्राप्ति होना। * विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से कम कमीशन/छूट का भुगतान * नई योजना का आरंभ न होना, माइक्रोवेव, पी एंड टी को-एक्सिल लिंक का समाधान न होना 	

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)		अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
<ul style="list-style-type: none"> * माइक्रोवेव सर्किटों का अभ्यर्षण करना * पनामासेट पर प्रेषानुकरों को किराए पर लेने को मूर्त रूप न दिया जाना * रक्षित निधि में निधियों का कम अन्तरण करने के परिणामस्वरूप नियत लक्ष्य से कम व्यापार हुआ। 		
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	28.87	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ प्रचालन तथा अनुरक्षण (8.03 करोड़ रु) ⇒ वाणिज्यिक प्रसारण सेवाएं (3.04 करोड़ रु) ⇒ आकाशवाणी तथा दूरदर्शन वाणिज्यिक राजस्व निधि में अंतरण (160.25 करोड़ रु) ⇒ टी.वी. वाणिज्यिक सेवाएं (33.34 करोड़ रु) ⇒ प्रोग्राम सेवाएं (55.58 करोड़ रु) ⇒ उच्चत स्टाँक तथा अन्य उच्चत लेखा (42.74 करोड़ रु)

12. 59-विधि एवं न्याय (विधि एवं न्याय मंत्रालय)	140.97 (23)
<p>मंत्रालय/विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक उपाय के रूप में संशोधित अनुमान स्तरों पर अधिदेशात्मक कटौती करना * रिक्त पदों का नहीं भरा जाना * न्यायाधिकरणों की विभिन्न शाखाओं के संशोधित किराए को अंतिम रूप न दिया जाना। 	
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ लोक सभा तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं के एकसाथ चुनाव कराने के प्रभार-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति (131.21 करोड़ रु) ⇒ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (3.66 करोड़ रु) ⇒ न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं हेतु अनुदान (7.10 करोड़ रु) 	

क्र.सं.	अनुदान सं / अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
13.	72-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय)	125.79 (5)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <p>* कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों को आगे ले जाना।</p> <p>* वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौतियां</p> </div>		
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	160.31	⇒ ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (14.51 करोड़ रु)
1996-97	398.08	⇒ सूचना शिक्षा तथा संचार (3.80 करोड़ रु)
1995-96	303.02	⇒ राष्ट्रीय व द्वावस्था पेंशन योजना (24.84 करोड़ रु)
1993-94	167.09	⇒ राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (30.67 करोड़ रु)
		⇒ मलजल तथा सफाई व्यवस्था – सफाई सेवाएं (33.51 करोड़ रु)
		⇒ भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (4.92 करोड़ रु)

क्र.सं.	अनुदान सं / अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
14.	73-ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग (ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय)	397.81 (5)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <p>* कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकारों के पास अव्ययित की उपलब्धता/शेषों को आगे ले जाना</p> </div>		
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	436.71	⇒ ग्रामीण आवास (52.00 करोड़ रु)
1996-97	439.16	⇒ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (138.31 करोड़ रु)
		⇒ इन्दिरा आवास योजना (64.60 करोड़ रु)
		⇒ सूखा पीड़ित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (21.00 करोड़ रु)
		⇒ मरुस्थल विकास कार्यक्रम (9.20 करोड़ रु)
		⇒ दसलाख कुआ योजना (75.00 करोड़ रु).
		⇒ जवाहर रोजगार योजना (33.63 करोड़ रु)

क्र.सं. अनुदान सं / अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
15. 88-कल्याण मंत्रालय	493.33 (41)
<p>मंत्रालय/विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * योजनाओं को समाप्त/कार्यान्वित न करना * राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अनुसूचित जाति विकास निगमों के पास भारी अव्ययित राशि पड़ी होने के कारण निधियों का कम जारी किया जाना। * राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों से सिफारिशों/प्रस्तावों की कम प्राप्ति होना। * डा. अम्बेडकर की स्मारिका तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय हेतु भूमि का आबंटन न करना। * मौलाना आजाद शिक्षा संस्था को कम सहायता अनुदान जारी करना (26.25 करोड़ रु) 	

पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	400.00	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ विस्थापित जनजातीय परिवारों का पुनर्वास (25.00 करोड़ रु) ⇒ पिछड़े वर्गों का कल्याण-शिक्षा- बालक तथा बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय (4.50 करोड़ रु) ⇒ कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय (250.00 करोड़ रु) ⇒ सड़क बुहारने का काम करने वालों की मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना (84.10 करोड़ रु) ⇒ बाबा साहेब डा. बी. आर अम्बेडकर का शताब्दी समारोह (27.00 करोड़ रु) ⇒ विकलांगों का कल्याण- अन्य योजनाएं (31.69 करोड़ रु) ⇒ व द्ध लोगों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (7.25 करोड़ रु).

16. 93-अंतरिक्ष विभाग	161.32 (11)
<p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * पूर्व वित्तीय वर्ष से कुछ लांच खर्चों का पूर्वनियतन * इनसेट-3 क के लिए लांच सेवा अनुबंध को अंतिम रूप देने में विलम्ब * कुछ सामग्रियों/संघटकों/उपकरणों/बंधकों आदि की अधिप्राप्ति में विलम्ब * इंजिन हॉट टेस्ट तथा कुछ कार्यकलापों को अगले वित्तीय वर्ष में स्थगित करना 	

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
---	---

पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	89.82	⇒ इनसेट-2 लांच सेवाएं (38.16 करोड़ रु) ⇒ इनसेट-3 लांच सेवाएं (169.66 करोड़ रु) ⇒ पी.एस.एल.वी. सतत परियोजना (30.68 करोड़ रु) ⇒ कॅंयोजैनिक अपर स्टेज (का.अ.स्टे.) परियोजना (12.17 करोड़ रु) ⇒ आई एस आर ओ सैटेलाइट सेन्टर (आई.एस.ए.सी.) (7.10 करोड़ रु) ⇒ आई आर एस -पी 5(कार्टोसैट) (7.67 करोड़ रु) ⇒ स्पेशल इंडिजीनाइजेशन एडवांस ऑर्डर देना (9.24 करोड़ रु)

राजस्व -प्रभारित

17. 30-राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को अंतरण (वित्त मंत्रालय)	1863.90 (6)
---	----------------

मंत्रालय/विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण

- * राज्यों को आपदा राहत हेतु दी जाने वाली सहायता को अंतिम रूप न दिया जाना
- * उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण राज्य सरकारों को निधियों का जारी न करना।
- *राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों का पालन न करना।
- * अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संग्रहण में कमी के कारण कम निधियां जारी करना।

पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	3156.43	⇒ राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में अंतरण (75.00 करोड़ रु)
1996-97	109.51	⇒ सेवाओं की प्रौन्नति तथा विशेष समस्याओं हेतु अनुदान (950.55 करोड़ रु)
1995-96	1599.38	⇒ स्थानीय निकायों को अनुदान (900.65 करोड़ रु)
1994-95	975.53	⇒ बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में राज्य का हिस्सा (745.64 करोड़ रु)

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
---	---

पूँजीगत - दत्तमत

18. 7-नागर विमानन विभाग (नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय)	174.65 (86)	
<p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के लिए पुनरूत्थान पैकेज को अंतिम रूप न दिया जाना। * राज्य सरकार द्वारा अम तसर हवाई अड्डे के लिए निःशुल्क भूमि प्रदान करना * हवाई अड्डे के विकास हेतु व्यय संस्वीकृति का जारी न करना * उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कार्य की धीमी प्रगति 		
पूर्व वर्ष 1997-98	अव्ययित प्रावधान की राशि 30.40	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य ⇒ इंडियन एयरलाइन्स लिमि. तथा एयर इंडिया में निवेश (130.00 करोड़ रु) ⇒ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में निवेश/ कर्जे (एन.ए.डिविजन) (43.17 करोड़ रु)

19. 12-कोयला मंत्रालय	223.83 (61)	
<p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * पर्यावरण तथा सामाजिक प्रशमन परियोजना की योजनाओं के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने में विलम्ब * झारिया खान अग्निनियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 30 सितम्बर 1997 को आई डी ए क्रेडिट को बन्द करना। * खानों/आई ए परियोजना के निर्माण कार्यों को विलम्ब से आरंभ किया जाना 		
पूर्व वर्ष 1997-98	अव्ययित प्रावधान की राशि 77.90	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य ⇒ कोल इंडिया लिमि. (89.86 करोड़ रु) तथा नेवेली लिग्नेट निगम लिमि. (131.77 करोड़ रु) को कर्जे

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
---	---

20. 27- मुद्रा सिक्का ढलाई तथा स्टाम्प
(वित्त मंत्रालय)

212.76
(11)

मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण

- * भारत अर्थ मूवर्स लिमि. द्वारा वैगनों की आपूर्ति न करना
- * जल आपूर्ति योजना का कार्यान्वयन न करना
- * निष्पादन एजेंसी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति
- * केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ निर्माण कार्यों को आरंभ न किया जाना
- * शीट कटर, स्टेम्पिंग प्रैस यूनिट, बाउल वाइल्डिंग मशीन, पॉवर फैक्टर करक्शन उपस्कर, एनग्रेविंग मशीन आदि की अधिप्राप्ति न होना
- * तांबे तथा निककल की कीमतों में कमी
- * स्टेनलैस स्टील तथा कोरे सिक्कों की कम प्राप्ति
- * नई विश्वव्यापी निविदा को अंतिम रूप न दिया जाना
- * धातुओं की लागत प्रत्याशा से कम होने के कारण आयातित सिक्कों का कम मूल्य
- * खरीदी गई धातु के प्रति भुगतान हेतु बिलों की प्राप्ति न होना
- * बहुरंगी ऑफसेट मशीन की निम्नतर लागत

पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	207.47	⇒ मुद्रा नोट प्रैस, बैंक नोट प्रैस, सिक्कोरिट पेपर मिल, टकसाल तथा सिक्कोरिटी प्रिंटिंग प्रैस का भवन, सयंत्र तथा मशीनरी
1996-97	125.76	⇒ धातु की खरीद (120.51 करोड़ रु)
1994-95	396.20	⇒ विदेश से सिक्कों का आयात (38.51 करोड़ रु)

21. 40-स्वास्थ्य विभाग
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

252.00
(46)

मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण

- * विशिष्ट अधिकार प्राप्त औषधियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाना
- * चिकित्सा भण्डार तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संहिता की शब्दावली को अंतिम रूप न दिया जाना।
- * यंत्र तथा उपस्कर हेतु प्राप्ति आदेश को कार्यरूप न मिलना
- * किटों की कम खरीद करना
- * महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान से समायोजन वाउचरों की प्राप्ति न होना
- * राज्यों को क्षयरोग विरोधी दवाइयों की अधिप्राप्ति के लिए वस्तु अनुदान की बजाय

क्र.सं. अनुदान सं / अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)						
	नकद अनुदान देना, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा वस्तु अनुदान के रूप में क्षय रोग विरोधी दवाइयों की मुफ्त आपूर्ति करना।						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>पूर्व वर्ष</th> <th>अव्ययित प्रावधान की राशि</th> <th>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997-98</td> <td>203.19</td> <td> ⇒ चिकित्सा भण्डार डिपो ⇒ भारत तथा विदेश में सामग्रियों की खरीद (10494 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री तथा उपकरण की थोक खरीद (14.56 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री तथा उपकरण की थोक खरीद (66.53 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (64.46 करोड़ रु) </td> </tr> </tbody> </table>	पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य	1997-98	203.19	⇒ चिकित्सा भण्डार डिपो ⇒ भारत तथा विदेश में सामग्रियों की खरीद (10494 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री तथा उपकरण की थोक खरीद (14.56 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री तथा उपकरण की थोक खरीद (66.53 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (64.46 करोड़ रु)	
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य					
1997-98	203.19	⇒ चिकित्सा भण्डार डिपो ⇒ भारत तथा विदेश में सामग्रियों की खरीद (10494 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री तथा उपकरण की थोक खरीद (14.56 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री तथा उपकरण की थोक खरीद (66.53 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (64.46 करोड़ रु)					

22. 57-प्रसारण सेवाएं (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)	142.31 (31)								
<table border="1"> <tr> <td>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</td> </tr> <tr> <td>* कुछ योजनाओं को छोड़ना/ अनुमोदन न किया जाना</td> </tr> <tr> <td>* कुछ स्टुडियो उपकरणों हेतु पुनः निविदाएं आमंत्रित करना</td> </tr> <tr> <td>* ट्रांसमीटरों, उपकरणों के लिए आदेश न देना / अनुमान न होना</td> </tr> <tr> <td>* सी बैंड उपकरण की प्रतिबंधित मदों के कारण सीमा शुल्क विभाग से निकासी न होना</td> </tr> <tr> <td>* निर्माणकार्यों की धीमी प्रगति</td> </tr> <tr> <td>* स्टुडियो उपकरणों के प्रतिस्थापन के अंतर्गत कुछ योजनाओं की संस्वीकृति में विलम्ब</td> </tr> <tr> <td>* कुछ उपकरणों की अनापूर्ति/ अप्राप्ति</td> </tr> </table>		मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण	* कुछ योजनाओं को छोड़ना/ अनुमोदन न किया जाना	* कुछ स्टुडियो उपकरणों हेतु पुनः निविदाएं आमंत्रित करना	* ट्रांसमीटरों, उपकरणों के लिए आदेश न देना / अनुमान न होना	* सी बैंड उपकरण की प्रतिबंधित मदों के कारण सीमा शुल्क विभाग से निकासी न होना	* निर्माणकार्यों की धीमी प्रगति	* स्टुडियो उपकरणों के प्रतिस्थापन के अंतर्गत कुछ योजनाओं की संस्वीकृति में विलम्ब	* कुछ उपकरणों की अनापूर्ति/ अप्राप्ति
मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण									
* कुछ योजनाओं को छोड़ना/ अनुमोदन न किया जाना									
* कुछ स्टुडियो उपकरणों हेतु पुनः निविदाएं आमंत्रित करना									
* ट्रांसमीटरों, उपकरणों के लिए आदेश न देना / अनुमान न होना									
* सी बैंड उपकरण की प्रतिबंधित मदों के कारण सीमा शुल्क विभाग से निकासी न होना									
* निर्माणकार्यों की धीमी प्रगति									
* स्टुडियो उपकरणों के प्रतिस्थापन के अंतर्गत कुछ योजनाओं की संस्वीकृति में विलम्ब									
* कुछ उपकरणों की अनापूर्ति/ अप्राप्ति									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>पूर्व वर्ष</th> <th>अव्ययित प्रावधान की राशि</th> <th>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997-98</td> <td>84.50</td> <td> ⇒ ध्वनि प्रसारण तथा दूरदर्शन हेतु स्टुडियो एवं ट्रांसमीटरों के लिए भवनों का निर्माण तथा उपकरणों की खरीद ⇒ विविध निर्माण योजनाएं तथा ध्वनि प्रसारण एवं दूरदर्शन उपकरण का नवीकरण तथा प्रतिस्थापना </td> </tr> </tbody> </table>	पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य	1997-98	84.50	⇒ ध्वनि प्रसारण तथा दूरदर्शन हेतु स्टुडियो एवं ट्रांसमीटरों के लिए भवनों का निर्माण तथा उपकरणों की खरीद ⇒ विविध निर्माण योजनाएं तथा ध्वनि प्रसारण एवं दूरदर्शन उपकरण का नवीकरण तथा प्रतिस्थापना			
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य							
1997-98	84.50	⇒ ध्वनि प्रसारण तथा दूरदर्शन हेतु स्टुडियो एवं ट्रांसमीटरों के लिए भवनों का निर्माण तथा उपकरणों की खरीद ⇒ विविध निर्माण योजनाएं तथा ध्वनि प्रसारण एवं दूरदर्शन उपकरण का नवीकरण तथा प्रतिस्थापना							

क्र.सं.	अनुदान सं / अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
23.	80-सड़कें (भूतल परिवहन मंत्रालय)	751.01 (31)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * वित्त मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कम निधियां जारी * राज्यों द्वारा साखपत्र जारी करने में विलम्ब * आर्थिक निगम तथा वित्त परियोजनाओं के संगठन के लिए निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में विलम्ब * कर्नाटक तथा केरल सरकारों के संबंध में संशोधित लागत अनुमानों का सुनिश्चित न होना </div>		
	पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि
	1997-98	281.08
	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य	
	⇒ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी सेतु शुल्क निधि से वित्तपोषित निर्माणकार्य (41.02 करोड़ रु).	
	⇒ सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश (399.00 करोड़ रु)	
	⇒ सड़क निर्माण — सड़क खण्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य (365.33 करोड़ रु).	

24.	90-नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं (परमाणु ऊर्जा विभाग)	135.45 (15)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण</p> <ul style="list-style-type: none"> * कुदंकुलम विद्युत परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलम्ब * बड़े निर्माणकार्यों की धीमी प्रगति * यंत्र एवं उपकरणों, सामग्रियों तथा भण्डारों की अधिप्राप्ति में विलम्ब। </div>		
	पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि
	1997-98	36.84
	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/ परियोजनाएं/कार्य	
	⇒ भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम, लिमिटेड को ऋण (111.00 करोड़ रु)	
	⇒ कलपक्कम स्थित निरर्थक गतिहीनता संयंत्र (1.17 करोड़ रु)	
	⇒ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (1.62 करोड़ रु)	
	⇒ एम ए हेतु देशज योग्यता का विकास पी.एफ.बी.आर. चरण-II (2.71 करोड़ रु)	
	⇒ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हेतु अतिरिक्त प्रोन्नत सुविधा (14.79 करोड़ रु)	

क्र.सं. अनुदान सं /अनुदान का विवरण (नियंत्रक मंत्रालय/विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि (कुल प्रावधान की तुलना में प्रतिशतता)
	⇒ प्रदोलन तथा डॉयग सुविधाओं में संवर्धन (1.37 करोड़ रु) ⇒ पी आई इ के लिए हॉट सैल सुविधा (5.61 करोड़ रु)

पूजिगतं प्रभासित

25. 32-ःण की पुनर्ऒदायगी (वित्त मंत्रालय)	36400.74 (10)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> मंत्रालय/ विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण * 28 दिवसीय खजाना बिलों का जारी न किया जाना * खजाना बिलों का प्रत्याशा से कम जारी किया जाना * बांडों को भुनाने के दावे प्रत्याशा से कम * अर्थोपाय पेशगियों का कम आहरण </div>		
पूर्व वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य
1997-98	26913.22	⇒ 28 दिवसीय खजाना बिल (1600000 करोड़ रु)
1996-97	31465.62	⇒ 91 दिवसीय खजाना बिल (920335 करोड़ रु)
1995-96	45682.33	⇒ 14 दिवसीय खजाना बिल (289871 करोड़ रु)
1994-95	35542.69	⇒ 10% राहत बंधपत्र 1993
1993-94	12289.46	⇒ बाजार ःण ⇒ 9% राहत बंधपत्र 1987 ⇒ विशेष धारक बंधपत्र ⇒ अर्थोपाय पेशगियां (878500 करोड़ रु)

कल्याण तथा
विकासात्मक क्षेत्रों में
अधिक मात्रा में
अव्ययित प्रावधान ।

20 अनुदानों तथा एक विनियोग के 25 मामलों में प्रत्येक अनुदान/विनियोग में 100 करोड़ रु या उससे अधिक के अव्ययित प्रावधान कुल मिलाकर कमशः 6407.91 करोड़ रु तथा 38264 64 करोड़ रु बनते थे । विकासात्मक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन, प्रसारण सेवाओं आदि में अव्ययित प्रावधान अत्यधिक मात्रा में थे । अव्ययित प्रावधान के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए सहायक कारणों से स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में वर्ष के दौरान बनाई गई कुछ योजनाएं प्रारंभ नहीं हो सकी ।

12.3 20 करोड़ रु तथा 100 करोड़ रु के बीच के अव्ययित प्रावधान

उपर्युक्त 25 मामलों के अतिरिक्त, 31 अनुदानों के अन्य 36 अनुभागों, जिनमें प्रत्येक मामले में अव्ययित प्रावधान 100 करोड़ रु से कम परन्तु 20 करोड़ रु से अधिक था, कुल मिलाकर 183415 करोड़ रु बनता था। इन मामलों के विवरण नीचे तालिका 12.3 में दिए गए हैं:-

तालिका 12.3 : 20 करोड़ रु तथा 100 करोड़ रु के बीच अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान सं. /अनुदान का विवरण नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
राजस्व- दत्तमत		
1.	2 कृषि तथा सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं (कृषि मंत्रालय)	31.51
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ उ.प्र., म.प्र., राजस्थान तथा गुजरात में छोटी तथा उथली नदियों का सुधार (3.00 करोड़ रु).</p> <p>⇒ चयनित जिलों में सहकारी विकास परियोजनाओं के लिए रा.स.वि.नि. को सहायता (16.72 करोड़ रु).</p> <p>⇒ सहकारी विकास हेतु रा.स.वि.नि. को सहायता (3.15 करोड़ रु).</p> <p>⇒ समस्याग्रस्त क्षेत्रों/ भूमि का सुधार तथा विकास (4.55 करोड़ रु)</p>		
2.	3 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (कृषि मंत्रालय)	23.36
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ फसल पालन- भा.कृ.अ.प. को सहायता (74.21 करोड़ रु)</p> <p>⇒ मत्स्य पालन- भा.कृ.अ.प. को सहायता (1.30 करोड़ रु)</p> <p>⇒ वानिकी - भा.कृ.अ.प. को को सहायता (1.25 करोड़ रु)</p>		
3.	5 रसायन तथा पैट्रौरसायन विभाग (रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय)	35.96
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ असम गैस कैकर परिसर को आर्थिक सहायता (25.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ भोपाल गैस रिसाव विनाश (दावों को तैयार करना) अधिनियम, 1985 (13.08 करोड़ रु)</p>		

क्र.सं.	अनुदान सं. /अनुदान का विवरण नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
4.	8 पर्यटन विभाग (नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय)	49.49
	<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/ परियोजनाएं/ कार्य</p> <p>⇒ पर्यटक केन्द्रों /क्षेत्रों के विकास हेतु सहायता (15.49 करोड़ रु)</p> <p>⇒ इक्विटी योजना के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु सहायता (2.72 करोड़ रु)</p> <p>⇒ पर्यटक आवास- स्मारकों /सांस्कृतिक स्थलों की सफाई (1.14 करोड़ रु)</p> <p>⇒ प्रशिक्षण-पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान (1.89 करोड़ रु)</p> <p>⇒ प्रोत्साहन तथा प्रचार- प्रत्यक्ष व्यय (25.03 करोड़ रु)</p> <p>⇒ अन्य व्यय- होटल कर्जों पर ब्याज अन्तरीय आर्थिक सहायता (1.15 करोड़ रु)</p>	
5.	12 कोयला मंत्रालय	85.95
	<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ कोयला क्षेत्रों में विकास तथा परिवहन का आधारभूत सेवाओं के प्रति उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण पर भुगतान (27.51 करोड़ रु)</p> <p>⇒ कोयला तथा कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण पर भुगतान (10.55 करोड़ रु)</p> <p>⇒ विनियंत्रित ढांचा पुनरीक्षण परियोजना (3.39 करोड़ रु).</p> <p>⇒ अनुसंधान तथा विकास-अन्य योजनाएं (28.39 करोड़ रु)</p> <p>⇒ पर्यावरणीय उपाय तथा अवतलन नियंत्रण (10.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ विस्तृत बेधन (5.38 करोड़ रु)</p>	
6.	36 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)	75.27
	<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ गाजीपुर अफीम कारखाना- अफीम की खरीद (36.18 करोड़ रु)</p> <p>⇒ नीमच अफीम कारखाना- अफीम की खरीद (40.15 करोड़ रु)</p> <p>⇒ गाजीपुर अल्कलॉयड वर्क्स- प्रबन्धन (5.50 करोड़ रु).</p>	
7.	51 महिला एवं बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	97.56
	<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम (9.00 करोड़ रु).</p> <p>⇒ राष्ट्रीय महिला क्रेडिट निधि (10.00 करोड़ रु).</p> <p>⇒ इन्दिरा महिला योजना (10.00 करोड़ रु).</p> <p>⇒ बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम (4.73 करोड़ रु).</p> <p>⇒ अल्प निवास गृहों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (7.98</p>	

क्र.सं. अनुदान सं. /अनुदान का विवरण नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
करोड़ रु)	
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ एकीकृत महिला विकास परियोजनाएं (11.30 करोड़ रु) ⇒ महिला समृद्धि योजना (2255 करोड़ रु) ⇒ बालिका समृद्धि योजना (17.34 करोड़ रु) ⇒ अन्य व्यय स.बा.वि.यो. के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान (13.70 करोड़ रु) ⇒ विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स.बा.वि.यो. कार्यक्रम - बाह्य सहायता प्राप्त संघटक (13408 करोड़ रु) ⇒ विश्वबैंक से सहायता प्राप्त स.बा.वि.यो. कार्यक्रम- सामान्य संघटक (57.41 करोड़ रु) 	

8. 55 लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग (उद्योग मंत्रालय)	59.82
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ लघुउद्योग- सी.ए.डी./ सी.ए.एम.केन्द्र, चेन्नई (20.00 करोड़ रु) ⇒ औजार कक्षों की स्थापना (9.01 करोड़ रु) ⇒ कार्याशालाओं की लघु औजार कक्षों के रूप में प्रौन्नति (6.68 करोड़ रु). ⇒ ग्रामीण क्षेत्र में ल.उ. का आधारभूत विकास (14.00 करोड़ रु.) ⇒ ग्रामीण रोजगार जनन कार्यक्रम-एच.पी.सी. की सिफारिशों का कार्यान्वयन (93.35 करोड़ रु.) 	

9. 58 श्रम मंत्रालय	69.88
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ महिला/बाल श्रमिकों की कार्य करने की स्थिति में सुधार - बाल श्रमिक कक्ष (23.71 करोड़ रु.) ⇒ विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना (23.96 करोड़ रु.) ⇒ शिल्पाकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण- राज्यों के लिए विश्व बैंक योजना (5.41 करोड़ रु.) ⇒ बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (7.00 करोड़ रु.) 	

10. 64 गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	30.11
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (4.20 करोड़ रु.) ⇒ सोलर-फोटोवोल्टीय-एस.पी.वी. पम्प कार्यक्रम (7.45 करोड़ रु.). ⇒ उन्नत चूल्हे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (1.90 करोड़ रु.) ⇒ शहरी/नगर के कूड़े से ऊर्जा (1.22 करोड़ रु.) 	

क्र.सं.	अनुदान सं. / अनुदान का विवरण नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ राष्ट्रीय जैव- ऊर्जा बोर्ड (1.91 करोड़ रु.) ⇒ लघु जल विद्युत विकास (5.02 करोड़ रु.) ⇒ राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा संस्थान (14.30 करोड़ रु.) 	
11. 71	विद्युत मंत्रालय	77.26
	<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (21.87 करोड़ रु.) ⇒ आरक्षित निधि को अन्तरण - मूल्यहास - बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (2.92 करोड़ रु.) ⇒ निदेशन एवं प्रशासन - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (1.13 करोड़ रु.) ⇒ प्रशिक्षण - राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (6.54 करोड़ रु.) ⇒ अनुसंधान तथा विकास - केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर (2.25 करोड़ रु.) ⇒ ऊर्जा परिरक्षण एवं उपयोग के लिये प्रावधान (9.73 करोड़ रु.) ⇒ विद्युत वित्त निगम लिमिटेड को सहायता अनुदान (30.00 करोड़ रु.). 	
12 74	बंजर भूमि विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय)	26.83
	<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड (7.07 करोड़ रु.) ⇒ सम्पूर्ण बंजरभूमि विकास योजनाएं (20.00 करोड़ रु.) 	
13. 75	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	49.60
	<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ स्थलाकृतिक सर्वेक्षण-सर्वेक्षण दल (2.64 करोड़ रु.) ⇒ विशेष प्रौद्योगिकी विकास एवं समन्वय कार्यक्रम (3.71 करोड़ रु.) ⇒ मिशन प्रणाली में प्रौद्योगिकी परियोजना (10.53 करोड़ रु.) ⇒ विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित संस्थाओं पर वि.प्रौ. अवसंरचना के सुधार हेतु निधियां (वि.प्रौ.स.नि.) (25.00 करोड़ रु.) ⇒ अनु. एवं वि. उपकर, के अन्तर्गत प्राप्तियों के प्रति भुगतान (22.01 करोड़ रु.) 	
14 82	कपड़ा मंत्रालय	20.89
	<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ हथकरघा उद्योग (13.14 करोड़ रु.) ⇒ हस्तशिल्प उद्योग (3.26 करोड़ रु.) ⇒ वस्त्रोद्योग (3.51 करोड़ रु.) 	

क्र.सं.	अनुदान सं./ अनुदान का विवरण नियंत्रक-मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
15	83 शहरी विकास (शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय)	26.00
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ छोटे शहरों की ओर ए.यू.डबल्यू.एस.पी. का विस्तार (5.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिये निम्न लागत सफाई प्रबंध (4.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सम्पदा निदेशालय (2.71 करोड़ रु)</p> <p>⇒ शहरी परिवहन योजना (3.84 करोड़ रु)</p> <p>⇒ शहरी तथा क्षेत्रीय योजना पर अनुसंधान (1.78 करोड़ रु)</p> <p>⇒ महानगर योजना अवसंरचना विकास (11.50 करोड़ रु)</p> <p>⇒ लघु तथा मध्यम शहरों के समग्र विकास के लिये केन्द्रीय सहायता (13.19 करोड़ रु)</p>		
16	84 शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन (शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय)	42.94
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ सामान्य -भवन योजना तथा अनुसंधान (1.01 करोड़ रु)</p> <p>⇒ नगराभिमुख रोजगार कार्यक्रम-स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (26.20 करोड़ रु)</p> <p>⇒ पश्चिम बंगाल में विस्थापितों की बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के लिये प्रावधान (14.23 करोड़ रु)</p>		
17	85 लोक निर्माण कार्य (शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय)	81.96
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ कार्यालय भवन (3.79 करोड़ रु)</p> <p>⇒ उचन्त- भण्डार (82.57 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सामान्य- निर्देशन तथा प्रशासन (20.07 करोड़ रु)</p>		
18	86 लेखन सामग्री तथा मुद्रण (शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय)	33.02
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ लेखनसामग्री भण्डार की खरीद तथा आपूर्ति (2.14 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सरकारी मुद्रणालय (28.08 करोड़ रु)</p> <p>⇒ भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय (1.65 करोड़ रु)</p>		

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान सं/अनुदान का विवरण नियंत्रक-मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
19 87	जल संसाधन मंत्रालय	56.26
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना (8.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ जल विज्ञान परियोजना (11.73 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता योजना (1269 करोड़ रु)</p> <p>⇒ बाढ़ नियंत्रण- अन्य व्यय (11.65 करोड़ रु)</p> <p>⇒ बाढ़ निष्प्रभाव कार्यक्रम (2.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ कमान क्षेत्र विकास (7.96 करोड़ रु)</p> <p>⇒ ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण (18.00 करोड़ रु)</p>		
20. 90	नाभिकीय विद्युत योजनाएं (परमाणु ऊर्जा विभाग)	20.95
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ नाभिकीय विद्युत उत्पादन - ईंधन सूची (57.13 करोड़ रु.)</p> <p>⇒ निरर्थक वस्तुओं का प्रबन्धन (3.29 करोड़ रु.)</p>		
21. 91	इलैक्ट्रानिकी विभाग	48.78
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं /कार्य</p> <p>⇒ दूरसंचार तथा इलैक्ट्रानिकी उद्योग - इलैक्ट्रानिकी</p>		
पूंजीगत - दत्तमत		
22. 2	कृषि एवं सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं (कृषि मंत्रालय)	60.30
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ भूमि विकास बैंक के लिये ऋण (48.07 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सहकारिता चीनी मिलों में शेयर पूंजी की भागीदारिता के लिये रा.स.वि.नि. के माध्यम से ऋण (1087 करोड़ रु)</p>		
23 4	पशुपालन तथा डेरी कार्य विभाग (कृषि मंत्रालय)	22.73
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ समुद्री मत्स्यपालन (9.59 करोड़ रु)</p> <p>⇒ विस्तार एवं प्रशिक्षण (11.50 करोड़ रु)</p>		

क्र.सं.	अनुदान सं/अनुदान का विवरण नियंत्रक-मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
24	6 उर्वरक विभाग (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)	20.70
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड में निवेश/ को ऋण (40.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड को ऋण (19.90 करोड़ रु).</p>		
25	25 विदेश मंत्रालय	49.96
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ अन्य भवन-निर्माण- (49.83 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सहकारी आवास भवन- अन्य आवास योजना (7.25 करोड़ रु)</p>		
26	26 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय)	64.43
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ तुर्कमनीस्तान की सरकार को ऋण (3.85 करोड़ रु)</p> <p>⇒ श्रीलंका सरकार को ऋण-नया क्रेडिट 1994 (24.65 करोड़ रु)</p> <p>⇒ लाओस सरकार को ऋण (2.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ अजर बेजान सरकार को ऋण (2.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ ईराक सरकार को ऋण (40.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ उजबेकिस्तान सरकार को ऋण (11.00 करोड़ रु).</p> <p>⇒ म्यांमार सरकार को ऋण (8.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ मारीशस सरकार को ऋण-नया क्रेडिट 1994 (400 करोड़ रु).</p>		
27	37 प्रत्यक्ष कर (वित्त मंत्रालय)	93.93
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ तैयार आवास का अधिग्रहण (3.00 करोड़ रु)</p> <p>⇒ आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XX सी के अन्तर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण (64.09 करोड़ रु)</p> <p>⇒ आयकर कर्मचारियों के लिये आवासीय भवन (26.84 करोड़ रु)</p>		
28	38 अप्रत्यक्ष कर (वित्त मंत्रालय)	90.78
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ तट रक्षक संगठन (69.77 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के लिये आवासीय भवन (20.81 करोड़ रु)</p>		

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान सं/अनुदान का विवरण नियंत्रक-मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
	नियंत्रक-मंत्रालय/विभाग	
29	45 पुलिस (गृह मंत्रालय)	24.98
	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य ⇒ असम राइफल-आवासीय भवन (2.31 करोड़ रु) ⇒ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड- कार्यालय भवन (1.60 करोड़ रु) ⇒ भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य (26.21 करोड़ रु). ⇒ भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य (9.02 करोड़ रु).	
30	46 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	43.09
	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य ⇒ क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (6.50 करोड़ रु) ⇒ भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमि. को ऋण (19.10 करोड़ रु) ⇒ नागर विमानन- पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान पत्तन के सुधार हेतु सहायता (25.00 करोड़ रु)	
31	64 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	78.92
	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य ⇒ भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी को निवेश तथा ऋण (78.82 करोड़ रु)	
32	75 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	31.54
	अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य ⇒ भारतीय सर्वेक्षण- भवन (8.00 करोड़ रु) ⇒ अंकीय मानचित्रण प्रणाली (एन.ए.टी.एम.ओ.) (1.07 करोड़ रु) ⇒ वेधशाला तथा मौसम केन्द्र-उपकरण (16.20 करोड़ रु) ⇒ अन्य मौसम सेवाएं (4.89 करोड़ रु)	

क्र.सं.	अनुदान सं. / अनुदान का विवरण (नियंत्रक / मंत्रालय विभाग)	अव्ययित प्रावधान की राशि
33 83	शहरी विकास (शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय)	1.88
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ सरकारी आवासीय भवन-अन्य आवास (10.99 करोड़ रु)</p> <p>⇒ अन्य शहरी विकास योजनाएं-स्थानीय निकायों /निगम को ऋण - बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं /परियोजनाएं (40.50 करोड़ रु)</p> <p>⇒ सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- जल की अत्यधिक कमी वाले बड़े शहरों की जल प्रदाय योजना को सहायता (4.50 करोड़ रु)</p>		
34 85	लोक निर्माण (शहरी मामले तथा रोजगार मंत्रालय)	60.09
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ केन्द्रीय सरकारी विभागों के लिये भवनों का निर्माण</p>		
35 89	परमाणु ऊर्जा (परमाणु ऊर्जा विभाग)	52.98
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (27.22 करोड़ रु)</p> <p>⇒ भारी जल उत्पादन (16.68 करोड़ रु)</p> <p>⇒ भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड में निवेश (1250 करोड़ रु)</p> <p>⇒ नाभिकीय ऊर्जा परिसर (6.25 करोड़ रु)</p> <p>⇒ इन्दिरागांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (6.82 करोड़ रु)</p> <p>⇒ भवन निर्माण (1254 करोड़ रु)</p>		
36 93	अन्तरिक्ष विभाग	44.44
<p>अव्ययित प्रावधान द्वारा अत्यधिक प्रभावित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य</p> <p>⇒ अन्तरिक्ष शिल्प - इनसैट-3 उपग्रह (14.38 करोड़ रु)</p> <p>⇒ अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी (31.56 करोड़ रु)</p> <p>⇒ अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (4.76 करोड़ रु)</p>		

12.4 अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

अभ्यर्पण एक बजटीय उपाय है जिसके माध्यम से खर्च करने वाले विभाग द्वारा उपयोग न किए गए अनुदान अथवा विनियोग वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिए जाते हैं, जिन्हें किसी अन्य क्षेत्र के लिए फिर से आबंटित किया जा सकता है। सामान्य वित्तीय नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग में अव्ययित प्रावधान का जैसे ही पूर्वानुमान लग जाए उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। वर्ष 1998-99 के दौरान 84 अनुदानों/विनियोगों के 167 खण्डों के अन्तर्गत 46845.86 करोड़ रु का अव्ययित प्रावधान था, जिसको 42 अनुदानों/विनियोगों के 56 खण्डों के अन्तर्गत 11824.46 करोड़ रु के आधिक्य के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निवल अव्ययित प्रावधान 35021.40 करोड़ रु था। 46845.86 करोड़ रु के सकल अव्ययित प्रावधान में से अभ्यर्पित की गई राशियां निम्न प्रकार थी :

(करोड़ रु में)

	सकल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अंतिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
राजस्व				
दत्तमत	5710.84	4622.71	4368.07	1088.13
प्रभारित	1885.68	1881.63	1874.88	4.05
कुल राजस्व	7596.52	6504.34	6242.95	1092.18
पूंजीगत				
दत्तमत	2792.09	2569.59	2290.79	222.50
प्रभारित	36457.25	802.69	802.67	35654.56
कुल पूंजीगत	39249.34	3372.28	3093.46	35877.06
सकल जोड़	46845.86	9876.62	9336.41	36969.24

- 12102.06 करोड़ रु का अव्ययित प्रावधान 91 तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के कम जारी करने तथा निरस्त करने के कारण तथा 16000.00 करोड़ रु के 28 दिवसीय खजाना बिलों को जारी न करने के कारण था। इनमें से केवल 751.04 करोड़ रु की राशि अभ्यर्पित की गई थी तथा शेष अव्ययित प्रावधान विनियोग के भीतर पुनर्विनियोजित किया गया।
- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (23.36 करोड़ रु), उर्वरक विभाग (524.06 करोड़ रु), पर्यटन विभाग (49.10 करोड़ रु), स्वास्थ्य विभाग (116.59 करोड़ रु), प्रसारण सेवाएँ (92.89 करोड़ रु), श्रम मंत्रालय (24.03 करोड़ रु), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (78.63 करोड़ रु), शहरी विकास (26.33 करोड़ रु), लोक निर्माण कार्य (66.30 करोड़ रु), लेखन सामग्री तथा मुद्रण (15.12 करोड़ रु), नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं (28.55

करोड़ रु) तथा ऋण की पुर्नअदायगी (35649.70 करोड़ रु) से सम्बन्धित अनुदानों के अन्तर्गत अभ्यर्पित न की गई बड़ी राशियां इन अनुदानों/विनियोग के अन्तर्गत अव्ययित प्रावधान के 21 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी।

- दूसरी ओर कृषि (10.81 करोड़ रु), रक्षा मंत्रालय (13.58 करोड़ रु), वित्तीय संस्थानों को भुगतान (66.06 करोड़ रु), प्रत्यक्ष कर (33.26 करोड़ रु), सड़क (15.93 करोड़ रु) तथा पत्तन, प्रकाश स्तम्भ एवं नौपरिवहन (29.67 करोड़ रु), से संबंधित अनुदानों के खण्डों के अन्तर्गत अधिक संवितरण के बावजूद अभ्यर्पण राशि 10.00 करोड़ रु से अधिक थी। बड़ी अभ्यर्पित राशियों का विवरण परिशिष्ट XX में दिया गया है।
- अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण न करने/कम अभ्यर्पण करने तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिक अभ्यर्पण ने त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं अप्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली का संकेत दिया। इसको समीक्षा करने तथा सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

12.5 संवितरण की कटौती में वसूलियां

		(करोड़ रु में)
अनुमानित वसूलियां	⇔	6303.52
वास्तविक वसूलियां	⇔	8026.96

ऊपर दिखाई गई समस्त वास्तविक वसूलियां बहुतों द्वारा की गई कम वसूलियों का निवल परिणाम है, कुछ के द्वारा बजटित वसूलियों से अधिक वसूलियां करके बराबर किया गया है।

अनुदानों के लिए मांग, संवितरण की सकल राशि के लिए होती है अर्थात् उनमें अतीत में प्राप्त किए हुए सामान आदि के उपयोग से उद्भूत वसूलियां अथवा अन्य विभागों या मंत्रालयों को अन्तरित संवितरण शामिल होते हैं। जबकि विनियोग लेखापरीक्षा, सकल संवितरण की अनुदान की सकल राशि से तुलना करके की जाती है, वसूलियों में आधिक्य अथवा कमी वसूलियों के गलत अनुमान तथा गलत बजटीय पूर्वानुमान को दर्शाते हैं। यह अन्ततः वित्त लेखाओं में सुसंगत सेवा शीर्ष में अंतिम रूप से लेखाबद्ध संवितरण की निवल राशि को भी बदलती है, तथा इससे निवल संवितरण भी बढ़ता है।

संवितरणों की कटौती में वसूलियों का काल्पनिक अनुमान लगाया गया।

राजस्व अनुभाग में 3058.69 करोड़ रु की अनुमानित वसूलियों के प्रति, वास्तविक वसूलियां 2506.73 करोड़ रु होने के परिणामस्वरूप वसूलियां 551.96 करोड़ रु कम थी। जबकि पूंजीगत अनुभाग में 3244.83 करोड़ रु की अनुमानित वसूलियों के प्रति, वास्तविक वसूलियां 5520.23 करोड़ रु थी। मूल अनुमानों के 20 प्रतिशत से अधिक की अथवा एक करोड़ रु की बड़ी विभिन्नताओं के अनुदान-वार विवरण परिशिष्ट XXI में दिए गए हैं। ऐसे कुछ मामले,

जहां वसूलियां कम थीं तथा जिसके परिणामस्वरूप वित्त लेखाओं में निवल संवितरण उस सीमा तक बढ़ा है, नीचे दिए गए हैं। इस संबंध में बजटीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

तालिका 12.5 : कम वसूलियां

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	भिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता
	राजस्व				
1.	6-ऊर्वरक विभाग	757.23	214.87	542.36	72
2.	9-उपभोक्ता मामले विभाग	5.00	0.30	4.70	94
3.	40-स्वास्थ्य विभाग	45.00	33.47	11.53	26
4.	52-औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन	25.12	4.31	20.81	83
5.	56-सूचना, फिल्म तथा प्रचार	2.07	0.13	1.94	94
6.	57-प्रसारण सेवाएं	429.90	275.90	154.00	36
7.	69-सांख्यिकी विभाग	1.16	-	1.16	100
8.	100-चंडीगढ़	31.36	14.97	16.39	52
	पूंजीगत				
9.	37 -प्रत्यक्ष कर	70.00	13.25	56.75	81
10.	40 -स्वास्थ्य विभाग	540.01	249.38	290.63	54
11.	57-प्रसारण सेवाएं	402.50	301.69	100.81	25
12.	99-अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4.49	1.67	2.82	63

अध्याय XIII : अनधिकृत तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग

	मामलों की सं.	राशि (करोड़ रुपयों में)
अनावश्यक पुनर्विनियोग	32	9480.57
पुनर्विनियोजित करने के लिए प्रावधान की उपलब्धता के बिना किया गया पुनर्विनियोग	26	173.48
संसद को सूचित किए बिना/सचिव (व्यय) के पूर्व अनुमोदन के बिना पुनर्विनियोग	1	43.59
सचिव (व्यय) के पूर्व अनुमोदन के बिना पुनर्विनियोग	14	105.17

13. निधियों का पुनर्विनियोग

व्यय के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उप-शीर्षों अथवा मानक विषयों द्वारा वितरित किया जाता है जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है। निधियों का पुनर्विनियोग, उस वित्तीय वर्ष, जिससे वह अनुदान अथवा विनियोग संबंधित है, के समाप्त होने से पहले किसी अनुदान अथवा विनियोग के भीतर विनियोग की प्राथमिक इकाईयों के बीच अधिशासी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई से विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा अथवा विनियोग की इकाई में अव्ययित प्रावधान प्रभावी हो सकता है।

13.1 निधियों का भारी पुनर्विनियोग

1998-99 के लिए पुनर्विनियोग आदेशों के सन्दर्भ में विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 643189 करोड़ रु के कुल संस्वीकृत प्रावधान में से 33154 करोड़ रु की राशि संसद द्वारा प्राधिकृत किये गए मूल उद्देश्य/गतिविधि को विफल करते हुये विनियोग की विभिन्न प्रारम्भिक इकाइयों के बीच पुनर्विनियोजित की गई थी। इस प्रकार के पुनर्विनियोग का विवरण निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रु में)

	राजस्व		पूंजीगत		कुल
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	
संस्वीकृत प्रावधान	112764	105232	26320	398873	643189
पुनर्विनियोजित राशि	4934	2443	1293	24484	33154

विकासात्मक तथा कल्याण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य (205 करोड़ रु); परिवार कल्याण (308 करोड़ रु); शिक्षा विभाग (908 करोड़ रु); महिला एवं बाल विकास विभाग (216 करोड़ रु); भारी उद्योग विभाग (324 करोड़ रु); लघु उद्योग विभाग (114 करोड़ रु); विद्युत मंत्रालय (247 करोड़ रु); परमाणु ऊर्जा विभाग (216 करोड़ रु); अन्तरिक्ष विभाग (145 करोड़ रु) में निधि का भारी पुनर्विनियोग मुख्यतः कल्याण कार्यों से स्थापना से सम्बन्धित कार्यों, सहायता अनुदान के भुगतान तथा अन्य गैर-विकासात्मक/कल्याण कार्यों को किए गए थे क्योंकि बजट स्तर पर इन कार्यों के लिए पर्याप्त निधि प्राधिकृत नहीं करवाई जा सकी थी। निधियों के ऐसे पुनर्विनियोग ने मूल उद्देश्य जिसके लिए संसद द्वारा निधियां प्राधिकृत करवाई गई थी, को विफल कर दिया।

13.2 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

13.2.1 उप-शीर्ष में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

नमूना जांचों से उप-शीर्षों को 9481 करोड़ रु के अनावश्यक पुनर्विनियोग का पता चला।

लेखाओं की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि परिशिष्ट-XXII में दिए गए विवरण के अनुसार 16 अनुदानों/विनियोगों में 32 मामलों में 9480.57 करोड़ रु के योग का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उन उप-शीर्षों जिनको निधियां पुनर्विनियोग द्वारा अन्तरित की गई थीं, के अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। परिणामतः उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत उन उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

उप-शीर्षों से 173 करोड़ रु का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किया गया था।

13.2.2 उप-शीर्ष से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

इसी प्रकार 17 अनुदानों/विनियोगों में 26 उप-शीर्षों जैसाकि परिशिष्ट XXIII में दर्शाया गया है, 173.48 करोड़ रु के योग का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग था जिनमें प्रत्येक में अन्तिम व्यय, उनसे पुनर्विनियोग से पूर्व मूल प्रावधान से अधिक था। उनमें से प्रत्येक में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोग के पश्चात् अन्तिम प्रावधान की तुलना में आधिक्य, पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था।

रेलवे, डाक तथा दूरसंचार तथा रक्षा सेवाओं के अनुदानों के संबंध में उसी प्रकार के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोगों की स्थिति संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई है।

13.3 निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग

13.3.1 लोक लेखा समिति की सिफारिशों के उल्लंघन में पुनर्विनियोग

लो.ले.स. की सिफारिशों के उल्लंघन में पुनर्विनियोग।

147वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के अनुसार लोक लेखा समिति (आठवीं लोक सभा) के कहने पर वित्त मंत्रालय के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोग आदेश, जिसका एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा एक करोड़ रु, जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अन्तिम खेप के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। अपवाद के मामलों में अनुपूरक मांगों की अन्तिम खेप के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किसी भी पुनर्विनियोग के आदेश की उपरोक्त सीमा बढ़ जाने पर सचिव/अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

1998-99 के लिए विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 65 अनुदानों/विनियोगों के 391 उप-शीर्ष/मामले ऐसे थे जिनमें एक करोड़ रु से अधिक का पुनर्विनियोग किया गया था। इनमें से 60 अनुदानों/विनियोगों के 165 उप-शीर्षों /मामलों में पुनर्विनियोजन बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से बढ़ गया तथा इस प्रकार ये अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों की अंतिम खेप के साथ संसद को सूचित किये जाने अपेक्षित थे।

सचिव (व्यय) के अनुमोदन को प्राप्त करने के अपवाद को नियम के रूप में उपयोग किया गया।

केवल 68 मामलों में ऐसे पुनर्विनियोग संसद को सूचित किये गए थे तथा शेष 96 मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद के वित्तीय नियंत्रण को क्षति पहुंचाते हुये अपवाद को नियम बनाया गया था। इन मामलों में पूर्वज्ञान होने के बावजूद संसद को पुनर्विनियोग की सूचना देने की बजाए वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इन में से अधिकांश मामलों में मंत्रालयों/विभागों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे संसद को पुनर्विनियोग सूचित करने की स्थिति में क्यों नहीं थे।

13.3.1.1 निम्नलिखित मामलों में, पुनर्विनियोग की राशि उपर्युक्त सीमा से बढ़ गई, जिसके लिए मंत्रालयों /विभागों ने न तो अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की अंतिम खेप के माध्यम से संसद को पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के संवर्धन के लिए सूचित ही किया और न ही सचिव/अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया।

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य-शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि (करोड़ रु में)		अभ्यक्तियां
1.	3-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (कृषि मंत्रालय)	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	आई.सी.ए.आर. प्रशासन को सहायता	मू. पु.	89.87 43.59	सचिव (व्य.) का कार्योत्तर अनुमोदन अगस्त 1999 में प्राप्त किया गया

13.3.2 सचिव(व्यय) के पूर्वानुमोदन के बिना पुनर्विनियोग

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के प्रयासों के संदर्भ में, वित्त मंत्रालय ने निर्धारित किया था कि सभी पुनर्विनियोग, जिनका एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत एक करोड़ रु अथवा अधिक से बजट प्रावधान को बढ़ने का प्रभाव होता हो, केवल सचिव(व्यय) के पूर्वानुमोदन से किए जाने चाहिए यहां तक कि यदि पुनर्विनियोजित की गई राशि 25 प्रतिशत के भीतर थी पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित पुनर्विनियोजन नियंत्रण की सीमा में आवृत होते हैं।

1998-99 के विनियोग लेखे की नमूना जांच से पता चला कि 226 उप-शीर्षों में एक करोड़ रु से अधिक परन्तु बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से अधिक का पुनर्विनियोग किया गया था तथा इस प्रकार सचिव (व्यय) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य था, तथापि, निम्नलिखित मामलों में जहां पुनर्विनियोग एक करोड़ रु से बढ़ गया सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। कुछ मामलों में मंत्रालयों ने वित्त वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् सचिव (व्यय) का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया था जो कि तीव्र अभिषंगी (एकम्पली) था तथा इसने वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के उद्देश्य को विफल कर दिया।

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य-शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि (करोड़ रु में)		अभ्युक्तियां
1.	3-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आई.सी.ए. आर. को सहायता	फसल पालन अनुसंधान संस्थान	मू. पु.	325.77 81.08	सचिव (व्यय) का अगस्त 1999 में प्राप्त किया गया
2.	-वही-	-वही-	पशुपालन अनुसंधान संस्थान	मू. पू.	63.60 3.40	-वही-
3.	-वही-	-वही-	डेरी विकास अनुसंधान संस्थान	मू. पु.	23.00 1.00	-वही-
4.	-वही-	-वही-	मत्स्य उद्योग अनुसंधान संस्थान	मू. पु.	48.30 3.70	-वही-
5.	36- राजस्व विभाग	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	मू. पु.	13.27 2.14	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर 29.9.99 को कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया
6.	56- सूचना, फिल्म एवं प्रचार	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें	मंत्रालय	मू. पु.	10.80 1.02	
7.	-वही-	2220-सूचना एवं प्रचार	फिल्म प्रभाग	मू. पु.	24.74 1.17	
8.	58-श्रम मंत्रालय	2230-श्रम एवं रोजगार	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइकोर खान श्रम कल्याण निधि को अन्तरण	मू. पु.	32.10 2.90	
9.	-वही-	-वही-	स्वास्थ्य	मू. पु.	15.67 1.32	
10.	75- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	हेतु सहायता अनुदान	मू. पु.	58.32 1.60	
11.	92- समुद्री विकास विभाग	3403 समुद्री विज्ञान अनुसंधान	विकास	मू. पु.	16.45 2.22	
12.	92- समुद्री विकास	3403-समुद्री		मू.	15.45	

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य-शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि (करोड़ रु में)		अभ्युक्तियां
				पु.	मू.	
	विभाग	विज्ञान अनुसंधान	विकास	पु.	1.43	
13.	99- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2055-पुलिस	जिला पुलिस	मू. पु.	16.53 1.08	
14.	-वही-	2406- वानिकी एवं वन्य जीवन	लकड़ी का स्थानान्तरण	मू. पु.	8.39 1.11	

13.3.3 वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना पुनर्विनियोग

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किये गए कुछ मामले निम्न प्रकार थे:-

13.3.3.1 अनुदान सं. 27-मुद्रा, सिक्के तथा टिकटें (वित्त मंत्रालय)

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10(6)(ड.) के प्रावधान के अनुसार प्राथमिक इकाई 'समयोपरि भत्ता' के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की विधि से प्रावधान का कोई संवर्धन वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए।

अनुदान सं.27-मुद्रा, सिक्के तथा टिकटें के शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि 89.86 करोड़ रु के संस्वीकृत प्रावधान के प्रति मंत्रालय ने प्राथमिक इकाई 'समयोपरि भत्ता' के अन्तर्गत 5.87 करोड़ रु पुनर्विनियोजित किये थे जिसके लिए वित्त मंत्रालय का विशेष पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था इस प्रकार उपर्युक्त पुनर्विनियोग अनियमित तथा अनधिकृत था।

13.3.3.2 अनुदान सं.3-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (कृषि मंत्रालय)

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10(6) (घ) के प्रावधान के अनुसार किसी अनुदान अथवा विनियोग में योजनागत शीर्ष से योजनेत्तर शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग केवल वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है। पुनर्विनियोग के लिये पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया व्यय अनधिकृत माना जायेगा। भु.ले.का. को भी ऐसे भुगतानों जहां पर निधियों के कोई प्रावधान न हो अथवा सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृत न हो, भुगतान प्राधिकृत करने से पूर्व सिविल लेखा नियमावली के पैरा 4.2.4 में निर्धारित जांच करनी चाहिए। अनुदान सं.3-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के अन्तर्गत 81.17 करोड़ रु योजनागत शीर्षों से योजनेत्तर शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये। तथापि अगस्त 1999 में वित्त मंत्रालय का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। चूंकि कोई प्रावधान ही नहीं था, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के अन्तर्गत कार्योत्तर अनुमोदन, योजनागत शीर्षों से योजनेत्तर शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग अनियमित था तथा तदनुसार उपर्युक्त पुनर्विनियोग के प्रति किया गया 81.17 करोड़ रु का व्यय अनधिकृत था।

13.3.4 प्रावधानों से अधिक अनियमित पुनर्विनियोजन- अनुदान सं. 43-गृह मंत्रालय

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 72 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय अनुदान या विनियोग के भीतर विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य किसी प्राथमिक इकाई में निधियों का पुनर्विनियोजन किया जा सकता है। आगे, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 71 के प्रावधानों के अनुसार अनुपूरक अनुदान या विनियोग या भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के अलावा कोई ऐसा व्यय नहीं किया जा सकता जिससे विधि द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिये संसद से प्राधिकृत कुल अनुदान या विनियोग प्रभावित हो। सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 61 एक वित्त वर्ष के बजट से सम्बन्धित, विनियोग विधेयक की प्रत्याशा में भारत की समेकित निधि से संवितरण किये जाने की भी अनुमति नहीं देता।

वर्ष 1998-99 के लिए अनुदान सं.43- गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मंत्रालय ने 1.17 करोड़ रु के मूल प्रावधान के प्रति उप शीर्ष 3601.01.141.01- अन्य अधिनियम एवं विनियम, से 1.83 करोड़ रु की राशि का पुनर्विनियोजन अन्य उप-शीर्षों में किया था जिसके परिणामस्वरूप उप-शीर्ष के अन्तर्गत मूल प्रावधान से 0.66 करोड़ रु अधिक का पुनर्विनियोजन हुआ। इस 0.66 करोड़ रु के ऋणात्मक प्रावधान के प्रति मंत्रालय ने उप-शीर्ष के अन्तर्गत 3.48 करोड़ रु का व्यय किया।

इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के पारित न हो पाने के कारण मूल बजट से अधिक पुनर्विनियोजन हो गया था। चूंकि उप-शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन के लिए समुचित प्रावधान नहीं था, मंत्रालय द्वारा इस परिकल्पना पर कि अनुपूरक मांगें पारित हो जाएंगी, उप-शीर्ष के प्रावधान से अधिक निधियों का पुनर्विनियोजन करने की कार्यवाही सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांत के विपरीत थी चूंकि वित्त मंत्रालय ने पहले से ही 27 मार्च 1999 को अनुदानों की अनुपूरक मांगें-द्वितीय को पारित करने की असमर्थता के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया था, इसके बावजूद मंत्रालय ने 31 मार्च 1999 को उप-शीर्ष से निधियों का पुनर्विनियोजन कर दिया था।

13.4 वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात पुनर्विनियोजन आदेशों को जारी करना (अनुदान संख्या : 3- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा)

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 तथा 72 के अनुसार, केन्द्र सरकार के विभाग वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनुदान या विनियोग के भीतर विनियोग की एक प्राथमिक ईकाई से अन्य ऐसी ईकाई में निधियों के पुनर्विनियोजन करने तथा वित्त मंत्रालय को पूर्वानुमानित बचत के अभ्यर्ण के लिए भी अधिकृत हैं।

अनुदान सं.3-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के सम्बन्ध में विनियोग लेखों तथा पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अतिक्रमण में, विभाग ने वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात पुनर्विनियोजन आदेश सं. 1(8) 198-बजट दिनांक 23 जून 1999 के द्वारा 81.39 करोड़ रु का पुनर्विनियोजन किया था। अगस्त 1999 में पुनर्विनियोजन प्रस्ताव को स्वीकृत करते समय, सचिव (व्यय) ने टिप्पणी की थी कि पुनर्विनियोजन को पिछले वित्त वर्ष में ही प्रस्तावित किया जाना चाहिए था।

अतः वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात 81.39 करोड़ रु का पुनर्विनियोजन अनियमित था तथा तदनुसार उस सीमा तक किया गया व्यय अनधिकृत था।

अध्याय XIV : 'सेवा के नए साधन' पर अनधिकृत व्यय

संसद के पूर्वानुमोदन के बिना सेवा के नए साधन	मामलों की संख्या	करोड़ रुपयों में
सहायता अनुदान-निर्मोचन	68	738.33
आर्थिक सहायता- निर्मोचन	6	302.02
निवेश/ऋण का भुगतान	20	551.94

14 "नई सेवा /सेवा के नए साधन" पर व्यय

लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर, सरकार ने व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए वित्तीय सीमाएं नियत की है जिनके बाद अतिरिक्त व्यय नई सेवा/सेवा का नया साधन बन जाता है तथा इसके लिए संसद का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

1998-99 के विनियोग लेखाओं की शीर्षवार संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में निर्धारित सीमा पार हो चुकी थी। इसमें से ज्यादातर मामलों में मंत्रालयों /विभागों ने मार्च 1999 के अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के माध्यम से संसद का पूर्वानुमोदन मांगा था, परन्तु चूंकि वे मामले वित्तीय वर्ष 1998-99 की समाप्ति से पहले लागू नहीं हो सके थे, इन सांविधिक तथा लोक संस्थाओं को अतिरिक्त सहायता अनुदान, ऋण और निवेश जारी करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका था।

इस प्रकार ऐसा निर्गम, संसदीय वित्तीय नियंत्रण का संचालन करने वाले नियम का उल्लंघन है तथा नियमित करने की आवश्यकता है।

14.1 अतिरिक्त निर्मोचन से 'सेवा के नए साधन' के प्रावधानों का आकर्षित होना

वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के निर्णय संख्या 1 के अनुसार सांविधिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों को 10 लाख रु अथवा बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक अथवा 2 करोड़ रु जो भी कम हो, से अधिक का अतिरिक्त सहायता अनुदान अथवा/ और 20 लाख रु से 15 करोड़ रु. तक के अतिरिक्त निवेश/ऋण नई सेवा/ सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित करता है तथा इसमें संसद के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 28 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 94 मामलों में जैसा कि परिशिष्ट-XXIV में उल्लेख किया गया, यद्यपि यह निर्धारित सीमा पार हो चुकी थी, मंत्रालयों/ विभागों ने संसद का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया। तथापि, मंत्रालयों/विभागों ने उपरोक्त परिशिष्ट में दर्शाए गये क्रम संख्या 1 से 12, 14 से 23, 25 से 30, 32 से 58, 60 से 92 और 94 पर 89 मामलों में अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप में अतिरिक्त व्यय शामिल किया, जो केवल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लागू हुआ है। इस प्रकार, ऐसे निर्मोचन सीमा से अधिक बढ़ गए तथा 'सेवा के नए साधन' के प्रावधानों को आकर्षित किया है तथा नियमित करने की आवश्यकता है।

अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की अनपारित दूसरी खेप की गणना करने के बाद, भी कम से कम पांच मामले ऐसे थे जिनमें पांच मंत्रालयों/विभागों के संबंध में प्राधिकृत प्रावधान से अधिक व्यय ने 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' की सीमाओं को निम्नानुसार आकर्षित किया:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान	उप-शीर्ष/ संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक निर्गम	अधिक निर्गम	अभ्युक्तियां
1.	39-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	माडर्न खाद्य उद्योग लिमिटेड	-	0.80	0.80	अतिरिक्त निर्गम 10 लाख रु की सीमा से बढ़ गया।
2.	42- परिवार कल्याण विभाग	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	3.30	4.18	0.88	अतिरिक्त निर्गम बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गया।
3.	48- शिक्षा विभाग	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान- मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान)	2.24	2.82	0.58	अतिरिक्त निर्गम बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गया।
4.	58-श्रम मंत्रालय	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	11.71	16.07	4.36	अतिरिक्त निर्गम बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा अथवा 2 करोड़ रु, जो भी कम हो, से बढ़ गया।
5.	82-कपड़ा मंत्रालय	भारतीय जूट निगम	16.00	20.00	4.00	अतिरिक्त निर्गम 2 करोड़ रु की सीमा से बढ़ गया।

अध्याय XV : आवश्यकता के बिना अनुपूरक प्रावधान

1998-99 के दौरान प्राप्त अनुपूरक अनुदानों (सिविल) का विवरण निम्न प्रकार से था:-

(करोड़ रुपयों में)

भाग	दिसम्बर 1998 में प्राप्त
दत्तमत	
राजस्व	3329.45
पूँजीगत	43.15
कर्जे एवं पेशगियां	952.41
प्रभारित	
राजस्व	31.96
पूँजीगत	22.43
लोक ऋण	-
कर्जे एवं पेशगियां	10068.36
जोड़	14447.76
अनुदान/विनियोगों की संख्या	45

अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए परन्तु उपयोग नहीं किए गए

5 अनुदान

17 करोड़ रु

15.1 अनुपूरक अनुदान/विनियोग का अनुमान

यदि संस्वीकृत बजट में किसी सेवा के लिए एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई गई राशि उस वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष में किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक या अतिरिक्त संवितरण, जो उस वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित नहीं था, करने की आवश्यकता होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) की व्यवस्था के अनुसार अनुपूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना होता है।

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय को उपलब्ध साधनों या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने वाले साधनों को ध्यान में रखना होता है और निधियों की अतिरिक्त बजट मांगों का पूर्वानुमान करते हुए तथा अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय अपेक्षित सावधानी बरतनी होती

है। अनुपूरक मांगों का सहारा केवल अपवादात्मक एवं महत्वपूर्ण मामलों में ही लिया जाना चाहिए।

10वीं लोक सभा की लोक लेखा समिति ने किए गए व्यय अथवा वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय की समुचित तथा सूक्ष्म संवीक्षा किए बिना गलत ढंग से अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करने पर अपने 88वें प्रतिवेदन के पैरा 1.39 में भी टिप्पणी की थी।

15.1.1 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

5 अनुदानों में अनुपूरक अनुदान से अधिक अव्ययित निवल प्रावधान।

5 अनुदानों के 5 मामलों में, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, यद्यपि, अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में दिसम्बर 1998 में प्राप्त किए गए थे, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम हुआ था। इस प्रकार, 17 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान की समग्र राशि अनावश्यक सिद्ध हुई।

तालिका 15.1.1: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक अव्ययित प्रावधान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	राशि (करोड़ रु में)	* अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के कारण
राजस्व -दत्तमत			
1.	50 - सांस्कृतिक विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	मू. 301.20 अ. 6.41 वा.व्य. 297.49 अ.प्रा. 10.12	राज्य सरकार के माध्यम से खालसा पंथ का त्रिशतवर्षीय उत्सव मनाने, संग्रहालय पुस्तकालय और आगरा हैरीटेज फंड को अनुदान सहायता के संवितरण के लिए।
2.	63-खान मंत्रालय	मू. 292.03 अ. 6.48 वा.व्य. 279.17 अ.प्रा. 19.34	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।
3.	82-कपड़ा मंत्रालय	मू. 427.37 अ. 0.73 वा.व्य. 407.21 अ.प्रा. 20.89	हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु
4.	85- लोक निर्माण (शहरी एवं रोजगार मामले मंत्रालय)	मू. 618.25 अ. 1.60 वा.व्य. 537.89 अ.प्रा. 81.96	सउदी अरेबिया दूतावास के लिए प्लॉट न.ई.पी. 30 चाणक्यपुरी के अतिक्रमण को हटाने हेतु संवितरण को पूरा करने के लिए
5.	87-जल संसाधन मंत्रालय	मू. 547.28 अ. 1.77 वा.व्य. 492.79 अ.प्रा. 56.26	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।

मू.=मूल प्रावधान : अ = अनुपूरक प्रावधान : वा.व्य. = वास्तविक व्यय : अ.प्रा.=अव्ययित प्रावधान

चूंकि इन अनुदानों के अन्तर्गत संवितरण, मूल प्रावधान से कम था, अतः मंत्रालयों/विभागों को अधिक अनुपूरक प्रावधानों की राशियां प्राप्त करने के बजाए अनुदान के अन्दर अव्ययित प्रावधानों का पुनर्विनियोग करने के लिए सांकेतिक/तकनीकी अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने अपेक्षित थे तथा इस प्रकार अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

15.2 अनुपूरक मांग का अवास्तविक अनुमान

15.2.1 निम्नलिखित अनुदानों में, मंत्रालयों/विभागों ने मार्च 1999 में दूसरी अनुपूरक अनुदानों को प्राप्त करने का प्रयास किया जो कि संसद द्वारा किन्हीं तकनीकी कारणों से पास नहीं माने गए लेकिन इन अनुदानों के अन्तर्गत संवितरण पहले अनुपूरक प्रावधान के बाद की व्यवस्था के मुकाबले भी कम था।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल + प्रथम अनुपूरक (दिसम्बर 1998)	वास्तविक संवितरण	द्वितीय अनुपूरक मांग राशि (मार्च 99)
राजस्व-दत्तमत				
1.	9-उपभोक्ता मामलों का विभाग	मू. अ. 19.29 <u>9.00</u> 28.29	28.25	4.79
2.	50-सांस्कृतिक विभाग	मू. अ. 301.20 <u>6.41</u> 307.61	297.49	43.90
3.	67-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मू. अ. 5.44 <u>0.34</u> 5.78	5.76	1.44
4.	82-कपड़ा मंत्रालय	मू. अ. 427.37 <u>0.73</u> 428.10	407.21	5.03
5.	89-परमाणु ऊर्जा	मू. अ. 1088.82 <u>12.22</u> 1101.04	1096.03	17.75
पूंजीगत - दत्तमत				
6.	82-कपड़ा मंत्रालय	मू. अ. 567.69 <u>20.00</u> 587.69	587.52	16.71
7.	99-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	मू. अ. 208.16 <u>13.83</u> 221.99	221.62	0.34

मू.- मूल प्रावधान अ= अनुपूरक प्रावधान

15.2.2 निम्नलिखित मामलों में यद्यपि मार्च 1999 की अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों की द्वितीय खेप मांगी में गई एक बड़ी राशि, अतिरिक्त संवितरण जो कि ऐसी अनुपूरक अनुदान से पूरा किया जाना था, मांगे गए अनुदान से बहुत कम था जिससे पता चलता है कि अनुपूरक मांगों अवास्तविक तरीके से मांगी गई थी।

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग	अनुपूरक मांगों की द्वितीय खेप में मांगी गई अनुपूरक राशि (मार्च 1999)	वास्तव में किये गये अतिरिक्त/अधिक व्यय की राशि	वास्तव में उपयोग की गई अनुपूरक मांगों की प्रतिशतता
राजस्व-दत्तमत				
1.	13 – वाणिज्य विभाग	4734.00	2770.73	59
2.	37 – प्रत्यक्ष कर	9460.00	4738.25	50
3.	38 – अप्रत्यक्ष कर	4075.00	2617.33	64
4.	43 – गृह मंत्रालय	2037.00	1277.54	63
5.	56 – सूचना, फिल्म और प्रचार	440.00	87.64	20
6.	80 – सड़कें	4130.00	57.92	1.4
7.	95 – राज्यसभा	414.00	242.57	59
8.	96 – लोकसभा	1798.00	1108.69	62
राजस्व-प्रभारित				
9.	83 – शहरी विकास	244.00	41.59	17
10.	95 –राज्यसभा	4.00	1.88	47
पूंजीगत-दत्तमत				
11.	54 – भारी उद्योग विभाग	18000.00	6326.33	35
12.	87 – जल संसाधन मंत्रालय	351.00	64.22	18
पूंजीगत-प्रभारित				
13.	57-प्रसारण सेवाएं	85.00	19.81	23

उपर्युक्त से यह देखा जायेगा कि यदि द्वितीय खेप की अनुपूरक अनुदानों की मांगें कार्यान्वित की जाती तो अनुपूरक मांगों की राशि का बड़ा हिस्सा अनावश्यक हो जाता जो मंत्रालय/विभागों के पक्ष पर व्यय के नियंत्रण के संबंध में प्रबन्ध सूचना पद्धति की कमजोरी को दर्शाता है।

अध्याय-XVI : कुछ अनुदानों की समीक्षा

16.1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
(अनुदान संख्या 24)

16.1.1 प्रस्तावना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरणीय एवं वानिकी कार्यक्रमों की योजना, संवर्धन एवं समन्वय हेतु केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक प्रमुख संस्था है तथा वनस्पति, जीवजन्तु, वन एवं वन्यजीवन के संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण, वानिकी एवं अपक्षीण क्षेत्रों में पुनर्विकास तथा पर्यावरण के संरक्षण कार्यक्रमों में संलग्न है।

16.1.2 समग्र स्थिति

1996-99 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधान निम्नप्रकार थे।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1998-99	806.31	13.30	593.50	12.68	212.81	0.62
1997-98	630.79	7.80	490.03	7.80	140.76	-
1996-97	545.66	7.11	512.93	7.11	32.73	-

उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि मंत्रालय में अन्त तक निरन्तर बड़ी मात्रा में अव्ययित प्रावधान थे। अव्ययित प्रावधान 1996-97 में 6 प्रतिशत से बढ़ कर 1998-99 में 26 प्रतिशत हो गए जो मंत्रालय की अवास्तविक बजटीय पूर्वानुमान और योजनाओं-क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में शिथिलता का सूचक है।

16.1.3 भारी अव्ययित प्रावधान द्वारा प्रभावित योजनाएं/उपशीर्ष

जिन उपशीर्षों के अन्तर्गत भारी मात्रा में प्रावधान अव्ययित रहे, निम्नलिखित थे:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
मुख्य शीर्ष 2406 – वानिकी एवं वन्य जीवन					
1.	वन्य जीवन संरक्षण-अन्य योजनाएं	15.58	0.86	14.72	वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ पदों के सृजन की अस्वीकृति
मुख्य शीर्ष 3435- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
2	गंगा कार्य योजना चरण-I	8.73	2.50	6.23	गंगा कार्य योजना चरण-I के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति
3	शहरी पर्यावरण प्रबन्ध	2.00	--	2.00	सलाहकारों के मूल्यांकन को नहीं अपनाना
4	ताज सुरक्षा अभियान	38.00	--	38.00	स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब
5	जलीय प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण (उपकर)	55.80	40.58	15.22	विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जल उपकर के कम संग्रहण के कारण कम प्रतिपूर्ति करना
6	प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं	30.00	20.00	10.00	संवितरण वित्त समिति द्वारा योजना (स्वच्छ प्रौद्योगिकी नेटवर्क 8.00 करोड़ रु.) के एक संघटक की अस्वीकृति और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कटौती।
7	पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरणों की स्थापना	3.40	2.38	1.02	तमिलनाडु में प्राधिकरण का विलंब से कार्य प्रारम्भ करना और वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय कटौती
8	पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	7.20	2.79	4.41	संवितरण वित्त समिति द्वारा भारतीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी संवर्धन केन्द्र की परियोजना को अस्वीकृति
9.	हानिकारक तत्व प्रबन्धन	8.66	2.46	6.20	हानिकारक तत्व प्रबन्धन के विश्व बैंक प्रभारी के परिवर्तन के कारण मूल परियोजना प्रस्ताव के लिए वार्ता पूरी न होना

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
10.	भारतीय पर्यावरण प्रबन्धन क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना	36.00	9.92	26.08	सलाहकारों की नियुक्ति, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और उपस्करों की खरीद में विलंब के कारण योजना के कुछ संघटकों को प्रारंभ करने में विलम्ब
11.	भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थक कार्यक्रम	6.00	0.77	5.23	संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना द्वारा कुछ परियोजनाओं में निधि निवेश हेतु मार्गदर्शक सूत्रों में परिवर्तन
मुख्य शीर्ष 3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान					
12.	समग्र वनरोपण एवं पारिस्थितिकी-विकास परियोजनाएं	32.00	28.87	3.13	कुछ राज्यों से योजना के लिए 50:50 की बराबर की सहभागिता के बारे में पुष्टि की अप्राप्ति, राज्यों से उपयुक्त तकनीकी विस्तार परियोजनाओं की अप्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती
13.	बीज विकास संस्थाएँ	2.60	1.30	1.30	निधि वितरण प्रणाली को 50:50 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधि वितरण में रूपान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब तथा राज्यों से अयुक्त तकनीकी विस्तार परियोजनाओं की अप्राप्ति
14.	गंगा कार्य योजना चरण- II	163.00	86.00	77.00	निधि वितरण प्रणाली को 50:50 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधि वितरण में रूपान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब
15.	ईंधन चारा परियोजनाएं	40.00	27.00	13.00	राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रौद्योगिकी विस्तार परियोजनाओं की अप्राप्ति
16.	महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों के समीप पारिस्थितिकी विकास	52.13	26.78	25.35	राज्य सरकारों द्वारा निधि के उपयोग में धीमापन और नये पदों का असृजन

16.1.4 निरन्तर अव्ययित प्रावधान

निम्नलिखित योजनाओं की विस्तार पूर्वक जांच से 1996-99 के दौरान चिरस्थायी अव्ययित प्रावधान प्रकट हुए :-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	अव्ययित प्रावधान		
		(प्रतिशत बजट अनुमानों से अव्ययित प्रावधान का)		
		1996-97	1997-98	1998-99
1.	पर्यावरण आयोग तथा न्यायाधिकरण	1.00 (100%)	1.50 (100%)	1.00 (100%)
2.	हानिकारक तत्व प्रबंधन	3.14 (54)	10.58 (79)	6.30 (72)
3.	महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों के समीप पारिस्थितिकी विकास	31.54 (88)	6.60 (25)	39.60 (59)
4.	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	2.46 (3)	23.74 (26)	19.90 (22)

(क) पर्यावरण आयोग तथा न्यायाधिकरण

किसी हानिकारक तत्व की व्यवस्था करते समय होने वाली दुर्घटना तथा तत्सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए मंत्रालय प्रतिवर्ष एक पर्यावरण अभिकरण के गठन हेतु प्रावधान करता था। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई संवितरण नहीं किया गया। इस प्रकार उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। यह मंत्रालय द्वारा अवास्तविक बजट दर्शाता है क्योंकि यह किसी कार्य योजना की पहचान किए बिना प्रतिवर्ष प्रावधान करता रहा। आगे यह देखा गया कि मार्च 1999 तक भी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट प्रावधान	संवितरण	अव्ययित प्रावधान
1998-99	1.00	--	1.00
1997-98	1.50	--	1.50
1996-97	1.00	--	1.00

मंत्रालय ने बताया कि अव्ययित प्रावधान राष्ट्रीय पर्यावरण अभिकरण के अभी तक गठित न होने के कारण था।

(ख) हानिकारक तत्व प्रबन्धन

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना का उद्देश्य देश में आधुनिक एवं वहनीय हानिकारक व्यर्थ वस्तु प्रबन्ध के क्रियावन्धन में सहायता करना था। परियोजना के दो संघटक (i) औद्योगिक सुरक्षा आपदा रोकथाम परियोजना तथा (ii) हानिकारक व्यर्थ वस्तु प्रबन्ध परियोजना थे।

लेखाओं की जांच से यह प्रकट हुआ कि प्रतिवर्ष यहां निम्नलिखित अव्ययित प्रावधान थे:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट प्रावधान	संवितरण	अव्ययित प्रावधान
1998-99	9.16	2.86	6.30
1997-98	13.33	2.75	10.58
1996-97	5.80	2.66	3.14

प्रथम परियोजना के बारे में व्यावहारिक अध्ययन अभी जारी था जब कि द्वितीय परियोजना के बारे में अभी बातचीत होनी बाकी थी। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि प्रगति बहुत धीमी थी तथा निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए थे।

(ग) महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों के समीप पारिस्थितिकी विकास

योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के तटीय प्रान्तों में रहने वाले समुदायों को संरक्षण के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना तथा सुरक्षित क्षेत्रों के प्रभावित मण्डलों की पारिस्थितिकी उत्पादकता में सुधार करना था। योजना में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल थी, (i) सुरक्षित क्षेत्रों के समीप पारिस्थितिकी विकास, (ii) भारतीय पारिस्थितिकी विकास परियोजना (विश्व बैंक सहायता प्राप्त)। 1996-99 के दौरान योजना के वित्तीय परिव्यय निम्नलिखित थे:-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	क्रियाकलाप का नाम	1996-97			1997-98			1998-99		
		प्रावधान	वास्तविक आंकड़े	अव्ययित राशि	प्रावधान	वास्तविक आंकड़े	अव्ययित राशि	प्रावधान	वास्तविक आंकड़े	अव्ययित राशि
1	महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों के समीप पारिस्थितिकी विकास	4.60	3.81	0.79	5.95	5.00	0.95	8.00	6.34	1.66
2.	भारतीय पारिस्थितिकी विकास परियोजना	31.17	0.42	30.75	20.00	14.35	5.65	58.83	20.89	37.94
	जोड़	35.77	4.23	31.54	25.95	19.35	6.60	66.83	27.23	39.60

भारतीय पारिस्थितिकी विकास परियोजना, जोकि इस योजना का बाह्य सहायता प्राप्त संघटक था, को अक्टूबर 1997 में सात राज्यों के सात सुरक्षित क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृत किया गया। भारतीय पारिस्थितिकी विकास योजना की कुल लागत 67 मिलियन अमेरिकी डालर (294.93 करोड़ रु.) थी तथा इसको दिसम्बर 2001 तक पूरा किया जाना था। जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1996-99 के दौरान संवितरण केवल 35.66 करोड़ रु. था जबकि कुल परियोजना परिव्यय 294.93 करोड़ रु. था अपेक्षाकृत धीमा संवितरण प्रवाह ध्यान में रखते हुए यह संदेहास्पद लगता है कि यह परियोजना अपना उद्देश्य निर्धारित तिथि दिसम्बर 2001 तक निष्पादित कर पाएगी।

(घ) राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अगस्त 1992 में गठित किया गया, को अपक्षीण वन विहारों तथा सुरक्षित क्षेत्रों एवं पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देते हुए वनरोपण वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना तथा पूरे देश में पारिस्थितिकी विकास कार्यों की प्रोन्नति के लिए अधिकार प्राप्त था।

वर्ष 1996-99 के विनियोग लेखाओं तथा अभिलेखों की जांच से यह प्रकट हुआ कि इस शीर्ष के अन्तर्गत निरन्तर निम्नलिखित अव्ययित प्रावधान था :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट प्रावधान	संवितरण	अव्ययित प्रावधान
1998-99	92.35	72.45	19.90
1997-98	92.00	68.26	23.74
1996-97	90.00	87.54	2.46

निरन्तर भारी अव्ययित प्रावधान से यह संकेत मिलता है कि मंत्रालय परियोजना की प्रगति की परिवीक्षा ध्यान से नहीं कर रहा था। यह देखा गया है कि 1998-99 के दौरान दो बड़ी योजनाएँ, अर्थात् इंधन एवं चारा तथा संवर्धित पारिस्थितिकी विकास अपने लक्ष्यों की वस्तुगत उपलब्धि में बहुत पीछे थी। मंत्रालय ने भारी अव्ययित प्रावधानों का कारण राज्यों से किसी भी तकनीकी विस्तार परियोजना की अप्राप्ति बताया है।

16.1.5 निरन्तर आधिक्य

1996-99 के दौरान सामान्य बहिष्प्रवाही शोधन संयंत्र के संवर्धन के अन्तर्गत संवितरण वर्ष प्रति वर्ष बजट आंबटन से निम्नप्रकार अधिक था :-

(आधिक्य की बजट आंबटन से प्रतिशतता)

(करोड़ रु. में)

1996-97	1997-98	1998-99
23.61 (787%)	3.00 (100%)	10.72 (366.6%)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों में अधिक संवितरण की प्रतिशतता निधियों के आंबटन से 100 से 787 प्रतिशत के बीच रही जो अवास्तविक बजटीय उत्तरदायित्व का संकेत देती है।

16.1.6 अंधाधुंध संवितरण

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 के नीचे दी गई टिप्पणी 3 के अनुसार विशेषकर वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में किए जाने वाले भारी संवितरण वित्तीय नियमों का उल्लंघन है तथा इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत 1996-99 में जनवरी से मार्च के दौरान कुल संवितरण का 36 प्रतिशत से 66 प्रतिशत संवितरण निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत किया गया :-

(करोड़ रु. में)

मुख्य शीर्ष	कुल संवितरण	वर्ष की अन्तिम तिमाही में संवितरण	कुल संवितरण की तुलना में संवितरण की प्रतिशतता
1996-97			
2406- वानिकी तथा वन्य जीवन	96.86	42.15	44
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	196.86	130.03	66
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	214.87	116.92	54
1997-98			
2406- वानिकी एवं वन्य जीवन	104.12	37.23	36
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	173.86	85.14	49
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	206.50	87.77	43
1998-99			
2406- वानिकी एवं वन्य जीवन	140.50	58.52	42
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	176.14	98.11	56
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	270.29	115.90	43

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्ण टालने के उद्देश्य से संवितरण की एक बड़ी राशि 1996-99 में मार्च के दौरान संवितरण की गई। इन संवितरणों का शीर्षवार विवरण निम्नलिखित है :-

(करोड़ रु. में)

मुख्य शीर्ष	1996-97		1997-98		1998-99	
	कुल संवितरण	मार्च संवितरण/ प्रतिशतता	कुल संवितरण	मार्च व्यय/ प्रतिशतता	कुल संवितरण	मार्च संवितरण/ प्रतिशतता
2406- वानिकी एवं वन्य जीवन	96.86	25.28 (26%)	104.12	12.16 (12%)	140.50	41.30 (29%)
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	196.86	68.66 (35%)	173.86	46.70 (27%)	176.14	47.70 (27%)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	214.87	46.07 (21%)	206.50	65.41 (32%)	270.29	45.54 (17%)

चूंकि विभिन्न संगठनों के लिए मार्च में मुक्त की गई निधियां रचनात्मक रूप से वर्ष के दौरान व्यय नहीं की जा सकती, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि क्या निधियां उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गईं जिसके लिए यह प्राधिकृत की गई थीं।

16.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अनुदान संख्या 40 -स्वास्थ्य विभाग)

16.2.1 प्रस्तावना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तीन विभागों अर्थात्, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय औषधि पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग तथा परिवार कल्याण विभाग से बना है। स्वास्थ्य विभाग रोगों के नियंत्रण, व्याधिशामक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और परिवार कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुदान संख्या 40 - स्वास्थ्य विभाग

इस अनुदान में स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय तथा इसके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों, दिल्ली तथा इसकी परिधि में आने वाले तीन नगरों के अतिरिक्त 19 नगरों, केन्द्रीय अस्पतालों तथा चिकित्सालयों, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्रों, रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण सहित चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों सहित स्वास्थ्य संस्थाएं, खाद्य अपमिश्रण तथा मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल था।

16.2.2 समग्र स्थिति

पिछले 1996-99 के तीन वर्षों के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधानों की स्थिति निम्नलिखित थी :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान			
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	प्रतिशतता	पूंजीगत	प्रतिशतता
1998-99	1813.46	548.24	1605.45	296.24	208.01	21	252.00	46
1997-98	1486.53	504.44	1338.44	301.25	148.09	10	203.19	40
1996-97	1288.28	440.12	1165.28	374.51	123.00	10	65.61	15

उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि 1996 से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संकेत देने के बावजूद पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदानों के पूंजीगत और राजस्व अनुभागों के अन्तर्गत अव्ययिक प्रावधानों की राशि में तेजी से वृद्धि हुई है। राजस्व अनुभाग में अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता 10 से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई जबकि पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता 15 से बढ़कर 46 प्रतिशत, जो अवास्तविक बजट मान्यता और/या योजनाओं/कार्यक्रमों का विभागों/क्रियान्वयन संस्थाओं आदि द्वारा दोषपूर्ण क्रियान्वयन का संकेत देता है।

16.2.3 मार्च 1999 में अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 की टिप्पणी 3 के अनुसार विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन के माह में किए जाने वाला भारी संवितरण वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचना चाहिए। नमूना जांच से पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत कुल संवितरण का 21 से 70 प्रतिशत का अर्थात् कुल संवितरण का अधिकांश भाग मार्च 1999 में व्यय किया गया।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल संवितरण	मार्च 1999 में संवितरण	मार्च माह के दौरान संवितरण का प्रतिशत
1)	2210 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1309.77	279.58	21
2)	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	264.98	148.97	56
3)	3602 – संघशासित सरकारों को सहायता अनुदान	1.39	0.98	70
4)	4210 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	295.62	106.99	36

चूंकि स्वैच्छिक संगठनों, राज्यों/संघ सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्च में जारी की गई निधियों को वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से व्यय नहीं किया जा सकता, यह निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है कि इन निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य विशेष के लिये किया गया जिसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में निधियों का निर्गम त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा बजट अनुदान को व्यतीत होने से बचाने का विशेष रूप से संकेत देता था।

16.2.4 अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में प्रावधान है कि जैसे ही अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वज्ञान हो जाये वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही अथवा अन्तिम दिनों की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य के संभावित आधिक्य के लिए भी नहीं रोका जाना चाहिए। तथापि, उपरोक्त प्रावधान के विपरीत विभाग ने 343.42 करोड़ रु. की राशि वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की। यह भी प्रकट हुआ कि कुल 460.01 करोड़ रु. के अव्ययित प्रावधान में से केवल 343.42 करोड़ रु., जोकि कुल अव्ययित प्रावधान का 75 प्रतिशत था अभ्यर्पित किया गया।

16.2.5 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' पर संवितरण

इस प्रतिवेदन के अध्याय -xiv में सम्मिलित 'सेवा के नए साधन' के प्रावधानों को प्रभावित करने वाले 6 मामलों के नियमानुकूलन की आवश्यकता है।

16.2.6 भारी अव्ययित प्रावधान तथा आधिक्य

भारी अव्ययित प्रावधान तथा आधिक्य निम्नलिखित थे :-

(i) अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+अनु.)	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधान के लिए बताए गए कारण
2210 – चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य					
1.	अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुर्नस्थापना संस्थान, मुम्बई	4.66	3.23	1.43	वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं पर आर्थिक कटौती तथा वृत्तिका आदि के लिए कम आवेदन प्राप्त होना था
2.	कलावती सरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली	13.52	11.32	2.20	आपूर्ति तथा संभरण महानिदेशालय से आंतरिक दावों का प्राप्त न होना और फर्मों/पूर्तिकर्ताओं द्वारा पूर्ति आदेशों का निष्पादन न करना
3.	राज्य सरकारों के सहयोग से अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना	2.00	--	2.00	स्वैच्छिक संगठनों तथा राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण केन्द्रीय अनुदान जारी नहीं किया जाना तथा राज्य सरकारों द्वारा बन्धपत्र प्रस्तुत न करना तथा बराबर शेयर जारी न करना
4.	निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को आर्थिक सहायता	5.32	1.71	3.61	विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से जैसा कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्णीत था, भेजे गए दावों का कम मात्रा में प्राप्त होना
5.	अन्य कार्यक्रम	119.44	105.67	13.77	परिचर्या सेवाएं तथा एड्स कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रस्तावों का प्राप्त न होना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से होकर भेजने के बजाए निधियों को सीधा प्रसार भारती को दे देना तथा परिषदों आदि द्वारा निधियों के निर्गम की शर्तों को भी पूरा न करना
6.	राष्ट्रीय संक्रामक रोग	17.59	14.53	3.06	कार्यालयों/औषधालयों के दिन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+अनु.)	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधान के लिए बताए गए कारण
	संस्थान				प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए सामान/मद की कम खरीद और विश्व स्वास्थ्य संगठन से रसायन/अभिकर्मक की प्राप्ति के प्रस्ताव को अंतिम रूप न देना तथा वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों पर आर्थिक कटौती लागू करना।
7.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	53.88	23.19	30.69	वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं पर आर्थिक कटौती लागू करना, सलाहकारों की नियुक्ति न करना और जिला मलेरिया नियंत्रण संस्थाओं आदि को नगद अनुदान कम निर्गम करना
8.	रोहा तथा अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	49.79	39.33	10.46	जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण संस्थाओं द्वारा निधियों का कम उपयोग, सूचना, शिक्षा, संचार कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने/कार्यान्वयन में विलम्ब, तथा प्रशिक्षण आदि पर कम व्यय।
9.	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	20.85	11.94	8.91	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के लिए किराए पर आवास न लेना तथा वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक कटौती लागू करना।
10.	मुख्यालय में क्षय रोग एकांश (बाह्य सहायता प्राप्त संघटक)	4.00	1.09	2.91	प्रशिक्षण कार्यशालाओं इत्यादि जैसी क्रियाओं का आयोजन न करने के कारण सलाहकारों तथा अन्य तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति न करना
11.	जीवाणु विज्ञान प्रयोगशाला	17.68	12.34	5.34	नियमित पदों पर दैनिक मजदूरों को कम संख्या में लगाना, औषधालयों के लिए पूर्वानुमान से कम यंत्र-उपस्कर खरीदना और वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+अनु.)	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधान के लिए बताए गए कारण
					कटौती लागू करना
12.	अन्य योजनाएं	35.08	3.04	32.04	प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आयोजन न करना, सलाहकार तथा अन्य तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति न करना एवं प्रयोगशाला और जन्तु गृहों के निर्माण हेतु अनुबंध में विलंब
13.	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता	7.15	4.88	2.27	रिक्त पदों का न भरना, जर्नल और पुस्तकों की कम खरीद करना तथा आर्थिक कटौती
14.	राष्ट्रीय रोग सहायता निधि की स्थापना	5.00	2.50	2.50	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से वित्तीय सहायता के लिए कम मामले प्राप्त होना
15.	गरीबों को अस्पताल भर्ती होने पर व्यय में सहायता	23.00	5.00	18.00	राज्य सरकारों द्वारा रोग सहायता निधि की स्थापना न करना और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण पूर्वानुमान से कम केन्द्रीय सहायता निर्गम होना
16.	क्षमता निर्माण के लिए सहायता (नया)	5.00	--	5.00	वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक कटौती लागू करने के कारण सारा प्रावधान अप्रयोगिक रहा
17.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम(ग्रामीण)- सामान्य संघटक	116.22	101.34	14.88	वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक कटौती लागू करना
18.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी)	11.07	8.88	2.19	वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक कटौती लागू करना और निर्माणकर्ताओं एवं प्रयोगकर्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण टैम्पो की अधिप्राप्ति न होना
19.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायता प्राप्त संघटक)	71.00	17.42	53.58	अंतराष्ट्रीय विकास विभाग से वस्तु अनुदान के रूप में निशुल्क औषधियों की प्राप्ति के कारण क्षयरोगरोधी औषधियों की कम

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+अनु.)	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधान के लिए बताए गए कारण
					मात्रा में अधिप्राप्ति, विश्व बैंक की स्वीकृति से अधिप्राप्ति कार्य का विकेन्द्रीकरण और औषधीय भण्डार डिपों से सूचना की प्राप्ति न होने के कारण पुस्तक समायोजन के लिए स्वीकृति जारी न होना
20.	औषधि जांच सुविधाओं में वृद्धि (सामान्य संघटक)	1.50	--	1.50	वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों पर आर्थिक कटौती लागू करने के कारण सारा प्रावधान अप्रायोगिक रहा
21	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) (बाह्य सहायता प्राप्त संघटक)	105.00	19.79	85.21	वस्तुएं जिनके लिए भुगतान 31.3.99 को किया गया, का समायोजन न करना, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक कटौती लागू करना और प्राप्तकर्ता संस्थाओं आदि द्वारा औषधियों की प्राप्ति और पूर्ति में विलंब
22.	सूचना पद्धति एवं उनकी सूचना तथा आवलंबन प्रणाली में सुधार सहित औषधि नियंत्रण संगठन का दृढीकरण	1.50	--	1.50	वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर आर्थिक कटौती लागू किए जाने के कारण सारा प्रावधान अप्रायोगिक रहा।
23.	गरीबों को अस्पताल भर्ती होने पर व्यय में सहायता	2.00	0.50	1.50	संघ शासित सरकार, पांडिचेरी द्वारा रोग सहायता निधि की स्थापना न करना
24.	औषधीय भंडार डिपो	15.67	13.13	2.54	ट्रैसल तथा उच्च कौशल द्रव्य वरण के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिया जाना
25.	भारत तथा विदेशों में सामान की खरीद	151.00	46.06	104.94	स्वामित्व प्राप्त औषधियों पर प्रतिबन्ध लगने तथा सीमित अवधि, अर्थात् 40 दिन के लिए स्वामित्व प्राप्त औषधियों की खरीद की अनुमति मिलने के कारण औषधीय भण्डार की

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+अनु.)	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधान के लिए बताए गए कारण
					शब्दावली और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की नियम संहिता को अन्तिम रूप न मिलना
26.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामान तथा उपस्कर की बड़ी मात्रा में खरीद	35.00	20.44	14.56	क्रियाविधि की कठिनाई के कारण पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक द्वारा उपस्करों की पूर्ति न करना, तथा महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान द्वारा आपूर्ति उपस्करों के समायोजन बिलों की अप्राप्ति
27.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामान और उपस्करों की बड़ी मात्रा में खरीद	89.00	22.47	66.53	राज्यों को क्षयरोग रोधी औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए बजट बाद निर्णय लिया जाना कि वस्तु अनुदान के बजाए नकद अनुदान दिया जाय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा वस्तु अनुदान के रूप में क्षयरोग रोधी औषधियों की निःशुल्क पूर्ति करना और वाहनों और उपस्करों की अधिप्राप्ति का विकेन्द्रीकरण
28.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	230.61	166.15	64.46	आर्थिक कठौती तथा प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा औषधियों और दवाईयों की अधिप्राप्ति में विलंब तथा सूक्ष्मदर्शी यंत्रों, जिनके लिए म.नि. आपूर्ति एवं निपटान को मांग भेजी गई थी, की अधिप्राप्ति न होना

(ii) आधिक्य

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. +अनु.)	वास्तविक संवितरण	आधिक्य	विभाग द्वारा आधिक्य के लिए दिए गए कारण
1.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	209.00	222.74	13.74	बकाया की दूसरी किस्त का भुगतान करना, विभिन्न भत्तों की दरों में संशोधन होना, प्रदान दावों, लंबित देनदारियों का निपटान, चिकित्सा औषधियों आदि की मात्रा में वृद्धि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. + अनु.)	वास्तविक संवितरण	आधिक्य	विभाग द्वारा आधिक्य के लिए दिए गए कारण
2.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	67.00	72.57	5.57	बकाया की दूसरी किस्त का भुगतान करना, विभिन्न भत्तों की दरों में संशोधन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और अन्य को छोटे कामों आदि के लिए अधिक भुगतान
3.	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	41.72	43.92	2.20	बकाया की दूसरी किस्त का भुगतान करना, विभिन्न भत्तों की दरों में संशोधन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और अन्य को छोटे कामों के लिए अधिक भुगतान और उपस्करों के अनुरक्षण प्रभारों की दरों में वृद्धि
4.	अनुसंधान	122.82	127.07	4.25	बकाया की दूसरी किस्त का भुगतान करना, चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों के बढ़े हुए भत्ते और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को दी जाने वाली सहायता के पैटर्न में परिवर्तन
5.	शिक्षा	387.28	460.85	73.57	बकाया की दूसरी किस्त का भुगतान करना, चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के बढ़े हुए भत्ते मशीनरी और उपस्करों की खरीद और वस्तु/सेवाओं/लेखन सामग्री/डाक शुल्क/विद्युत/जल आदि की लागत में वृद्धि
6.	कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम	7.00	8.09	1.09	विभिन्न योजनाएं, जैसे अर्बुदशास्त्र खंड का विकास, बिहार के दो जिलों के लिए जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्याशा से अधिक प्रस्ताव की मंजूरी
7.	राष्ट्रीय रोहा और अंधापन नियंत्रण	17.00	26.00	9.00	उन सिविल निर्माण-कार्यों/क्रिया कलापों जिनमें परियोजना चलाए

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. +अनु.)	वास्तविक संवितरण	आधिक्य	विभाग द्वारा आधिक्य के लिए दिए गए कारण
	कार्यक्रम (विदेशी सहायता प्राप्त अवयव)				जा रहे राज्यों में विश्व बैंक द्वारा मध्यावधि समीक्षा के बाद तेजी लाई गई थी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निधियों की अतिरिक्त मांग

16.2.7 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान

16.2.7.1 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (रा.क्ष.नि.का.)

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से चलाया गया है और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोगों का जल्दी पता लगा लेना और जब तक पूरी तरह से उपचार न हो जाए प्रभावपूर्ण तरीके से उनका उपचार करना है। यह कार्यक्रम 446 जिला क्षयरोग केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। जिला क्षयरोग कार्यक्रम को राज्य में क्षय रोग क्रियाकलापों और जिला क्षयरोग कार्यक्रमों के प्रयत्न के समन्वयन के लिए राज्य स्तर के संगठनों द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। यह कार्यक्रम समाज को निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। यह योजना केन्द्र और राज्यों के क्षयरोग रोधी औषधियों और सामग्रियों की 50 : 50 साझेदारी पर आधारित थी। रा.क्ष.नि.का. का उद्देश्य बड़ी संख्या में क्षयरोग के मामलों का पता लगाना और उनका उपचार करना था। चूंकि इस योजना ने वांछित परिणाम नहीं दिए इसलिए कार्यक्रम की 1992 में समीक्षा की गई और संशोधित कार्यक्रम जिसमें विकिरण चिकित्सा विज्ञान के बजाय लार परीक्षण पर अधिक जोर दिया गया जिससे संक्रमित मरीजों की उपचार दर बढ़कर 85 प्रतिशत से ऊपर हो गई। यह योजना देश के 102 जिलों में 1997-98 से प्रारम्भ होकर तीन वर्षों के चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में विश्व बैंक से प्राप्त सुलभ कर्ज से क्रियान्वित की जा रही है। 1996-99 के दौरान योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधान निम्नलिखित थे।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	
			राशि	प्रतिशत
1998-99	213.20	90.86	122.34	57
1997-98	163.00	33.59	129.41	79
1996-97	85.22	32.39	52.83	62

उपर्युक्त से यह दर्शित है कि 1996-99 के दौरान यद्यपि योजना के अन्तर्गत प्रावधानों में तीव्र वृद्धि हुई लेकिन अव्ययित प्रावधानों में भी वृद्धि हुई। 1996-99 के दौरान अव्ययित प्रावधानों

में वृद्धि संस्वीकृत प्रावधान की तुलना में 57 से 79 प्रतिशत के बीच थी जोकि अतिआशावादी बजट अनुमान और एक ऐसे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शिथिलता का सूचक है जिसका ध्येय क्षयरोग जैसी महामारी को नियंत्रित करना है।

16.2.7.2 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक श्रेणी-II केन्द्रिय प्रवर्तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जोकि केन्द्र एवं राज्यों के बीच 50 : 50 की साझेदारी पर आधारित है। केन्द्र सरकार राज्यों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है जिसमें मलेरिया रोधी औषधियां और कीटनाशक शामिल है। योजना में 1977 में सुधार किया गया था और कार्य योजना मलेरिया से होने वाली विकृति और मृत्यु की रोकथाम/कमी के उद्देश्य से लागू की गई थी। उत्तर पूर्वी राज्यों को 1984 से 100 प्रतिशत नकद सहायता प्रदान की जाती है। बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधान निम्नलिखित थे:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	
			राशि	प्रतिशत
1998-99	519.09	321.43	197.66	38
1997-98	362.29	253.04	109.25	30

यह देखने में आया कि यद्यपि कि योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 में 156.80 करोड़ रु. बढ़ गए फिर भी 1998-99 के दौरान 197.66 करोड़ रुपये में बढ़े हुए अव्ययित प्रावधान के कारण वे निष्प्रभावी हो गए जोकि इस बात का सूचक है कि न केवल बजट अनुमान अधिक किया गया था बल्कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता भी थी।

16.2.7.3 रोहा तथा अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम

सन् 2000 तक नेत्रहीनता को 1.4 से 0.3 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1976 में पूरे देश में आरम्भ किया गया था। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम दो दीर्घ योजनाओं में उदाहरणार्थ, विद्यमान प्रणाली के निपुणता स्तर में सुधार करने तथा अवसंरचना, मानवशक्ति, नई प्रौद्योगिकियों तथा उपकरणों के सम्बन्ध में अतिरिक्त निवेश उपलब्ध करवाने के लिए लागू किया गया था। समाज के अभाव ग्रस्त वर्ग को स्थाई नेत्र देखभाल सुविधाओं तथा नेत्र शिविर अभिगम की स्थापना करके तत्काल राहत उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मोतियाबिंद नेत्रहीनता नियंत्रण परियोजना देश के सात राज्यों में अप्रैल 1994 से लागू की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान निम्न प्रकार थे:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	
			राशि	प्रतिशतता
1998-99	85.79	83.55	2.24	3
1997-98	94.70	60.88	33.82	36
1996-97	99.76	77.35	22.41	22

उपर्युक्त से स्पष्ट हुआ कि बजट अनुमान की वास्तविक मांग को लेखे में लिये बिना बनाए गए थे।

16.2.8 कम वसूलियां

अनुदान के लिए मांग संवितरण की सकल राशि, जैसे भण्डारों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली वसूली आदि जोकि भूत में प्रापण की गई है या वे संवितरण जो दूसरे विभागों या मंत्रालयों को हस्तांतरित किए गए हैं, के लिए होती है। जबकि विनियोग लेखापरीक्षा सकल संवितरण के साथ अनुदान की सकल राशि की तुलना करके की जाती है, वसूली में आधिक्य और कमियां वसूली के अयथार्थ आकलन और त्रुटिपूर्ण बजट पूर्वानुमान को सूचित करता है। इससे अंततः वित्त लेखे अंततः में सुसंगत सेवा शीर्ष के अंतर्गत अंतिम रूप से अंकित संवितरण की निवल राशि भी परिवर्तित होती है और इसके कारण निवल संवितरण में वृद्धि होती है।

पिछले तीन सालों की अनुदान संख्या 40-स्वास्थ्य विभाग के संबंध में विनियोग लेखे की नमूना जांच से वसूलियों में भिन्नता की निम्नलिखित प्रवृत्तियों का पता चला :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	भिन्नता	
			राशि	प्रतिशतता
राजस्व अनुभाग				
1998-99	45.00	33.47	11.53	26
1997-98	--	--	--	--
1996-97	46.00	28.90	17.10	37
1995-96	60.52	23.10	37.42	62
पूंजीगत अनुभाग				
1998-99	540.01	249.38	290.63	54
1997-98	482.74	287.25	195.49	40
1996-97	416.80	329.42	87.38	21

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनुदान के राजस्व अनुभाग में बजटीय अनुमानित वसूलियों से वास्तविक वसूलियों में भिन्नता की प्रवृत्ति थी फिर भी यह 1998-99 के दौरान 26 प्रतिशत तक ऊंची रही। अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में अनुमानित और वास्तविक वसूलियों में

भिन्नता की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। 1996-99 के दौरान 21 से 54 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि रही जोकि अयथार्थ आकलन और दोषपूर्ण बजट पूर्वानुमान का सूचक है।

16.3 परिवार कल्याण विभाग (अनुदान संख्या 42)

16.3.1 समग्र स्थिति

1996-99 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवम् अव्ययित प्रावधान निम्नलिखित थे :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1998-99	2927.31	0.20	2821.20	0.08	106.11	0.12
1997-98	2208.02	1.60	2153.53	0.05	54.49	1.55
1996-97	2021.76	1.35	1943.94	0.08	77.82	1.27

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि अनुदान के राजस्व अनुभाग में वर्ष प्रति वर्ष अव्ययित राशि में वृद्धि होती रही थी। विभाग द्वारा निरन्तर अधिक अव्ययित प्रावधान अवास्तविक बजट अनुमानों का सूचक है एवम् पिछले वर्षों के संवितरण की प्रवृत्ति ध्यान में रखने में वह असफल रहा है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1998 तथा 1999 की सं. 1 में निरन्तर भारी अव्ययित प्रावधानों की प्रवृत्ति के बारे में संकेत किया गया था लेकिन परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत भारी अव्ययित प्रावधानों से बचने के लिए विभाग द्वारा कोई भी उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

16.3.2 मूल उद्देश्य विफल करते हुए निधियों का भारी पुनर्विनियोग

विभाग ने मूल बजट प्रावधानों से महत्व को विचलित करते हुए भारी मात्रा में निधियों के पुनर्विनियोग का सहारा लिया जो बजटीय अनुमानों में कमियों का सूचक था। पिछले तीन वर्षों के दौरान शीर्षों से/को पुनर्विनियोजित राशि निम्न प्रकार थी:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान	शीर्ष को पुनर्विनियोग की गई राशि	कुल जारी की गई राशि
1998-99	250.00	200.00	450.00
1997-98	79.00	187.11	266.11
1996-97	---	61.43	61.43

उपर्युक्त ब्यौरों से यह देखने में आया कि विभाग दूसरी कल्याण योजनाओं से राज्यों को देय बकायों के भुगतान करने के लिये निधियों का पुनर्विनियोग करता रहा है। 1998-99 के दौरान किये गये पुनर्विनियोग के कुछ बड़े मामले निम्न प्रकार थे :-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष / उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन की राशि	अन्तिम प्रावधान
से				
मुख्य शीर्ष-“2211”-परिवार कल्याण				
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	13.00	6.50	6.50
2.	जनसांख्यिकी एवं अन्य संचार अनुसंधान	7.95	3.99	3.96
3.	जननीय एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	563.00	54.60	455.83*
4.	विधान मंडल के बिना संघ शासित प्रदेशों में व्यय	2.00	1.75	0.25
5.	मुख्यालय पर व्यय	2.00	1.47	0.53
6.	स्वायत्त निकायों/स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं के द्वारा परियोजनाएं	33.00	9.00	24.00
7.	परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	92.20	7.55	84.65
8.	अन्य मंत्रालयों में परिवार कल्याण कार्यक्रम	3.00	1.93	1.07
9.	निरोध का सामाजिक विपणन	70.00	16.91	53.09
10.	स्वयंसेवी संगठनों की अंतर्भावितता	8.17	3.85	4.32
11.	विशेषज्ञों/सम्मेलनों/सभाओं का भ्रमण	1.50	1.38	0.12
मुख्य शीर्ष “3601”-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान				
12.	जननीय एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	415.00	19.59	395.41
13.	परिवार कल्याण प्रतिपूर्ति	120.60	22.92	97.68
14.	परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	89.00	7.22	81.78
15.	परिवार कल्याण चयनित क्षेत्र परियोजनाएं (भारत जनसंख्या परियोजना को सम्मिलित करते हुए)	59.30	34.64	24.66
मुख्य शीर्ष “3602”-संघ शासित प्रदेश की सरकारों को सहायता अनुदान				
16.	जननीय तथा बाल स्वास्थ्य परियोजना	5.00	1.50	3.50
17.	परिवार कल्याण चयनित क्षेत्र परियोजनाएं (भारत जनसंख्या परियोजना को सम्मिलित करते हुए)	5.00	2.50	2.50
18.	परिवार कल्याण-निर्देशन तथा प्रशासन	2.50	1.75	0.75
को				

क्र. सं.	लेखा शीर्ष / उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन की राशि	अन्तिम प्रावधान
मुख्य शीर्ष "3601"-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान				
1.	परिवार कल्याण-अन्य अनुदान-बकाया	250.00	200.00	450.00

* 52.57 करोड़ रु. का अभ्यर्पण शामिल है।

16.3.3 मार्च माह के दौरान अन्धाधुंध व्यय

लेखापरीक्षा की नमूना जांच से यह पता चला कि मार्च 1999 में संवितरण 36 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक किया गया जो निम्नलिखित था :-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	कुल संवितरण	मार्च 1999 का संवितरण	मार्च में संवितरण का प्रतिशत
1.	2211-परिवार कल्याण	730.47	295.27	40
2.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2001.64	711.26	36
3.	3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	16.78	7.80	46

13-3-5 'नई सेवा/सेवा के नये साधन पर संवितरण

अन्तराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई को जारी 0.89 करोड़ रु. के अतिरिक्त अनुदान का 'सेवा के नये साधन' के प्रावधान को आकर्षित करने का एक मामला इस रिपोर्ट के अध्याय-XIV में शामिल किया गया है, जिसके नियमन की आवश्यकता है।

13-3-5 अव्ययित प्रावधान तथा आधिक्य के कारण निवल अव्ययित प्रावधान

1998-99 में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 310.54 करोड़ रु. का सकल अव्ययित प्रावधान अन्य शीर्षों में 204.31 करोड़ रु. के अधिक संवितरणों से प्रति संतुलित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 106.23 करोड़ रु. का निवल अव्ययित प्रावधान हुआ। प्रमुख अव्ययित प्रावधान के मामले नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	अव्ययित प्रावधान के कारण
1.	परिवार कल्याण-बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र में व्यय	2211	2.45	0.59	1.86	ई.एफ.सी. प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण विस्तार कार्यक्रमों का न शुरू किया जाना
2.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	2211	13.00	6.24	6.76	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
3.	जन सांख्यिकी एवं अन्य संचार अनुसंधान	2211	7.95	3.50	4.45	जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के विस्तार कार्यक्रमों को प्रारंभ न करना
4.	प्रजननीय एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	2211	563.00	448.83	114.17	परियोजना की धीमी प्रगति
		3601	415.00	395.31	19.69	
		3602	5.00	3.46	1.54	
5.	क्षतिपूर्ति	2211	2.00	0.04	1.96	समुदायिक प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन का न होना/देर से किया जाना
		3601	120.60	97.67	22.93	
		3602	1.40	0.91	0.49	
6.	चयनित क्षेत्रीय कार्यक्रम (भारतीय जनसंख्या परियोजना शामिल करते हुए)	2211	35.00	24.54	10.46	कम व्यवसायिकों को कार्य में लगाना, कम अध्ययन करना, बचत उपाय और परियोजना के लागत-संशोधन में देरी।
		3601	59.30	26.75	32.55	पिछले वर्ष से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अव्ययित शेष की उपलब्धता
		3602	5.00	2.50	2.50	
7.	परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	2211	92.20	87.39	4.81	नमूना विफलता के कारण फर्मों द्वारा कम आपूर्ति करना एवम् राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कम मांग करना
		3601	89.00	81.78	7.22	
8.	अन्य मंत्रालयों में परिवार कल्याण कार्यक्रम	2211	3.00	1.20	1.80	रेलवे और रक्षा मंत्रालयों से परिवार नियोजन सामग्री की कम मांग
9.	निरोध का सामाजिक विपणन	2211	70.00	50.97	19.03	वितरक कम्पनियों द्वारा कम मांग करना, भण्डारों की प्राप्ति न होना और

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	अव्ययित प्रावधान के कारण
						वितरकों द्वारा बिल प्रस्तुत न करना
10.	स्वैच्छिक संगठनों का शामिल होना	2211	8.17	3.93	4.24	स्वैच्छिक संगठनों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति, बचत संबंधी निर्देशों के कारण क्रियाकलापों में कमी तथा अमरीकी सहायता से क्रियान्वित पी.वी.ओ.एच. योजना का 1998-99 के दौरान समाप्त होना
11.	उत्तर प्रदेश के लिए परिवार कल्याण सेवा परियोजना का नवीकरण	2211	60.00	46.43	13.57	वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती करना और निर्देशचिन्ह निष्पादन के संवितरण पर प्रतिबंध लगाना।

16.3.6 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान

16.3.6.1 जनसांख्यिकी और अन्य संचार अनुसंधान

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनसंख्या अनुसंधान, जनसंख्या नियंत्रण, जनसांख्यिकी और समाज-जनसांख्यिकी सर्वेक्षण और जनसंख्या तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संचार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान हेतु भारत के 17 से अधिक प्रमुख राज्यों में फैले राष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में, 18 जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों (ज.अ. के.) की स्थापना की है। 1996-99 की अवधि में वास्तविक बजट प्रावधान, कुल संवितरण और अव्ययित प्रावधान निम्नलिखित थे :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
1998-99	7.95	3.50	4.45
1997-98	7.00	2.95	4.05
1996-97	4.35	2.74	1.61

अव्ययित शेषों से यह पता चलता है कि बजट प्रावधान पिछले वर्षों के संवितरण का पुनरावलोकन किए बिना किए गए थे।

16.3.6.2 चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित)

बाह्य निधिदाताओं जैसे विश्व बैंक, जनसंख्या क्रियाकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि, (ज.क्रि.सं. रा.नि.) विदेश विकास एजेन्सी और डानिडा जिसका उद्देश्य मातृ एवं बाल मृत्युदर तथा रूग्णता और जन्मदरों को घटाना है, की वित्तीय सहायता से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाई गई थी। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण और कार्यक्रम प्रबन्ध के माध्यम से मानव शक्ति की दक्षता को बढ़ाना है और सेवा देने के लिए संस्थागत भवनों का निर्माण, प्रशिक्षण तथा कर्मचारी आवास के निर्माण की ओर ध्यान देना है। पिछले तीन वर्षों की अवधि में बजट प्रावधान एवं संवितरण निम्नलिखित थे :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	
			राशि	प्रतिशतता
1998-99	120.00	74.49	45.51	38
1997-98	150.00	43.72	106.28	71
1996-97	190.00	186.16	3.84	2

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि हांलाकि बजट प्रावधान 1996-99 की अवधि में लगातार कम किया गया था लेकिन योजना के अन्तर्गत अब भी निरन्तर अव्ययित प्रावधान था। अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता जो 1996-97 में दो प्रतिशत थी, तीव्रता से बढ़ कर 1997-98 व 1998-99 में क्रमशः 71 और 38 प्रतिशत पहुंच गई यह न केवल अनुपयुक्त बजट अनुमानों को बल्कि योजना/विभाग के कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से न लेना भी सूचित करता था।

16.3.6.3 प्रजननीय और बाल स्वास्थ्य परियोजना

1997-98 से, बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व (बा.उ.सु.मा.) कार्यक्रम को प्रजननीय और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रजननीय मार्ग संक्रमण (प्र.मा.सं.) और यौन संचारित संक्रमणों के संघटकों को जोड़कर एकीकृत कर दिया था। सम्बन्धित कार्यक्रमों के बा.उ.सु.मा. कार्यक्रमों के साथ-साथ एकीकरण की प्रक्रिया 1994 में और मजबूत की गई, जब कैरो में जनसंख्या और विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ने अनुशांसा की कि भाग लेने वाले देशों को प्रजननीय और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए एकीकृत कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा महिलाओं व बच्चों की स्वास्थ्य अवस्था में सुधार करना था। वर्ष 1997-99 के दौरान योजना के अन्तर्गत अव्ययित प्रावधान निम्नलिखित थे :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
1998-99	983.00	847.60	135.40
1997-98	150.00	148.60	1.50

प्रजननीय और बाल स्वास्थ्य परियोजना शीर्ष के अन्तर्गत अव्ययित प्रावधान 1997-98 में 1.50 करोड़ रु था जो 1998-99 में 135.40 करोड़ रुपये हो गया।

16.4 ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (अनुदान संख्या 72 ग्रामीण विकास विभाग)

16.4.1 प्रस्तावना

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का मूल कार्य ग्रामीण गरीबी को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करना और ग्रामीण जनसंख्या के विशेष रूप से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, के जीवन स्वरूप में सुधार सुनिश्चित करना था। उद्देश्यों को विकास और कार्यान्वयन के कार्यक्रमों, जोकि ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से और आय सृजन से पर्यावरण आपूर्ण तक के क्रियाकलापों से सम्बन्धित है, को तैयार करके प्राप्त करने का प्रयास करना है।

मंत्रालय में निम्नलिखित तीन विभाग हैं :-

1. ग्रामीण विकास
2. ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन
3. बंजर भूमि विकास

निराश्रयों को पेयजल पूर्ति और सामाजिक सहायता का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के क्रियाकलापों का मुख्य अंग है। इसके अलावा विभाग सहायक सेवाएं और अन्य गुणवत्ता योगदान, जैसे कृषि विपणन का विकास, भूमि सुधार, राजस्व पद्धति में सुधार और भूमि अभिलेखों, पंचायतीराज संस्था, प्रशिक्षण और अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्यों का विकास आदि, गरीबी हटाने और रोजगार कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।

16.4.2 समग्र स्थिति

वर्ष 1994-99 के लिए ग्रामीण विकास के अनुदान में राजस्व अनुभाग के दत्तमत भाग के अन्तर्गत समग्र स्थिति जिसमें अनुपूरक अनुदान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित शेष सहित कुल प्रावधान दर्शाया गया है निम्न प्रकार से है :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
1998-99	2560.67	2434.88	125.79	123.27
1997-98	2216.20	2055.89	160.31	158.11
1996-97	2115.59	1817.51	398.08	396.22
1995-96	8268.18	7965.16	303.02	294.37
1994-95	7333.77	7333.16	0.61	1.63

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि इन वर्षों के दौरान निरन्तर भारी अव्ययित प्रावधान था। निरन्तर बढ़ी मात्रा में अव्ययित प्रावधान अवास्तविक बजट अनुमान और विभाग में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता का सूचक है।

16.4.3 अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

विनियोग लेखे की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि 1994-99 के दौरान पूरे पांच वर्षों में मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि को यह देखे बिना अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण किया कि संशोधित अनुमानों को जनवरी/फरवरी में प्रत्येक वर्ष संस्वीकृत कर दिया गया था।

16.4.4 अव्ययित प्रावधान तथा आधिक्य के कारण निवल अव्ययित प्रावधान

1998-99 में 132.84 करोड़ रूपये का सकल अव्ययित प्रावधान अन्य शीर्षों में 7.05 करोड़ रूपये के अधिक व्यय द्वारा प्रति संतुलित हो गया जिसके परिणामस्वरूप 125.79 करोड़ रूपये का निवल अव्ययित प्रावधान रहा। यही स्थिति 1997-98 और 1996-97 में भी थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सकल अव्ययित प्रावधान	अधिक संवितरण द्वारा अव्ययित प्रावधान की क्षतिपूर्ति	निवल अव्ययित प्रावधान
1998-99	132.84	7.05	125.79
1997-98	174.71	14.40	160.31
1996-97	426.90	28.82	398.08

भारी मात्रा में अव्ययित प्रावधानों के कुछ मामले निम्नानुसार थे :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित राशि	विभाग द्वारा बताए गए कारण
1998-99					
मुख्य शीर्ष - 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण					
1	निदेशन और प्रशासन-स्थापना	1.82	0.69	1.13	सम्बन्धित शीर्षों से विभिन्न राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्चों के कारण
2.	सूचना, शिक्षा और संचार	5.00	1.20	3.80	कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण
3	राष्ट्रीय मातृत्व हितकारी योजना - कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को सहायता	87.44	56.77	30.67	-वही-
मुख्य शीर्ष - 2435 -अन्य कृषि कार्यक्रम					
4.	बाजार सर्वेक्षण और अन्वेषण	5.89	4.60	1.29	रिक्त पदों को न भरना तथा वित्त पर अनिवार्य कटौती लागू करना
5.	एगमार्क वर्गीकरण सुविधाओं का सुदृढीकरण	8.41	7.09	1.32	लेबलों को कम छापना और मशीनों और उपस्करों की कम अधिप्राप्ति
मुख्य शीर्ष - 2515 -अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
6.	पंचायत राज-पंचायत विकास एवं प्रशिक्षण	1.75	0.54	1.21	कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण
7.	लाभ लोभियों का संगठन मुख्य शीर्ष - 3601 -राज्य सरकारों को सहायता अनुदान- केन्द्रीय योजना गत कार्यक्रमों के लिए अनुदान	3.50	1.75	1.75	-वही-
8.	विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	3.00	1.99	1.01	-वही-
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना गत कार्यक्रमों के लिए अनुदान					
9.	सूचना, शिक्षा तथा संचार	2.00	--	2.00	अन्तर्गत सिविकम सरकार को निधियों के निर्मोचन के बजट पश्चात् निर्णय के कारण
10	प्रबन्धन सूचना पद्धति और	8.00	--	8.00	-वही-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित राशि	विभाग द्वारा बताए गए कारण
.	कम्प्यूटरीकरण				
11	मानव संसाधन विकास	3.00	0.58	2.42	कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेषों को आगे ले जाने के कारण
12	मल व्यवस्था एवं स्वच्छता प्रबन्ध-स्वच्छता सेवाएं	95.35	61.84	33.51	-वही-
1997-98					
मुख्य शीर्ष - 2215—जलापूर्ति और स्वच्छता					
1.	सूचना, संचार शिक्षा	2.50	1.47	1.03	जलापूर्ति तथा स्वच्छता प्रबन्ध के लाभों पर विभिन्न माध्यमों से युक्त परियोजनाएँ तैयार न करने के कारण
2.	परिवीक्षण सूचना पद्धति और कम्प्यूटरीकरण	2.00	--	2.00	न्यायाधीन मामलों के कारण निविदाओं तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को अन्तिम रूप न दे पाना।
3.	लो.का.ग्रा.प्रौ.प्र.प. को सहायता	7.00	3.50	3.50	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यवहार्य परियोजनाओं की प्राप्ति न होने के कारण
4.	निदेशन एवं प्रशासन-स्थापना	1.82	0.73	1.09	दौरा क्रियाकलापों पर प्रत्याशा से कम संवितरण के कारण और मशीनरी तथा उपस्करों की खरीदारी न होने के कारण भी।
5.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना-कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता	445.64	386.27	59.37	बाद की किस्तें जारी करने की शर्तें पूरी न करने के कारण कम निधियों जारी
6.	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	159.65	117.58	42.07	-वही-
7.	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना-कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता	87.44	49.58	37.86	-वही-
मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
8.	लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् को अनुदान	12.00	6.00	6.00	भारत के नि.म.ले.प. द्वारा विपरीत निष्कर्षों के परिणामस्वरूप दूसरी और बाद की किस्तें जारी न करने और गैर सरकारी संगठनों से कम व्यवहार्य परियोजनाओं की प्राप्ति के कारण लो. का.ग्रा.प्रौ.प्र.प. से निधियों की कम मांग

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित राशि	विभाग द्वारा बताए गए कारण
					होने के कारण
9.	स्वैच्छिक योजनाएँ और सामाजिक कार्यवाही कार्यक्रम संवर्धन	10.01	1.55	8.46	कम व्यवहार्य परियोजनाओं की प्राप्ति के कारण लो.का.ग्रा.प्रौ.प्र.प. से निधियों की किस्तें जारी न करना
10	लाभभोगियों का संगठन	3.50	0.50	3.00	-वही-
मुख्य शीर्ष - 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान					
11	सूचना, शिक्षा एवं संचार	6.97	4.30	2.67	हाल ही में विकसित सॉफ्टवेयर कार्यक्रम राज्य सरकारों से पर्याप्त मात्रा में निधियाँ जारी करने के प्रस्तावों की अप्राप्ति
1996-97					
मुख्य शीर्ष - 2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता					
1.	लो.का.ग्रा.प्रौ.प्र.प. को सहायता	15.00	--	15.00	पिछले वर्ष में उपलब्ध कराए गए संसाधनों के कम उपयोग के कारण लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् से निधियाँ जारी करने के लिए प्रस्तावों की अप्राप्ति
2.	ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम-अनुसंधान	3.00	0.58	2.42	के कारण निधियों की मांग में कमी
मुख्य शीर्ष - 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
3.	निदेशन और प्रशासन	7.76	2.29	5.47	से प्रदर्शनी और प्रचार के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति
4.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना-कार्यान्वयन एजेन्सियों को सहायता	511.45	373.85	137.60	अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने के कारण
5.	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	266.09	107.32	158.77	-वही-
6.	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना-कार्यान्वयन एजेन्सियों को	145.74	67.58	78.16	-वही-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित राशि	विभाग द्वारा बताए गए कारण
	सहायता				
	मुख्य शीर्ष - 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान				
7.	मानव संसाधन विकास	7.00	5.76	1.24	मांग होने के कारण
8.	ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम-आर्थिक जनगणना-1996	15.00	--	15.00	सांख्यिकी विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न करना

16.4.5 अधिक संवितरण

राजस्व अनुभाग के प्रभारित भाग में किए गए 14.55 लाख रुपये के अधिक संवितरण, जिसे इस प्रतिवेदन के अध्याय-XI में शामिल किया गया है, के नियमन की आवश्यकता है।

16.4.6 निरन्तर अव्ययित प्रावधान

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कुछ योजनाएं जो अव्ययित प्रावधानों से अधिकतम प्रभावित थीं, निम्नानुसार थी :

16.4.6.1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.) 15 अगस्त 1995 को प्रारम्भ किया गया था। रा.सा.स.का. राज्य/सं.रा.क्षे. की सरकारों को उनके तीन संघटकों, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधि द्वारा लाभ प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। योजनाओं के 1996-99 के लिए बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधान निम्न प्रकार थे :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
1998-99	700.00	640.11	59.89
1997-98	700.00	559.42	140.58
1996-97	932.00	551.56	380.44

योजना के अन्तर्गत लगातार भारी मात्रा में अव्ययित प्रावधान यह दर्शाते हैं कि योजना के कार्यान्वयन में विभाग/कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से ढील थी तथा बजट अनुमान संवितरणों की प्रवृत्ति की पर्याप्त समीक्षा किये बिना बनाये गये थे।

16.4.6.2 केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

ग्रामीण सफाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रयासों को पूरा करना है। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना, महिलाओं के लिए गांव परिसर, नालियां तथा अन्य सफाई सुविधाएं शामिल है। योजना की वास्तविक प्रगति/कमी 1996-99 के लिए निम्नप्रकार है :-

वर्ष	स्वच्छ शौचालयों का वार्षिक लक्ष्य	निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
1998-99	1598322	580262	1018060	64
1997-98	1500157	749763	750394	50
1996-97	788173	464903	323270	41

कमी की प्रतिशतता 41 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत के बीच थी जो यह दर्शाती है कि योजना के कार्यान्वयन में विभाग की तरफ से ढील थी। 1997-99 के दौरान योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधान निम्नप्रकार थे :

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित शेष
1998-99	100.00	64.85	35.15
1997-98	100.00	96.67	3.33

16.4.7 वार्षिक लेखाओं और विनियोग लेखाओं के आंकड़ों का समाधान न किया जाना

वार्षिक लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं को देखने पर यह पता चला कि लेखा के दोनों सैटों के संवितरण आंकड़ों में व्यापक अन्तर था। कुछ मामले निम्नप्रकार है :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	योजनाएं	1998-99		1997-98		1996-97	
		वार्षिक रिपोर्ट	विनियोग लेखा	वार्षिक रिपोर्ट	विनियोग लेखा	वार्षिक रिपोर्ट	विनियोग लेखा
1.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	621	1612	864	1301	355	1095
2.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	429	640	443	559	307	552
3.	केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	42	65	61	97	-	-

लेखाओं के दो सैटों के आंकड़ों में अन्तर का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

16.4.8 उपयोग प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 150 के अनुसार अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र संस्वीकृतदाता प्राधिकारी द्वारा लेखा नियन्त्रक को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित होते हैं। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग समुचित रूप से तथा उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे तथा जहां अनुदान सशर्त जारी किए गए थे वहां निर्धारित शर्तें पूरी की गई थीं।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि 2328.67 लाख रुपये के उपयोग प्रमाणपत्र 15 सितम्बर 1997 को 25 जिला ग्राम विकास एजेंसियों से बकाया थे, जैसाकि नीचे दिया गया है :

(लाख रुपयों में)

सहायता अनुदान संस्वीकृत करने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम	अनुदान के संस्वीकृति की अवधि	संस्वीकृत		प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र		बकाया	
		जि.ग्रा. वि.ए. की संख्या	राशि	जि.ग्रा.वि. ए. की संख्या	राशि	जि.ग्रा. वि.ए. की संख्या	राशि
ग्रामीण विकास मंत्रालय	1997-98	513	54502.53	490	52307.36	23	2195.17
	1996-97	506	42158.11	504	42024.61	2	133.50

उपयोग प्रमाणपत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे।

16.4.9 मार्च के दौरान अंधाधुंध संवितरण

विभाग द्वारा मार्च 1997, मार्च 1998 तथा मार्च 1999 के मास में भारी राशियां जारी की गई थी जो निम्नप्रकार हैं :

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान और मुख्य शीर्ष	कुल संवितरण	मार्च में किया गया संवितरण	मार्च के दौरान संवितरण की प्रतिशतता
1996-97				
1.	2435 – अन्य कृषि कार्यक्रम	55155	25308	46.00
2.	2506 – भूमि सुधार	1442	238	16.50
3.	2515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	18	7	38.88

4.	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	4380	1411	32.21
5.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	90487	16674	18.42
1997-98				
अनुदान संख्या.71 ग्रामीण विकास विभाग				
1.	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	55783.9 7	17309.4 2	31.03
2.	2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	1735.8	384.25	22.14
3.	2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2257.61	335.27	14.85
1998-99				
1.	2506 - भूमि सुधार	73.44	9.34	13.30
2.	2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5379.48	1670.65	31.42

चूंकि स्वैच्छिक संगठनों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा अन्य संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्च में जारी की गई निधियों को वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं किया जा सकता, यह निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है कि इन निधियों का उपयोग वर्ष के

दौरान उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये उपलब्ध करवाई गई थी। वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में निधियों का निर्गम त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन का संकेत देता था।

16.5 कपड़ा मंत्रालय (अनुदान संख्या 82)

16.5.1 प्रस्तावना

मंत्रालय घरेलू खपत तथा निर्यात के लिए उत्पादन, वितरण और हथकरघों, बिजलीकरघों पर तथा मिलों में उत्पादित सभी प्रकार के कपड़ों, जिसमें सूती, ऊनी, जूट, सिल्क, कृत्रिम आदि शामिल हैं, के विकास से सम्बन्धित नीतियों को बनाने के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय बने बनाए वस्त्रों, हस्तशिल्प तथा रेशम और लघुकोशिका युक्त रेशा उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग के लिए भी उत्तरदायी है। मंत्रालय उद्योगों के तकनीकी उपयोगिता के महत्व को मॉनीटर करता है, पुर्नवास और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक नीतिगत ढांचा प्रदान करता है, क्रियाकलापों में समन्वय करता है तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

16-5-2 समग्र स्थिति

1994-99 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित राशि की समग्र स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1998-99						
दत्तमत	428.10	587.69	407.21	587.52	20.89	0.17
प्रभारित		6.00	--	5.99	--	0.01
1997-98						
दत्तमत	450.45	680.42	407.23	668.45	43.22	11.97
प्रभारित	--	6.00	--	6.00	--	--
1996-97						
दत्तमत	550.25	478.60	459.24	476.33	91.01	2.27
प्रभारित	0.50	3.00	0.50	3.00	--	--
1995-96						
दत्तमत	614.25	364.04	500.08	355.97	114.17	8.07
प्रभारित	--	--	--	--	--	--
1994-95						
दत्तमत	716.61	235.90	475.23	220.62	241.38	15.28
प्रभारित	--	13.00	--	8.01	--	4.99

उपर्युक्त से, यह देखा गया है कि सभी वर्षों के दौरान राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत अव्ययित राशियां थी, यद्यपि वर्षों के दौरान स्थिति में सुधार हुआ है।

16.5.3 अव्ययित राशि और आधिक्य के कारण निवल अव्ययित प्रावधान

अनुदान के राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अन्तर्गत 1998-99 में 31.75 करोड़ रु. का सकल अव्ययित प्रावधान दूसरे शीर्षों के अन्तर्गत 10.86 करोड़ रु. के अधिक संवितरणों से आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 20.89 करोड़ रु. का निवल अव्ययित प्रावधान रहा। प्रमुख अव्ययित प्रावधान/अधिक व्यय के कुछ मामले नीचे दिए गए हैं :-

(क) वे मामले जिनके अन्तर्गत बड़ी राशि अव्ययित रही :-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2851 – ग्राम और लघु उद्योग					
1.	हथकरघा विकास	12.59	10.65	1.94	आर्थिक उपायों के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा योजना परिव्यय में कटौती करने के कारण
2.	बुनकर सेवा केन्द्र	13.12	11.08	2.04	रिक्त पदों को न भरना और बुनकरों के प्रशिक्षण पर कम संवितरण के कारण
3.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम/पुनर्वास उद्योग निगम को हथकरघा कपड़ों के विक्रय पर विशेष छूट/एमडीए	1.00	-	1.00	अप्रैल 1998 में योजना की समाप्ति के कारण
4.	अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी सोसायटी लि. को हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर विशेष छूट/एम डी ए	2.90	0.10	2.80	-वही-
5.	हथकरघा निर्यात विकास के लिए योजना	5.00	3.35	1.65	आर्थिक उपायों के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा योजना परिव्यय में कटौती
6.	प्रशिक्षण और विस्तार	29.24	27.69	1.55	-वही-
7.	डिज़ाइन और तकनीकी विकास	7.63	5.92	1.71	-वही-
2852 – उद्योग					
8.	कपड़ा आयुक्त	9.00	7.92	1.08	आर्थिक उपायों और रिक्त पदों को न भरने के कारण
9.	अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	34.04	33.00	1.04	आर्थिक उपायों के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
					मंत्रालय के योजना परिव्यय में कटौती
10.	कपड़ा मजदूर पुनर्वास योजना	16.24	14.85	1.39	गुजरात सरकार द्वारा पुनर्वास मामलों को अन्तिम रूप न दिया जाना
11	कपड़ा आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति	1.00	-	1.00	आर्थिक उपायों के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के योजना परिव्यय में कटौती
3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान					
12.	हथकरघा बुनकरों के लिए परियोजना पैकेज योजना	36.80	32.08	4.72	-वही-
	“4851” – ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
13.	गलीचा प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भवन	1.08	-	1.08	-वही-

(ख) उप-शीर्ष/योजनाएं जिनके अन्तर्गत बजट प्रावधान की तुलना में काफी अधिक व्यय हुआ, यद्यपि निधियां अन्य शीर्षों से मान्य पुनर्विनियोग द्वारा भी उपलब्ध कराई गई थी।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल (मू. और अनु.) प्रावधान	वास्तविक संवितरण	आधिक्य	मंत्रालय द्वारा आधिक्य के लिए बताए गए कारण
2851-हथकरघा उद्योग					
1.	संवर्धक और विकास क्रियाकलाप	0.75	1.82	1.07	भवन के अनुरक्षण के लिए गलीचा प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता के कारण
2.	अनुसंधान और विकास	1.50	2.67	1.17	न्यायाधीन मामलों को निपटाने तथा वेतन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल (मू. और अनु.) प्रावधान	वास्तविक संवितरण	आधिक्य	मंत्रालय द्वारा आधिक्य के लिए बताए गए कारण
					और भत्तों के बढ़े हुए संवितरण के कारण
2852 – उद्योग					
3.	वस्त्र पर उप-कर से प्राप्त संग्रह में से वस्त्र कमेटी को भुगतान	10.00	12.00	2.00	पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की वजह से बकाया की दूसरी किश्त के भुगतान करने के लिए दायित्व निपटान के कारण
4.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान	मू. 5.30 अनु. 0.73 ----- 6.03 -----	10.73	4.70	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए ज्यादा आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के कारण
“6851-ग्राम और लघु उद्योग के लिए कर्जे					
5.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लि.	0.50	2.38	1.88	नकद नुकसानों की प्रतिपूर्ति के कारण
6860-‘उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्जे					
6.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम	मू. 380.00 अनु. 20.00 ----- 400.00 -----	408.00	8.00	रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को उनके कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन का भुगतान करने में सक्षम करने के लिए ज्यादा कर्जे संस्वीकृत करने के कारण
7.	राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम	60.00	104.11	44.11	-वहीं-

16.5.4 अवास्तविक बजट

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 के परिशिष्ट-3 में शामिल निर्देशों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों की संवितरण प्रवृत्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए

मितव्ययी जैसे अन्य सुसंगत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित होते हैं।

विनियोग लेखाओं की समीक्षा से यह प्रकट होता है कि निम्नलिखित उप-शीर्षों में समग्र प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जो मंत्रालय में अधिक आशावादी बजट प्रवृत्ति को सूचित करता है।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोजित राशि	पुनर्विनियोग की प्रतिशतता
	2851-ग्राम और लघु उद्योग			
1.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम/पुनर्वास उद्योग लि. को हथकरघा कपड़ों के विक्रय पर विशेष छूट/एम डी ए	1.00	1.00	100
2.	अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारिता सोसाइटी लि. को हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर विशेष छूट/एम डी ए	2.90	2.80	96
3.	राष्ट्रीय संघीय औद्योगिक सहकारिता सोसाइटी को हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर विशेष छूट/एम डी ए	0.10	0.10	100
4.	हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए अनुदान	0.11	0.11	100
	2852-उद्योग			
5.	सूती प्रौद्योगिकी मिशन	0.79	0.79	100
6.	जूट अन्तर्राष्ट्रीय को योगदान	0.66	0.66	100
	4851-ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
7.	गलीचा प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भवन	1.08	1.08	100

क्रम संख्या 1,3,4,5,6 तथा 7 के मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। क्रम संख्या 1 तथा 2 की योजनाएं 1 अप्रैल 1998 से बन्द कर दी गई थीं।

16.5.5 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

मांग संख्या 82 के अन्तर्गत 1998-99 में व्यय बजट खण्ड II के टिप्पण 17 के अनुसार ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन और इसकी दो नियन्त्रित कम्पनियों एलगिन मिल्स और कानपुर

टैक्सटाइल्स - के कर्मचारियों के अन्तिम भुगतान को निपटाने के लिए 100 करोड़ रु. का एकमुश्त प्रावधान किया गया था। 31 मार्च 1999 के पुनर्विनियोग आदेश के अनुसार सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए और जो संसद को सूचित किया गया था के अलावा दूसरे निगमों को 100 करोड़ रु. के अन्तिम लाभ के एकमुश्त प्रावधान का निम्न प्रकार से पुनर्विनियोग किया गया है :-

(करोड़ रुपयों में)

i)	राष्ट्रीय वस्त्र निगम	21.93
ii)	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम	27.40
iii)	भारतीय जूट निगम	4.00
iv)	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम	1.99

यह संसद द्वारा पारित बजट में किए गए प्रावधान के विपरीत है।

16.5.6 'नई सेवा/सेवा के नए साधन पर संवितरण

सेवा के नये साधन के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले दो मामले इस प्रतिवेदन के अध्याय-XIV में शामिल किए गए हैं।

16.5.7 निरन्तर अव्ययित प्रावधान

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-99 के दौरान निम्नलिखित उप-शीर्षों/योजनाओं में निरन्तर अव्ययित प्रावधान हुआ।

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष/ योजनाएं	अव्ययित प्रावधान		
		1996-97	1997-98	1998-99
मुख्य शीर्ष 2851				
1.	हथकरघा उद्योग हथकरघा विकास	52.61 (29%)	689.33 (38%)	193.61 (15%)
2.	हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान	39.67 (14%)	49.19 (17%)	35.52 (11%)
3.	डिज़ाइन और तकनीकी विकास	97.58 (23%)	300.40 (43%)	171.38 (22%)

11 और 43 प्रतिशत के बीच निरन्तर अव्ययित प्रावधान यह दर्शाता है कि बजट अवास्तविक रूप से तैयार किया गया था।

16.5.8 निधि के पुनर्विनियोग के बिना अधिक संवितरण

सामान्य वित्तीय नियमावली में नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबन्ध 'क' के प्रावधान के अनुसार लेखा कार्यालयों के कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि किसी उप-शीर्ष अथवा विनियोग की प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में जहां वर्तमान प्रावधान भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है वहां भुगतान एवं लेखा कार्यालय अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल लिखित रूप में यह आश्वासन प्राप्त होने पर भुगतान कर सकता है कि पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके संवितरणों को समायोजित करने के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था की जाएगी।

मंत्रालय के वर्ष 1998-99 के लिए अनुदान संख्या 82 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि भुगतान तथा लेखा कार्यालयों ने निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान से काफी अधिक मात्रा में भुगतान किया।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	पुनर्विनियोग के बिना निवल संवितरण
1.	2852-08-202-09 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान	मू. 5.30 पु. 0.73	10.73	4.70

16.5.9 मार्च में अत्यधिक संवितरण

निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 1999 में कुल संवितरण का बड़ा भाग संवितरित किया था।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल संवितरण	मार्च के दौरान संवितरण	कुल संवितरण के प्रति मार्च में हुए संवितरण की प्रतिशतता
	राजस्व अनुभाग			
1.	“2851”ग्राम एवं लघु उद्योग	178.04	33.67	19
2.	“2852”उद्योग	127.97	48.67	38
3.	“3453” विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	1.73	1.52	89

4.	“3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	94.18	44.07	47
5.	“3602”संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान	1.00	0.40	40
पूंजीगत अनुभाग				
6.	“4851”ग्राम तथा पर पूंजीगत परिव्यय	6.58	2.76	42
7.	“6851” हेतु ऋण	3.81	2.08	55

चूंकि संसद, संवितरण को उसी वित्तीय वर्ष में करने के लिए अनुमोदित करती है जिससे वह संबंधित होता है न कि आने वाले वर्षों के लिए, विभिन्न संगठनों, राज्य/संघशासित सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्च में जारी निधियों की बड़ी राशि, उसी वर्ष में रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती। वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में निधियों का जारी किया जाना त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन का सूचक था।

16.5.10 अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित विवरणानुसार 1998-99 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण किया।

वर्ष	सं.अ. के अनुमोदन की तिथि	अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण की तिथि
1998-99	18.1.1999	15.3.1999
1997-98	2.2.1998	31.3.1998
1996-97	28.1.1997	31.3.1997
1995-96	19.1.1996	31.3.1996
1994-95	19.1.1995	31.3.1995

16.5.11 उपयोग प्रमाणपत्र

संस्वीकृतिदाता प्राधिकारियों द्वारा अनुदानों का उपयोग प्रमाण पत्र संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग में लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

1997-98 तक जारी किए गए 19.64 करोड़ रु. की राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र 30 सितम्बर 1999 तक बकाया थे।

16.6 परमाणु ऊर्जा विभाग

(अनुदान सं. 89 तथा 90 परमाणु ऊर्जा तथा नाभिकीय विद्युत योजनाएं)

16.6.1 प्रस्तावना

परमाणु ऊर्जा विभाग का उद्देश्य विविध अनुप्रयोगों हेतु परमाणु ऊर्जा को कवच प्रदान करना है, जो स्वावलम्बन पर बल देने के साथ, देश के विकास तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान करते हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत पांच अनुसंधान तथा विकास इकाइयां, चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, तीन औद्योगिक इकाइयां तथा तीन सेवा संगठन हैं। यह सात स्वायत्त अनुसंधान संस्थाओं तथा एक समिति को सहायता अनुदान द्वारा पोषित करता है।

16.6.2 समग्र स्थिति

1994-99 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) की अनुदान संख्या 89 तथा 90 (परमाणु ऊर्जा एवं नाभिकीय विद्युत योजनाएं) में प्रावधान तथा संवितरण निम्न प्रकार था :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुदान सं. 89 परमाणु ऊर्जा				अनुदान सं. 90 नाभिकीय विद्युत योजना			
	कुल प्रावधान/ विनियोग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पण	कुल प्रावधान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पण
1998-99	1858.81	1800.70	58.11	47.89 (10.22)	2149.28	1992.8 7	156.41	126.81 (29.60)
1997-98	1584.03	1493.46	90.57	41.01 (49.56)	1484.18	1415.3 4	68.84	27.00 (41.84)
1996-97	1270.48	1258.67	11.81	3.81 (8.00)	1012.77	1005.4 4	7.33	6.04 (1.29)
1995-96	1271.96	1170.45	101.5 1	87.50 (14.01)	816.01	789.79	26.22	25.76 (0.46)
1994-95	1234.45	1131.26	103.1 9	87.97 (15.22)	734.63	567.07	167.56	101.54 (66.02)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े अभ्यर्पित न की गई राशि दर्शाते हैं)

उपर्युक्त से यह देखा जायेगा कि विभागों के पास प्रत्येक वर्ष भारी अव्ययित प्रावधान था।

16.6.3 अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

1994-99 के दौरान सभी अभ्यर्पण 15 तथा 29 मार्च के बीच किये गए थे। 1998-99 के दौरान अनुदान सं. 89 तथा 90 के सम्बन्ध में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दर्ज किये गए कुल

58.11 करोड़ रु. तथा 156.41 करोड़ रु. के अव्ययित प्रावधान में से विभाग ने 24 मार्च 1999 को केवल 174.70 करोड़ रु. का ही अभ्यर्पण किया।

भारी मात्रा के अव्ययित प्रावधान, अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब तथा सम्पूर्ण अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण करने में विफलता वित्तीय प्रबन्ध की कमियों को दर्शाती हैं।

विभाग ने अगस्त 1999 में बताया कि भविष्य में अभ्यर्पण यथाशीघ्र करने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

16.6.4 विशिष्ट शीर्षों के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान

अनुदान में अव्ययित प्रावधान यह दर्शाते हैं कि संवितरण अनुमान, प्रत्याशा तथा योजना के अनुसार नहीं किया जा सका। ये त्रुटिपूर्ण बजट बनाने अथवा परिस्थितियों तथा उद्देश्य, जिसके लिए मूल अनुदान/विनियोग उपलब्ध करवाया गया था, पर निर्भरता के कारण निष्पादन में कमी के द्योतक हैं।

लोक लेखा समिति (आठवीं लोक सभा) द्वारा 147 वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के क्रम में वित्त मंत्रालय ने फरवरी 1990 में यह अनुदेश दिए कि प्रत्येक उपशीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमान तैयार करने में अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वास्तविक व्यय में संस्वीकृत प्रावधानों से भारी अन्तर न हो। लोक लेखा समिति ने फरवरी 1994 में दसवीं लोक सभा को प्रस्तुत किए गए 60 वें प्रतिवेदन के पैरा सं. 1.24 में पुनः संस्वीकृत प्रावधानों की तुलना में अव्ययित प्रावधान में तीव्र वृद्धि के बारे में प्रतिकूल टीका टिप्पणी की थी।

प.उ.वि. के विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि अनुदान सं. 89 तथा 90 के चार उपशीर्षों में निरन्तर अव्ययित प्रावधान दर्ज किए गए थे, जहां अव्ययित प्रावधान एक करोड़ रु. से अधिक तथा संस्वीकृत प्रावधान के 17 तथा 99 प्रतिशत के बीच था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका 16.6.4 निरन्तर अव्ययित प्रावधान के मामले दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	अव्ययित प्रावधान (अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता)			1998-99 में अव्ययित प्रावधान के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण
		1996-97	1997-98	1998-99	
	अनुदान संख्या-89-परमाणु ऊर्जा				
1.	3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान-विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थान/समितियों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता	2.23 (17%)	3.40 (23%)	5.50 (26%)	संस्थाओं से मांगे गए आंकड़े प्राप्त न होने के कारण
2.	5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय-अन्य आवासीय योजना	2.21 (85%)	1.49 (70%)	2.94 (76%)	वित्तीय संस्वीकृतियों की अप्राप्ति, अनुमानों के तैयार करने के विलम्ब, भूमि की खरीद को कार्यरूप न मिलने इत्यादि के कारण
	अनुदान संख्या 90-नाभिकीय विद्युत योजनाएं				
3.	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-कलपक्कम में व्यर्थ वस्तु निष्क्रिय संयंत्र	2.83 (33%)	1.62 (29%)	1.17 (16%)	बड़े निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण
4.	4801-नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए अतिरिक्त क्रमोन्नयन सुविधा	2.82 (64%)	4.35 (72%)	14.79 (99%)	नौकावरोध के कारण मशीनरी तथा उपकरण की अधिप्राप्ति में विलम्ब, आपूर्तियों तथा सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब एवं सिविल तथा समवर्गी कार्यों में परिणामित विलम्ब के कारण

निरन्तर अव्ययित प्रावधान से अपर्याप्त परिवीक्षण प्रणाली तथा अवास्तविक अनुमानों का पता चला।

विभाग ने अगस्त 1999 में बताया कि इसने सम्बद्ध परियोजना प्राधिकारियों के साथ पहले ही गम्भीरता से मामला उठा लिया था तथा यथार्थ पुनरीक्षण करने एवं आगे बजट बनाने पर वास्तविक अभिगम हेतु आवश्यक महत्व देने के लिए अनुरोध किया गया था।

16.6.5 अनुपूरक अनुदानों की परिहार्य मांग

यदि वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए संस्वीकृत बजट में उपलब्ध करवाई गई राशि उस वर्ष में उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाई जाए अथवा उस वर्ष के लिए मूल बजट में शामिल न की गई सेवाओं पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त संवितरण की आवश्यकता पड़े तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधान के अनुसार अनुपूरक अनुदान लेना पड़ता है।

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को उपलब्ध अथवा वर्ष के दौरान उपलब्ध होने वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा निधियों की अतिरिक्त बजटीय मांग के पूर्वानुमानों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अनुपूरक बजट का सहारा केवल विशेष तथा अत्यावश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए।

वर्ष 1998-99 के लिए अनुदान सं. 89(परमाणु ऊर्जा) के विनियोग लेखे की नमूना जांच से यह पता चला कि निम्न लिखित उप-शीर्षों के सम्बन्ध में विभाग ने अनुदान विवरण में अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से मूल प्रावधान के संवर्धन का संकेत दिया था। तथापि जब अनुपूरक अनुदान के लिए मांग कार्यान्वित नहीं हुई तब विभाग ने मई 1999 में संशोधन के माध्यम से अनुदान विवरण में दर्शाए गए अनुपूरक अनुदान को वापस ले लिया। इसके अतिरिक्त विभाग ने इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत मांग को सम्पूर्ण मूल संस्वीकृत अनुदान में से पूरा किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। इन तीन उप-शीर्षों के सम्बन्ध में अतिरिक्त मांग को पूरा करने के पश्चात् भी अनुदान सं. 89 में राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 5.01 करोड़ रु. का निवल अव्ययित प्रावधान था। इस प्रकार अनुपूरक अनुदान के लिए मांग वास्तविक अनुमानों के आधार पर नहीं थी। यदि अनुपूरक अनुदान की दूसरी खेप के लिए मांग कार्यान्वित की गई होती तो, निवल अव्ययित प्रावधान 22.76 करोड़ रु. तक पहुंच जाता।

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	दूसरे अनुपूरक में मांग की गई राशि	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	आधिक्य
1.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग (i) बोर्ड आफ रेडियेशन तथा आइसोटोप टेक्नोलोजी (बो.रे.आ.टे.)	3.55	18.14	21.30	3.16
2.	(ii) ईंधन संरचना सुविधायें (इं.सं.सु.) मुख्य शीर्ष 3401-परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान	6.43	270.98	273.76	2.78
3.	(iii) भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र (भा.प. अ.के.)	7.77	151.63	157.58	5.95

विभाग ने तथ्य को स्वीकार करते हुये अगस्त 1999 में बताया कि इकाइयों को उनकी निधियों की मांग का विवेचनात्मक रूप से पुनरीक्षण करने तथा तदनुसार बजट का प्रक्षेपण करने की सलाह दी गई थी। इस प्रकार, आवश्यकताओं को वास्तविक रूप से प्रक्षेपित करने के लिए इसके कार्यक्रमों के अनुमानों के आधार तथा उपयुक्त पूर्वानुमान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

16.6.6 निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए संस्वीकृति के बिना किया गया संवितरण
संविधान के अनुच्छेद 266(3); 267(1) और 283(1) के प्रावधान के अधीन रहते हुए सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी प्राधिकारी कोई व्यय अथवा व्यय सम्बन्धी दायित्व या निवेश के लिए धन का अन्तरण या सरकारी लेखे से निक्षेप तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ऐसा व्यय अथवा निवेश हेतु धन का अन्तरण अथवा सरकारी लेखे से निक्षेप, जैसा भी मामला हो, सरकार अथवा ऐसे प्राधिकारी, जिसे इस सम्बन्ध में शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश से संस्वीकृति न दी गई हो।

एक विदेशी कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम में बराबर की भागीदारी हेतु शेयर पूंजी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (इ.रे.अ.लि.) को मार्च 1999 में 5.00 करोड़ रु. जारी किये तथा इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने विदेशी फर्म के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम का अनुमोदन नहीं किया था, संवितरण को अनुदान सं. 89-परमाणु ऊर्जा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "4861"- परमाणु ऊर्जा उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत, उप-शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम में निवेश-इंडियन शेयर अर्थ्स लिमिटेड को डेबिट किया।

विनियोग लेखे में यह प्रमाण पत्र अभिलेखित किया गया था कि अनुदान सं. 89 (परमाणु ऊर्जा) के सम्बन्ध में शीर्षवार विनियोग लेखे में खर्च किये गए सभी संवितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति किये जा चुके हैं, इस सीमा तक सही नहीं था।

विभाग ने अगस्त 1999 में बताया कि इ.रे.अ.लि. को 5.00 करोड़ रु. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई संस्वीकृति के आधार पर जारी किये गये थे तथा इस प्रकार विनियोग लेखे में पृष्ठांकित किया गया प्रमाणपत्र सही था।

दिसम्बर 1999 में, विभाग ने बताया कि क्योंकि विदेशी फर्म के साथ विचार विमर्श प्रगति के स्तर पर था तथा यह प्रत्याशा थी कि संयुक्त उद्यम शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा, इसलिए निधियां जारी की गई थी। विभाग ने आगे बताया कि फर्म के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव केबिनेट के अनुमोदनार्थ प्रक्रियाधीन था।

विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि संयुक्त सचिव (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार) तथा संयुक्त सचिव (उद्योग एवं खनिज) ने 5.00 करोड़ रु. जारी करते समय यह उल्लेख किया था कि संयुक्त उद्यम सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था तथा यदि 5.00 करोड़ रु. जारी न किये गए तो व्यपगत हो जाएंगे।

16.6.7 सरकारी आदेशों के उल्लंघन में संवितरण

व्यय प्रबन्धन, राजकोषीय विवेक तथा संयम पर दिशा निर्देश जारी करते समय वित्त मंत्रालय ने अगस्त 1998 में दोहराया कि राजस्व नियन्त्रण की सुस्पष्ट स्वीकृति पर बजट निर्माण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा बजटीय सीमाओं का स्थिरता तथा कठोरता से पालन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात को भी महत्व दिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजट किये गये परिव्यय के प्रति सभी निर्गम, केवल कर्जों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्य किसी अन्य भुगतान की वापसी की वचनबद्धता की चूक के समायोजन के पश्चात् ही किया जाना चाहिए।

(i) उपर्युक्त दिशा निर्देशों के विपरीत, प.ऊ.वि. ने इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (इ.का.इ.लि.) को शेयर पूंजी के रूप में 11.00 करोड़ रु. तथा 26.00 करोड़ रु. कर्जों के रूप में जारी किये तथा संवितरण को अनुदान सं. 89-परमाणु ऊर्जा के अन्तर्गत क्रमशः मुख्य शीर्ष 4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को कर्जों को डेबिट किया, यद्यपि 31 मार्च 1999 तक कर्जों तथा ब्याज के सम्बन्ध में ई. का इ.लि. से प.ऊ.वि. ने 29.76 करोड़ रु. लेने थे। ई.का.इ.लि. से कर्जों की किस्तों के आस्थगन के लिए सदस्य (वित्त) से प्राप्त की गई सहमति 31 मार्च 1998 तक ही वैध थी। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने दिसम्बर 1999 में बताया कि 31 मार्च 1999 को इ.का.इ.लि. द्वारा बकाया सरकारी कर्जों तथा उस पर ब्याज के 29.76 करोड़ रु. की चुकौती के आस्थगन हेतु वित्त मंत्रालय का अनुमोदन दो वर्ष अर्थात् 1999-2000 तक के लिए प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार इ.का.इ.लि. से 29.76 करोड़ रु. के प्राप्यों का छोड़ना अथवा समायोजन हेतु ऋणस्थगन घोषित करने के लिए वित्त मंत्रालय के सचिव (व्यय) से विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना इ.का.इ.लि. को शेयर पूंजी के रूप में 37.00 करोड़ रु. का निर्गम करना अनियमित था।

(ii) इसी प्रकार, यद्यपि मार्च 1999 के अन्त में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड से संचित बकाया प्राप्त 2416.46 करोड़ रु. से अधिक संगणित किया गया था, जो कि वर्ष 1998-99 के लिए अनुदान संख्या 90-नाभिकीय विद्युत योजना के अन्तर्गत नाभिकीय विद्युत योजनाओं हेतु उपलब्ध करवाये गये 2149.28 करोड़ रु. के कुल अनुदान से भी अधिक है, को सरकारी आदेशों के अनुसार, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड से बकाया सरकारी प्राप्यों का समायोजन करने की बजाए भा.ना.वि.नि.लि. से प्राप्यों को छोड़ने अथवा समायोजन हेतु ऋणस्थगन घोषित करने के लिए सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त किये बिना विभाग ने "4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड" में निवेश के अन्तर्गत इक्विटी के रूप में 771.91 करोड़ रु. का सम्पूर्ण बजटीय प्रावधान जारी किया इसके अतिरिक्त इसने पुनर्विनियोजन द्वारा बजटीय प्रावधान को 4.50 करोड़ रु. और

बढ़ा दिया था तथा 1998-99 के दौरान भा.ना.वि.नि.लि. को इक्विटी के रूप में कुल 776.41 करोड़ रु. की राशि जारी की।

विभाग ने सितम्बर 1999 में बताया कि भा.ना.वि.नि.लि. से प्राप्यों को छोड़ देने अथवा समायोजन हेतु ऋणस्थगन घोषित करने के लिए सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय से विशेष अनुमोदन प्राप्त करने का मामला विभाग में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

16.6.8 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

प्रभारित सवितरणों के लिए अनुदान या विनियोग उप-शीर्षवार या प्राथमिक इकाई के नाम से पुकारे जाने वाले मानक उद्देश्यों जिनके अन्तर्गत इनका "लेखा-जोखा किया जाता है, वितरित किए जाते हैं निधियों का पुनर्विनियोजन एक अनुदान या विनियोग के भीतर विनियोग की प्राथमिक इकाईयों के बीच उस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले किया जा सकता है जिससे ऐसे अनुदान या विनियोग सम्बन्धित हों। निधियों का पुनर्विनियोजन केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा पूर्वानुमान हो कि उस इकाई में जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, उस इकाई में विनियोग पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा अव्ययित प्रावधान इकाई के विनियोग में प्रभावी किया जा सकता हो।

16.6.8.1 उप-शीर्ष में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

अनुदान सं. 89 (परमाणु ऊर्जा) तथा 90 (नाभिकीय विद्युत योजना) के 10 उप-शीर्षों में कुल 10.54 करोड़ रु. की राशि का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था चूंकि उन उप-शीर्षों में, जिनमें निधियों का पुनर्विनियोजन द्वारा अन्तरण किया गया था, के अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक थे तथा परिणामस्वरूप वहां उन उप-शीर्षों के अन्तर्गत 15.94 करोड़ रु. की राशि का अव्ययित प्रावधान था जो कि उन उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था। विवरण नीचे दशयि गए हैं :-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोजन की राशि	पुनर्विनियोजन के पश्चात् अन्तिम अव्ययित प्रावधानों की कुल राशि
	अनुदान सं. 89			
1.	2852-उद्योग	स्टैनलैस स्टील सीमलैस ट्यूब प्लान्ट	128.00	396.44
2.	3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	विविध अनुसंधान योजनाएं	40.00	72.84
3.	-वही-	क्रय एवं भंडार संगठन	28.00	108.49
4.	-वही-	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी	15.00	51.73

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोजन की राशि	पुनर्विनियोजन के पश्चात् अन्तिम अव्ययित प्रावधानों की कुल राशि
5.	5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	आई.जी.सी.ए.आर.-सिविल इंजीनियरिंग	180.25	182.10
6.	-वही-	आई.जी.सी.ए.आर.-इलेक्ट्रॉनिक एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन	49.00	84.86
7.	-वही-	सी.ए.टी-लेजर कार्यक्रम विस्तार	20.00	37.40
8.	-वही-	साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान	30.00	59.24
9.	-वही-	मेहता गणित एवं गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	40.00	40.00
अनुदान सं. 90				
10	2801-विद्युत	तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन	524.00	560.61
		जोड़	1054.25	1593.71

विभाग ने अगस्त 1999 में बताया कि सभी पुनर्विनियोग तथा आवश्यक आदेश उस समय उपलब्ध निश्चित वचनबद्धताओं के आधार पर किए गए थे, जिनमें से कुछ विभिन्न कारणों से मूर्त रूप नहीं ले पाए।

16.6.8.2. उप-शीर्ष से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

इसी तरह, अनुदान सं. 89 (परमाणु ऊर्जा) तथा अनुदान सं. 90 (नाभिकीय विद्युत योजना) में नौ उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन हुआ था उनमें मूल प्रावधान अप्रर्याप्त था, जिसमें से निधियों का अन्तरण किया गया था तथा उन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्त में आधिक्य था। विवरण नीचे दशयि गए हैं :-

(लाख रु. में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	मूल	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोजन	कुल व्यय	पुनर्विनियोजन के पश्चात् अधिक संवितरण
अनुदान सं. 89						
1.	2852-उद्योग	विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	1814.00	(-)33.00	2130.42	(+)349.42
2.	3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र	15163.00	(-)69.50	15758.27	(+)664.77
3.	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	परमाणु ऊर्जा विभाग	836.00	(-) 126.50	730.80	(+)21.30
4.	4861-परमाणु ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-उद्योग	अम्लीय तेल का सुधार-एच. डब्ल्यू.पी. मनुगुरू	13.00	(-)0.17	16.05	(+)3.22
5.	-वही-	राल के पुनर्जनन के लिए वैकल्पिक रसायन के उपयोग की योजना	24.00	(-) 6.54	29.71	(+)12.25
6.	5401-परमाणु ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-अनुसंधान	इंडस-2 का उपयोग	35.00	(-) 25.00	39.09	(+) 29.09
अनुदान सं. 90						
7.	2801- विद्युत	मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन	7203.00	(-) 2535.00	5465.01	(+) 797.01
8.	-वही-	राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन	7203.00	(-)3268.00	5398.41	(+) 1463.41
9.	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	पी.आई.ई. के लिए उष्ण कोशिका सुविधा	800.00	(-) 600.00	238.53	(+) 38.53
		जोड़		6663.71		3379.00

विभाग ने अगस्त 1999 में बताया कि उपरोक्त शीर्षों के सम्बन्ध में मार्च के दौरान इकाईयों की अतिरिक्त आवश्यकताओं का विस्थापन करने के पश्चात् अव्ययित प्रावधान पुनर्विनियोजित किए गए थे तथा पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए। आगे बताया कि वास्तविक संवितरण यूनियों के नियंत्रण से परे कारणों से परिवर्तित हो गये।

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले लेखांकन सूचना प्रणाली तथा निधियों की आवश्यकता के निर्धारण में गुणवत्ता का अभाव प्रतिबिम्बित करते हैं।


नई दिल्ली
दिनांक: 17 अप्रैल, 2000



(हरप्रसाद दास)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 18 अप्रैल, 2000



(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



तालिकाएं

तालिका सं.		पृष्ठ सं.
1.1(i)	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के संक्षिप्त लेखे	2
1.1. (ii)	अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियां तथा संवितरण	3
2.2.1 (i)	वार्षिक स्फीति दर	7
2.2.1 (ii)	वास्तविक स.घ.उ. की संवृद्धि तथा सैक्टरवार संरचना	8
2.2.2 (i)	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राप्ति	10
2.2.2 (ii)	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में व्यय	11
2.3.1	प्राप्तियां तथा संवितरण	15
2.3.3 (i)	संसाधनों का उपयोग	16
2.3.3 (ii)	घाटे की बजट अनुमानों से तुलना	17
2.4.1	निवल प्राप्तियां	18
2.4.2	निवल व्यय	19
3.1.	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि	26
3.2.1	कर राजस्व की वृद्धि	27
3.2.2	प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि	28
3.2.3 (i)	कर राजस्व की बजट अनुमानों से तुलना	29
3.2.3 (ii)	प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों के मुख्य अवयव तथा उनके बजट अनुमान	29
3.2.3 (iii)	प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के मुख्य अवयवों के अन्तर्गत प्राप्तियां	30
3.2.4	करों का निष्पादन	31
3.2.5 (i)	राज्यों को अन्तरण	32
3.2.5 (ii)	राज्यों को आबंटित किए गए करों की बजट अनुमानों से तुलना	33
3.2.6 (i)	सीमा शुल्क तथा संघ-उत्पाद शुल्क	33
3.2.6 (ii)	सीमा शुल्क तथा संघ उत्पाद शुल्क तथा संग्रहण प्रभार	34
3.3. (i)	कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि	35
3.3. (ii)	कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अवयव	35
3.3. 1	ब्याज प्राप्तियों, लाभांशों तथा लाभों की कर-भिन्न राजस्व के साथ तुलना	36
4.1. (i)	संघ सरकार का कुल व्यय	37
4.1. (ii)	निवल व्यय तथा प्राप्तियां	38

4.2. (i)	कुल व्यय का बटवारा	39
4.2. (ii)	कुल व्यय का स्वरूप	40
4.3	संघ सरकार का सैक्टर संबंधी व्यय	41
4.4	राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण	43
4.5. (i)	राजस्व व्यय	44
4.5. (ii)	राजस्व व्यय के प्रमुख संघटक	45
4.6.1.1	ब्याज भुगतान	48
4.7	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	48
4.8	अनुदानों का नया निर्गम	50
4.9. (i)	पूंजीगत व्यय	51
4.9. (ii)	प्रमुख पूंजीगत व्यय	52
4.10.2	लाभांश का भुगतान करने वाले सा.क्षे.उ. की क्षेत्रवार संख्या	54
4.11. (i)	राष्ट्रीकृत बैंकों को पुनः पूंजीकरण सहायता	56
4.11. (ii)	राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा निवल लाभ	56
4.11. (iii)	शेयर पूंजी में निवेश तथा बट्टे खाते डाली गई हानियां	57
4.12	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः पूंजीकरण सहायता	59
5.1	सरकारी लेखाओं में घाटे	61
5.2	राजस्व घाटा	62
5.3 (i)	राजकोषीय घाटा	63
5.3 (ii)	उधारों द्वारा वित्तपोषित व्यय	64
5.3 (iii)	उधार के स्रोत	64
5.3 (iv)	राजकोषीय घाटे का प्रभाव	65
5.3 2 (i)	विनिवेश से प्राप्ति	65
5.3 2 (ii)	इक्विटी का क्रॉस होल्डिंग	66
5.4	प्राथमिक घाटा	67
5.5	मुद्राकृत घाटा	68
6.1 (i)	मुख्य सुनिश्चित आर्थिक सहायता पर व्यय	69
6.1 (ii)	ब.अ. के संबंध में आर्थिक सहायता पर व्यय	70
6.2.1	राष्ट्रीकृत बैंकों को आर्थिक सहायता	71
6.2.2	सा.क्षे.उ. तथा सांविधिक निगमों को आर्थिक सहायता	72
6.2.3	डाक सेवाओं के परिचालन में प्रति यूनिट लाभ/हानि	73
7.1	संघ सरकार की कुल देयता	74

7.3 (i)	आन्तरिक ऋण की वृद्धि	76
7.3 (ii)	आन्तरिक ऋण की रचना	76
7.3.1	भा.रि.बैं. पर आन्तरिक ऋण का अन्तरण	77
7.4 (i)	आन्तरिक ऋण तथा खज़ाना बिल	78
7.4 (ii)	आन्तरिक ऋण तथा खज़ाना बिलों का निवल परिवर्धन	78
7.4.1 (i)	14 दिवसीय खज़ाना बिल	79
7.4.1 (ii)	14 दिवसीय नीलामी खज़ाना बिलों का भा.रि.बैं. पर अन्तरण	80
7.4.1 (iii)	91 दिवसीय खज़ाना बिल	80
7.4.1 (iv)	91 दिवसीय खज़ाना बिलों का भा.रि.बैं. को दायित्व अन्तरण	81
7.4.1 (v)	364 दिवसीय खज़ाना बिल	82
7.4.1 (vi)	364 दिवसीय खज़ाना बिलों का भा.रि.बैं. को अन्तरण	82
7.5 (i)	प्रतिभूतियों में परिवर्तित तदर्थ खज़ाना बिल	83
7.5 (ii)	364/91 दिवसीय खज़ाना बिलों का निधियन	83
7.6	अर्थोपाय पेशगियां	84
7.6.1	अल्पावधि उधारों पर दिया गया ब्याज तथा ब्याज की दर	85
7.7 (i)	वापस अदायगियों के पश्चात् बाज़ार कर्जों का निवल परिवर्धन	86
7.7 (ii)	बाज़ार कर्जों की वृद्धि	87
7.7 (iii)	बाज़ार ऋणों का वापसी कार्यक्रम	88
7.7.1 (i)	भा.रि.बैं. पर बाज़ार उधारों का अन्तरण	88
7.7.1 (ii)	भा.रि.बैं. पर नीलामी-वार अन्तरण	89
7.8	अन्य आन्तरिक देयताओं की वृद्धि	90
7.9. (i)	आन्तरिक ऋण का शुद्ध अन्तर्वाह	91
7.9. (ii)	अन्य आन्तरिक देयताओं का शुद्ध अन्तर्वाह	91
7.10. (i)	बाह्य ऋण की वृद्धि	92
7.10. (ii)	बाह्य ऋण का शुद्ध आगम	93
7.11	अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता	94
7.12	वचनबद्धता प्रभार	95
7.14	संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	97
7.14.1	गारंटी शुल्क	97
8.2	रि.बैं.ज. के पुस्तक आंकड़ों तथा लेखा आंकड़ों के बीच अन्तर	100
8.4.1	मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष	102
8.12	राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश तथा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	112

8.13.1	बाह्य ऋणों के अन्त तथा अथ शेष	114
8.14	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	115
10.3	अनुमोदन एवं संवितरण	133
10.5	अनुदानों/विनियोगों में विशुद्ध अव्ययित प्रावधान	137
12.2	एक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक के अव्ययित प्रावधान	168
12.3	20 करोड़ रु. तथा 100 करोड़ रु. के बीच अव्ययित प्रावधान	184
12.5	कम वसूलियां	195
15.1.1	अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक अव्ययित प्रावधान	207
16.6.4	निरन्तर अव्ययित प्रावधान के मामले दर्शाने वाला विवरण	254

परिशिष्ट I : वित्तीय लेखाओं से प्रकट हुई समग्र वित्तीय स्थिति
(पैराग्राफ 2.1 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
1	राजस्व प्राप्तियां	239889 (13.61)	218299 (13.96)	193718 (15.17)	168571 (15.34)	146670 (15.51)
	क) कर राजस्व	129317 (7.34)	125713 (8.04)	115246 (9.02)	99950 (9.10)	83737 (8.86)
	ख) गैर-कर राजस्व	110572 (6.27)	92586 (5.92)	78472 (6.15)	68621 (6.25)	62932 (6.66)
2	पूंजीगत प्राप्तियां	574178 (32.58)	556793 (35.61)	346519 (27.14)	302368 (27.52)	277392 (29.33)
	क) कर्जों की वसूली	13189 (0.75)	9596 (0.61)	8696 (0.68)	6999 (0.64)	6507 (0.69)
	ख) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	5874 (0.33)	912 (0.06)	455 (0.04)	1397 (0.13)	5607 (0.59)
	ग) सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	395297 (22.43)	376665 (24.09)	210042 (16.45)	180966 (16.47)	157607 (16.67)
	घ) लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमाओं तथा अग्रिमों की प्राप्ति।	154192 (8.75)	161015 (10.30)	122271 (9.57)	111162 (10.12)	104126 (11.01)
	ड.) उचन्त, विविध तथा प्रेषण	5626 (0.32)	8605 (0.55)	5055 (0.40)	1844 (0.17)	3545 (0.37)
3	कुल प्राप्तियां (1 + 2)	814067 (46.19)	775092 (49.57)	540237 (42.31)	470939 (42.87)	424062 (44.85)
4	योजनेत्तर व्यय	276343 (15.68)	252625 (16.16)	202737 (15.88)	181039 (16.48)	158117 (16.72)
	क) राजस्व लेखे पर	259906 (14.75)	242526 (15.51)	194704 (15.25)	169281 (15.41)	149395 (15.80)
	ख) पूंजीगत लेखे पर	16437 (0.93)	10099 (0.65)	8033 (0.63)	11758 (1.07)	8723 (0.92)
5	योजनागत व्यय	49313 (2.80)	45332 (2.90)	39339 (3.08)	34807 (3.17)	38847 (4.11)
	क) राजस्व लेखे पर	40550 (2.30)	35206 (2.25)	31668 (2.48)	29021 (2.64)	28304 (2.99)
	ख) पूंजीगत लेखे पर	8763 (0.50)	10126 (0.65)	7671 (0.60)	5786 (0.53)	10543 (1.11)

क्र. सं.	विवरण	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
6	कुल संवितरण	813831 (46.17)	774182 (49.51)	540693 (42.34)	469283 (42.72)	425291 (44.98)
	क) राजस्व व्यय	300456 (17.05)	277732 (17.76)	226372 (17.73)	198302 (18.05)	177699 (18.79)
	ख) पूंजीगत व्यय	25200 (1.43)	20225 (1.29)	15704 (1.23)	17544 (1.60)	19266 (2.04)
	ग) कर्जों का संवितरण	46594 (2.63)	35471 (2.27)	29035 (2.27)	24810 (2.26)	23898 (2.53)
	घ) ऋण की वापस अदायगी	322679 (18.31)	331050 (21.17)	170448 (13.35)	139246 (12.68)	133271 (14.09)
	ड.) लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों की वापस अदायगी और अग्रिमों का संवितरण	113441 (6.44)	103861 (6.64)	92644 (7.25)	85425 (7.78)	67998 (7.19)
	च) उचन्त, विविध तथा प्रेषण	5434 (0.31)	5843 (0.37)	6490 (0.51)	3956 (0.36)	3159 (0.29)
	छ) भारत की आकस्मिकता निधि	27				
7	राजस्व घाटा {6(क)-1}	60567 (3.44)	59433 (3.80)	32654 (2.56)	29731 (2.71)	31029 (3.28)
8	बजट घाटा	--	--	13184 (1.03)	9808 (0.89)	961 (0.10)
9	राजकोषीय घाटा {6(क)+(ख)+(ग)-1+2(क)+(ख)}	113298 (6.43)	104621 (6.69)	68242 (5.34)	63689 (5.80)	62079 (6.56)
10	प्राथमिक घाटा	35416 (2.00)	38984 (2.49)	8764 (0.69)	13644 (1.24)	18019 (1.91)
11	मुद्राकृत घाटा	11800 (0.67)	12914 (0.83)	1934 (0.15)	19855 (1.81)	2130 (0.23)

टिप्पणी : कोष्टकों में दिखाए गये आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य पर स.घ.उ. की प्रतिशतता है (1762609 करोड़ रु.)

परिशिष्ट II : सरकारी लेखे का आर्थिक विश्लेषण

(पैराग्राफ 2.2.2 देखें)

1976-77

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान): 84894 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति	15.57 (13218)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व	9.73 (8261)	
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर	2.73 (2318)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.16 (984)	
	क. क. ii आय पर कर	1.41 (1194)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.16 (140)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर	7.00 (5943)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	1.83 (1554)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	4.97 (4221)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.20 (168)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व	5.84 (4957)	
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्ति	1.30 (1105)	
	रेलवे प्राप्ति	2.41 (2045)	
	डाक एवं संचार प्राप्ति	0.73 (619)	
	अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	1.40 (1188)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति	(1)	
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल	1.84 (1565)	
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	0.66 (558)	
	बाह्य उधार	1.18 (1007)	
	निवल लोक लेखा प्राप्ति	2.05 (1739)	
जोड़		19.46 (16523)	

1976-77

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)			
	कुल राजस्व व्यय				15.24 (12938)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें				5.66 (4804)
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	1.62 (1374)			
	क. ii रक्षा सेवायें	2.94 (2500)			
	क. iii अन्य	1.10 (930)			
	ख. सामाजिक सेवायें				0.72 (609)
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.23 (195)			
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.05 (42)			
	ख. iii अन्य	0.44 (372)			
	ग. आर्थिक सेवायें				4.90 (4164)
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.85 (718)			
	ग. ii ऊर्जा	0.10 (87)			
	ग. iii परिवहन	2.53 (2148)			
	ग. iv अन्य	1.42 (1211)			
	घ. राज्यों/सं. रा.क्षे. को अन्तरण				3.89 (3302)*
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	1.91 (1622)			
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	1.21 (1028)			
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.77 (652)			
	ड. अन्य				0.07 (59)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)				2.63 (2230)
	पूँजीगत व्यय				2.18 (1851)
जोड़					20.05 (17019)
नकद शेष में कमी/वृद्धि					(-) 0.59 (-) (496)
					19.46 (16523)

* राज्य सरकारों को 795 करोड़ रु का कर्जा (स.घ.उ. का 0.93 प्रतिशत) शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 4097 करोड़ रु (स.घ.उ. का 4.83 प्रतिशत) होगा।

1980-81

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान): 136013 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति		14.99 (20396)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व		9.68 (13167)
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर	2.19 (2985)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.01 (1377)	
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.06 (1440)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.12 (168)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर	7.49 (10182)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	2.51 (3409)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	4.78 (6500)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.20 (273)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व		5.31 (7229)
कर- भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्तियां	1.32 (1795)	
	रेलवे प्राप्तियां	1.99 (2703)	
	डाक एवं संचार प्राप्तियां	0.67 (910)	
	अन्य कर- भिन्न प्राप्तियां	1.33 (1821)	
कुल राजस्व प्राप्तिओं का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति		
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल		5.79 (7880)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	4.81 (6544)	
	बाह्य उधार	0.98 (1336)	
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)		0.87 (1185)
जोड़			21.65 (29461)

1980-81

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व व्यय		16.24 (22098)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें		6.23 (8472)
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	1.92 (2604)	
	क. ii रक्षा सेवायें	2.73 (3716)	
	क. iii अन्य	1.58 (2152)	
	ख. सामाजिक सेवायें		0.64 (877)
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.20 (281)	
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.08 (108)	
	ख. iii अन्य	0.36 (488)	
	ग. आर्थिक सेवायें		4.48 (6100)
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.67 (914)	
	ग. ii ऊर्जा	0.09 (128)	
	ग. iii परिवहन	2.18 (2960)	
	ग. iv अन्य	1.54 (2098)	
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण		4.83 (6562)*
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	2.05 (2783)	
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	2.04 (2777)	
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.74 (1002)	
	ड. अन्य		0.06 (87)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)		2.35 (3202)
	पूँजीगत व्यय		2.93 (3983)
जोड़			21.52 (29283)
नकद शेष में कमी/वृद्धि			0.13 (178)
			21.65 (29461)

* राज्य सरकारों को 1304 करोड़ रु (सं.घ.उ. का 0.96 प्रतिशत) का कर्जा शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 7866 करोड़ रु (सं.घ.उ. का 5.78 प्रतिशत) होगा।

1984-85

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान): 231343 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति		16.20 (37492)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व		10.13 (23450)
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर	2.06 (4777)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.10 (2556)	
	क. क. ii सकल आय पर कर	0.83 (1928)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.13 (293)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर	8.07 (18673)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	3.04 (7040)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	4.82 (11151)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.21 (482)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व		6.07 (14042)
कर- भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्ति	1.71 (3963)	
	रेलवे प्राप्ति	2.36 (5469)	
	डाक एवं संचार प्राप्ति	0.71 (1636)	
	अन्य कर- भिन्न प्राप्ति	1.29 (2974)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति		
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल		4.23 (9791)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	3.58 (8274)	
	बाह्य उधार	0.65 (1517)	
	लोक लेखा प्राप्ति (निवल)		3.43 (7935)
जोड़			23.86 (55218)

1984-85

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)		
	कुल राजस्व व्यय			17.72 (40989)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें		6.57 (15204)	
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	2.58 (5974)		
	क. ii रक्षा सेवायें	2.87 (6646)		
	क. iii अन्य	1.12 (2584)		
	ख. सामाजिक सेवायें		0.77 (1789)	
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.24 (563)		
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.09 (200)		
	ख. iii अन्य	0.44 (1026)		
	ग. आर्थिक सेवायें		5.57 (12887)	
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.78 (1795)		
	ग. ii ऊर्जा	0.14 (325)		
	ग. iii परिवहन	2.55 (5903)		
	ग. iv अन्य	2.10 (4864)		
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण		4.74 (10977)*	
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	2.26 (5220)		
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	1.95 (4525)		
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.53 (1232)		
	ड. अन्य		0.07 (132)	
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)			2.78 (6444)
	पूजीगत व्यय			3.39 (7843)
जोड़				23.89 (55276)
नकद शेष में कमी/वृद्धि				0.03 (58)
				23.86 (55218)

* राज्य सरकारों को 3724 करोड़ रु (स.घ.उ. का 1.61 प्रतिशत) का कर्जा शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 14701 करोड़ रु (स.घ.उ. का 6.35 प्रतिशत) होगा।

1986-87

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान) : 292949 करोड़ रु

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति		17.92 (52492)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व		11.21 (32828)
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर	2.13 (6226)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.08 (3160)	
	क. क. ii आय पर कर	0.98 (2879)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.07 (187)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर	9.08 (26602)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	3.92 (11475)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	4.94 (14470)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.22 (657)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व		6.71 (19664)
कर- भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्तियां	1.83 (5353)	
	रेलवे प्राप्तियां	2.62 (7682)	
	डाक एवं संचार प्राप्तियां	0.61 (1787)	
	अन्य कर- भिन्न प्राप्तियां	1.65 (4842)	
कुल राजस्व प्राप्तियों का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति		(1)
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल		5.95 (17421)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	5.22 (15276)	
	बाह्य उधार	0.73 (2145)	
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)		3.77 (11055)
जोड़			27.64 (80969)

1986-87

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व व्यय		20.50 (60071)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें		7.92 (23196)
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	3.16 (9246)	
	क. ii रक्षा सेवायें	3.24 (9481)	
	क. iii अन्य	1.52 (4469)	
	ख. सामाजिक सेवायें		1.01 (2953)
सामाजिक सेवाओं का	ख- i शिक्षा	0.27 (795)	
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.07 (201)	
	ख. iii अन्य	0.57 (1657)	
	ग. आर्थिक सेवायें		5.99 (17555)
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.97 (2852)	
	ग. ii ऊर्जा	0.18 (524)	
	ग. iii परिवहन	0.18 (520)	
	ग. iv अन्य	4.66 (13659)	
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण		5.53 (16210)*
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	2.64 (7744)	
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	2.15 (6306)	
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.74 (2160)	
	ड. अन्य		0.05 (157)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)		3.18 (9306)
	पूँजीगत व्यय		3.75 (10991)
जोड़			27.43 (80368)
नकद शेष में कमी/वृद्धि			0.21 (601)
			27.64 (80969)

* राज्य सरकारों को दिया गया 4822 करोड़ रु का कर्जा (स.घ.उ. का 1.65 प्रतिशत) शामिल नहीं है। कर्जे को जोड़ कर राज्य को प्रभावी अन्तरण 21032 करोड़ रु (स.घ.उ. का 7.18 प्रतिशत) होगा।

1988-89

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान) : 395782 करोड़ रु

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)		
	कुल राजस्व प्राप्ति			17.34 (68649)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व			11.23 (44473)
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर	2.23 (8828)		
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.11 (4407)		
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.07 (4241)		
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.05 (180)		
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर		9.00 (35645)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	3.99 (15805)		
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	4.76 (18841)		
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.25 (999)		
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व			6.11 (24176)
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्तियां	1.76 (6982)		
	रेलवे प्राप्तियां	2.41 (9529)		
	डाक एवं संचार प्राप्तियां	0.79 (3104)		
	अन्य-कर-भिन्न प्राप्तियां	1.15 (4561)		
कुल राजस्व प्राप्तिओं का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति			
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल			4.64 (18374)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	4.00 (15853)		
	बाह्य उधार	0.64 (2521)		
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)			3.60 (14235)
जोड़				25.58 (101258)

1988-89

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)			
	कुल राजस्व व्यय				20.00 (79163)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें				7.66 (30309)
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	3.61 (14278)			
	क. ii रक्षा सेवायें	2.49 (9858)			
	क. iii अन्य	1.56 (6173)			
	ख. सामाजिक सेवायें				0.73 (2910)
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.35 (1387)			
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.10 (407)			
	ख. iii अन्य	0.28 (1116)			
	ग. आर्थिक सेवायें				6.32 (25015)
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.82 (3237)			
	ग. ii ऊर्जा	0.20 (811)			
	ग. iii परिवहन	2.56 (10142)			
	ग. iv अन्य	2.74 (10825)			
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण				5.24 (20744)*
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	2.55 (10076)			
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	2.00 (7919)			
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.69 (2749)			
	ड. अन्य				0.05 (185)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)				2.56 (10152)
	पूँजीगत व्यय				2.87 (11340)
जोड़					25.43 (100655)
नकद शेष में कमी/वृद्धि					0.15 (603)
					25.58 (101258)

* राज्य सरकारों को 6730 करोड़ रु का कर्जा (स.घ.उ. का 1.70 प्रतिशत) शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 27474 करोड़ रु (स.घ.उ. का 6.94 प्रतिशत) होगा।

1992-93

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान): 702829 करोड़ रु

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति		17.11 (120279)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व		10.62 (74638)
कर राजस्व का	क. क सकल प्रत्यक्ष कर	2.58 (18142)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.27 (8898)	
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.12 (7898)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.19 (1346)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर	8.04 (56496)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	3.38 (23776)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	4.39 (30832)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.27 (1888)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व		6.49 (45640)
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्ति	1.78 (12521)	
	रेलवे प्राप्ति	2.29 (16114)	
	डाक एवं संचार प्राप्ति	0.83 (5836)	
	अन्य कर- भिन्न प्राप्ति	1.59 (11169)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति		0.28 (1961)
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल		4.51 (31669)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	3.75 (26350)	
	बाह्य उधार	0.76 (5319)	
	लोक लेखा प्राप्ति (निवल)		2.12 (14932)
जोड़			24.02 (168841)

1992-93

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व व्यय		19.76 (138853)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें		7.86 (55234)
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	4.42 (31075)	
	क. ii रक्षा सेवायें	1.90 (13348)	
	क. iii अन्य	1.54 (10811)	
	ख. सामाजिक सेवायें		0.64 (4524)
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.27 (1936)	
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.10 (706)	
	ख. iii अन्य	0.27 (1882)	
	ग. आर्थिक सेवायें		5.75 (40446)
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.91 (6408)	
	ग. ii ऊर्जा	0.11 (794)	
	ग. iii परिवहन	2.44 (17141)	
	ग. iv अन्य	2.29 (16103)	
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण		5.48 (38467)*
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	2.56 (17943)	
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	2.06 (14465)	
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.86 (6059)	
	ड. अन्य		0.03 (182)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)		1.41 (9941)
	पूँजीगत व्यय		2.93 (20586)
जोड़			24.10 (169380)
नकद शेष में कमी/वृद्धि			(-) 0.08 (-) (539)
			24.02 (168841)

* राज्य सरकारों को 8661 करोड़ रु का कर्जा (स.घ.उ. का 1.23 प्रतिशत) शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 47128 करोड़ रु (स.घ.उ. का 6.71 प्रतिशत) होगा।

1993-94

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान) : 801032 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)		
	कुल राजस्व प्राप्ति			15.90 (127370)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व			9.46 (75743)
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर		2.53 (20299)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.25 (10060)		
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.14 (9123)		
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.14 (1116)		
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर		6.92 (55444)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	2.77 (22193)		
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	3.96 (31697)		
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.19 (1554)		
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व			6.44 (51627)
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्ति	1.88 (15078)		
	रेलवे प्राप्ति	2.29 (18363)		
	डाक एवं संचार प्राप्ति	0.90 (7207)		
	अन्य कर- भिन्न प्राप्ति	1.37 (10979)		
कुल राजस्व प्राप्ति का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति			(-) 48
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल			6.45 (51685)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	5.82 (46612)		
	बाह्य उधार	0.63 (5073)		
	लोक लेखा प्राप्ति (निवल)			2.62 (21013)
जोड़				24.97 (200020)

1993-94

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व व्यय		19.98 (160085)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें		8.02 (64217)
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	4.59 (36741)	
	क. ii रक्षा सेवायें	1.99 (15945)	
	क. iii अन्य	1.44 (11531)	
	ख. सामाजिक सेवायें		0.63 (5096)
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.27 (2200)	
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.09 (753)	
	ख. iii अन्य	0.27 (2143)	
	ग. आर्थिक सेवायें		5.91 (47368)
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	1.02 (8198)	
	ग. ii ऊर्जा	0.16 (1250)	
	ग. iii परिवहन	2.44 (19539)	
	ग. iv अन्य	2.29 (18381)	
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण		5.39 (43196)*
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	2.61 (20955)	
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	1.81 (14473)	
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.97 (7768)	
	ड. अन्य		0.03 (208)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)		1.78 (14263)
	पूँजीगत व्यय		3.08 (24650)
जोड़			24.84 (198998)
नकद शेष में कमी/वृद्धि			0.13 (1022)
			24.97 (200020)

* राज्य सरकारों को 9901 करोड़ रु (स.घ.उ. का 1.24 प्रतिशत) का कर्जा शामिल नहीं है। कर्जे को जोड़ने के पश्चात् राज्य को प्रभावी अन्तरण 53097 करोड़ रु (स.घ.उ. का 6.64 प्रतिशत) होगा।

1994-95

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान) : 945615 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति	16.42 (155229)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व	9.76 (92297)	
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर	2.85 (26971)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.46 (13822)	
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.27 (12029)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.12 (1120)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर	6.91 (65326)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	2.83 (26789)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	3.95 (37347)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.13 (1190)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व	6.66 (62932)	
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्ति	1.67 (15806)	
	रेलवे प्राप्ति	2.17 (20529)	
	डाक एवं संचार प्राप्ति	0.95 (8978)	
	अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	1.87 (17619)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति	0.59 (5607)	
	उधार ली गई प्राप्ति	2.57 (24336)	
कुल उधार ली गई निधियों का	वापस अदायगी के पश्चात् निवल		
	आन्तरिक उधार	2.19 (20755)	
	बाह्य उधार	0.38 (3581)	
	लोक लेखा प्राप्ति (निवल)	3.86 (36514)	
जोड़		23.44 (221686)	

1994-95

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
कुल राजस्व व्यय		19.70 (186259)	
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें	7.79 (73744)	
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	4.66 (44060)	
	क. ii रक्षा सेवायें	1.83 (17348)	
	क. iii अन्य	1.30 (12336)	
	ख. सामाजिक सेवायें	0.57 (5353)	
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.25 (2348)	
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.09 (819)	
	ख. iii अन्य	0.23 (2186)	
	ग. आर्थिक सेवायें	6.54 (61836)	
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.91 (8629)	
	ग. ii ऊर्जा	0.13 (1209)	
	ग. iii परिवहन	2.31 (21839)	
	ग. iv अन्य	3.19 (30159)	
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण	4.78 (45140)*	
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	2.15 (20297)	
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	1.72 (16283)	
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.91 (8560)	
	ड. अन्य	0.02 (186)	
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)	1.84 (17391)	
	पूँजीगत व्यय	2.03 (19266)	
जोड़		23.57 (222916)	
नकद शेष में कमी/वृद्धि		0.13 (1228)	
		23.44 (221687)	

* राज्य सरकारों को 13761 करोड़ रु का कर्जा (स.घ.उ. का 1.45 प्रतिशत) शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 58901 करोड़ रु (स.घ.उ. का 6.23 प्रतिशत) होगा।

1995-96

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान) : 1098576 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति	16.37 (179845)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व	10.12 (111224)	
कर राजस्व का	क. क सकल प्रत्यक्ष कर	3.05 (33564)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.50 (16487)	
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.42 (15592)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.13 (1485)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर	7.07 (77660)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	3.25 (35757)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	3.66 (40187)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.16 (1716)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व	6.25 (68621)	
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्ति	1.68 (18430)	
	रेलवे प्राप्ति	2.08 (22814)	
	डाक एवं संचार प्राप्ति	1.12 (12273)	
	अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	1.37 (15104)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति	0.13 (1397)	
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल	3.80 (41719)	
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	3.77 (41402)	
	बाह्य उधार	0.03 (317)	
	लोक लेखा प्राप्ति (निवल)	2.15 (23625)	
जोड़		22.45 (246586)	

1995-96

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व व्यय		19.08 (209576)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें		7.73 (84913)
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	4.56 (50045)	
	क. ii रक्षा सेवायें	1.81 (19854)	
	क. iii अन्य	1.36 (15014)	
	ख. सामाजिक सेवायें		0.67 (7348)
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.28 (3105)	
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.08 (879)	
	ख. iii अन्य	0.31 (3364)	
	ग. आर्थिक सेवायें		6.03 (66202)*
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.85 (9306)	
	ग. ii ऊर्जा	0.13 (1396)	
	ग. iii परिवहन	2.19 (24056)	
	ग. iv अन्य	2.86 (31444)	
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण		4.63 (50862)*
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	1.96 (21577)	
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	1.64 (18011)	
	घ. iii आयकर का हिस्सा	1.03 (11274)	
	ड. अन्य		0.02 (251)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)		1.62 (17811)
	पूँजीगत व्यय		1.60 (17544)
जोड़			22.30 (244931)
नकद शेष में कमी/वृद्धि			0.15 (1655)
			22.45 (246586)

* राज्य सरकारों को 13998 करोड़ रु का कर्जा (स.घ.उ. का 1.27 प्रतिशत) शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 64860 करोड़ रु (स.घ.उ. का 5.91 प्रतिशत) होगा।

1996-97

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान) : 1276974 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति		16.23 (207234)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व		10.08 (128762)
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर	3.04 (38895)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.45 (18567)	
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.43 (18234)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.16 (2094)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर	7.04 (89867)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	3.36 (42851)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	3.52 (45008)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.16 (2008)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व		6.15 (78472)
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्ति	1.73 (22119)	
	रेलवे प्राप्ति	1.94 (24801)	
	डाक एवं संचार प्राप्ति	1.16 (14806)	
	अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	1.32 (16746)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति		0.03 (455)
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल		3.10 (39594)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	2.87 (36606)	
	बाह्य उधार	0.23 (2988)	
	लोक लेखा प्राप्ति (निवल)		2.21 (28193)
जोड़			21.57 (275476)

1996-97

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)			
	कुल राजस्व व्यय				18.79 (239888)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें			7.66 (97827)	
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	4.66 (59478)			
	क. ii रक्षा सेवायें	1.72 (21978)			
	क. iii अन्य	1.28 (16371)			
	ख. सामाजिक सेवायें			0.73 (9325)	
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.27 (3469)			
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.09 (1102)			
	ख. iii अन्य	0.37 (4754)			
	ग. आर्थिक सेवायें			5.79 (73857)	
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.82 (10435)			
	ग. ii ऊर्जा	0.13 (1672)			
	ग. iii परिवहन	2.06 (26222)			
	ग. iv अन्य	2.78 (35528)			
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण			4.59 (58606)*	
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	1.84 (23545)			
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	1.69 (21545)			
	घ. iii आयकर का हिस्सा	1.06 (13516)			
	ड. अन्य			0.02 (273)	
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)				1.59 (20339)
	पूंजीगत व्यय				1.23 (15704)
जोड़					21.61 (275931)
नकद शेष में कमी/वृद्धि					0.04 (455)
					21.57 (275476)

* राज्य सरकारों को 16740 करोड़ रु का कर्जा (स.घ.उ. का 1.31 प्रतिशत) शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 75346 करोड़ रु (स.घ.उ. का 5.90 प्रतिशत) होगा।

1997-98

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान) : 1563552 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)		
	कुल राजस्व प्राप्ति			14.82 (231807)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व			8.90 (139220)
कर राजस्व का	क. क. सकल प्रत्यक्ष कर		3.09 (48280)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.28 (20016)		
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.09 (17101)		
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.72 (11163)		
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर		5.81 (90940)	
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	2.57 (40193)		
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	3.06 (47962)		
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.18 (2785)		
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व			5.92 (92587)
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्तियां	1.62 (25343)		
	रेलवे प्राप्तियां	1.86 (29134)		
	डाक एवं संचार प्राप्तियां	1.16 (18146)		
	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	1.28 (19964)		
कुल राजस्व प्राप्ति का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति			0.06 (912)
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल			2.91 (45615)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	2.84 (44524)		
	बाह्य उधार	0.07 (1091)		
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)			3.83 (59916)
जोड़				21.62 (338250)

1997-98

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व व्यय		18.62 (291241)
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें		7.32 (114380)
सामान्य सेवाओं का	क. i ब्याज भुगतान	4.20 (65637)	
	क. ii रक्षा सेवायें	1.75 (27302)	
	क. iii अन्य	1.37 (21441)	
	ख. सामाजिक सेवायें		0.74 (11633)
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.30 (4631)	
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.09 (1403)	
	ख. iii अन्य	0.35 (5599)	
	ग. आर्थिक सेवायें		6.30 (98451)
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.83 (12931)	
	ग. ii ऊर्जा	0.98 (15305)	
	ग. iii परिवहन	1.98 (30938)	
	ग. iv अन्य	2.51 (39277)	
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण		4.24 (66406)*
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	1.95 (30452)	
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	1.43 (22446)	
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.86 (13508)	
	ड. अन्य		0.02 (371)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)		1.65 (25875)
	पूँजीगत व्यय		1.29 (20225)
जोड़			21.56 (337341)
नकद शेष में कमी/वृद्धि			0.06 (910)
			21.62 (338251)

* राज्य सरकारों को 23336 करोड़ रु (स.घ.उ. का 1.49 प्रतिशत) का कर्जा शामिल नहीं है। कर्जा जोड़ने पर राज्य को प्रभावी अन्तरण 89742 करोड़ रु (स.घ.उ. का 5.73 प्रतिशत) होगा।

1998-99

स.घ.उ. (त्वरित अनुमान) : 1762609 करोड़ रु.

जहां से रुपया आया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
	कुल राजस्व प्राप्ति		14.43 (254369)
कुल राजस्व प्राप्ति का	क. कर राजस्व		8.16 (143797)
कर राजस्व का	क. क सकल प्रत्यक्ष कर	2.64 (46600)	
प्रत्यक्ष करों का	क. क. i निगम कर	1.39 (24529)	
	क. क. ii सकल आय पर कर	1.15 (20240)	
	क. क. iii अन्य प्रत्यक्ष कर	0.10 (1831)	
	क. ख. अप्रत्यक्ष कर		5.52 (97197)
अप्रत्यक्ष करों का	क. ख. i सीमा शुल्क	2.31 (40668)	
	क. ख. ii संघ उत्पाद शुल्क	3.02 (53246)	
	क. ख. iii अन्य अप्रत्यक्ष कर	0.19 (3283)	
कुल राजस्व प्राप्ति का	ख. कर-भिन्न राजस्व		6.27 (110572)
कर-भिन्न राजस्व का	ब्याज प्राप्तियां	1.71 (30076)	
	रेलवे प्राप्तियां	1.71 (30234)	
	डाक एवं संचार प्राप्तियां	1.15 (20241)	
	अन्य कर भिन्न प्राप्तियां	1.70 (30021)	
कुल राजस्व प्राप्तियों का	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति		0.33 (5874)
	उधार ली गई प्राप्ति वापस अदायगी के पश्चात् निवल		4.12 (72618)
कुल उधार ली गई निधियों का	आन्तरिक उधार	4.01 (70699)	
	बाह्य उधार	0.11 (1919)	
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)		2.32 (40943)
जोड़			21.20 (373804)

1998-99

जहां रुपया गया		स.घ.उ. की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	
कुल राजस्व व्यय		17.86 (314936) ³	
कुल राजस्व व्यय का	क. सामान्य सेवायें	7.69 (135557)	
सामान्य सेवाओं का	क- i ब्याज भुगतान	4.42 (77882)	
	क. ii रक्षा सेवायें	1.77 (31200)	
	क. iii अन्य	1.50 (26475)	
	ख. सामाजिक सेवायें	0.80 (14147)	
सामाजिक सेवाओं का	ख. i शिक्षा	0.35 (6252)	
	ख. ii चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	0.10 (1773)	
	ख. iii अन्य	0.35 (6122)	
	ग. आर्थिक सेवायें	5.65 (99687)	
आर्थिक सेवाओं का	ग. i कृषि	0.86 (15183)	
	ग. ii उर्जा	0.15 (2735)	
	ग. iii परिवहन	1.84 (32378)	
	ग. iv अन्य	2.80 (49391)	
	घ. राज्यों/सं.रा.क्षे. को अन्तरण	3.69 (64974)*	
अन्तरणों का	घ. i अनुदान	1.47 (25829)	
	घ. ii संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा	1.40 (24665)	
	घ. iii आयकर का हिस्सा	0.82 (14480)	
	ड. अन्य		0.03 (571)
	कर्जे एवं पेशगियां (निवल)		1.90 (33405)
	पूँजीगत व्यय		1.43 (25200)
	निबल का पूँजीगत		0.00 (27)
जोड़			21.19 (373568)

राज्यों को समनुदेशित निगम कर के अतिरिक्त आय पर करों के निबल आगम के प्रति 14480 करोड़ रु. शामिल है।

नकद शेष में कमी/वृद्धि	0.01 (236)
	21.20 (373804)

- राज्य सरकारों को 31322 करोड़ रु का कर्जा (सं.घ.उ. का 1.78 प्रतिशत) शामिल नहीं है। कर्जे को जोड़कर राज्य को प्रभावी अन्तरण 96296 करोड़ रु (सं.घ.उ. का 5.46 प्रतिशत) होगा।

परिशिष्ट III : संघ सरकार का कुल व्यय

(पैराग्राफ 4.1 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कर्जे और पेशगियां	जोड़
1998-99	300456	25200	46594	372250
1997-98	277732	20225	35471	333428
1996-97	226372	15704	29035	271111
1995-96	198302	17544	24810	240656
1994-95	177699	19266	23898	220863
1993-94	152317	24650	21874	198841
1992-93	132794	20586	17619	170999
1991-92	116091	13911	18703	148705
1990-91	102964	13387	20708	137059
1989-90	90138	13399	17370	120907
1988-89	76415	11340	15205	102960
1987-88	65895	10523	13794	90212
1986-87	57911	10991	13431	82333
1985-86	49032	8900	13805	71737
1984-85	39758	7843	10173	57774
1983-84	33730	6276	9005	49011
1982-83	28813	4858	9769	43440
1981-82	23996	4299	6248	34543
1980-81	21096	3983	5664	30743
1979-80	17948	2439	4720	25107
1978-79	15265	2418	5666	23349
1977-78	13414	2243	4155	19812
1976-77	12286	1851	3517	17654

परिशिष्ट IV: ब्याज भुगतान

(पैराग्राफ 4.6 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण	विदेशी ऋण	लघु बचतें, भ.नि.	अन्य	जोड़	ब्याज प्राप्ति	कुल कर राजस्व की %ता के रूप में ब्याज भुगतान	स.घ.उ. की %ता के रूप में ब्याज भुगतान
1998-99	39832	4364	30584	3102	77882	30076	60.23	4.42
1997-98	31270	4110	29169	1088	65637	25343	52.21	4.20
1996-97	27233	4223	27101	921	59478	22119	51.61	4.66
1995-96	22179	4414	22531	921	50045	18430	50.07	4.56
1994-95	19168	4026	20313	553	44060	15806	52.62	4.66
1993-94	15587	3724	16936	494	36741	15078	54.05	4.59
1992-93	13542	3529	13436	568	31075	12521	45.31	4.42
1991-92	11317	2704	12083	492	26596	10933	42.72	4.31
1990-91	9814	1834	9413	437	21498	7580	40.22	4.01
1989-90	8273	1494	7573	417	17757	7691	37.22	3.89
1988-89	6912	1242	5801	323	14278	6982	34.22	3.61
1987-88	5510	977	4490	207	11251	5755	32.08	3.38
1986-87	4763	766	3489	228	9246	5353	30.15	3.16
1985-86	3919	538	2869	186	7512	4595	28.02	2.86
1984-85	3101	460	2153	206	5974	3963	26.89	2.58
1983-84	2499	356	1733	207	4795	2668	24.55	2.31
1982-83	2020	304	1455	159	3938	2852	23.80	2.21
1981-82	1635	258	1182	120	3195	2215	21.57	2.00
1980-81	1369	231	901	103	2604	1795	21.41	1.91
1979-80	1071	235	822	82	1829	1369	19.91	1.93
1978-79	887	226	646	70	1829	1427	18.65	1.76
1977-78	692	209	553	67	1521	1440	18.61	1.58
1976-77	643	208	426	97	1374	1105	18.06	1.62

परिशिष्ट V : राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान

(पैराग्राफ 4.6.1.1 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	ब्याज	कॉलम 2 से कॉलम 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4
1998-99	113298	77882	68.74
1997-98	104621	65637	62.74
1996-97	68242	59478	87.16
1995-96	63689	50045	78.58
1994-95	62079	44060	70.97
1993-94	71676	36741	51.26
1992-93	47140	31075	65.92
1991-92	38835	26596	68.48
1990-91	45887	21498	46.85
1989-90	37222	17757	47.71
1988-89	32007	14278	44.61
1987-88	28273	11251	40.36
1986-87	27875	9246	37.89
1985-86	24405	7512	42.24
1984-85	17785	5974	42.87
1983-84	13934	4795	38.44
1982-83	12473	3938	45.44
1981-82	8667	3195	36.86
1980-81	8888	2604	29.30
1979-80	6391	2210	34.58
1978-79	5988	1829	30.54
1977-78	4110	1521	37.00
1976-77	4080	1374	33.68

परिशिष्ट VI : बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(पैराग्राफ 4.8 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सितम्बर 1997 तक जारी किये गये अनुदानों के संबंध में मार्च 1999 के अन्त तक बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि	अनुदानों के लम्बित रहने का प्रारम्भिक वर्ष
1	कृषि एवं सहकारिता	355	116.68	1976-77
2	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2	3.56	1996-97
3	परमाणु ऊर्जा	81	1.66	1985-86
4	वाणिज्य तथा वस्त्र			
	i) वाणिज्य	3	0.13	1997-98
	ii) हस्तशिल्प विकास आयुक्त, दिल्ली	645	19.64	1978-79
5.	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण	27	4.03	1981-82
6.	रसायन तथा उर्वरक			
	i) उर्वरक	23	15.25	1995-96
	ii) रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग	18	22.86	1991-92
7.	इलैक्ट्रॉनिक्स	343	51.42	1992-93
8.	विदेशी मामले	65	3.50	1987-88
9.	वित्त			
	आर्थिक कार्य	21	5.42	1993-94
10.	खाद्य	19	1.75	1994-95
11.	खाद्य संसाधन उद्योग	300	29.48	1988-89
12.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण			
	(i) परिवार कल्याण	1576	412.57	1976-77
	(ii) स्वास्थ्य	1783	960.63	1976-77
13.	मानव संसाधन विकास			
	i) शिक्षा	7677	3458.22	1977-78
	ii) महिला तथा बाल विकास	8564	1589.53	1986-87

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सितम्बर 1997तक जारी किये गये अनुदानों के संबंध में मार्च 1999के अन्त तक बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि	अनुदानों के लम्बित रहने का प्रारम्भिक वर्ष
	iii) युवा मामले तथा खेलकूद	3188	217.47	1987-88
	iv) संस्कृति	4644	360.69	1982-83
14.	श्रम	937	46.67	1979-80
15.	खान	01	0.04	1997-98
16.	योजना तथा सांख्यिकी			
	i) सांख्यिकी	01	0.10	1995-96
	ii) योजना आयोग तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	142	11.23	1990-91
17.	विद्युत	58	12.94	1992-93
18.	ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार	25	23.29	1996-97
19.	अन्तरिक्ष	273	5.15	1976-77
20.	भूतल परिवहन	02	0.17	1997-98
21	शहरी मामले तथा रोजगार	528	294.63	1981-82
22	जल संसाधन	117	4.96	1985-86
23	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन	06	0.22	1996-97
24	विधि, न्याय एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, विधायी	175	1.50	1981-82
25.	उद्योग			
	i) औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	230	0.03	1993-94
	ii) लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग	29	0.87	1993-94
	जोड़	31858	7676.29	

परिशिष्ट VII : निवेश पर प्रतिफल*

(पैराग्राफ 4.10 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष के अन्त में निवेश	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा सांविधिक निगम					
	i कुल निवेश	47070.59	49737.75	53194.32	57119.91	60098.78
	ii लाभांश का हिस्सा	823.78	1216.46	1577.33	1819.98	2383.57
	iii लाभांश की प्रतिशतता	1.75	2.45	2.97	3.19	3.97
2	राष्ट्रीयकृत बैंक					
	i कुल निवेश	14753.73	13673.68	13146.21	15846.36	13672.62
	ii लाभ का हिस्सा	14.35	104.15	209.77	314.52	384.19
	iii लाभ की प्रतिशतता	0.10	0.76	1.60	1.98	2.81
3	भारतीय जीवन बीमा निगम					
	i कुल निवेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	ii अधिशेष लाभ का हिस्सा	140.35	161.28	226.33	199.87	235.70
	iii अधिशेष लाभ की प्रतिशतता	2807.00	3225.60	4526.60	3997.40	4714.00
4	सामान्य बीमा निगम					
	i कुल निवेश	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00
	ii लाभांश का हिस्सा	53.76	53.81	53.75	64.50	64.50
	iii लाभांश की प्रतिशतता	25.00	25.03	25.00	30.00	30.00
5	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक					
	i कुल निवेश	753.00	670.00	500.00	500.00	500.00
	ii अधिशेष लाभ का हिस्सा	120.48	146.83	198.71	169.95	218.51
	iii लाभ की प्रतिशतता	16.00	21.91	39.74	33.99	43.70

* भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर

क्र. सं.	वर्ष के अन्त में निवेश	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
6	राज्य सहकारी बैंक तथा अन्य बैंक					
	i कुल निवेश	1045.60	1434.86	1679.23	1979.24	2232.50
	ii प्राप्त लाभांश	14.20	16.28	20.29	31.30	41.29
	iii लाभांश की प्रतिशतता	1.36	1.13	1.21	1.58	1.85
7	सहकारी समितियां					
	i कुल निवेश	695.92	696.50	696.94	699.23	700.91
	ii प्राप्त लाभांश	49.58	49.52	68.43	80.78	105.68
	iii लाभांश की प्रतिशतता	7.12	7.11	9.82	11.55	15.08
8	सहकारी क्रेडिट समितियां					
	i कुल निवेश	0.05	0.07	0.07	0.10	0.11
	ii प्राप्त लाभांश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	iii लाभांश की प्रतिशतता	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
9	अन्तर्राष्ट्रीय निकाय					
	i कुल निवेश	751.31	1070.39	1090.72	1092.84	1122.21
10	निर्माणाधीन					
	i कुल निवेश	6311.01	6311.01	6311.01	6314.65	7649.39
I	कुल निवेश	71601.21	73814.26	76838.50	83772.33	86196.52
II	प्राप्त लाभांश	1216.50	1748.33	2354.61	2680.90	3433.44
III	लाभांश/लाभ की प्रतिशतता	1.70	2.37	3.06	3.20	3.98

परिशिष्ट VIII : लाभांश का भुगतान न करने वाले सा.क्षे.उ.

(पैराग्राफ 4.10.उदेखें)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1998-99तक कुल निवेश	1997-98के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/हानि	कर पश्चात् लाभ
1.	नेवेली लिग्नाईट निगम लिमिटेड	1692.42	441.98	287.29
2.	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड	4.88	2.87	1.87
3.	इरकॉन इण्टरनेशनल लिमिटेड	4.94	51.54	33.50
4.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	232.00	293.96	191.07
5.	रेल इण्डिया तकनीकी तथा आर्थिक सेवा लिमिटेड	1.00	20.06	13.04
6.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	50.01	178.33	115.91
7.	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	23.00	42.11	27.37
8.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम, नई दिल्ली	157.00	6.67	4.34
9.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, बम्बई	3181.93	281.21	182.79
10.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर लि., केरल	345.47	59.19	38.47
11.	सैमी कन्डक्टर कम्पलैक्स लि.	188.41	0.22	0.14
12.	कोल इण्डिया लि.	7224.82	541.65	352.07
13.	बहुपक्षीय औद्योगिक विकास निगम, दमन एवं दीव	3.20	1.00	0.65
14.	भारत वैगन तथा इंजीनियरी कम्पनी लिमिटेड	4.22	0.91	0.59
15.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लि.	154.35	3.23	2.10
16.	हुडको	50.00	69.38	45.10
17.	दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.	150.00	11.06	7.19
	जोड़	13467.65	2005.37	1303.49

परिशिष्ट IX: राष्ट्रीयकृत बैंक जिनकी पूंजी भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधानों/ बैंकों में से अभिदत्त की गई थी जिनके निवेश अवलेखित किए गए थे।

(पैराग्राफ 4.11 देखें)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	अभिदत्त की गई/अवलेखित की गई पूंजी						
		1998-99 मार्च 99 में	1997-98 फरवरी 98 में	1996-97 मार्च 97 में	1995-96 मार्च 96 में	1994-95 फरवरी 95 में दिस.94 में		1993-94 जन.94 में
1.	इलाहाबाद बैंक	--	--	532.00*	160.00	--	356.20	90.00
2.	सिंडिकेट बैंक	942.62*	--	--	172.00	--	278.59	680.00
3.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	418.18*	--	--	80.00	94.61	239.58	150.00
4.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	462.47*	--	150.00	72.00	--	116.03	160.00
5.	यूको बैंक	200.00	350.00	54.00	110.00	235.56	279.96	535.00
6.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	100.00	--	338.00	256.00	67.44	471.43	215.00
7.	आन्ध्रा बैंक	243.37*	--	165.00	--	75.72	108.60	150.00
8.	सैन्ट्रल बैंक	--	--	500.00	--	--	632.46	490.00
9.	विजया बैंक	--	--	302.00	--	--	62.31	65.00
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	--	--	--	--	--	--	400.00
11.	केनरा बैंक	507.10*	600.00	--	--	--	--	365.00
12.	कापेरिशन बैंक	--	--	--	--	--	--	45.00
13.	बैंक ऑफ इण्डिया	--	--	--	1369.92*	--	848.38	635.00
14.	देना बैंक	--	--	--	136.29*	--	6.11	130.00
15.	इण्डियन बैंक	100.00	1750.00	--	--	--	230.96	220.00
16.	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	--	--	1000.00*	--	--	258.60	705.00
17.	ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स	--	--	--	--	--	--	50.00
18.	पंजाब नेशनल बैंक	--	--	--	--	--	425.23*	415.00
19.	यूनियन बैंक	--	--	--	--	--	--	200.00
	जोड़ अभिदत्त पूंजी	400.00	2700.00	1509.00	850.00	473.33	3889.61	5700.00
	अवलेखित की गई पूंजी	2573.74		1532.00	1506.21		425.23	--

* अवलेखित की गई पूंजी

परिशिष्ट X : संघ सरकार के लेखाओं में घाटा

(पैराग्राफ 5.1 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	घाटा					वर्तमान बाजार मूल्य पर स.घ.उ.*
	राजस्व	बजटीय	राजकोषीय	प्राथमिक	मुद्रिकृत	
1998-99	60567	--	113298	35416	11800	1762609
1997-98	59433	--	104621	38984	12914	1563552
1996-97	32654	13184	68242	8764	1934	1276974
1995-96	29731	9808	63689	13644	19855	1098576
1994-95	31029	961	62079	18019	2130	945615
1993-94	32715	10960	71676	34935	260	801032
1992-93	18574	12312	47140	16065	4257	702829
1991-92	16261	6855	38835	12239	5508	616061
1990-91	18561	11347	45887	24389	14746	535517
1989-90	11914	10592	37222	19465	13813	456902
1988-89	10515	5642	32007	17729	6503	395782
1987-88	9137	5816	28273	17022	6559	333201
1986-87	7579	8261	27875	18629	7091	292949
1985-86	5565	6942	24405	16893	6190	262243
1984-85	3498	3745	17785	11811	6055	231343
1983-84	2398	1817	13934	9139	3949	207589
1982-83	1254	3399	12473	8535	3368	178132
1981-82	293	(+) 2107	8667	5472	3270	159760
1980-81	1702	2476	8888	6284	3551	136013
1979-80	696	2377	6391	4181	2650	114356
1978-79	(+) 292	1508	5988	4159	2191	104190
1977-78	(+) 429	742	4110	2589	(-)260	96067
1976-77	(+) 280	54	4080	2706	816	84894

*सी एस ओ द्वारा अधिसूचित त्वरित अनुमानित आंकड़े

परिशिष्ट XI : उधारों द्वारा वित्तपोषित व्यय

(पैराग्राफ 5.3 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कर्जे एवं पेशगियां	जोड़
1998-99	60567	19326	33405	113298
1997-98	59433	19313	25875	104621
1996-97	32654	15249	20339	68242
1995-96	29731	16147	17811	63689
1994-95	31029	13659	17391	62079
1993-94	32715	24698	14263	71676
1992-93	18574	18625	9941	47140
1991-92	16261	10873	11701	38835
1990-91	18561	13387	13939	45887
1989-90	11914	13399	11909	37222
1988-89	10515	11340	10152	32007
1987-88	9137	10523	8613	28273
1986-87	7579	10990	9306	27875
1985-86	5565	8900	9940	24405
1984-85	3498	7843	6444	17785
1983-84	2398	6276	5260	13934
1982-83	1254	4822	6397	12473
1981-82	293	4299	4075	8667
1980-81	1702	3983	3203	8888
1979-80	696	2436	3259	6391
1978-79	--*	2404	3584	5988
1977-78	--*	2243	1867	4110
1976-77	--*	1850	2230	4080

* 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान क्रमशः 280 करोड़ रु, 429 करोड़ रु और 292 करोड़ रु का राजस्व अधिशेष था।

परिशिष्ट XII : संघ सरकार की कुल देयता
(पैराग्राफ 7.1 देखें)

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण	विदेशी ऋण		लोक लेखा		कुल देयता	
		पूर्ववत दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि तथा जमा	पूर्ववत दर पर	वर्तमान दर पर
1998-99	459696	57254	177934	333261	41595	891806	1012486
1997-98	388998	55332	161442	291867	42097	778294	884404
1996-97	344475	54239	149077	239042	37919	675675	770513
1995-96	307869	51249	148583	213435	33680	606233	703567
1994-95	266467	50928	142389	192222	28993	538610	630071
1993-94	245712	47345	127798	160355	24556	477968	558421
1992-93	199100	42269	120813	136802	23752	401923	480467
1991-92	172750	36948	109608	121500	23464	354662	427322
1990-91	154004	31525	*	107107	21922	314558	*
1989-90	133193	28343	*	87065	19592	268193	*
1988-89	114498	25746	*	68536	20991	229771	*
1987-88	98646	23223	*	54528	19165	195562	*
1986-87	86312	20299	*	44928	15006	166545	*
1985-86	71039	18153	*	36859	11433	137484	*
1984-85	58537	16636	*	29705	8563	113441	*
1983-84	50264	15120	*	23874	6003	95261	*
1982-83	46939	13682	*	19887	4364	84872	*
1981-82	35653	12328	*	16578	3626	68185	*
1980-81	30864	11298	*	13953	3633	59748	*
1979-80	24319	9964	*	12486	3445	50214	*
1978-79	19855	9373	*	10756	3499	43483	*
1977-78	18996	8985	*	9130	3062	40173	*
1976-77	14458	8611	*	7709	2830	33608	*

* विनिमय की वर्तमान दर उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट XIII : अप्रयुक्त कर्जे - सैक्टर-वार

(पैराग्राफ 7.11 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	सैक्टर	प्रचलित दर पर अप्रयुक्त कर्जे
1	विद्युत	10319.93
2	सामाजिक	13353.43
3	शहरी विकास	2028.18
4	अन्य	293.20
5	कृषि तथा ग्रामीण विकास	4244.59
6	जल संसाधन प्रबन्ध	7205.15
7	सड़कें	5044.25
8	उद्योग तथा वित्त	1117.22
9	रेलवे	544.79
10	उर्वरक	476.14
11	अवसंरचनात्मक सैक्टर (सामान्य)	823.32
12	ढांचागत समायोजन/तीव्र वि.	634.95
13	तेल	18.45
14	कोयला	264.55
15	पर्यावरण तथा वनविज्ञान	3476.52
16	ऊर्जा (गैर-परम्परागत)	312.00
	जोड़	50156.67

परिशिष्ट XIV : 31 मार्च 1999 को अधिकांश राशियों का आयातकर्ताओं के स्वामित्व में होना

(पैराग्राफ 8.4.1 देखें)

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	आयातकर्ता का नाम	देश (कर्जे के स्रोत)	राशि	अवधि जिससे राशियां प्रतीभित हैं।
1.	ते.प्रा.गै.आ.	कनाडा	0.33	1992-94
		यू.के.	2.96	1993-94
		यू.एस.एस.आर.	2.83	1991-92से 1992-93
			6.12	
2.	दूरसंचार	फ्रांस	4.57	1985-86से 1991-92
		जापान	1.47	1986-87से 1990-91
			6.04	
3.	पवन हंस हेलिकाप्टर	फ्रांस	63.42	1986-87से 1988-89
		यू.के.	45.30	1987-88से 1988-89
		यू.के.	0.02	1993-94
			108.74	
4.	भारतीय हेलीकाप्टर निगम	यू.के.	21.91	1985-86से 1986-87
5.	नै.हा.पा.का.	फ्रांस	12.19	1991-92से 1993-94
6.	सी.आई.एल.	फ्रांस	3.49	1993-94से 1995-96
		यू.एस.एस.आर.	0.93	1988-89से 1991-92
			4.42	
7.	दि.न.नि./दि.ज.आ.म.व्य.उ.	फ्रांस	28.01	1993-94से 1998-99
8.	नै.थ.पा.का.	फ्रांस	16.17	1993-94 से 1998-99
		फ्रांस	0.04	1993-94
		जापान	59.42	1992-93से 1997-98
		यू.एस.एस.आर.	27.25	1985-86से 1996-97
			102.88	

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	आयातकर्ता का नाम	देश (कर्ज के स्रोत)	राशि	अवधि जिससे राशियां प्रतीक्षित हैं।
9.	सिंचाई विभाग (महाराष्ट्र)	फ्रांस	3.77	1993-94 से 1997-98
10.	नर्मदा जल	फ्रांस	5.24	1994-95 से 1998-99
11.	खान तथा भूविज्ञान विभाग	फ्रांस	5.08	1994-95 से 1996-97
12.	सिंगरेनी कोयला खानें	जर्मनी	4.21	1994-95 से 1997-98
13.	दि.वि.बो.	नीदरलैंड	7.80	1994-95 से 1996-97
		स्विटजरलैंड	1.60	1992-93 से 1994-95
			9.40	
14.	पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड, कलकत्ता	जापान	2.53	1988-89 से 1998-99
15.	ख.घा.व्या.नि.	ई.ई.सी.	36.37	1990-91 से 1997-98
		जापान	1.44	1991-92 से 1993-94
			37.81	
16.	पर्यटन मंत्रालय	जापान	8.26	1990-91 से 1998-99
17.	मत्स्य परियोजना केरल	जापान	28.33	1993-94
18.	ए एन पी ए आर ए (उ.प्र.रा.वि. बो)	जापान	88.65	1993-94 से 1997-98
19.	हिन्दुस्तान केबिल्स	ए डी बी	2.12	1995-96
20.	रेलवे बोर्ड नई दिल्ली			
	रेलवे परियोजना	ए डी बी	1.30	1998-99
	रेलवे बोर्ड नई दिल्ली	स्विटजरलैंड	4.53	1994-95
	तृतीय रेलवे आधुनिकीकरण रेलवे बोर्ड	आई बी आर डी	16.77	1992-93 से 1993-94
	रेलवे बोर्ड	जर्मनी	0.84	1988-89 से 1990-91
	रेलवे निवेश कार्यक्रम	जर्मनी	1.31	1994-95 से 1997-98
	रेलवे परियोजना 90 तथा 83	यू.के.	28.23	1988-89 से 1994-95
			52.98	
21..	शिशु बचाव तथा सुरक्षित मां- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	आई डी ए	11.62	1996-97

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	आयातकर्ता का नाम	देश (कर्जे के स्रोत)	राशि	अवधि जिससे राशियां प्रतीकृत हैं।
22.	भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद्, देहरादून	आई डी ए	16.10	1995-96 से 1998-99
23.	कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	आई डी ए	21.87	1996-97 से 1998-99
24.	आ.प्र.रा.बि.बो., हैदराबाद	जापान	70.03	1995-96 से 1998-99
25.	मैसूर पेपर मिल्स, कर्नाटक	जापान	1.16	1997-98 से 1998-99
26.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उ.प्र.	जापान	5.66	1994-95 से 1995-96
27.	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम, कलकत्ता	जापान	254.64	1997-98 से 1998-99
28.	सीमेंट उद्योग, आई.सी.आई.सी.आई. मुम्बई	आई बी आर डी	12.33	1992-93 से 1994-95
29.	हरियाणा विद्युत पुनर्निर्माण	आई बी आर डी	2.31	1994-95 से 1998-99
30.	कोयला क्षेत्र पुनर्वास	आई बी आर डी	4.42	1994-95 से 1997-98
31.	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र	आई बी आर डी	0.13	1996-97 से 1998-99
32.	हिन्दुस्तान जिक सहायता	यू.के.	106.53	1990-91 से 1995-96
33.	नागार्जुन सागर परियोजना	यू.के.	4.71	1991-92 से 1994-95
34.	ऊर्जा दक्ष अनुदान-90, भारतीय विद्युत ग्रिड निगम, नई दिल्ली	यू.के.	182.45	1993-94 से 1996-97
35.	मुम्बई दिल्ली विमानपत्तन अनुदान-90	यू.के.	5.83	1994-95 तथा 1995-96
36.	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	यू.एस.एस.आर.	3.15	1983-84 से 1991-92
37.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-स्वास्थ्य मंत्रालय	जापान	27.37	1997-98 से 1998-99
38.	निजामुद्दीन पुल, एम.ओ.एस.टी.	जापान	28.74	1996-97 से 1997-98
39.	पिपअवाव पोर्ट शिप-ब्रेकिंग परियोजना, गुजरात	जापान	26.67	1996-97
40.	कलावती सरन अस्पताल	जापान	16.29	1997-98 से 1998-99
41.	महाराष्ट्र विद्युत	आई.बी.आर.डी.	38.31	1996-97 से 1997-98
42.	बम्बई शहरी	आई.बी.आर.डी.	6.79	1996-97 से 1998-99
43.	रायल सीमा ताप विद्युत परियोजना	ए.डी.बी.	57.23	1996-97 से 1997-98
44.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम IV	जर्मनी	20.65	1995-96
45.	उर्वरक क्षेत्र	जर्मनी	102.16	1998-99
46.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	यू.के.	36.48	1998-99

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	आयातकर्ता का नाम	देश (कर्जे के स्रोत)	राशि	अवधि जिससे राशियां प्रतीक्षित हैं।
47.	आ.प्र. ऊर्जा दक्षता परियोजना	यू.के.	4.68	1998-99
48.	राष्ट्रीय राजमार्ग	ए.डी.बी.	8.38	1996-97 से 1998-99
49.	इफको., नई दिल्ली	जापान	1.40	1986-87 से 1990-91
50.	वित्त आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई तथा जन-स्वास्थ्य विभाग	जापान	16.98	1998-99
51.	त.ना. लघु औद्योगिक विकास निगम	जापान	4.28	1998-99
52.	आयुक्त, ग्रामीण विकास, हैदराबाद	जापान	7.08	1998-99
53.	उ.प्र.सिंचाई, लखनऊ	फ्रांस	1.30	1998-99
54.	जी.एस.आई., कलकत्ता	फ्रांस	2.13	1998-99
55.	आई.बी.एम., नागपुर	फ्रांस	4.44	1997-98 से 1998-99
56.	पी.एच.ई.डी., जयपुर	फ्रांस	4.47	1996-97 से 1998-99

परिशिष्ट XV : प्रतिकूल शेष

(पैराग्राफ 8.5 देखें)

(हजार रूपयों में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)	शेष (31 मार्च 1999 को)	अवधि, जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरणी सं. 13			
1.	8115-00-101-मूल्यवृद्धि आरक्षित निधियां-रेलवे वाणिज्यिक मार्ग	डे. 80,68,84	1998-99
2.	8229-00-200-अन्य विकास और कल्याण निधियां	डे. 51,59	1998-99
3.	8342-00-114-पट्टे पर दूरसंचार सुविधा जमा	डे. 39,13	1998-99
4.	8342-00-116-अ.भा. बंधपत्र योजना के अन्तर्गत भा.स्टे.बैं. की जमा राशियां	डे. 34	1998-99
5.	8443-00-105-आपराधिक न्यायालय जमा	डे. 15	1998-99
6.	8443-00-109-वन जमा	डे. 86,72	1997-98
7.	8443-00-110-पुलिस निधि जमा	डे. 36,76	1996-97
8.	8448-00-104-भारतीय बीमा संगठन की निधियां	डे. 2,92	1976-77 से पहले
9.	8449-00-115-अं.पु.वि.बैं. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	डे. 6,05,52,44	1994-95
10.	8449-00-116-सं.रा.अ. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	डे. 15,67,31	1989-90
11.	8550-00-107-वन पेशगियां	के. 1,52,96	1997-98
12.	8656-00-104-कांस्य और तांबा सिक्का ढलाई लेखा	के. 2,13,57	1976-77 से पहले
13.	8656-00-105-निकल सिक्का ढलाई लेखा	के. 55,69,15	1994-95
14.	8670-00-103-विभागीय चैक	डे. 1,50,10,82	1998-99
विवरणी सं. 14			
15.	6002-00-202-आस्ट्रिया संघ सरकार से कर्जे	(-) 17,01,85	1997-98
16.	6002-00-203-बेल्जियम साम्राज्य सरकार से कर्जे	(-) 90,92,45	1996-97
17.	6002-00-218-अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि से कर्जे	(-) 1,74,79,12	1994-95
18.	6002-00-220-नीदरलैंड सरकार से कर्जे	(-) 3,71,95,82	1996-97
19.	6002-00-221-पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन की विशेष निधि से कर्जे	(-) 88,22,64	1994-95
20.	6002-00-223-स्विस राज्य संघ की सरकार और स्विस बैंक से कर्जे	(-) 7,25,10	1998-99
21.	6002-00-224-सऊदी विकास निधि से कर्जे	(-) 40,60,31	1994-95
22.	6002-00-225-संयुक्त साम्राज्य की सरकार से कर्जे-ब्याज	(-) 2,54,48,09	1995-96

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)	शेष (31 मार्च 1999 को)	अवधि, जब से शेष प्रतिकूल हुए
	वाले		
23.	6002-00-225- संयुक्त साम्राज्य की सरकार से कर्जे-बिना ब्याज वाले	(-) 2,24,18,39	1992-93
24.	6002-00-226-अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सं.रा.अ.से कर्जे	(-) 14,93,95,17	1995-96
25.	6002-00-227-पी.एल- 480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट के अन्तर्गत सं.रा.अ. की सरकार से कर्जे	(-) 3,06,58,78	1995-96
26.	6002-00-228-सं.रा.अ. की सरकार से अन्य विविध कर्जे	(-) 19,29,89	1998-99
27.	6002-00-230-रूसी महासंघ की सरकार से कर्जे	(-) 1,12,03,45	1998-99
28.	6002-00-231-संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से कर्जे	(-) 1	1990-91
29.	8001-00-104-संचयी आवधिक जमा	(-) 48,96,90	1994-95
30.	8002-00-102-राज्य बचत प्रमाण पत्र	(-) 4,01	1976-77 से पहले
31.	8002-00-103-खजाना बचत जमा प्रमाण पत्र	(-) 70,43	1976-77 से पहले
32.	8002-00-104-रक्षा बचत प्रमाण पत्र	(-) 29,96,39	1988-89
33.	8002-00-106-राष्ट्रीय विकास बंधपत्र	(-) 3,69,60	1982-83
34.	8005-04-101- ब्याज उचन्त लेखा	(-) 1,30,38	1998-99
35.	8012-00-112-कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि. द्वारा जमा	(-) 5,78,95,36	1991-92
36.	8013-60-101-ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला सम द्वि योजना	(-) 5,92,42	1998-99
	विवरणी सं. 14 क		
37.	6001-00-101-बाजार कर्जे 10.50% वाला कर्ज, 1998	(-) 16,87	1998-99
38.	6001-00-106-क्षतिपूर्ति और अन्य बंधपत्र (i) 5-वर्षीय ब्याज मुक्त पुरस्कार बंधपत्र, 1965	(-) 27,44	1976-77 से पहले
39.	6001-00-106-(ii) जीवन बीमा निगम से कर्जे	(-) 1,18	1979-80
40.	6001-00-106 (iii) 9 प्रतिशत वाला राहत बंधपत्र, 1993	(-) 1,56,68,72	1998-99
41.	6001-00-106 (iv) विशेष धारक बंधपत्र, 1991	(-) 8,62,85	1995-96
42.	6001-00-106 (v) 9 प्रतिशत वाला राहत बंधपत्र, 1987	(-) 10,69,68,44	1998-99
43.	6001-00-111-स्वर्ण बंधपत्र, 1998	(-) 2	1998-99
44.	6001-00-800-अन्य ऋण	(-) 4,58	1990-91
	विवरणी सं.. 15		
45.	6202-03-800-अन्य ऋण	(-) 18,76	1986-87
46.	6216-80-800-अन्य ऋण	(-) 69,42	1986-87
47.	6225-01-800-अन्य ऋण	(-) 1,81	1994-95
48.	6235-01-110-तिब्बती शरणार्थी	(-) 11	1994-95
49.	6245-01-101-निःशुल्क राहत	(-) 8,03	1986-87

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)	शेष (31 मार्च 1999 को)	अवधि, जब से शेष प्रतिकूल हुए
50.	6245-02-101-निःशुल्क राहत	(-) 21,56	1997-98
51.	6401-00-104-क षिफार्म	(-) 39,79	1993-94
52.	6401-00-800-अन्य कर्जे	(-) 1,36,81	1986-87
53.	6402-00-102-भू-संरक्षण	(-) 33,66	1995-96
54.	6403.00-800-अन्य कर्जे	(-) 64,28	1994-95
55.	6515-00-102-सामुदायिक विकास	(-) 5,75	1986-87
56.	6515-00-103-ग्रामीण निमार्ण कार्य कार्यक्रम	(-) 1	1986-87
57.	6701-60-800-अन्य कर्जे	(-) 4	1988-89
58.	6803-00-190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को कर्जे	(-) 81,63,89	1998-99
59.	6860-01-800- अन्य कर्जे	(-) 22	1994-95
60.	7452-01-800- अन्य कर्जे	(-) 93,20	1992-93
61.	7602-01- अन्य (पाण्डिचेरी)	(-) 6	1997-98
62.	7602-02-अन्य (पाण्डिचेरी)	(-) 4	1992-93
63.	7605-00-084-यू.ए.आर. सरकार को कर्जे	(-) 2,02,53	1995-96

परिशिष्ट - XVI : वर्ष 1998-99 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा अप्राप्य बकायों की विवरणी

(पैराग्राफ 9.1 देखें)

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	के कारण बट्टे खाते डाली गई हानियां एवं अप्राप्य बकाया					
	तंत्र की विफलता		उपेक्षा/घोखाघड़ी आदि		अन्य कारण	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
कृषि					11	0.87
परमाणु ऊर्जा					19	2.18
रसायन एवं उर्वरक					21	26.61
रक्षा	19	1.00	22	1.43	219	23.94
इलैक्ट्रॉनिक्स					1	0.35
ऊर्जा					8	41.72
वित्त			2	0.37	2	0.11
श्रम					2	0.34
अंतरिक्ष			0	0	11	0.68
जोड़	19	1.00	24	1.80	294	96.80

परिशिष्ट – XVII : विभागीय रूप से प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(पैराग्राफ 9.2 देखें)

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पति (निबल)	अद्यतन मूल्य ड्रास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्यमान पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
कृषि मंत्रालय										
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	1992-93	2107.24	872.34	1116.78	(-) 4034.21	499.76	(-)3534.45	-	
2.	बर्फ और प्रशीतन संयंत्र, कोचीन	1987-88	41.17	40.67	33.30	(-) 20.90	-	(-) 20.90	-	
रक्षा मंत्रालय										
3.	कैंटीन भण्डार विभाग	1995-96	48.00	1397.69	844.57	4472.92	2620.20	7093.12	34.36	
विद्युत मंत्रालय										
4.	विद्युत विभाग, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1997-98	11378.00	10207.07	1186.00	(-)4593.00	1126.00	(-)3467.00	-	
5.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	1990-91	827.51	597.00	230.52	(-) 483.79	शून्य	52.95	6.01	
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय										
6.	पर्यावरण एवं वन विभाग, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1989-90	477.09	477.09	354.92	(+) 535.83	246.28	4397.44	131.24	
वित्त मंत्रालय										
7.	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड	1993-94	5611.69	3310.00	158.25	5062.30	1767.64	6829.94	237.44	

8.	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद	1993-94	1348.00	980.00	369.00	(+) 302.00	214.00	516.00	26	अलेखापरीक्षित अनंतिम आंकड़े।
9.	चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड़	1992-93	7681.67	5498.00	2400.00	(+) 2508.34	1966.87	4474.91	23.89	आंकड़े समायोजन के बाद लाभ और हानि पर आधारित हैं।
10.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	1992-93	172.01	90.48	40.39	1562.51	201.16	1763.67	92.06	
11.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	1992-93	219.93	191.27	27.16	(+) 2044.82	187.87	2232.69	124.78	
12.	सरकारी क्षारोध कार्यशाला, नीमच	1992-93	456.64	199.94	10.06	(+) 288.89	41.63	330.52	83.37	
13.	सरकारी क्षारोध कार्यशाला, गाजीपुर	1992-93	123.18	23.63	27.87	(-) 58.44	20.68	(-) 37.76	-	
14.	भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	1983-84	29.89	516.46	25.22	(+)1561.18	193.32	(+)1754.50	63.98	
15.	भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	1995-96	479.46	235.82	359.67	(+)857.64	1659.50	(+)2517.14	-	
16.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	1991-92	4453.70	583.67	337.63	(-)854.88	516.69	338.19	7.59	
17.	परख विभाग, कलकत्ता	1991-92	6.53	10.62	0.49	(+) 1.34	शून्य	1.34	15.14	
18.	रजत परिष्करणशाला, कलकत्ता	1991-92	58.91	9.51	103.85	(+) 110.19	188.67	296.86	503.92	
19.	बैंक पत्र मुद्रणालय, देवास	1988-89	5330.65	4004.41	1326.24	(+) 400.57	1020.55	1421.12	26.66	
20.	प्रतिभूति पत्र कारखाना, होशंगाबाद	1981-82	3171.16	2318.31	852.85	(-) 152.39	198.89	46.50	1.47	

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय										
21.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	1997-98	414.23	53.52	40.47	(-) 38.41	98.32	264.74	32.58	
22.	चिकित्सा भण्डार डिपो	1984-85	(+)978.92	44.61	35.19	(+)38.14	(+)79.98	1306.13	-	आंकड़ों में जी.एम.एस. डी मुम्बई और जी.एम.एस.डी. दिल्ली के परिणाम शामिल नहीं हैं।
23.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कांके, रांची	1994-95	0.31	0.24	0.002	(-)0.49	0.02	1.34	442.93	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
24.	आकाशवाणी	1982-83	8325.15	5227.06	3098.09	(-)3121.89	409.64	(-)2712.25	-	
25.	रेडियो प्रकाशन, आकाशवाणी	1985-86	639.64	0.45	0.11	(-) 48.58	0.90	(-) 48.49	-	
26.	महानिदेशक, दूरदर्शन, नई दिल्ली	1976-77	2545.61	2026.43	519.18	(-) 575.45	117.88	(-) 457.57	-	वर्ष 1982-83 तक के प्रोफार्मा लेखे प्राप्त कर लिये गये हैं लेकिन वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।
27.	वाणिज्यिक बिक्री सेवा, दूरदर्शन, नई दिल्ली	1976-77	-	0.14	-	(+) 57.62	-	(+) 57.62	-	
28.	फिल्म प्रभाग, मुम्बई	1986-87	642.75	240.20	285.81	(-) 697.81	49.71	(-) 648.10		(i) पूंजी पर ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए प्रयुक्त पूंजी के मध्यमान पर परिकलित

										(ii) किया गया है। वर्ष 1987-88 और इससे आगे के प्रोफार्मा लेखाओं को अभी भी अन्तिम रूप दिया जाना है।
29.	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, आकाशवाणी	1983-84	251.28	178.71	72.57	(+) 1071.47	-	(+) 1071.47		
भूतल परिवहन मंत्रालय										
30.	प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोत विभाग	1995-96	11142.27	11813.25	2901.77	3662.03	800.00	4462.03	119.62	
31.	जहाजरानी विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1972-73	43.50	56.80	7.89	(-) 80.15	4.47	(-) 75.68	-	
32.	नौका सेवा, अंडमान	1984-85	195.85	86.93	108.92	(-) 95.45	18.49	(-) 76.96		
33.	समुद्री विभाग (गोदी) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1985-86	7.19	7.19	0.32	(-) 59.67	24.79	(-) 34.88	-	
34.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम, चण्डीगढ़	1991-92	2277.33	1128.79	48.32	(-) 361.41	145.87	(-) 215.54	-	पुष्टि मंत्रालय से अभी प्राप्त की जानी है।

35.	राज्य परिवहन सेवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1980-81	45.22	37.40	9.44	(-) 28.33	2.23	(-) 26.10	-	भूतल परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त की गई हैं।
शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय										
36.	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	1992-93								वर्ष 1992-93 तक के प्रोफार्मा लेखे प्राप्त हो गये हैं लेकिन वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।
37.	भारत सरकार के मुद्रणालय	1987-88								वर्ष 1987-88 तक के प्रोफार्मा लेखे प्राप्त हो चुके हैं लेकिन वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

परिशिष्ट-XVIII

(पैराग्राफ 10.7 देखें)

मार्च माह/वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय का आधिक्य

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष का विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता	वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय से आखिरी तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
1 कृषि						
1.	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	6.72	6.43	96	6.51	97
4-पशु पालन एवं डेयरी विभाग						
2.	4405-मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	34.59	12.17	35	32.78	95
10-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग						
3.	2408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार	87.08	74.14	85	79.79	92
4.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	10.75	-	-	5.78	54
5.	4408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	17.00	-	-	10.85	64
11-चीनी एवं खाद्य तेल विभाग						
6.	3456-नागरिक आपूर्ति	105.07	75.07	71	75.07	71
12-कोयला मंत्रालय						
7.	2803-कोयला एवं लिग्नाइट	2.89	-	-	2.01	69
13-वाणिज्य विभाग						
8.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	10.06	10.06	100	10.06	100
9.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	40.91	-	-	32.08	78
25-विदेश मंत्रालय						
10.	3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	534.43	167.15	31	279.91	52
26 आर्थिक कार्य विभाग						
11.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	33.88	-	-	18.29	54
12.	3075-अन्य, परिवहन सेवाएं	601.65	601.65	100	601.65	100

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष का विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता	वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय से आखिरी तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
13.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	10.66	10.46	98	10.46	100
27-मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टिकटें						
14.	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	18.33	15.80	86	16.52	90
28-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान						
15.	2416-कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाएं	17.25	16.84	98	16.84	98
16.	2885-उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	64.43	27.35	42	39.15	61
17.	3465-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं	1.00	0.53	53	1.00	100
18.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2689.76	2624.78	98	2656.93	99
19.	4416-कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	252.65	152.65	60	152.65	60
20.	5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	400.00	400.00	100	400.00	100
21.	6416-कृषि वित्तीय संस्थाओं को ऋण	20.68	10.53	51	13.11	63
22.	6885-भारतीय औद्योगिक क्रेडिट तथा निवेश निगम	113.96	53.85	47	64.61	57
29-ब्याज भुगतान						
23.	2049-ब्याज भुगतान	77882.39	24092.09	31	40145.00	52
37-प्रत्यक्ष कर						
24.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	8.65	7.97	92	7.97	92
38-अप्रत्यक्ष कर						
25.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	48.39	24.37	50	41.57	86
39-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय						
26.	2405-मत्स्य उद्योग	7.07	7.07	100	7.07	100

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष का विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता	वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय से आखिरी तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
27.	2408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार	14.41	7.36	51	9.94	69
28.	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.68	1.68	100	1.68	100
29.	6405-मत्स्य उद्योग के लिए कर्जे	1.72	1.72	100	1.72	100
30.	6408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार के लिए कर्जे	2.80	2.60	93	2.60	93
40-स्वास्थ्य विभाग						
31.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	264.98	148.97	56	148.97	56
43-गृह मंत्रालय						
32.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	56.42	28.00	50	35.58	63
45-पुलिस						
33.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	505.08	149.26	30	393.21	78
34.	7601-राज्य सरकारों को कर्जे एवं अग्रिम	38.69	16.70	43	28.24	73
46-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय						
35.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.76	3.62	96	3.62	96
36.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	235.78	-	-	218.82	93
37.	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	57.04	11.37	20	55.44	97
38.	3053-नागर विमानन	7.12	3.38	47	5.21	73
39.	4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	8930.66	-	-	8914.62	100
40.	7601-राज्य सरकारों को कर्जे एवं अग्रिम	602.32	170.77	28	335.75	56

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष का विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता	वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय से आखिरी तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
47-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण						
41.	3602-सं.रा.क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	436.66	169.34	39	230.00	53
48-शिक्षा विभाग						
42.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	714.46	409.46	57	448.75	63
49-युवा मामले एवं खेलकूद विभाग						
43.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	30.29	20.91	69	26.87	89
44.	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2.86	0.79	28	1.44	50
50-संस्कृति विभाग						
45.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	12.60	10.53	84	12.34	98
51-महिला एवं बाल विकास विभाग						
46.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	212.03	140.81	70	157.98	79
47.	3602-सं.रा.क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	14.02	8.77	63	8.77	63
56-सूचना, फिल्में एवं प्रचार						
48.	4220-सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	9.76	3.80	39	6.50	67
57-प्रसारण सेवाएं						
49.	4221-प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय	320.18	126.20	39	187.94	59
60-श्रम मंत्रालय						
50.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	41.85	19.31	46	288.16	69

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष का विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता	वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय से आखिरी तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
59-विधि एवं न्याय						
51.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	44.90	-	-	23.36	52
52.	3602-सं.रा. क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.08	-	-	1.08	100
62-कम्पनी कार्य विभाग						
53.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.79	1.45	81	1.79	100
68-योजना						
54.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	43.25	34.21	79	34.21	79
69-सांख्यिकी विभाग						
55.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4.92	3.43	70	3.43	70
74-बंजर भूमि विकास विभाग						
56.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6.47	3.88	60	3.88	60
79-भूतल परिवहन मंत्रालय						
57.	3055-सड़क परिवहन	2.20	0.75	34	1.24	56
58.	3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	1.79	1.56	87	1.56	87
59.	7056-अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कर्जे	17.85	9.85	55	9.85	55
60.	7601-राज्य सरकारों को कर्जे एवं अग्रिम	1.50	1.50	100	1.50	100
82-कपड़ा मंत्रालय						
61.	2851-उद्योग	127.97	48.67	38	68.39	53
62.	3453-विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	1.73	1.53	88	1.63	94

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष का विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता	वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय से आखिरी तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
63.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	94.18	44.07	47	58.66	62
64.	4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	6.51	2.76	42	5.17	79
84-शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन						
65.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4.99	4.37	88	4.99	100
66.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	156.75	81.37	52	92.50	59
67.	3602-सं.रा. क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.51	2.08	83	2.17	86
68.	6216-आवास के लिए कर्जे	3.57	3.57	100	3.57	100
85-लोक निर्माण						
69.	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	127.81	34.99	27	64.68	51
70.	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	9.66	4.58	47	8.13	84
71.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	11.51	3.93	34	7.18	62
72.	4885-उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	1.82	0.74	41	1.29	71
73.	5052-नौपरिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2.27	1.07	47	1.60	70
74.	5425-अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.85	1.37	48	2.15	76
88-कल्याण मंत्रालय						
75.	3602-सं.रा.क्षे. की सरकारों को सहायता अनुदान	3.32	1.83	55	1.83	55
76.	4225-अ.जा./अ.ज. एवं अ.पि.व. के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	280.50	93.84	33	185.63	66
77.	6875-अन्य उद्योगों के लिए कर्जे	2.41	2.00	83	2.41	100

परिशिष्ट-XIX
(पैराग्राफ 11.1.3 देखें)

निधि के पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (एक करोड़ रु और अधिक के आधिक्य से अधिक)

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
1-कृषि				
1.	अन्य अनुदान	मू. 3000.00 पु. (+)455.41 <u>3455.41</u>	3789.95	334.54
3-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग				
2.	कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों का भुगतान	मू. 20.00	25.00	5.00
5-रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग				
3.	पेट्रोफिल्स सहकारी लिमिटेड	मू. शून्य अ. (+) 1.50	4.50	3.00
9-उपभोक्ता कार्य विभाग				
4.	राष्ट्रीय भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि.	मू. 0.46 अ. 9.00 पु. <u>1.86</u> <u>7.60</u>	14.29	6.69
5.	उपभोक्ता विवाद सुधार एजेन्सियों का सुदृढीकरण	मू. शून्य	3.68	3.68
11-चीनी तथा खाद्य तेल विभाग				
6.	राज्य व्यापार निगम को सरकारी लेखे पर उसके व्यापार कार्यों में हानियों की प्रतिपूर्ति	मू. 30.00 पु. (+) <u>4.90</u> <u>34.90</u>	105.00	70.10
7.	पुनर्वास/गन्ना विकास/चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु कर्जे	मू. 170.00 पु. (-) <u>2.02</u> <u>172.02</u>	253.45	81.43
13-वाणिज्य विभाग				
8.	व्यापार आयुक्त	मू. 55.00 पु. (-) <u>2.86</u> <u>52.14</u>	56.03	3.89
9.	उत्पाद प्रौन्नति तथा माल विकास	मू. 470.00 पु. (+) <u>28.14</u> <u>498.14</u>	543.62	45.48

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
17-रक्षा मंत्रालय				
10.	कैंटीन भण्डार विभाग	मू. 2567.66 पु.(+) 3.75 <u>2571.41</u>	2658.43	87.02
18-रक्षा पेंशन				
11.	सेना-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. 5556.10	6804.26	1248.16
12.	नौसेना-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. 99.33	130.51	31.18
13.	वायु सेना-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. 264.22	332.01	67.79
24-पर्यावरण तथा वन मंत्रालय				
14.	पशु कल्याण	मू. 4.72 पु. (-) 0.10 <u>4.62</u>	9.79	5.17
25-विदेश मंत्रालय				
15.	दूतावास तथा मिशन (V)	मू. 599.99 पु.(+) 20.73 <u>620.72</u>	629.27	8.55
16.	विशेष प्रतिनिधि मंडल	मू. 5.50 पु.(+) 0.75 <u>6.25</u>	9.43	3.18
17.	भारत की स्वतन्त्रता का 50 वॉ वर्ष	मू. 24.00 पु.(-) 9.75 <u>14.25</u>	15.32	1.07
26-आर्थिक कार्य विभाग				
18.	अन्य व्यय-अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत जमा पर ब्याज	मू. 10.00 पु. (-) 5.00 <u>5.00</u>	10.20	5.20
19.	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) लेखा योजना के अन्तर्गत विनिमय हानियां	मू. 1400.00	1826.60	426.60
27-मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा स्टॉम्प				
20.	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक-संयंत्र तथा मशीनरी	मू. 5.00 पु.(+) 2.35 <u>7.35</u>	11.18	3.83
28-वित्तीय संस्था को भुगतान				
21.	अन्य व्यय-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से बढ़ाए गए प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रभारों का भुगतान	मू. 89.64 पु.(+) 0.25 <u>89.89</u>	94.19	4.30

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
22.	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट निवेश निगम	मू. 26.66 पु(-) <u>6.74</u> 19.92	38.85	18.93
23.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	मू. 15.01 0.01 पु(-) <u>15.00</u>	20.56	5.56
24.	हानियों के समायोजन हेतु बैंकों में निवेश का अवलेखन	मू. शून्य	2573.74	2573.74
25.	एशियन विकास बैंक में निवेश	मू. 15.00	20.00	5.00
26.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान (प्रतिभूतियों में)	मू. 5949.90 पु(+) <u>86.74</u> 6036.64	7450.87	1414.23
31-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे				
27.	गृह निर्माण अग्रिम-मंत्रालय	मू. 247.50 अ. <u>70.00</u> 317.50	354.44	36.94
28.	मोटर कारों की खरीद हेतु पेशगियां	मू. 30.89 अ. <u>15.00</u> 45.89	60.27	14.38
29.	मोटर वाहनों की खरीद हेतु पेशगियां	मू. 34.81 अ. <u>11.50</u> 46.31	54.10	7.79
30.	अन्य पेशगियां	मू. 1.74 अ. <u>0.50</u> 2.24	8.13	5.89
32-ऋणों की पुनर्जादायगी				
31.	18.9% राहत बंधपत्र, 1993	मू. 146.00	156.69	10.69
32.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से कर्जे	मू. 1102.60 पु(+) <u>100.58</u> 1203.18	1213.44	10.26
33.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से कर्जे	मू. 3064.65 पु(-) <u>15.53</u> 3049.12	3080.75	31.63
34.	नीदरलैण्ड सरकार से कर्जे	मू. 195.62 पु(+) <u>14.91</u> 210.53	211.56	1.03
34-पेंशन				
35.	भविष्य निधियों को अंशदान	मू. 7.72	25.69	17.97

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
36.	पेंशनरी प्रभार	मू. 135.00	395.31	260.31
37.	जमा सम्बद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधियां	मू. 12.41	16.07	3.66
38.	परिवार पेंशन	मू. 140.00	303.51	163.51
37-प्रत्यक्ष कर				
39.	अनुसंधान आंकड़े तथा प्रकाशन	मू. 19.34 पु (-) 0.05 <u>19.29</u>	24.69	5.40
40.	संग्रहण प्रभार-आय कर आयुक्तों तथा उनके कार्यालय	मू. 671.46 पु (-) 9.66 <u>661.80</u>	736.57	74.77
38-अप्रत्यक्ष कर				
41.	समुद्री सीमाशुल्क-प्रमुख पत्तन	मू. 100.41 पु (-) 0.01 <u>100.40</u>	105.98	5.58
42.	प्रचार तथा जन सम्पर्क निदेशालय (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	मू. 2.54 पु (+) 0.09 <u>2.63</u>	3.74	1.11
43.	संग्रहण प्रभार-अन्य कार्यालय	मू. 281.59 पु (+) 6.76 <u>288.35</u>	291.84	3.49
41-भारतीय औषधि पद्धति तथा होमियोपैथी विभाग				
44.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान	मू. 24.32 पु (+) 0.28 <u>24.60</u>	25.92	1.32
42-परिवार कल्याण विभाग				
45.	परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	मू. 92.20 पु (-) 7.55	87.39	2.74
46.	परिवार कल्याण चयनित क्षेत्रीय परियोजनाएं (भारत जनसंख्या परियोजना सहित)-सामान्य संघटक	मू. 59.30 पु (-) 34.64	26.75	2.09
43-गृह मंत्रालय				
47.	गुप्तचर ब्यूरो	मू. 218.60 पु. (-) 4.40 <u>214.20</u>	222.86	8.66
48.	चुनाव-अन्य अनुदान-संसदीय तथा राज्य विधान सभा चुनावों के दौरान गृह रक्षकों की तैनाती	मू. 2.00	4.00	2.00

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
49.	अन्य अधिनियम तथा विनियम	मू. 1.17 पु.(-) <u>1.83</u> (-) 0.66	3.48	4.14
50.	गृहरक्षक-गृहरक्षकों के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	मू. 26.00	31.00	5.00
45-पुलिस				
51.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	मू. 1355.89 अ. 42.90 पु.(-) <u>15.57</u> 1383.22	1385.38	2.16
52.	असम राइफल्स	मू. 520.25 पु. (-) <u>0.92</u> 519.33	531.75	12.42
53.	जम्मू एवं कश्मीर लाईट इनफैन्ट्री के संबंध में दिए गए विशेष पुलिस-प्रभार	मू. 123.51	146.67	23.16
54.	सीमा सुरक्षा बल-महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल	मू. 1608.18 अ. 30.00 पु. (-) <u>0.25</u> 1637.93	1682.63	44.70
55.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	मू. 284.92 अ. 3.00 पु.(+) <u>0.65</u> 288.57	293.79	5.22
56.	औद्योगिक सुरक्षा बल	मू. 624.91 अ. 1.00 पु.(+) <u>0.10</u> 626.01	645.54	19.53
57.	पुलिस कार्मिक कल्याण	मू. 7.00	29.05	22.05
58.	राज्य पुलिस मुख्यालय	मू. 237.10 अ. 13.85 पु.(-) <u>3.12</u> 247.83	258.19	10.34
59.	आवासीय भवन	मू. 36.00 पु.(+) <u>0.55</u> 36.55	40.48	3.93
60.	सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	मू. 76.76 पु.(+) <u>0.60</u> 77.36	86.67	9.31

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
47-संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण				
61.	योजनेत्तर घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान-पांडिचेरी	मू. 165.05	234.75	69.70
62.	ब्लॉक अनुदान-पांडिचेरी	मू. 88.73 पु.(+) 4.79 <u>93.52</u>	107.23	13.71
63.	संसाधनों के अन्तर को पूरा करने के लिए कर्जे-पांडिचेरी	मू. 34.95	45.67	10.72
50-संस्कृति विभाग				
64.	शताब्दी तथा वार्षिक समारोह	मू. शून्य	1.78	1.78
65.	गुवाहटी में सांस्कृतिक परिसर का गठन	मू. 2.00	6.85	4.85
52-औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन				
66.	राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अन्तरण	मू. 300.00 पु.(+) 45.22 <u>345.22</u>	401.26	56.04
67.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना के संबंध में व्यय	मू. 18.97 पु.(-) 0.68 <u>18.29</u>	19.78	1.49
54-भारी उद्योग विभाग				
68.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक उपक्रमों को अनुदान	मू. 33.60 अ. 2.31 पु.(-) 0.10 <u>35.81</u>	72.55	36.74
69.	हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड	मू. 5.00 पु. 1.85 <u>6.85</u>	20.00	13.15
70.	ब्रेथवेट, भारत ब्रेक्स तथा वाल्व लिमिटेड (भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक) के लिए बी.आई. एफ.आर. पैकेज के भाग के रूप में ब्याज आर्थिक सहायता	मू. शून्य पु.(+) 5.24 <u>5.24</u>	116.39	111.15
71.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बी.आई.एफ. आर. पैकेज के रूप में ब्याज आर्थिक सहायता	मू. शून्य	20.82	20.82
72.	इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड के पुनरुत्थान पैकेज के भाग के रूप में ब्याज आर्थिक सहायता	मू. शून्य	15.51	15.51

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
73.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के पुनरूत्थान पैकेज के भाग के रूप में ब्याज आर्थिक सहायता	मू. शून्य	122.20	122.20
74.	एच.ई.सी. के लिए बी.आई.एफ.आर. पैकेज के भाग के रूप में गारंटी शुल्क आर्थिक सहायता	मू. शून्य	22.34	22.34
75.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के लिए बी.आई.एफ.आर. पैकेज के भाग के रूप में गारंटी शुल्क आर्थिक सहायता	मू. शून्य	4.76	4.76
76.	स्वैच्छक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक उपक्रमों को अनुदान	मू. 0.50 अ. <u>0.46</u> <u>0.96</u>	7.50	6.54
77.	स्वैच्छक सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को अनुदान	मू. शून्य	4.68	4.68
78.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	मू. 0.38 पु.(+) <u>0.70</u> <u>1.08</u>	76.08	75.00
79.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	मू. 16.29	21.31	5.02
56-सूचना, फिल्म एवं प्रचार				
80.	प्रेस सूचना सेवाएं-अन्य मदें	मू. 2.11 पु.(-) <u>0.12</u> <u>1.99</u>	3.89	1.90
57-प्रसारण सेवाएं				
81.	स्टुडियो-नए उपकरण	मू. 55.39 पु.(-) <u>16.49</u> <u>38.90</u>	40.55	1.65
60-चुनाव आयोग				
82.	चुनाव आयोग-स्थापना	मू. 7.00 पु.(-) <u>0.17</u> <u>6.83</u>	8.43	1.60
63-खान मंत्रालय				
83.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को कर्जे	मू. 13.50	73.50	60.00
73-ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग				
84.	जवाहर रोजगार योजना-जिला स्तर एजेन्सियों को अनुदान	मू. 1644.66 पु.(+) <u>50.55</u> <u>1695.21</u>	1696.58	1.37
85.	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश-आवास तथा शहरी विकास निगम	मू. शून्य	50.00	50.00

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
75-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग				
86.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	मू. 12.71 पु.(+) 0.25 <u>12.96</u>	13.99	1.03
87.	महा-सर्वेक्षक	मू. 22.16	23.93	1.77
88.	वैज्ञानिक संस्थाओं तथा व्यावसायिक निकायों को सहायता-अनुदान	मू. 105.17 पु.(-) 2.13 <u>103.04</u>	115.95	12.91
89.	वेधशालाएं तथा मौसम केन्द्र	मू. 50.60	55.87	5.27
90.	अन्य मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं	मू. 22.74	26.28	3.54
78-इस्पात मंत्रालय				
91.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु बर्ड कम्पनी समूह को सहायता-अनुदान	मू. 0.80 पु.(+) 0.16 <u>0.96</u>	6.00	5.04
92.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को उसकी सहायक विश्वेश्वरय्या लोहा तथा इस्पात लिमिटेड (वि.लो.इ.एल.) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायता-अनुदान	2.70 0.75 <u>3.45</u>	8.00	4.55
93.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एस.आइ.आइ.एल.) को सहायता अनुदान	मू. 0.15	2.00	1.85
94.	भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	मू. 7.50 पु.(+) 7.00 <u>14.50</u>	27.50	13.00
80-सड़कें				
95.	राज्यों/सं.रा.क्षे. को देय संग्रहण शुल्क की लागत	मू. 2.00	5.00	3.00
96.	सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	मू. 496.00 पु.(+) 15.50 <u>511.50</u>	529.99	18.49
97.	बी.आर.डी.एस. के अन्तर्गत निर्माण कार्य	मू. 287.96 अ. 0.01 पु. 10.39 <u>298.36</u>	299.97	1.61
81-पत्तन, प्रकाश गृह तथा नौपरिवहन				
98.	स्वै.से.नि.यो. के कार्यान्वयन हेतु अनुदान	मू. 2.70 अ. 1.40 <u>4.10</u>	8.00	3.90

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
99.	कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल में अनुरक्षण तथा निकर्षण	मू. 123.69 पु.(-) <u>8.71</u> 114.98	194.78	79.80
100.	कलकत्ता पत्तन न्यास तथा हल्दिया चैनल द्वारा हुगली नदी तथा हल्दिया चैनल का निकर्षण तथा अनुरक्षण	मू. 24.31	40.73	16.42
101.	सामान्य आरक्षित निधि	मू. 19.22 पु.(+) <u>2.77</u> 21.99	53.61	31.62
102.	नौपरिवहन महानिदेशक	मू. 3.42 पु.(-) <u>1.77</u> 1.65	3.19	1.54
103.	अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण	मू. 39.40 पु.(-) <u>11.69</u> 27.71	38.50	10.79
104.	सर्वेक्षण जलयान	मू. 30.00 पु.(+) <u>11.59</u> 41.59	83.61	42.02
82-वस्त्र मंत्रालय				
105.	स्वैच्छक सेवानिवृत्ति योजना हेतु सा.क्षे.उ. को अनुदान	मू. 5.30 अ. 0.73	10.73	4.70
106	राष्ट्रीय पटसन निर्माण निगम	मू. 60.00 प(+) 27.40	104.11	16.71
83- शहरी विकास				
107.	शहरी विकास निर्माण	मू. 69.00 पु.(+) <u>0.55</u> 69.55	72.01	2.46
87-जल संसाधन मंत्रालय				
108.	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण	मू. 18.00 पु. <u>0.40</u> 0.40	18.00	17.60
89-परमाणु ऊर्जा				
109.	विकिरण तथा समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड	मू. 18.14 पु.(-) <u>0.33</u> 17.81	21.30	3.49
110.	ईंधन निर्माण सुविधाएं	मू. 270.98 पु.(+) <u>0.99</u> 271.97	273.76	1.79

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
111.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	मू. 151.63 पु.(-) 0.70 <u>150.93</u>	157.58	6.65
112.	धातुविज्ञान	मू. 4.57 पु.(+) 0.01 <u>4.58</u>	5.81	1.23
90-नाभिकीय विद्युत योजनाएं				
113.	मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र	मू. 72.03 पु.(-) 25.35 <u>46.68</u>	54.65	7.97
114.	राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र	मू. 72.03 पु.(-) 32.68 <u>39.35</u>	53.98	14.63
94-राष्ट्रपति के कर्मचारीगण गृहकार्य तथा भत्ते				
115.	राजकीय वाहन तथा मोटर कार	मू. 0.23 पु.(+) 0.01 <u>0.24</u>	3.55	3.31
95-राज्य सभा				
116.	सदस्य	मू. 23.94 पु.(-) 0.24 <u>23.70</u>	25.79	2.09
96-लोक सभा				
117.	सदस्य	मू. 36.63 पु.(-) 8.36 <u>28.27</u>	44.66	16.39
99-अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह				
118.	विद्युत संयंत्र तथा आनुषंगिक निर्माण कार्य	मू. 23.95 पु.(+) 0.01 <u>23.96</u>	30.05	6.09
119.	सरकारी माध्यमिक विद्यालय	मू. 20.10 पु.(-) 0.51 <u>19.59</u>	20.76	1.17
120.	एस. सी. आई. को भुगतान	मू. 38.00	44.50	6.50
121.	सड़क परिवहन परिचालन	मू. 5.08 पु.(+) 0.06 <u>5.14</u>	6.15	1.01
122.	भण्डार	मू. 25.67 पु.(+) 0.91 <u>26.58</u>	34.31	7.73

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
100-चंडीगढ़				
123.	उच्च न्यायालय	मू. 14.97 पु.(-) 0.80 <u>14.17</u>	18.47	4.30
124.	जिला पुलिस	मू. 37.49 पु.(+) 0.07 <u>37.56</u>	43.14	5.58
125.	चंडीगढ़ में विद्युत संचरण एवं वितरण	मू. 134.00 पु.(-) 0.43 <u>133.57</u>	178.61	45.04
126.	सामान्य अस्पताल, चंडीगढ़	मू. 7.25 पु.(+) 1.09 <u>8.34</u>	9.60	1.26
127.	प्राथमिक शिक्षा-निदेशन एवं प्रशासन	मू. 22.45 पु.(+) 0.23 <u>22.68</u>	24.63	1.95
128.	सरकारी माध्यमिक विद्यालय	मू. 14.25 पु.(+) 0.99 <u>15.24</u>	17.86	2.62
129.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	मू. 23.00 पु.(-) 0.54 <u>22.46</u>	33.20	10.74
130.	गैर सरकारी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता	मू. 6.57 पु.(+) 0.07 <u>6.64</u>	8.24	1.60
131.	पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालय	मू. 7.90 पु.(-) 1.14 <u>6.76</u>	7.77	1.01
132.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम-परिचालन	मू. 29.71 पु.(+) 0.30 <u>30.01</u>	32.44	2.43
133.	कार्यकारी स्थापना	मू. 7.05 पु.(-) 0.14 <u>6.91</u>	8.00	1.09
134.	भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	मू. 7.63 पु.(+) 0.30 <u>7.93</u>	9.31	1.38

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना अन्तिम अधिक व्यय
135.	स्थापना	मू. 11.71 पु.(-) <u>0.50</u> 11.21	13.82	2.61
136.	सामान्य पूल आवास-अनुरक्षण तथा मरम्मत	मू. 3.40 पु.(+) <u>0.26</u> 3.66	4.91	1.25
137.	भूमि	मू. 5.00	8.00	3.00
101-दादरा एवं नगर हवेली				
138.	संचरण एवं सवितरण-अन्य व्यय	मू. 103.47 पु.(+) <u>0.91</u> 104.38	117.74	13.36
102-दमन एवं दीव				
139.	संचरण एवं सवितरण-अन्य व्यय	मू. 80.75 पु.(+) <u>0.10</u> 80.85	87.00	6.15
140.	गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	मू. 1.10 पु.(-) <u>0.11</u> 0.99	1.99	1.00
141.	शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	मू. 0.36 पु.(+) <u>0.13</u> 0.49	2.39	1.90
103-लक्षद्वीप				
142.	सरकारी प्राथमिक विद्यालय	मू. 5.74 पु.(+) <u>0.79</u> 6.53	8.29	1.76
143.	भारतीय नौपरिवहन निगम	मू. 19.90	26.67	6.77

परिशिष्ट-XX
(पैराग्राफ 12.4 देखें)

निधियों का अभ्यर्पण

I- उन मामलों के दृष्टान्त जहां बचत से 20 प्रतिशत तथा एक करोड़ रु. से अधिक राशि अभ्यर्पित नहीं की गई :

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि की प्रतिशतता
राजस्व-दत्तमत					
1.	3-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	23.36	-	23.36	100
2.	6-उर्वरक विभाग	528.50	4.44	524.06	99
3.	8-पर्यटन विभाग	49.49	0.62	48.87	99
4.	40-स्वास्थ्य विभाग	208.01	111.64	96.37	46
5.	44-मंत्रिमंडल	12.67	7.10	5.57	44
6.	57-प्रसारण सेवाएं	284.11	213.47	70.64	25
7.	58-श्रम मंत्रालय	69.88	45.85	24.03	34
8.	63-खान मंत्रालय	19.34	14.83	4.51	23
9.	66-कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	5.54	3.13	2.41	44
10.	75-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	49.60	-	49.60	100
11.	76-वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5.94	2.00	3.94	66
12.	83-शहरी विकास	26.00	2.08	23.92	92
13.	85-लोक निर्माण कार्य	81.96	38.34	43.62	53
14.	86-लेखन सामग्री तथा	33.02	17.90	15.12	46
15.	89-परमाणु ऊर्जा	5.01	2.76	2.25	45
राजस्व-प्रभारित					
16.	34-पेंशन	1.29	-	1.29	100
पूंजीगत-दत्तमत					
17.	17-रक्षा मंत्रालय	4.30	0.93	3.37	78
18.	43-गृह मंत्रालय	9.52	5.60	3.92	41
19.	71-विद्युत मंत्रालय	1.01	-	1.01	100
20.	75-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	31.54	2.51	29.03	92

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि की प्रतिशतता
21.	85-लोक निर्माण कार्य	60.09	37.41	22.68	38
22.	90-नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं	135.45	106.90	28.55	21
23.	100-चंडीगढ़	6.23	3.63	2.60	42
पूँजीगत-प्रभारित					
24.	32-ऋण की चुकौती	36400.74	751.04	35649.70	98
	जोड़	38052.60	1372.18	36680.42	

II- उन मामलों के दृष्टान्त जहां अनुदान समग्र रूप से अधिक/बचत अभ्यर्पित राशि से कम होने के बावजूद राशि अभ्यर्पित की गई :

		(करोड़ रुपयों में)	
क्र.सं.	अनुदान/विनियोग	कुल आधिक्य	अभ्यर्पित की गई राशि
राजस्व-दत्तमत			
1.	1-कृषि	317.81	10.81
2.	9-उपभोक्ता कार्य विभाग	0.04*	4.41
3.	11-चीनी तथा खाद्य तेल विभाग	67.12	0.65
4.	13-वाणिज्य विभाग	27.71	6.20
5.	17-रक्षा मंत्रालय	65.08	13.58
6.	26-आर्थिक कार्य विभाग	361.10	7.84
7.	28-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	2566.76	36.44
8.	37-प्रत्यक्ष कर	47.38	33.26
9.	43-गृह मंत्रालय	12.78	4.72
10.	56-सूचना, फिल्म तथा प्रचार	0.88	1.32
11.	60-चुनाव आयोग	1.03	0.17
12.	80-सड़कें	0.58	15.93
13.	81-पत्तन, प्रकाश स्तम्भ तथा नौपरिवहन	113.85	18.53
14.	95-राज्य सभा	2.43	0.88
15.	96-लोक सभा	11.09	5.36
16.	102-दमन तथा दीव	8.33	1.33
17.	100-चंडीगढ़	3.78	0.76
18.	5-रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग	2.95	0.05
19.	11-चीनी तथा खाद्य तेल विभाग	79.70	1.39
20.	28-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	1381.70	29.62
21.	47-संघ-शासित सरकार को अन्तरण	9.48	1.24
22.	81-पत्तन-प्रकाश स्तम्भ तथा नौपरिवहन	37.85	11.14

* बचत

परिशिष्ट-XXI
(पैराग्राफ 12.5 देखें)

वसूलियों में प्रमुख विभिन्नता

व्यय की कटौती में समायोजित बजटीय तथा वास्तविक वसूलियों के बीच प्रमुख विभिन्नताओं के विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	विभिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता
बजट अनुमानों के प्रति कम वसूलियां					
राजस्व					
1.	6-उर्वरक विभाग	757.23	214.87	542.36	72
2.	9-उपभोक्ता कार्य विभाग	5.00	0.30	4.70	94
3.	40-स्वास्थ्य विभाग	45.00	33.47	11.53	26
4.	52-औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	25.12	4.31	20.81	83
5.	56- सूचना, फिल्म तथा प्रचार	2.07	0.13	1.94	93
6.	57-प्रसारण सेवाएं	429.90	275.90	154.00	36
7.	69-सांख्यिकी विभाग	1.16	-	1.16	100
8.	85-लोक निर्माण कार्य	289.00	228.82	60.18	21
9.	100-चंडीगढ़	31.36	14.97	16.39	52
पूंजीगत					
10.	37-प्रत्यक्ष कर	70.00	13.25	56.75	81
11.	40-स्वास्थ्य विभाग	540.01	249.38	290.63	54
12.	57-प्रसारण सेवाएं	402.50	301.69	100.81	25
13.	99-अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4.49	1.67	2.82	63
बजट अनुमानों के प्रति अधिक वसूलियां					
राजस्व					
14.	2-कृषि तथा सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	-	6.94	6.94	694
15.	5-रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग	1.65	51.25	49.60	3006
16.	36-राजस्व विभाग	12.30	18.95	6.65	54
17.	54-भारी उद्योग विभाग	45.18	106.79	61.61	136
18.	55-लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	1.51	6.03	4.52	300
19.	64-गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	-	15.47	15.47	1547

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	विभिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता
20.	78-इस्पात मंत्रालय	28.11	40.00	11.89	42
21.	82-वस्त्र मंत्रालय	15.21	22.25	7.04	46
22.	89-परमाणु ऊर्जा	10.62	14.62	4.00	38
पूँजीगत					
23.	11-चीनी तथा खाद्य तेल विभाग	175.97	256.00	80.03	45
24.	12-कोयला मंत्रालय	10.00	25.03	15.03	150
25.	28-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	-	2573.74	2573.74	257574
26.	81-पत्तन, प्रकाश स्तम्भ तथा नौपरिवहन	22.45	34.49	12.04	54
27.	89-परमाणु ऊर्जा	91.88	185.27	93.39	102

परिशिष्ट-XXII
(पैराग्राफ 13.2.1 देखें)

प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो अनुपयोग के कारण अविवेकपूर्ण थे

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम अव्ययित प्रावधान की राशि
1.	3-कृषि अनुसन्धान तथा व्यय विभाग	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	मत्स्य पालन-भा.कृ. अ.प. को सहायता-अनुसंधान संस्थान	370.00	500.00
2.	17-रक्षा मंत्रालय	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	रक्षा सम्पदा संगठन	159.96	513.28
3.	26-आर्थिक कार्य विभाग	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	बचत प्रमाणपत्रों, चैक बुकों, राष्ट्रीय रक्षा बंध-पत्रों आदि की मुद्रण लागत	70.00	90.05
4.	-वही-	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	आर्थिक कार्य विभाग	82.14	90.25
5.	-वही-	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	अ.भा. बंधपत्रों में विनिमय हानि	1031.00	4329.99
6.	27-मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टिकटें	2046-मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल	चलार्थ पत्र मुद्रणालय-प्रबन्धन	98.30	126.62
7.	-वही-	4046-मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	चलार्थ पत्र मुद्रणालय-भवन	53.00	239.06
8.	29-ब्याज भुगतान	2049-ब्याज भुगतान	खजाना बिलों पर छूट	2000.00	3268.11
9.	-वही-	-वही-	14 दिवसीय खजाना बिल	3000.00	3268.11
10.	-वही-	-वही-	औ.पु.वि.बी. से कर्जों पर ब्याज	3285.67	4626.77
11.	-वही-	-वही-	बचत बैंक तथा प्रमाण कार्य इत्यादि के लिए डाक विभाग	14898.00	21053.17

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम अव्ययित प्रावधान की राशि
			को भुगतान		
12.	-वही-	-वही-	औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन तथा जीवन बीमा निधियां	2041.52	12430.61
13.	-वही-	-वही-	क.भ.नि. /ई.एल.एल.आई. के विशेष जमा	150.00	166.45
14.	-वही-	-वही-	रेलवे पेंशन निधि	124.05	1093.95
15.	32-ऋण की चुकौती	6001-केन्द्रीय सरकार के आन्तरिक ऋण	14-दिवसीय खजाना बिल	915600.00	1205471.00
16.	-वही-	-वही-	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	650.00	1560.00
17.	-वही-	-वही-	7% पूंजीगत निवेश बंधपत्र	100.00	480.34
18.	38-अप्रत्यक्ष कर	2037-सीमा शुल्क	समुद्री सीमा शुल्क-प्रमुख पत्तन	233.82	874.36
19.	40-स्वास्थ्य विभाग	2210-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	सं.क्षे. में व्यय	112.25	166.49
20.	-वही-	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	51.40	56.87
21.	43-गृह मंत्रालय	4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	भूमि अधिग्रहण	290.00	348.77
22.	51-महिला तथा बाल विकास विभाग	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	62.00	63.29
23.	-वही-	2236-पोषण	पोषण में एकीकृत शिक्षा	58.00	100.82
24.	57-प्रसारण सेवाएं	2221-प्रसारण	श्रोतागण अनुसंधान	50.21	50.34
25.	-वही-	4221-प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय	विविध निर्माण कार्य योजनाएं	56.45	813.88

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम अव्ययित प्रावधान की राशि
26.	63-खान मंत्रालय	2853-अलोह खान तथा धातुकर्मीय उद्योग	भारतीय भू-सर्वेक्षण-निर्देशन तथा प्रशासन	94.94	221.69
27.	75-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	अ. एवं वि. उपकर के अन्तर्गत प्राप्तियों के प्रति भुगतान	800.00	3001.16
28.	-वही-	5455-मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	वेधशाला तथा मौसम केन्द्र-उपकरण	95.00	1715.32
29.	83-शहरी विकास	2216-आवास	सम्पदा निदेशालय	1607.49	1878.15
30.	89-परमाणु ऊर्जा	2852-उद्योग	स्टेनलैस स्टील सीमलैस ट्यूब संयंत्र	128.00	396.44
31.	-वही-	5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	इन्दिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र-सिविल इंजीनियरिंग	180.25	182.10
32.	90-नाभिकीय विद्युत योजनाएं	2801-नाभिकीय विद्युत उत्पादन	तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र	524.00	560.61

परिशिष्ट-XXIII
(पैराग्राफ 13.2.2 देखें)

अन्य उप-शीर्षों के पुनर्विनियोग के मामले जिनके अन्तर्गत व्यय, शेष प्रावधान की तुलना में अन्ततः अधिक दर्शाया गया

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य
1.	9-उपभोक्ता कार्य विभाग	3456-नागरिक आपूर्ति	राष्ट्रीय भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ	186.00	669.08
2.	13-वाणिज्य विभाग	3453-विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	व्यापार आयुक्त	286.00	388.67
3.	26-आर्थिक कार्य विभाग	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	अनिवार्य जमा (आय कर दाता) योजना 1974 के अन्तर्गत जमा पर ब्याज	500.00	519.96
4.	28-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट तथा निवेश निगम	674.00	1893.11
5.	29-ब्याज भुगतान	2049-ब्याज भुगतान	इराक निर्यात के प्रति बंधपत्र	1348.00	4817.13
6.	-वही-	-वही-	एशिया विकास बैंक से कर्जे पर ब्याज	3324.73	4820.70
7.	-वही-	-वही-	राष्ट्रीय बचत योजनाएं	2000.00	23782.47
8.	-वही-	-वही-	डाक घर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नई श्रृंखला)	1363.50	55273.58
9.	-वही-	-वही-	डाक बीमा तथा जीवन वार्षिकी निधि	1717.97	2203.15
10.	37-प्रत्यक्ष कर	2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	आयुक्त तथा उनके कार्यालय	966.20	7477.34
11.	43-गृह मंत्रालय	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	गुप्तचर विभाग	439.85	865.54

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य
12.	-वही-	3601-राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान	अन्य अधिनियम तथा विनियम	183.00	414.00
13.	45-पुलिस	2055- पुलिस	असम राईफल्स	92.00	1241.90
14.	-वही-	-वही-	राज्य मुख्यालय पुलिस	312.21	1034.08
15.	52-औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	2852-उद्योग	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना के संबंध में व्यय	68.00	149.00
16.	75-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	वैज्ञानिक संस्थाओं/व्यावसायिक निकायों को सहायता-अनुदान	213.00	1291.28
17.	81-पत्तन, प्रकाशस्तंभ तथा नौपरिवहन	3051-पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल में अनुरक्षण एवं निकर्षण	871.00	7980.13
18.	89-परमाणु ऊर्जा	3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	69.50	664.77
19.	95-राज्य सभा	2011- संसद/राज्य/संघशासित क्षेत्र विधानसभा	राज्य सभा-सचिवालय	56.21	126.70
20.	96-लोकसभा	2011- संसद/राज्य/संघशासित क्षेत्र विधानसभा	लोक सभा-सदस्य	835.80	1639.00
21.	99-अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2406-वानिकी तथा वनजीवन	वन संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन	52.45	52.87
22.	-वही-	2202-सामान्य शिक्षा	सरकारी माध्यमिक विद्यालय	51.22	117.60
23.	100-चंडीगढ़	2014-न्याय प्रशासन	उच्च-न्यायालय	80.00	430.05
24.	-वही-	2202-सामान्य शिक्षा	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	54.13	1074.00

2000 का प्रतिवेदन सं.1 (सिविल)

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य
25.	-वही-	2059-लोक निर्माण कार्य	स्थापना	50.25	260.85
26.	32-ऋण की चुकौती	6002-बाह्य ऋण	औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए बैंक से कर्जे	1552.71	3162.60
	जोड़			17347.73	

अनुबंध-XXIV

(पैराग्राफ 14.1 देखें)

'सेवा के नए साधन' को आकर्षित करने वाले मामलों के विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
(I) सहायता अनुदानों का निर्गम/राजस्व संवितरण						
1.	1- कृषि	रा.कृ.सं. की मूल्य समर्थन कार्य आरक्षित निधि में अंशदान	1.00	10.98	9.98	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा दो करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
2.	3-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	कृषि उत्पादन उपकर अधिनियम 1940 के अंतर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों का भुगतान	20.00	25.00	5.00	दो करोड़ रु. की सीमा से बढ़ गया।
3.	5-रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग	(i) कीटनाशी फार्मूला प्रौद्योगिकी संस्थान	1.00	3.00	2.00	बजट प्रावधान की 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गया।
4.	-वही-	(ii) केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	8.75	10.62	1.87	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
5.	6-उर्वरक विभाग	(i) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड (हि. उ.नि.लि.)	-	4.00	4.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा दो करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
6.	-वही-	(ii) भा.खा.नि.	-	2.00	2.00	-वही-
7.	13-वाणिज्य मंत्रालय	कॉफी बोर्ड	8.00	10.00	2.00	-वही-
8.	25-विदेश मंत्रालय	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (भा. सां.स.प.)	28.00	32.99	4.99	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा दो करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
9.	28-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	(i) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) को अनुदान	3.86	4.53	0.67	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
10.	-वही-	(ii)राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैं.)	3.50	4.17	0.67	-वही-
11.	-वही-	(iii) भारतीय औद्योगिक क्रेडिट तथा निवेश निगम (भा.औ. क.वि.नि.)	26.66	38.85	12.19	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा दो करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
12.	-वही-	(iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भा.औ.वि.बैं.)	15.01	20.56	5.55	-वही-
13.	39-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	आधुनिक खाद्य उद्योग लिमि.	-	0.80	0.80	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 10 लाख रु. की सीमा से बढ़ गई।
14.	40-स्वास्थ्य विभाग	(i) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी को अनुदान	0.15	0.33	0.18	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
15.	-वही-	(ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.आ.सं.)	176.49	228.96	52.47	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा दो करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
16.	-वही-	(iii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (स्ना.चि.शि.अ.स.) चंडीगढ़	93.45	122.13	28.68	-वही-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
17.	-वही-	(iv) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान (रा. मा.स्वा.तं.वि.सं.) बंगलौर	21.90	25.17	3.27	-वही-
18.	-वही-	(v) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (भा.चि.अ.प.)	90.00	101.00	11.00	-वही-
19.	-वही-	(vi) क्ष.रो.अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई	-	0.50	0.50	मुक्त की गई राशि 10 लाख रु. की सीमा से बढ़ गई।
20.	41-भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग	(i) स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर	3.02	3.65	0.63	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
21.	-वही-	(ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	6.00	8.96	2.96	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
22.	-वही-	(iii) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (के.हो.अ.प.) नई दिल्ली	6.15	6.82	0.67	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
23.	-वही-	(iv) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (के.यू.औ.अ.प.)	11.40	13.06	1.66	-वही-
24.	42-परिवार कल्याण विभाग	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	3.30	4.18	0.88	-वही-
25.	46- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	(i) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल	10.00	14.90	4.90	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
						अथवा दो करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
26.	-वही-	(ii) क्षेत्रीय अर्द्ध चिकित्सा संस्थान, आइजोल,	1.00	1.30	0.30	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि निर्मोचन बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
27.	48-शिक्षा विभाग	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा. शै.अ.प्र.प.)	24.50	34.30	9.80	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
28.	-वही-	तिब्बती शरणार्थी बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं (तिब्बतीय विद्यालय समिति)	9.00	11.40	2.40	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
29.	-वही-	आदर्श विद्यालयों की स्थापना (नवोदय विद्यालय)	362.18	376.50	14.32	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 2 करोड़ रु. की सीमा पार की गई।
30.	-वही-	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.)	1170.10	1341.35	171.25	171.25 करोड़ रु. की कुल मुक्त की गई अतिरिक्त राशि में से 7.25 करोड़ रु. का संसद ने अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच के माध्यम से अनुमोदन किया था।
31.	-वही-	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान)	2.24	2.82	0.58	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
32.	-वही-	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.)	79.00	81.51	2.51	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 2 करोड़ की सीमा पार कर गई।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
33.	-वही-	भारतीय विज्ञान संस्थान (भा.वि.सं.) बंगलौर को अनुदान	66.00	74.00	8.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
34.	-वही-	क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालयों (क्षे.इं.म) को अनुदान	97.60	107.14	9.54	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 2 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
35.	-वही-	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय	6.45	7.35	0.90	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
36.	-वही-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई	59.41	75.41	16.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
37.	-वही-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	57.50	69.50	12.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
38.	-वही-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	54.50	66.50	12.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
39.	-वही-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	57.50	69.50	12.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
40.	-वही-	भारतीय प्रौद्योगिकी	56.85	68.85	12.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
		संस्थान, चैन्नई				बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
41.	-वही-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम	20.00	25.00	5.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
42.	-वही-	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	8.85	12.85	4.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
43.	-वही-	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	9.50	13.50	4.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु. जो भी कम हो, से बढ़ गई।
44.	-वही-	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	8.80	9.80	1.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा पार कर गई।
45.	49-युवा मामले तथा खेल कूद विभाग	विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खेलों तथा खेलकूद हेतु अनुदान योजना	3.09	4.92	1.83	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा पार कर गई।
46.	-वही-	भारतीय खेल प्राधिकरण	55.00	58.78	3.78	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 2 करोड़ रु. की निर्धारित सीमा पार कर गई।
47.	50-संस्कृति विभाग	(i) विज्ञान नगर	-	5.00	5.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 10 लाख रु. की सीमा पार कर गई।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
48.	-वही-	(ii) केन्द्रीय बुद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	2.28	2.70	0.42	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
49.	-वही-	(iii) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय	4.69	5.59	0.90	-वही-
50.	52-औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	(i) राष्ट्रीय नवीकरण निधि में अंतरण	300.00	401.26	101.26	
51.	-वही-	(ii) सीमेंट उद्योग विकास परिषद	3.00	4.00	1.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान की 10 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई।
52.	54-भारी उद्योग विभाग	(i) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	6.85	20.00	13.15	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा अथवा 2 करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
53.	-वही-	(ii) उपभोक्ता उद्योग-कागज एवं समाचार मुद्रण	0.96	7.50	6.54	-वही-
54.	-वही-	(iii) अन्य इंजीनियरी उद्योग	35.81	72.55	36.74	-वही-
55.	-वही-	(iv) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमि.	-	4.68	4.68	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 10 लाख रु. की सीमा पार कर गई।
56.	-वही-	(v) हिन्दुस्तान नमक लिमि.	-	0.50	0.50	-वही-
57.	55-लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान-विस्तार प्रशिक्षण, हैदराबाद	6.58	7.98	1.40	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान की 10 प्रतिशत की सीमा पार कर

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
	विभाग					गई।
58.	-वही-	(ii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.)	274.70	351.20	76.50	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
59.	58-श्रम मंत्रालय	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	11.71	16.07	4.36	-वही-
60.	64-गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (भा.न.ऊ.वि.ए.)	-	7.05	7.05	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 10 लाख रु. की सीमा पार कर गई।
61.	78-इस्पात विभाग	(i) कम्पनियों का बर्ड ग्रुप	0.80	6.00	5.20	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
62.	-वही-	(ii) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमि. (भा. इ.प्रा.लि.) (सेल) (इस्को के लिए)	6.70	10.00	3.30	-वही-
63.	-वही-	(iii) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) (वी.आई.एस.एल. के लिए)	2.70	8.00	5.30	-वही-
64.	-वही-	(iv) स्पॉज आयरन इंडिया लिमिटेड	0.15	2.00	1.85	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान की 10 प्रतिशत की सीमा पार कर गई।
65.	81-पत्तन, प्रकाश स्तंभ तथा नौपरिवहन	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमि.	4.10	8.00	3.90	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
66.	82-वस्त्र मंत्रालय	गलीचा प्रौद्योगिकी संस्थान	0.75	1.82	1.07	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान की 10 प्रतिशत की सीमा पार कर गई।
67.	87-जल संसाधन मंत्रालय	(i) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी	10.00	12.00	2.00	-वही-
68.	-वही-	(ii) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	4.62	10.50	5.88	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की दोहरी सीमा अथवा 2 करोड़ रु., जो भी कम हो, से बढ़ गई।
(II) परिदान भुगतान (राजस्व)						
69.	54-भारी उद्योग विभाग	(i) भारी इंजीनियरी निगम लिमि.	-	20.82	20.82	मुक्त की गई ब्याज परिदान राशि 10 लाख रु. की सीमा पार कर गई।
70.	-वही-	(ii) इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमि.	-	15.51	15.51	-वही-
71.	-वही-	(iii) हिन्दुस्तान केबल्स लिमि.	-	122.20	122.20	-वही-
72.	-वही-	(iv) ब्रेलवेट भारत ब्रेक्स तथा वॉल्व लिमि. (भारत भारी उद्योग निगम लिमि. द्वारा नियंत्रित कम्पनी)	-	116.39	116.39	-वही-
73.	-वही-	(v) भारी इंजीनियरी निगम लिमि.	-	22.34	22.34	मुक्त किया गया गारंटी शुल्क परिदान 10 लाख रु. की सीमा पार कर गया।
74.	-वही-	(vi) हिन्दुस्तान केबल्स लिमि.	-	4.76	4.76	-वही-
(III) कर्जों में निवेश/पूँजीगत						
75.	5-रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	पेट्रोफाइल कोऑपरेटिव लिमिटेड (कर्जा)	-	4.50	4.50	मुक्त की गई राशि 20 लाख रु. की सीमा पार कर गई।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
76.	6-उर्वरक विभाग	मद्रास उर्वरक लिमिटेड (कर्जा)	21.00	61.00	40.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 15 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
77.	17-रक्षा मंत्रालय	गोवा शिपार्ड लिमिटेड (निवेश)	-	3.30	3.30	मुक्त की गई राशि 2 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
78.	28-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भा.औ.वि. बैं)	40.52	73.64	33.12	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 15 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
79.	39-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि बाजार निगम	0.50	1.68	1.18	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 20 लाख रु. की सीमा पार कर गई।
80.	54-भारी उद्योग विभाग	(i) इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	4.50	29.25	24.75	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 10 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
81.	-वही-	(ii) एच.एम.टी. लिमिटेड	23.00	40.95	17.95	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 15 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
82.	-वही-	(iii) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	0.75	91.25	90.50	-वही-
83.	-वही-	(iv) भारतीय चर्म-शोधन तथा पादत्राण निगम	4.50	13.28	8.78	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 2 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
84.	-वही-	(v) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	0.01	2.88	2.87	-वही-
85.	-वही-	(vi) भारतीय टायर निगम लिमिटेड	6.22	19.83	13.61	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 10 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
86.	-वही-	नेशनल इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमि.	-	0.24	0.24	वि.श.प्र.नि. के नियम 10 के नीचे भा.स. का निर्णय (i) की मद सं. आई.बी. (ii) (ए) द्वारा मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 20 लाख रु. की सीमा पार कर गई।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान	उपशीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	मुक्त की गई वास्तविक राशि	मुक्त की गई अधिक राशि	अभ्युक्तियां
87.	63-खान मंत्रालय	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	13.50	73.50	60.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 15 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
88.	71-विद्युत मंत्रालय	(i) उत्तर पूर्वी इलैक्ट्रिक पॉवर निगम (कर्जा)	154.02	184.69	30.67	-वही-
89.	-वही-	(ii) विद्युत वित्त निगम	150.00	249.36	99.36	-वही-
90.	73-ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	आवास तथा शहरी विकास निगम (निवेश)	-	50.00	50.00	मुक्त की गई राशि 20 लाख रु. की सीमा पार कर गई।
91.	78-इस्पात विभाग	भारत रिफ्रक्टरीज लिमिटेड	9.00	27.50	18.50	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 15 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
92.	82-वस्त्र मंत्रालय	(i) राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम	60.00	104.11	44.11	-वही-
93.	-वही-	(ii) भारतीय जूट निगम	16.00	20.00	4.00	मुक्त की गई अतिरिक्त राशि 2 करोड़ रु. की सीमा पार कर गई।
94.	87-जल संसाधन मंत्रालय	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	5.00	9.50	4.50	-वही-

परिशिष्ट-XXV

शब्दावली

विनियोग	:-	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग लेखे	:-	विनियोग लेखे संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत्त तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ-साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय के लिए संसद द्वारा नियमन अपेक्षित है।
विनियोग अधिनियम	:-	संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
विनियोग विधेयक	:-	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित, किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रभारित विनियोग	:-	संविधान के अनुच्छेद 112 (3) के अधीन समेकित निधि पर 'प्रभारित' व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)	:-	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अधीन संघटित निधि जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोकऋण तथा कर्जें इत्यादि) नामक दो प्रमुख प्रभाग हैं।
भारत की आकस्मिकता निधि	:-	संसद विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में 'भारत की आकस्मिकता निधि' की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां, समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनवेक्षित व्यय का संविधान के

- अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को योग्य बनाने हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जाएगी।
- ऋण सेवा :- देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता (दाताओं) को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
- अनुदानों की मांग :- अनुदानों के लिए मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दिखाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जायेगा। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सभा में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती हैं।
- अधिक अनुदान :- ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत्त) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण :- सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबंधित ऋण।
- आंतरिक ऋण :- भारत में जनता से लिये गये नियमित कर्जे, आंतरिक ऋण होते हैं, इसे 'भारत में लिया गया ऋण' भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- मुख्य शीर्ष :- लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का सम्बंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष :- लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिये गये हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्यशीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप-मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत '001' से शुरू होते हैं।
- नयी सेवा :- सरकार ने पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यय की

मूल अनुदान

लोक लेखा

लोक ऋण (भारत का)

पुनर्विनियोजन

स्टॉक

अनुपूरक अनुदान

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

- विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ वित्तीय सीमायें निर्धारित की हैं जिससे बाहर किया गया व्यय 'नयी सेवा/सेवा का नया साधन' बन जाता है।
- :- किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में मुहैया करवाई गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- :- भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है { (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2) } इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न ऋण से सम्बंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत /विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रणीत किये जाते हैं।
- :- भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- :- इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- :- स्टॉक प्रमाण-पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।
- :- यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेगी।
- :- केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में अव्ययित प्रावधानों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी तथा/अथवा लेखा अधिकारी, जैसा भी हो, को सूचित करेगा।

खजाना बिल	:-	खजाना बिल ऐसे साधन हैं जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अस्थाई संसाधन अन्तराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्ज़ों को उगाहने के लिए जारी किये जाते हैं।
तदर्थ खजाना बिल	:-	जब कभी सरकार का नकद शेष 50 करोड़ रु. के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि. बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाये, सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिये गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
टैप खजाना बिल	:-	91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।
14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल	:-	राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थाई अधिशेष निधियां निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल	:-	जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल	:-	उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया एक साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल	:-	364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
अव्ययित प्रावधान	:-	जब व्यय बजट प्रावधान से कम होता है तब अव्ययित प्रावधान होते हैं।
दत्तमत्त अनुदान	:-	अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113 (2) के अन्तर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।



